पंचम माला, खंड 9, अंक 15
Fifth Series, Vol. IX, No. 15

शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 1971/12 अग्रहायण, 1893 (शक)
Friday, December 3, 1971/Agrahayana 12, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

5th
LOK SABH DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

[खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. IX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 15 शुक्रवार 3 दिसम्बर, 1971/12 अग्रहायण 1893 (शक)
No. 15 Friday, December 3, 1971/Agrahayana 12, 1893 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
421.	राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट करने संबंधी राष्ट्रीय नीति	National Policy on Overdrafts by States	—1
422.	विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए मोहलत (मोरेटोरियम)	Moratorium on payment of Foreign Loans ...	—4
424.	कर की बकाया राशि की वसूली	Recovery of Arrears of Tax ...	—7
425.	पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के लेखा परीक्षा कार्य का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Audit Work of Public Ltd. Companies ...	—9
426.	देश के विभिन्न तेल शोधक कारखानों के अधिकारियों के वेतन-मानों में समानता	Uniformity in Scales of Pay of Officers of different Refineries in the country ...	—11
427.	कम्पनियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण पर रोक	Ban on Shifting of Companies from one State to another ...	—12
430	जीवन बीमा निगम द्वारा पिछड़े राज्यों को प्राथमिकता दिया जाना	Preferential Treatment to Backward States by LIC ...	—13
432.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पुरानी मोटर गाड़ियों पर ऋण दिया जाना	Advancing of Credits by Nationalised Banks on Second hand Vehicles ...	—15
433.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे व्यापारियों को ऋण	Loans to Small Traders by Nationalised Banks ...	—16
434.	पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर लिये गये चाय बागान क्षेत्र	Tea Estate Area Occupied by Pakistan ...	—18

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	Pages
423.	रूबल के अवमूल्यन का प्रभाव	Impact of Devaluation of Rouble ...	—19
428.	उड़ीसा में पारादीप में उर्वरक कारखाने की स्थापना	Setting up of a Fertilizer Factory at Paradeep in Orissa ...	—20
429.	पर्यटकों से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earnings from Tourists ...	—20
431.	पेट्रोलियम के शोधन में आत्म निर्भरता	Achievement of Self Sufficiency in Petroleum Refining ...	—21
435.	बिहार को कोयले तथा जलाने के तेल की सप्लाई	Supply of Coal and Fuel Oil to Bihar ...	—21
436.	विदेशी पूंजी निवेश में कमी	Decline in Foreign Capital Investment ...	—22
437.	सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनों का स्थायीकरण	Freezing of Wages of Employees working in Public Undertakings...	—22
438.	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रीसटी बोर्ड को बेचे गये अवशिष्ट तेल के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Residual Oil Sold to Gujarat State Electricity Board ...	—23
439.	विजयन्त टैंक प्लेटों की आवश्यकता	Requirement of Vijayanta Tank Plates ...	—23
440.	ऋण सम्बन्धी प्रतिबन्ध	Credit Restrictions ...	—24
441.	एलोपैथी की मिश्रित औषधियां तथा आधारभूत औषधियां बनाने वाले एककों की संख्या में वृद्धि	Growth in manufacturing Allopathic Formulations and Basic Drugs ...	—24
442.	कानपुर में मिग बैटरियों की चोरी	Theft of MIG Batteries in Kanpur ...	—25
443.	जगाधरी और यमुनानगर (हरियाणा) में आय कर अधिकारियों के छापे	Raids by Income Tax Authorities in Jagadhari and Yamuna Nagar (Haryana) ...	—25
444.	कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले लाभांश की अधिकतम सीमा निर्धारित करना	Ceiling on Dividends by Companies...	—25
445.	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त मामले	Cases referred under Monopolies and Restrictive Trade Practices Act ...	—26
446.	प्रस्तावित विमुद्रीकरण	Proposed Demonetisation of Currency ...	—2[illegible]

अता. प्र. संख्या U.S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
447.	मंगलौर (मैसूर) में उर्वरक परियोजना का पूरा होना	Completion of Fertilizer Project at Mangalore (Mysore) ...	—26
448.	पाकिस्तान को गुप्त जानकारी देने के आरोप में वायु सेना के अधिकारी की गोहाटी में गिरफ्तारी	Arrest of Air Force Officer at Gauhati for passing Secret News to Pakistan ...	—27
449.	औद्योगिक अर्थ व्यवस्था में गतिरोध के संदर्भ में राजकोषीय नीतियों का पुनर्विलोकन	Review of Fiscal Policies in regard to Stagnation in the Industrial Economy ...	—27
450.	राज्यों द्वारा अतिरिक्त शुल्क लगाया जाना	Imposition of Additional Levies by States ...	—28

अता. प्र. संख्या
U. S. Q. No.

2658.	भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि	Increase in Tourist traffic	—29
2659.	अहमदाबाद हवाई अड्डे का पुनिर्माण	Reconstruction of Ahmedabad Airport ...	—29
2660.	पंजाब में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराई गई राशियां	Deposits attracted by Nationalised Banks in Punjab ...	—29
2661.	जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in Life Insurance Corporation ...	—30
2662.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in Nationalised Banks ...	—30
2663.	राजनैतिक दलों की ओर आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against Political Parties ...	—31
2664.	परिचालन में भारतीय मुद्रा	Indian Currency in Circulation	—31
2665.	बेरोजगार स्नातकों को इण्डियन आयल कारपोरेशन के अधीन विक्रेता बनाया जाना (डीलरशिप)	Dealership under the Indian Oil Corporation to unemployed Graduate ...	—31
2666.	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में पूरी हुई होटल परियोजनाएं	Hotel projects completed in Public and Private Sectors ...	—32
2667.	डा० भगवानदास मेमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली	Dr. Bhagwan Das Memorial Trust New Delhi ...	—33

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2 68.	सहायक वायु सैनिकों को नगर प्रतिकर भत्ते का भुगतान	Payment of City Compensatory Allowance to Auxillary Airmen ...	—34
2669.	बिहार में कार्य कर रहे बैंक	Banks functioning in Bihar	—34
2670.	गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने द्वारा की जाने वाली सप्लाई के बारे में शिकायत	Complaints regarding supplies made by the Fertilizer Factory at Gorakhpur ...	—35
2671.	भारत को दी जाने वाली अमरीकी सहायता में कमी	Cut in US Aid to India	—36
2672.	उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकारणों में आय कर के विचाराधीन मामले	Pending cases of Income Tax before High Courts and Tribunals ...	—36
2673.	आसाम, त्रिपुरा और मनीपुर से तथा वहां की दैनिक इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों की उड़ानों का रद्द किया जाना	Cancellation of daily flights of Indian Airlines to and from Assam, Tripura and Manipur ...	—38
2674.	त्रिवेन्द्रम स्थित सैनिक स्कूल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allocation of Quarters to Class IV Employees of Sainik School, Trivandrum ...	—39
2675.	केरल में नारियल जटा के निर्यातकों के कार्यालयों की तलाशी	Search of Premises of Coir Exporters in Kerala ...	—39
2676.	कम्पनियों के कर्मचारी	Employees of Companies	—40
2677.	आन्ध्र प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापे	Raids by Enforcement Directorate in Andhra Pradesh ...	—40
2678.	आयकर अधिकारियों द्वारा आन्ध्र प्रदेश में छापे	Raids by Income Tax Authorities in Andhra Pradesh ...	—41
2679.	अक्तूबर, 1971 में उर्वरकों के विषय में हुई गोष्ठी	Symposium on Fertilizer held in October, 1971 ...	—43
2680.	पर्वतीय स्थलों पर परिवहन सुविधाएं	Transport Facilities in Hill Station ...	—44
2681.	मूल्य आय और वेतन सम्बन्धी नीति	Policy on prices, Incomes and Wages ...	—45
2682.	राजधानी में लोक प्रिय औषधियों की कमी	Shortage of Popular Drugs in the Capital ...	—45
2683.	सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों द्वारा अपने मूल संवर्गों में वापस आने की इच्छा व्यक्त करना	Managers in Public Sector Undertakings opting for their Parent Cadres ...	—46

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2684.	एकाधिकार वाले उद्योगों द्वारा साबुन का उत्पादन	Manufacture of Soap by Monopoly concerns ...	—46
2685.	अमरीका द्वारा विदेशी सहायता बंद करने के निर्णय का बंगला देश के शरणार्थियों पर प्रभाव	Impact of US decision to stop-foreign aid for Bangla Desh Refugees ...	—47
2686.	उद्योगों में रोजगार के कम होते जा रहे अवसर	Shrinking Employment in Industries...	—48
2687.	फ्रांस के साथ मिराज विमानों के लिए बातचीत	Negotiations with France for Mirage Aircraft ...	—48
2688.	पाकिस्तानी 'मुजाहिदों' रजाकारों द्वारा आत्म समर्पण	Surrender by Pak. Mujahids/ Razakar ...	—49
2689.	आन्ध्र प्रदेश में आयकर विभाग के छापे	Raids by Income Tax Department in Andhra Pradesh ...	—49
2690.	पाकिस्तान द्वारा पुनः कब्जे में की गई सीमा चौकी	Border post re-occupied by Pakistan ...	—50
2691.	गोआ शिपयार्ड, सम्भाजी में हड़ताल	Strike at Goa Shipyard Sambhaji ...	—50
2692.	कृषिक पुनर्वित निगम द्वारा स्वीकृत योजनाएं	Sanction of Schemes by Agricultural Refinance Corporation ...	—51
2693.	ग्वालियर में बाढ़ से हुई हानि के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for loss due to Floods In Gwalior ...	—51
2694.	औषधियों का उत्पादन	Production of Drugs	—52
2695.	मकान किराया भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to raise the House Rent Allowance ...	—52
2696.	तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्चतर प्रशिक्षण	Advanced Training to Technical Aid Programme ...	—53
2700.	पाकिस्तान सरकार द्वारा पाक अधिकृत काश्मीर में सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण	Construction of Strategic Roads in Pak Occupied Kashmir by Pakistan Government ...	—53
2701.	गाडफ्रे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड में विदेशियों के शेयर	Shares owned by 3 Foreigners in Godfrey Philips India Ltd. ...	—54
2702.	मेसर्स गाडफ्रे आफ इण्डिया लिमिटेड में डी० मेक्रोपोलो का विलयन	Merger of D. Macropolo with Godfrey Philips of India Ltd. ...	—54
2703.	युद्ध जोखिम बीमा योजना	War Risk Insurance Scheme	—54
2704.	बड़े व्यापार ऋणों का बन्द किया जाना	Stoppage of Large Trade Credits	—55

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2705.	तीसरे वेतन आयोग के लिये कार्यरत कर्मचारीगण	Staff working on the Strength of Third Pay Commission ...	—55
2706.	सरकारी क्षेत्र में उद्योगों के लिये प्रबन्धक पूल	Managerial Pool for Public Sector Enterprises ...	—57
2707.	मैसर्स एण्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी, कलकत्ता द्वारा पटसन मिलों और अन्य स्थापनाओं का बेच दिया जाना	Sale of Jute Mills and other Concerns by M/s Andrew Yule and Company Calcutta ...	—59
2708.	सरकारी उपक्रमों में ही अतर्लयन के बारे में सिविल कर्मचारियों से विकल्प	Option from Civil Servants for Absorption in Public Undertakings ...	—59
2709.	इस वर्ष में अत्यधिक और निरन्तर होने वाली वर्षा के कारण	Causes of Excessive and Perennial rains this year ...	—60
2710.	देश मे पर्यटन की सम्भावनाओं के बारे में मूल्यांकन करने के लिये संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित करना	Invitation to a Team of U. N. Experts to assess the Country's Tourist Potentials ...	—61
2711.	गुजरात में 'सोन-ए-लुमिएर' के शो की व्यवस्था का प्रस्ताव	Proposal to arrange Son-Et-Lumiere Show in Gujarat ...	—61
2712.	दिल्ली में पकड़ी गई जाली मुद्रा	Forged Currency Seized in Delhi ...	—62
2713.	गोहाटी तेल शोधक कारखाने में धन का गबन	Defalcation of Money in Gauhati Oil Refinery ...	—62
2714.	आयकर अधिकारियों की सेवा की शर्तों के बारे में नियम	Rules Re : Conditions of Service of Income Tax Officers ...	—62
2715.	प्राइवेट होटलों द्वारा उत्पादन शुल्क विनियमों का पालन	Observance of Excise Regulation by Private Hotels ...	—63
2716.	चिटफंड कम्पनियों का कार्यकरण	Working of Chit Fund Companies ...	—63
2717.	सैनिक अस्पतालों में अर्हता प्राप्त डाक्टरों और नर्सों की कमी	Shortage of Qualified Doctors and Nurses in Army Hospitals ...	—64
2718.	नई दिल्ली के एक होटल की दूकान से जवाहरात की चोरी	Theft of Jewellery from a Shop in New Delhi Hotel ...	—65
2719.	एयर इण्डिया द्वारा इकोनोमी क्लास के लिये भारत से अमरीका तथा अमरीका से भारत तक के विमान भाड़े में कमी	Reduction in Economy Class Fares by Air India to and from USA ...	—65

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No,	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2720.	'एशीयाई डालर' का बनाया जाना	Creation of Asian Dollar	—66
2721.	भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रतिवेदन	Report of International Monetary Fund on India's Economy ...	—67
2722.	चौथी योजना के लिए नियत राशि में कटौती	Cut in the Fourth Plan Financial Allocation ...	—67
2723.	श्री नगर में अवैध टकसाल	Illegal Mint in Srinagar	—68
2724.	पैट्रोलियम की मांग में वृद्धि	Increase in Demand of Petroleum	—68
2725.	राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to states	—69
2726.	कलकत्ता में छोटे सिक्कों की कमी	Shortage of Small Coins in Colcutta	—69
2727.	गुजरात में कोयाली तेल शोधक कारखाने का विस्तार	Expansion of Koyali Refinery in Gujarat ...	—70
2728.	इंडियन एयर लाईन्स के निदेशकों का चुनाव	Selection of Directors of Indian Air Lines ...	—70
2729.	औषधों के बारे में मूल्य नियंत्रण आदेश के कार्यकरण का पुनर्विलोकन	Review of the Working of Price Control Order on Drugs ...	—72
2730.	बिहार फलाइंग क्लब एम्पलाइज यूनियन से ज्ञापन	Memorandum from Bihar Flying Club Employees' Union ...	—72
2731.	भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अर्जित विदेश मुद्रा	Foreign Exchange Earned by India Tourism Development Corporation ...	—72
2732.	ब्रिटेन की सरकार द्वारा बैंक दर में कटौती करने का भारत पर प्रभाव	Impact of Cut in Bank Rate by U.K. Government of India ...	—73
2733.	भारतीय चार्टर्ड लेखापाल संस्थान की शासी परिषद में सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियों की नियुक्ति	Appointment of Government Nominee in the Governing Council of Chartered Accountants of India ...	—73
2734.	भारत के इन्डस्ट्रियल डैवलपमेंट बैंक द्वारा किये गये सर्वेक्षण का प्रतिवेदन	Survey Report conducted by the Industrial Bank of India ...	—74
2735.	भारतीय बैंक की विदेश स्थित शाखायें	Branches of Indian Banks Functioning Abroad ...	—74
2736.	साफ्ट बार्स की किस्म	Quality of Soft Bars	—76
2738.	होटलों के प्रबन्ध और निर्माण के लिये निगम	Corporation for Construction and Management of Hotels ...	—76

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2739.	कोचीन के सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods by Cochin Customs ...	—77
2740.	पुरस्कार के भुगतान के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	Investigation by CBI in Payment of Reward ...	—78
2741.	कन्नानोर के निकट मंगतुपराम्बू में एक नया हवाई अड्डा बनाने की मांग	Demand for Construction of a New Airport at Mangattuparambu near Cannaore ...	—78
2742.	पैट्रोलियम उत्पादों की मांग का बढ़ना	Increase in Demand for Petroleum Products Goods ...	—78
2743.	जीवन बीमा निगम के एजेन्टों का पारितोषिक	Award of Prizes to the Agents of LIC ...	—79
2744.	दो रुपये वाले जाली नोट	Counterfelt Notes of Two Rupee Denomination ...	—80
2745.	अमरीका की इन्टरनेशनल डेवलपमेंट मिशन एजेन्सी द्वारा अमरीका में बनी औषधियों का अधिक मूल्य लिया जाना	High Prices of Drugs Manufactured in USA charged by International Development Mission Agency of USA ...	—80
2746.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों की बैठक	Meeting of the Custodians of Nationalised Banks ...	—81
2747.	सरकारी उपक्रमों का कार्यकरण	Performance of Public Undertkings ...	—81
2748.	भारत में विदेशी निवेष करने हेतु परिस्थितियां	Climate for Foreign Investment in India ...	—83
2749.	एकाधिकार आयोग का कार्यकरण	Working of Monopolies Commission ...	—.3
2750.	लेखा परीक्षा कार्य का कुछ हाथों में जमा हो जाना	Concentration of Audit Work ...	—84
2751.	सोमालिया की एक तेल कम्पनी के शेयर प्राप्त करने के लिए आयल इंडिया द्वारा मांगी गई अनुमति	Permission sought by Oil India to acquires Share of Oil Concession in Somalia ...	—84
2752.	इंडियन आयल कारपोरेशन में प्राक्कलन समिति के 86वें प्रतिवेदन में उल्लिखित दस्तावेजों के गुम होने के बारे में की गई कार्यवाही	Action taken for loss of Documents in the Indian Oil Corporation High lighted in the 86th Report of the Estimates Committee ...	—85
2753.	उड़ीसा में पर्यटन का विकास तथा पर्यटकों के आकर्षण केन्द्रों पर होटल खोले जाना	Development of Tourism and opening of Hotels at Places of Tourist Attraction in Orissa ...	—85

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2755.	विमानन अनुसन्धान केन्द्र के एक विमान का दुर्घटनाग्रस्त होकर भूमि पर उतरना	Crash landing of an Aeroplane of Aviation Research Centre ...	—86
2756.	सुरक्षा सम्बन्धी योजना का पाकिस्तान को बेचा जाना	Defence Plan sold to Pakistan	—86
2757.	उत्तर कनारा जिले (मैसूर) में कास्टिक सोडा फैक्टरी के लिये भूमि के अर्जन से विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कार्यवाही	Steps to Rehabilitate Persons Displaced by Acqusition of Land for Caustic Soda Factory in North Kanara District (Mysore) ...	—87
2758.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के एक कर्मचारी की मृत्यु	Death of an Employee of ONGC ...	—87
2759.	राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं को नियंत्रण में लेना	Taking over of the Branches of Nationalised Banks in Foreign Countries ...	—87
2760.	खराब गोला बारूद	Defective Ammunition ...	—88
2761.	इंजीनियरों को बैंकों से ऋण देने के सम्बन्ध में अपनाई गई नीति	Policy adopted in regard to Advancing of loans to Engineers by Banks ...	—89
2762.	धन कर की वसूली	Collection of Wealth Tax ...	—89
2763.	अस्टिट ऐपेलेट कमिश्नर रतलाम के कार्यालय का स्थानांतरण	Shifting of Office of Appellate Assistant Commissioner, Ratlam ...	—90
2764.	जिला पटना में दानापुर के नागरिकों द्वारा स्टेट बैंक के चेयरमेन को भेजा गया ज्ञापन	Memorandum sent by Residents of Danapur, District Patna to the Chairman of the State Bank ...	—90
2765.	वर्ष 1965 में विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा घटिया किस्म का तेल सप्लाई किया जाना	Supply of Inferior Quality of Petrol by Foreign Oil Companies in 1965 ...	—90
2766.	लघु उद्योगों के विकास के लिये ऋण लेने में अनुभव की गई कठिनाइयां	Difficulty Experienced by Persons in obtaining Loans for Development of Small Scale Industries ...	—90
2767.	बम्बई के निकट देखी गई पाक पनडुब्बी	Pak Submarine sighted near Bombay ...	—91
2768.	छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकतायें	Credit requirements of Small and Mariginal Farmers ...	—91
2769.	राज्यों में संथेटिक डीटरजेंट कारखाने की स्थापना	Establishment of Synthetic Detergent Units in States ...	—93
2770.	एथिल एलकोहल (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1971 के सम्बन्ध में तामिलनाडु से अभ्यावेदन	Representation from Tamil Nadu regarding Ethyl Alcohol (Price Control) Order, 1971 ...	—93

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2771.	डी० डी० टी० के निर्माण के लिये एक नये संयंत्र की स्थापना अथवा अलवाये स्थित बी० एच० सी० संयंत्र का विस्तार करने सम्बन्धी निर्णय	Decision on setting up a New Plant of DDT or expansion of BHC Plant at Alwaye ...	—94
2772.	कलोल नवगांम क्षेत्र में पाइप लाइन का कार्य पूरा किया जाना	Completion of work of Kalol Nawagam Sector Pipe Line ...	—94
2773.	त्रिपुरा में कुएं की खुदाई के लिये आधुनिक उपकरण का आयात	Import of Sophisticated Equipment for spudding the Well in Tripura ...	—95
2774.	जीप कारों का निर्माण करने हेतु जबलपुर में एक कारखाने की स्थापना	Setting up Factory for Manufacture of Jeeps in Jabalpur ...	—95
2775.	जबलपुर स्थित जीप तथा मोटरगाड़ी कारखाने के शैड के निर्माण पर किया गया व्यय	Amount spent on shed for jeeps and Vehicles Factories at Jabalpur ...	—96
2776.	मैसर्स एस्सो कम्पनी द्वारा दी गई विक्रय एजेंसियां	Dealerships given by Esso Company ...	—96
2777.	इंडियन एयरलाइन्स के श्री रानादिवे आदि के विरुद्ध मुअत्तिली के आदेशों और न्यायालयों में चल रहे मुकदमों को वापिस लेने का निर्णय	Decision on Withdrawing Suspension Orders and Court Cases against Shri Ranadive of IAC ...	—97
2778.	भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को पैट्रोल पम्पों का आवंटन	Allotment of Petrol Pumps to Ex-service men ...	—97
2779.	भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिये पैट्रोल पम्पों का आरक्षण	Reservation of Petrol Pumps for Ex-Servicemen ...	—98
2780.	मकान बनाने हेतु रक्षा कर्मचारियों को ऋण	Loan to Defence Personnel for Construction of Houses ...	—98
2781.	भूतपूर्व सैनिकों को फालतू सैनिक भूमि अलाट करने की योजना	Scheme to Allot Surplus Military lands to Ex-servicemen ...	—98
2782.	पश्चिम एशियाई हवाई अड्डे पर जम्बो जेट के इंजन में खराबी	Engine Trouble in a Jumbo Jet at a West Asian Airport ...	—99
2783.	आयुध कारखानों में उत्पादन का बढ़ाया जाना	Stepping up production in Ordnance Factories ...	—100
2784.	विदेशी तेल कम्पनियों के हित में सार्वजनिक सम्पर्क सुविधाओं का दुरुपयोग	Abuse of Public Relation facilities in the interest of foreign Oil Companies ...	—101

अता प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2785.	विज्यन्त टैंक के लिये अवरक्त (इन्फ्रा रैड) सर्चलाइट	Infra-red searchlight for Vijayanta Tank ...	—101
2786.	सेवामुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की नेशनल केडिट कोर में पुनःनियुक्ति	Re-employment of released Emergency commissioned Officers in NCC ...	—102
2787.	पर्यटन के लिये राष्ट्रीय योजना	National Plan for Tourism	—103
2788.	गुजरात को वित्तीय सहायता	Finacial Assistance to Gujarat	—103
2790.	रक्षा प्रतिष्ठानों की यूनियनों को मान्यता देने की शर्त	Conditions for granting Recognition to Unions of Defence Establishments ...	—103
2791.	बम्बई में तस्करी का माल पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods in Bombay ...	—104
2792.	वन्य पशु गोष्ठी में की गई सिफारिशें	Recommendations made at the Seminar on Wild Life ...	—104
2793.	जामनगर में सोने के तस्कर व्यापारी	Gold Smugglers in Jamnagar	—104
2794.	नेशनल केडिट कोर का कार्य निर्धारण	Allotment of task to NCC ...	—104
2795.	भूतपूर्व सैनिकों की सेवाओं का उपयोग	Utilisation of Services of Exservicemen ...	—105
2796.	केरल सरकार द्वारा ऋण की अदायगी	Payment of loans by Kerala Government ...	—106
2797.	केरल में वायु सेना भर्ती केन्द्र	Air Force Recruitment Centres in Kerala ...	—106
2798.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड ऋषिकेश के विकास के लिये योजना	Scheme for Development of Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, Rishikesh ...	—106
2799.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड के ऋषिकेश स्थित कारखाने के विभिन्न विभागों के नाम	Names of various Departments of the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited at Rishikesh ...	—107
2800.	वाणिज्यक बैंकों के लाभ में वृद्धि	Increase in the Profits of Commercial Banks ...	—108
2801.	केरल में हवाई पट्टी और हवाई अड्डे के निर्माण की योजना	Scheme to construct Airstrips and Aerodrome in Kerala ...	—109
2802.	केरल राज्य की आर्थिक समस्यायें	Economic Problems of Kerala ...	—109
2804.	बरौनी रिफाइनरी में अशोधित तेल की कमी	Shortage of Crude Oil in Barauni Refinery ...	—110

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2805.	देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये निजी होटलों को आर्थिक सहायता	Financial Assistance to Private Hotels to promote Tourism in the Country ...	—110
2806.	अक्तूबर 1971 में एयर इंडिया जम्बो जेट की उद्घाटन उडानों पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on the inaugural flights of Air India's Jumbo Jets in October, 1971 ...	—111
2807.	मैसूर राज्य में अधिक पर्यटक आकर्षित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के होटलों का निर्माण	Construction of Hotels of International Standard to attract Tourists to Mysore State ...	—111
2808.	इंडियन एयर लाइन्स में प्राइवेट उद्योगपतियों द्वारा खान पान का प्रबन्ध	Private Industrialists Catering in Indian Airlines ...	—112
2809.	विद्युत चालित करघा उद्योग के विकास के लिये स्टेट बैंक बरहानपुर की शाखा द्वारा ऋण दिया जाना	Amount advanced by Branch of State Bank, Burhanpur for Development Powerloom Industry ...	—112
2810.	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों और छोटे उद्योगों को दिये गये ऋण	Loans given to Farmers and Small Enterpreneurs etc. by Nationalised Banks in Madhya Pradesh ...	—113
2811.	स्टेट बैंक की बरहानपुर शाखा से ऋण देने के बारे में शक्तिचालित करघों के मालिकों द्वारा शिकायतें	Complaints from Powerloom Owners regarding advance of Credit from Burhanpur Branch of the State Bank ...	—113
281 .	पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश में होटल निर्माण करने का प्रस्ताव	Proposal to construct hotels in Madhya Pradesh for tourists ...	—114
2813.	अहमदनगर के निकट वायु सेना के विमान का क्षतिग्रस्त होना	IAF Plane damaged near Ahmednagar	—114
2814.	अम्बाला छावनी क्षेत्र के अनधिकृत निर्माण	Un-authorised constructions in Ambala Cantonment Area ...	—115
2815.	सरकारी कम्पनियों को हुई हानि	Losses suffered by Government Companies ...	—115
2816.	चीन की परमाणु शक्ति	Nuclear Power of China ...	—116
2817.	जबलपुर खमरिया स्थित आयुध कारखाने में आग लगना	Fire in Ordnance Factory at Jabalpur Khamaria	—116
2818.	हल्दिया उर्वरक परियोजना	Haldia Fertilizer Project	—116
2819.	विश्व बैंक दल द्वारा बंगला देश शरणार्थी शिविरों का दौरा	World Bank Team's visit to Bangla Desh Refugee Camps ...	—117

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृ० Pages
2820.	सिल्चर से ऐजल और ऐजल के लुन्गब्री तक की सड़कों की खराब हालत	Condition of Roads 'from Silchar to Aijal and Aijal to Lungbi ...	—119
2821.	बाढ़ और मिट्टी के कटाव के बारे में अध्ययन करने के लिये केरल का दौरा करने वाले केन्द्रीय अध्ययन दल के निष्कर्ष	Findings of the Central Study Team to Kerala to Study Flood and Soil Erosion ...	—119
2822.	केरल में पोलीथीन की थैलियां बनाने का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Unit for making polyethylene Bags in Kerala ...	—120
2823.	केरल में मिट्टी के तेल का अभाव	Shortage of Kerosene Oil in Kerala ...	—120
2824.	उत्तरी कनारा जिला में कास्टिक सोडा फैक्टरी	Caustic Soda Factory in District North Kanara ...	—120
2825.	होनावार ताल्लुक जिला उत्तर कनारा में कारी कनामा के तीर्थ स्थान का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास	Development of Pilgrimage Centre of Kari Kanamma in Honnavar Taluka, District North Kanara as a Tourist Centre ...	—121
2826.	व्यापार के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा धन दिया जाना	Advancing of Money by Nationalised Banks to Foodgrains Trade ...	—121
2827.	वाणिज्यक लेखा परीक्षा के लिये चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की सूची	Panel of Chartered Accountants for Commercial Audit ...	—122
2828.	पंजाब के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance to Punjab Employees ...	—122
2829.	कोचीन, बारौनी और कोयली स्थित तेल शोधक कारखानों का विस्तार	Expansion of Cochin, Barauni and Koyali Refineries ...	—122
2830.	कार्यरत कम्पनियों का विवरण	Statement of Companies at Work	—123
2831.	विदेश स्थित भारतीय तेल निगम के कार्यालय	Offices of Indian Oil Corporation Located Abroad ...	—124
2832.	समझौता ज्ञापन 1969 के अन्तर्गत प्रतिनिधि की नियुक्ति	Appointment of the Nominee under the Memorandum of Settlement 1969 ...	—124
2833.	छावनी बोर्ड कर्मचारियों के साथ हुए समझौता ज्ञापन का लागू न किया जाना	Non-Implementation of Memorandum of Settlement with Cantonment Board Employees ...	—124
2834.	केन्द्रीय सरकारी होटलों की कार्य-प्रणाली तथा प्रबन्ध	Working and Management of Central Government owned Hotels ...	—125

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2835.	कम्पनियों द्वारा मनचाहे रूप में धन खर्च किये जाने के सम्बन्ध में जारी किये गये निर्देश	Directions issued Regarding Spending of Money at Companies' discretion ...	—125
2836.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड में उच्च श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति परीक्षा पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण	Revision of Syllabus for Promotion Test of UDCS in Board of Central Excise and Customs ...	—126
2837.	सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा अन्य भत्तों का भुगतान	Payment of House Rent and other Allowances to the Employees of Public Undertakings ...	—127
2838.	अधिक समय तक ठहरने वाले पर्यटकों के लिये केन्द्रों के रूप में विकास के लिये सरकार द्वारा चुने गये स्थान	Location Chosen by Government for Development as Centres for Destination Tourist Traffic ...	—128
2839.	देहातों में शिक्षित व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संस्थाओं का चलाया जाना	Starting of Institutions by Nationalised Banks to Train the Rural Educated ...	—129
2840.	आन्ध्र प्रदेश में पर्यटक केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres in Andhra Pradesh ...	—129
2841.	रांगलोसीमा जिला आन्ध्र प्रदेश से सशस्त्र सेना में भर्ती	Recruitment to the Armed Forces from Rangaloseema District, Andhra Pradesh ...	—130
2842.	देश में तेल के उत्पादन के बारे में रूसी विशेषज्ञों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना	Submission of the Report by Soviet Experts Re: Oil Production in the Country ...	—130
2843.	आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर में नायलोन सूत के उत्पादन का कारखाना स्थापित करना	Establishment of a Nylon Yarn Production Plant at Chittor in Andhra Pradesh ...	—131
2844.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये नये निदेशक बोर्डों का गठन	Constitution of New Boards of Directors for Nationalised Banks ...	—131
2845.	बैंकों द्वारा उद्योगों को ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines Regarding Advances to Industries by Banks ...	—131
2846.	25 लाख रुपये से अधिक आय कर की बकाया राशि	Arrears of Income tax above Rs. 25 Lakhs ...	—132

अता. प्र. संख्या U, S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2847.	राष्ट्रीय छात्र सेना दल के सीनियर और जूनियर डिवीजनों की अधिकृत संख्या	Authorised Strength of Senior and Junior Divisions of NCC ...	—132
2848.	भारतीय सेनाओं में अनुसूचित जातियों के लिये स्थानों का रक्षण	Reservation of Seats for Scheduled Castes in Indian Forces ...	—133
2849.	राष्ट्रीयकृत बैंकों मे तकनीकी विशेषज्ञ सेवा सेल्स स्थापित किया जाना	Setting up of Technical experts service cells in the Nationalised Banks ...	—133
2850.	7 सरकारी रक्षा उपक्रमों को ऋण देना	Loan to the seven Defence Public Undertakings ...	—133
2851.	हवाई अड्डे के उपकरणों को आयात करने का प्रस्ताव	Proposal to Import Aerodrome Equipment ...	—134
2852.	पर्यटन में अनुसंधान के लिये शिक्षावृत्ति (फैलोशिप) आरम्भ करने की योजना	Scheme for Instituting fellowships for Research in tourism ...	—135
2853.	होटल विकास ऋण योजना के अधीन ऋण देने के लिये स्वीकृत परियोजनाएं	Projects approved for loan under Hotel Development Loan Scheme ...	—135
2854.	होटल पुनर्विलोकन तथा सर्वेक्षण समिति का प्रतिवेदन	Report of Hotel Review and Survey Committee ...	—137
2855.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा लकोवा 'टी एस्टेट' भूमि का अर्जित किया जाना	Acquisition of Land of Lakowa Tea Estate by Oil and Natural Gas Commission ...	—137
2856.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में कदाचार	Corrupt Practices in the National Banks ...	—138
	जयन्ती शिपिंग कम्पनी (शेयरों का अर्जन) विधेयक	Jayanti Shipping Company (Acquisition of Shares) Bill ...	—157
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
	श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur	—157
	श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta	—159
	श्री सी० चित्तिबाबू	Shri C. Chittibabu	—159
	संविधान (संशोधन) विधेयक	Constitution (Amendment) Bill ...	160—161
	(अनुच्छेद 51 का संशोधन)—श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा पुरः स्थापित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत	(Amendment of article 51) by Shri C.K. Chandrappan Motion to introduce-negatived ...	—160

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
राजस्थान विकास बोर्ड विधेयक राजमाता कृष्णा कुमारी जोधपुर द्वारा पुरः स्थापित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत	Rajasthan Development Board Bill by Rajmata Krishna Kumari Jodhpur Motion to introduce-negatived ...	—161
विधेयक पुरः स्थापित—	Bills introduced— ...	
(1) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 368 का प्रतिस्थापन) श्री सी० चित्तिबाबू द्वारा	(i) Constitution (Amendment) Bill (Substitution of article 368) by Shri C. Chittibabu ...	—162
(2) फसल बीमा निगम विधेयक श्री सी० चित्ति बाबू द्वारा	(ii) Crop. Insurance Corporation Bill by Shri C. Chittibabu ...	—162
(3) न्यायाधीश (कतिपय मामलों में सुनवाई से प्रतिबंध) प्रो० एस० एल० सक्सेना द्वारा	(iii) Judges (Prohibition of hearing in certain cases) Bill by Prof. S.L. Saksena ...	—163
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 370 का प्रतिस्थापन)—अस्वीकृत	Constitution (Amendment) Bill (Substitution of article 370) Negatived ...	—163
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary ...	—163
स्वतंत्रता सेनानी (सेवाओं की सराहना विधेयक)	Freedom Fighters (Appreciation of (Services) Bill ...	—165
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof S.L. Saksena	—165
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E.R. Krishnan	—166
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary ...	—167
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	—138
अमरीका द्वारा भारत को हथियारों की सप्लाई निलम्बित करने का समाचार	Reported suspension of arms supplies by U.S. to India ...	—138
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	—138
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	—138
ध्यानाकर्षण सूचना के बारे में प्रश्न	Re. Call Attention Notice (Query)...	—140
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	—142
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	—146
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	Committee on Public Undertakings...	—146

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रतिवेदन तथा कार्यवाही का सारांश	Reports and Minutes	—146
अनुदानों की अनुपूरक माँगे (रेल) 1971-72	Demands for Supplementary Grants (Railways) 1971-72 ...	—147
वक्तव्य दिया गया	Statement presented	
हिन्दुस्तान मोटर्स फैक्टरी, उत्तरपाड़ा के बारे में वक्तव्य	Statement on Hindustan Motors Factory, Uttarpara ...	—147
श्री मोइनुल हक चौधरी	Shri Moinul Haque Choudhury ...	—147
सभा का कार्य	Business of the House	—148
वायु निगम (संशोधन) विधेयक	Air Corporations (Amendment) Bill ...	—149
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	—149
श्री वी० मयावन	Shri V. Mayavan	—150
श्री पी० वैन्कटा सुब्बया	Shri P. Venkata Subbaiah	—150
श्री श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair	—151
श्री आर०वी० स्वामीनाथन	Shri R.V. Swaminathan	—152
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan	—153
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	—153
प्रो० एस०एल० सक्सेना	Prof. S.L. Saksena	—154
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh ...	—154
खण्ड 2 से 13 तथा खण्ड 1	Clauses 2 to 13 and 1 ...	—157
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass ...	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	—168
श्री विभूति मिश्र	Shri Bihbuti Mishra	—170
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta	—171
श्री पम्पन गोडा	Shri Pampan Gowda	—172
श्री एस०ए० कादर	Shri S.A. Kader ...	172—173
श्री आर०वी० बड़े	Shri R.V. Bade	—173
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	—173
श्री एस०सी० सामन्त	Shri S.C. Samanta	—174
श्री आर०वी० स्वामिनाथन	Shri R.V. Swaminathan	—175
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhande Rai	—175
सीमाओं पर स्थिति के बारे में	Re situation on the borders	—175

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 1971/12 अग्रहायण, 1893 (शक)
Friday, December 3, 1971/Agrahayna 12, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

प्रश्नों के मौखिक उतर
Oral Answers to Questions

राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट करने सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

+
***421. श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के ओवर ड्राफ्ट करने के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस बारे में राज्य सरकारों के मतों पर भी विचार किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारत सरकार सभी राज्यों से यह आग्रह करती रही है कि वे अपने आयोजनागत और आयोजना-भिन्न व्यय को उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत सीमित रखने और ओवर ड्राफ्ट से बचने के लिये अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा बराबर करते रहें। साधनों पर इस समय जो दबाव पड़ रहा है उसे देखते हुये राज्यों द्वारा वित्तीय अनुशासन का पालन किये जाने की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। इसलिये हाल ही में उन राज्यों से बातचीत की गई है जिन्होंने रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखे हैं। सम्बद्ध राज्य सरकारें ओवर ड्राफ्टों में कमी करने के लिये उपयुक्त उपाय करने के लिये सहमत हो गई हैं,

इन उपायों में आयोजना भिन्न व्यय में किफायत करना तथा अतिरिक्त साधन जुटाने शामिल हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि मैंने ठीक समझा है, तो राज्यों के सीमित वित्तीय संसाधनों और राज्य सरकारों की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत सीमित वित्तीय शक्तियों के कारण स्थिति इतनी खराब हो गई है । इसलिये यह जानते हुये भी कि ओवरड्राफ्ट से उन्हें अन्ततः लाभ नहीं होने वाला है, वे ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं । क्या राज्यों के अपने खर्च पूरे करने के लिये उनकी वित्तीय शक्तियाँ बढ़ाने हेतु कोई कार्यवाही की गई है अथवा इस सम्बन्ध में केन्द्र सदैव उन्हें अपनी दया पर आश्रित रखेगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार से माननीय सदस्य समस्या को अधिक सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं । ओवरड्राफ्ट की समस्या का एक प्रमुख कारण यह है कि राज्य सरकारों के पास पहले से ही जितनी शक्तियाँ हैं उनका पर्याप्त रूप से प्रयोग नहीं किया जा रहा है । सही कहा जाये तो संसाधन जुटाने का प्रयास अथवा यूं कहिये कि योजना बनाने के समय जिन लक्ष्यों के लिये वे आरम्भ में सहमत हो गये थे कुछ राज्यों में वे पर्याप्त नहीं है जिनमें ओवरड्राफ्ट की समस्या है । मैं यह नहीं कहूँगा कि सभी राज्यों ने, परन्तु उनमें से कुछ राज्यों ने संसाधन जुटाने का प्रयास नहीं किया है ।

दूसरा कारण गैर-योजना व्यय में वृद्धि करना है चाहे वह वृद्धि उचित हो अथवा अनुचित ।

अतः ओवरड्राफ्ट के ये दो प्रमुख कारण हैं । कुछ राज्यों ने तो योजना व्यय में ओवरड्राफ्ट द्वारा वृद्धि करने की कोशिश की है । मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि सभी राज्य ऐसा करते हैं परन्तु एक-दो राज्यों ने ऐसा किया है । अतः मेरा कहना है कि यह मामले को अधिक सरल बना कर कहना है ।

राज्यों को अधिक शक्तियाँ दिये जाने के बारे में कहा गया है, परन्तु किस अर्थ में ? केन्द्रीय सरकार हर पांचवें वर्ष राज्यों को केन्द्रीय राजस्व में वित्त आयोग के माध्यम से सहायता देती है इसके अतिरिक्त योजना सम्बन्धी विकास के लिये केन्द्रीय सहायता दी जाती है । फिर करों का अन्तरण भी होता है, जो कर वसूल किये जाते हैं उनका काफी भाग उन्हें मिलता है । उदाहरण के लिय इस बजट में हमने जो व्यापक प्रयास किया है उससे राज्यों को उन संसाधनों का काफी भाग मिलेगा । वास्तव में राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता दिये जाने के बारे में पर्याप्त प्रयास किये जा रहे हैं । उनकी वित्तीय शक्तियां अधिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त शक्तियां हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या हाल ही में एक निर्णय लिया गया है कि जो राज्य वित्तीय रूप से अनुशासित हैं—क्या मैं 'अनुशासन' शब्द का प्रयोग कर सकता हूं—वित्तीय रूप से अनुशासित होने का तात्पर्य यह है कि अधिक ओवरड्राफ्ट न करके कम ओवरड्राफ्ट करे, उन्हें अधिक वित्तीय सहायता दी जाये और यदि हां, तो उन राज्यों का क्या होगा जो उनकी अथवा केन्द्रीय सरकार की अच्छी जानकारी में हैं अधिक ओवरड्राफ्ट करते हैं ? इसमें किस प्रकार अन्तर रखा जायेगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जो अनुशासित है उन्हें सदा लाभ मिलता है क्योंकि यह उनके

लिये ही अच्छा है। परन्तु अनुशासित राज्यों को प्रोत्साहन देने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि जो राज्य अनुशासन का पालन नहीं करते हैं उन्हें हतोत्साहित कियां जाये। मैं तो इसी उपाय के बारे में सोच सकता हूँ।

हम निश्चय ही सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों से चर्चा करते हैं और हम ऐसी नीति प्रतिपादित कर रहे हैं जिससे ओवरड्राफ्ट की इस समस्या को योजनाबद्ध रखने में सहायता मिलेगी और साथ ही यह देखते हैं कि राज्य भी वित्तीय अनुशासन रखने में आवश्यक कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस० एम० कृष्ण अनुपस्थित !

श्री के० नारायण राव : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि राज्यों को वित्तीय रूप से अनुशासित रहना चाहिये। परन्तु कुछ क्षेत्रों में गैर-योजना क्षेत्र में तब तक अनुशासन नहीं रखा जा सकता जब तक केन्द्र वैसा ही अनुशासन न बरतें। उदाहरण के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का ही मामला लीजिये। केन्द्र के पास आर्थिक संसाधन बहुत हैं अतः केन्द्र अपने कर्मचारियों के दबाव में आकर उनके दबाव के अनुसार कार्य कर देता है। अतः राज्य सरकार को भी राज्य कर्मचारियों के लिये कार्य करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री के० नारायण राव : जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री बनर्जी ने ठीक ही कहा है उसे ध्यान में रखते हुये कि राज्य संविधान के अनुसार सीमित कर लगा सकते हैं और केन्द्र के कर लगाने के कड़े स्वरूप को देखते हुये एवं राज्यों की बढ़ती हुई कल्याणकारी गतिविधियों को देखते हुये क्या यह केन्द्रीय सरकार के लिये वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकारों के लिये अधिक कर लगाने की व्यवस्था की जाये ताकि जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार अनुशासित है वैसे ही वे भी अनुशासित बन सके ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य ने निश्चय ही बहुत ही संगत प्रश्न उठाया है। राज्यों की एक कठिनाई उनके कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते आदि में वृद्धि करने की है। यह विचारणीय समस्या है। परन्तु राज्यों के लिए अधिक कर लगाने की व्यवस्था करने सम्बन्धी सुझाव की बात समझ में नहीं आई। इससे उन्हें किस प्रकार सहायता मिलेगी। राज्यों के पास विशेषकर कृषि क्षेत्र के मामले में जो कर लगाने की पहले से व्यवस्था है, उसका भी उपयोग नही किया गया है। हमने कृषि क्षेत्र में काफी पूंजी लगाई है और परिसम्पत्तियां तैयार की है। जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं और जिस बात पर सामान्तया यहां विवाद हो रहा है वह यह है कि कृषि आय पर कर लगाने के लिए हमने पर्याप्त प्रयास नहीं किए है। उदाहरणार्थ, हम वैसा नहीं कर सके हैं। यह मांग थी कि हमें कृषि आय पर कर लगाने सम्बन्धी अधिकार को केन्द्र के हाथ में देना चाहिए। वास्तव में, इस मामले पर हमने राज्य सरकारों के साथ बातचीत की थी और वे सिद्धान्ततः इस बात पर सहमत हुई हैं कि इस अधिकार को केन्द्र को न दिया जाए वरन् वे स्वयं अपने क्षेत्र में प्रयास करेंगे। अतः यह राज्यों को कर लगाने की अधिक शक्तियों के अन्तरण का प्रश्न नहीं है क्योंकि इससे, मेरे विचार से शायद ही कोई इस मामले में सहायता मिले।

श्री एस० आर० दामाणी : वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्होंने इस मामले पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत करके उन्हें सलाह दी है। ऐसी ही सलाह पहले वाले वित्तमन्त्री ने दी थी परन्तु स्थिति बिगड़ती जा रही है और ओवरड्राफ्ट बढ़ते जा रहे हैं। क्या मन्त्री महोदय ओवर-

ड्राफ्ट की अधिकतम सीमा निर्धारित करेंगे अथवा उन्होंने ऐसा सुझाव दिया है अथवा अधिकतम सीमा लगाने सम्बन्धी ऐसा कोई सुझाव देंगे ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस मामले में मैं शिक्षक जैसा तो बर्ताव नहीं कर सकता। हमें राज्यों के साथ बर्ताव करना होता है और यह सम्बन्ध राजनैतिक सम्बन्ध है। स्वाभाविक ही है कि किसी को उनके साथ बातचीत करनी होती है, बहस करनी होती है, उन्हें संतुष्ट करना होता है और यदि आवश्यक हो तो कई अन्य बातों के बारे में सोचना होता है। रन्तु वैसा अन्त में करना पड़ता है।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या सरकार ने राज्यों की राज्यवार वित्तीय स्थिति का समय-समय पर विश्लेषण करने का कोई प्रयास किया है और इस बात का पता लगाने की कोशिश की है कि क्या वित्तीय अनुशासनहीनता है और कहां है तथा जहां साधन जुटाये जाने चाहिए वहां नहीं जुटाये जा रहे हैं और क्या मन्त्री महोदय का ऐसा विचार है कि इस अध्ययन से जो स्थिति सामने आ रही है, उस पर प्रत्येक राज्य के साथ बातचीत करे ताकि प्रत्येक राज्य को सही दिशा दी जा सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सभी मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में हमने साधन जुटाने की सामान्य स्थिति पर चर्चा की भी और यह भी पूछा गया कि क्या ऐसे विशेष सुझाव अथवा विशेष क्षेत्र हैं जहाँ वे कुछ प्रयास कर सकें। इस पर चर्चा करने के बाद मैंने उन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की जिनकी ओवरड्राफ्ट की समस्या थी तथा उनकी अन्य समस्याओं के बारे में भी बात करके उनके लिए कुछ नीतियां प्रतिपादित करने की कोशिश की। वैसे उन पर काफी कुछ निर्भर करता है। इस पर मैं विस्तार-पूर्वक नही कहना चाहूँगा क्योंकि यह राज्यों के लिए ठीक नहीं होगा परन्तु हमने इस मामले की जांच की है।

विदेशी ऋण के भुगतान के लिए मोहलत (मोरेटोरियम)

***422. डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी ऋण लौटाने के लिए मोहलत (मोरेटोरियम) की घोषणा करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या निर्णय लिया गया ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : सरकार विदेशी ऋणों की वापसी-अदायगियाँ स्थगित करने की घोषणा करना वांछनीय नहीं समझती।

डा० रानेन सेन : यह सर्वविदित है कि भारत के विदेशी ऋण की राशि दिन प्रतिदिन इतनी अधिक बढ़ रही है कि हमें प्रत्येक वर्ष उन ऋणों पर 500 करोड़ रुपये से अधिक ब्याज अदा करना होता है। ये आंकड़े इस समय के हैं और यह राशि प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश में वर्तमान वित्तीय स्थिति और अर्थ व्यवस्था और जो कठिनाई हमें हो रही है उसे देखते हुये भारत सरकार को उन पार्टियों अथवा सरकारों से अपील करने में क्या कठिनाइ है जिन्होंने हमें एक प्रकार की योजनाबद्ध मोहलत (मोरेटोरियम) के लिए ऋण दिया है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह मोहलत की घोषणा करने सम्बन्धी कठिनाई नहीं है। इसे

वैसे नहीं किया गया है । यह वह रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हम अन्तर्राष्ट्रीय जगत में कार्य करते हैं । स्वभावत. हमने जो ऋण लिए हैं उनका भुगतान कर रहे है । ऋण की दृष्टि से दो अवधियां भिन्न है, एक तो पहली अवधि है और दूसरी बाद की । पहली अवधि में हमें जिन शर्तों पर ऋण लेना पड़ता था वे अपेक्षाकृत कठिन थीं परन्तु बाद की अवधि में हम जिन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों से ऋण ले रहे हैं उनकी शर्तें सरल हैं । अतः बाद की अवधि में सरलता हो सकती है । अभी हम ऐसी अवस्था में है जब हम पहली अवधि में लौटने की कोशिश कर रहे हैं जब शर्तें कठिन थी । अतः ऋण का ब्याज और किश्त निस्संदेह समस्या बन गये हैं ।

हम ऐसी अवस्था में आ गये हैं जहां हमारा उद्देश्य कम से कम विदेशी सहायता, विदेशी ऋण लेने पर निर्भर रहने का है । यदि यही प्रक्रिया जारी रही तो हम ऋण लौटा देंगे और संभवतया हम विदेशी ऋणों पर अधिक निर्भर नहीं रहेंगे ।

डा० रानेन सेन : मैं मन्त्री महोदय की इस बात की प्रशंसा करता हूँ कि हमें अधिकाधिक आत्मनिर्भर रहना चाहिए और ऋण नहीं लेना चाहिए । इस संदर्भ में उन्होंने एक स्थान पर सहायता का उल्लेख किया । यह सच है कि हम कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं । उन्होंने कहा है कि मोहलत का प्रस्ताव नहीं किया गया है । हाल ही में न केवल पाकिस्तान जो हमसे अधिक वित्तीय कठिनाई में है वरन् मिश्र सरकार ने भी उन पार्टियों को, जिनसे वह ऋण ले रही है यह अधिसूचना दी है कि योजनाबद्ध मोहलत होगी । यह समाचार है कि अधिकांश सम्बन्धित सरकारों ने प्रस्ताव पर सहमति दे दी है । अतः चाहे कोई कठिनाई क्यों न हो पर, सरकार को उन देशों से यह अनुरोध करने में शर्म क्यों करनी चाहिए कि मन्त्री महोदय ने जा कहा है उनकी प्रशंसा करते हुये हम अपने पांवों पर खड़े हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं यह नहीं कहता कि हमें पाकिस्तान अथवा मिश्र का अनुसरण करना चाहिए । हर देश का इसका अपना व्यक्तित्व है, आर्थिक नीतियां हैं, समस्यायें हैं और भारत ········

श्री पीलू मोदी : आत्म सम्मान ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : आत्म सम्मान भी । ऋण लौटाने, उसके ब्याज और किश्त के खर्चों की समस्या को ठीक ढंग से निपटाने के लिए हम संबंधित देशों के साथ बातचीत करते हैं और वे भी इसका रचनात्मक तरीके से उत्तर देते हैं । उदाहरण के लिए जब 1967 में ऋण के ब्याज और किश्तों के लौटाने का प्रश्न अधिक कठिन हो रहा था तो विश्व बैंक एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ 'एम गिन्नेट' को इस समस्या की जांच करने के लिए नियुक्त करने को सहमत हो गया था और वह हमें ऋण में थोड़ी राहत, दुबारा निर्धारित करने और दुबारा धन देने की सुविधायें देने के लिए सहमत हो गया था । ऐसा तीन वर्ष तक लगभग 30 करोड़ डालर तक दिया गया था । इस वर्ष भी ऐसा किया जा रहा है, यह इसलिए नहीं कि, जब उचित है तो ऋण को सुव्यवस्थित करने में हम शर्म करें, परन्तु एक आत्म सम्मान वाला राष्ट्र जैसा करता है, वैसे यह किया जा सकता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं मन्त्री महोदय का ध्यान उस बात की ओर दिला सकता हूँ जो 1970-71 के लिए सरकार ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण तथा ऋण के ब्याज और किश्त पर जो खर्च हुआ है वह आने वाले कई वर्षों तक 1970-71 के स्तर पर वैसा ही रहेगा' में कही गई है । वर्ष 1970-71 में 435 करोड़ रुपये के आस-पास यह अंकड़े थे । आर्थिक पत्रकारों द्वारा यह हिसाब

लगाया गया है कि वर्ष 1980-81 तक यह आंकड़े 677 करोड़ रुपये के लगभग हो जायेंगे। जबकि मन्त्री महोदय आशा करते हैं कि यह भार हल्का हो जायेगा, उन आंकड़ों के अनुसार जो सरकार के अपने आर्थिक सर्वेक्षण में दिये गये हैं, यह ऋण पर ब्याज और किश्त कम नही होने वाला है बल्कि बढ़ने वाला है। इस गंभीर स्थिति को और आपातकालीन स्थिति को देखते हुये, जिसमें कई और अस्थायी भार हमारी जनता पर डाले जा रहे है और जैसा कि सरकार ने प्रतिज्ञा की है कि संकट हल्का होते ही उन्हें हटा दिया जायेगा, हमारे आत्म सम्मान को ऐसी क्या बात ठेस पहुंचाती है कि हम एक अस्थायी अवधि अर्थात तीन अथवा पांच वर्ष तक इन ऋणों पर एक मोहलत की घोषणा करें कि जब तक हम अपने दायित्वों को निपटाने में श्रेष्टतर स्थिति में नहीं होते हैं तब तक नहीं निपटाये जायेंगे ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह तो वैसा ही प्रश्न हुआ जहाँ तक भार का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहूँगा कि मात्रा को देखते हुये भार बढ़ सकता है। परन्तु इस बीच उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि भार एक तुलनात्मक शब्द है, इसका आपकी शक्ति से सम्बन्ध है। दस वर्षों में 1980-81 तक हम ठप्प पड़े रहने वाले नहीं है। हम अपनी आन्तरिक शक्ति बढ़ा लेंगे और साथ ही हमारा आन्तरिक बचत बढ़ाने का लक्ष्य भी तो है। यदि वह इस भार को 1980-81 में देश की आन्तरिक क्षमता और शक्ति के दृष्टिकोण से मापें तो यह भार उतना अधिक नहीं होगा जिसे वह अभी देख रहे हैं। ऋण की राशि की मात्रा संभवतया अधिक हो सकती है परन्तु उसी सीमा तक हमारी आंतरिक क्षमता भी बढ़ जायेगी। अतः इस भार की तुलना हमारी अपनी क्षमता के साथ की जानी चाहिए।

श्री बी० बी० नायक : क्या प्रगतिशील आत्म-निर्भरता का यह विचार, दीर्घावधि की तुलना में वर्तमान, अमरीकी सहायता से सम्बन्धित है, क्या अमरीकी सहायता में कटौती का आत्म-निर्भरता के विचार पर कोई प्रभाव है और इसलिए मोहलत उचित है; क्या राष्ट्रपति द्वारा खारिज किये जाने से हमारी स्थिति को हानि पहुंचेगी विशेषकर- हमारी आत्म-निर्भरता को, जहां तक हमारे अपने वित का सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संगत-प्रश्न करिये। यह संगत नहीं है।

श्री बी० बी० नायक : आत्म-निर्भरता के बारे में (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आत्म निर्भरता ? यह प्रश्न ऋणों पर मोहलत के बारे में है। मुझे खेद है। जी, हां। श्री कछवाय।

Shri Hukam Chand Kachwai : To how many countries are we indebted now and what is the interest we have to pay on foreign loans ? Is it a fact that in order to pay interest on loans we have to resort to further borrowings ?

Has the Government given a suggestion to the countries from which we have been borrowing to the effect that the interest payable on the loans taken by us from them may be utilised for giving assistance to the refugees of Bangla Desh ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरे विचार में ऋण स्थगन के प्रश्न को वर्तमान समस्या के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। वर्तमान समस्या का सामना करना ही होगा और इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने अपनी रुचि प्रकट की है और उन्होंने कुछ राशियों को भुगतान भी कर दिया है। मेरे विचार में कुछ सप्ताह पूर्व विश्व बैंक ने शरणार्थी समस्या के लिए अतिरिक्त सहायता आदि देने के उद्देश्य से सहायता करने वाले देशों की बैठक भी बुलाई थी। इसलिए मेरे विचार में इन दोनों विषयों पर अलग अलग विचार किया जाना चाहिये। ऋणों की राशि का ब्यौरा मेरे

पास है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें पढ़ कर बता सकता हूँ। परन्तु मेरे विचार में इसके लिए पर्याप्त समय नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know the amount of the interest that we have to pay on foreign loans. Are we paying that interest out of our own earnings or further loans are obtained to pay that ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न संगत नहीं। आप इस सम्बन्ध में एक पृथक प्रश्न पूछ सकते हैं।

कर को बकाया राशि की वसूली

***424. श्री अमरनाथ चावला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये अभियान "रेट" (कर की बकाया राशि को कम करना) के परिणामस्वरूप करों की बकाया राशि वसूल करने में कहां तक सफलता मिली है; और

(ख) क्या सरकार का विचार बकाया कर की वसूली में विशिष्ट सफलता प्राप्त करने वाले कर वसूल करने वाले अधिकारियों को विशेष प्रोत्साहन देने का है और यदि हां, तो किस प्रकार का ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) मई, 1970 में हुए आयुक्तों के सम्मेलन में आय-कर बकाया की समस्या पर विचार-विमर्श किया गया और यह फैसला किया गया कि बकाया कर मांग को कम करने के लिये सभी आयुक्तों के कार्य-क्षेत्रों में कर की बकाया को कम करने का एक विशेष अभियान चलाया जाये इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप, वित्तीय वर्ष 970-71 में, बकाया सम्बन्धी माँग में से 159.61 करोड़ रु॰ की वसूली की गई, जबकि वित्तीय वर्ष 19 9-70 में 129.75 करोड़ रु॰ की वसूली हुई थी। 31-3-1970 को कुल बकाया मांग 840.70 करोड़ रु॰ से घट कर 31-3-1971 को 738.77 करोड़ रु॰ रह गई।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, सितम्बर, 1971 तक आय-कर की बकाया में और कमी आई है।

(ख) यह फैसला किया गया है कि कर की बकाया की वसूली में किसी अधिकारी द्वारा किये गये असाधारण काम के सम्बन्ध में उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भरते समय समुचित टिप्पणी दी जानी चाहिए। कर वसूली अधिकारियों को विशेष वेतन देने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है।

श्री अमरनाथ चावला : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले चार महीनों के दौरान कितने अतिरिक्त आयकर आयुक्तों तथा आयकर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में वसूली के लिए 5 अतिरिक्त आयकर आयुक्त नियुक्त किए गए हैं किन्तु साथ ही सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु 60 अतिरिक्त आयकर अधिकारियों के पदों की भी स्वीकृति दी गई है।

श्री अमरनाथ चावला : 25 जून, को इस सभा में बताया गया था कि 1200 लोगों पर 5 तथा 10 लाख से अधिक आयकर की राशि बकाया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों से बकाया आयकर की वसूली हो चुकी है तथा वह राशि कितनी है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं अभी इसका ब्यौरा नहीं दे सकता। मुझे 5 या 10 लाख रुपये के बकाया आयकर का ब्यौरा नहीं मिला है। हमें इन राशियों की वसूली के लिए दुतरफा प्रयत्न करना पड़ा है। इस वर्ष की अदायगी की वसूली में कमी होने के कारण धन की बकाया राशि की मात्रा बढ़ती जा रही है। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि इस वर्ष की वसूली भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक हो। दूसरी बात यह है कि हम उस वास्तविक बकाया राशि को वसूल करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसे वसूल करना संभव है। मैंने बकाया राशि के प्रश्न को कई बार स्पष्ट किया है। इसमें कई बातें शामिल हैं। उदाहरण के लिए उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के कई रोक-आदेशों के कारण काफी धन रुका हुआ है। कई मामले आयकर न्याय-अधिकरणों में, जिसे न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है, अनिर्णीत पड़े हुए हैं। इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक मैं यह बताने की स्थिति में हो जाऊंगा कि हमने कुछ प्रगति की है।

श्री अमर नाथ चावला : मंत्री महोदय का कहना है कि इस कार्य में कुछ समय लगेगा। 24 जून को सभा में कहा गया था कि जो भी सूचना एकत्र की जायेगी वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को सूचना सभा-पटल पर रखने में अभी कितना समय और लगेगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने आश्वासन दिया है और शीघ्रातिशीघ्र इसे पूरा करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि अकेले कानपुर में ही करों की बकाया राशि 4.98 करोड़ के लगभग है और कुछ उद्योगपति इस बकाया राशि का पूंजी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं ? इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाए गये हैं ? एक मामले में जहाँ 31 लाख रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया था उसे फिर से देखा जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस मामले का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है। आपने तो एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यही कारण है कि मैं इसे सामान्य रूप से पूछ रहा हूं। मंत्री महोदय इस बारे में सब कुछ जानते हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे इस बारे में सरकारी तौर पर कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री नरेन्द्र कुमार साधी : दिये गये उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि 31-9-1971 तक 738·77 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। इस रकम में से कई बड़ी राशियों की वसूली पर

आय कर न्यायधिकरण, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायलय द्वारा रोक लगा दी गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि अन्तिम योग क्या है जिसकी इन संस्थाओं से वसूली हो चुकी है जिससे कि हमें पता लग सके कि भारत के लोगों पर बकाया राशि कितनी है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : शुद्ध बकाया राशि ही लोगों से प्राप्त की जानी है।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के लेखापरीक्षा कार्य का राष्ट्रीयकरण

***425. डा० सरदीश राय :** क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के लेखापरीक्षण कार्य का राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार से कोई सिफारिश प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कम्पनी कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री वेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) महाराष्ट्र सरकार के उद्योग मंत्री से प्राप्त सुझाव यह है, कि कम्पनी लेखापरीक्षकों की सरकार द्वारा नियुक्ति होनी चाहिए।

(ग) सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

डा० सरदीश राय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां अपने लेखा-परीक्षक स्वयं नियुक्त करती हैं और लेखा-परीक्षक उनकी सेवा करते हैं तथा अंशधारियों के हितों की कोई देख-भाल नहीं करते और वित्तीय कठिनाई के कारण बहुत सी कम्पनियां बंद हो रही हैं, क्या सरकार पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के लेखे के परीक्षण के लिए ऐसे लेखा परीक्षक नियुक्त करने का आवश्यक निर्णय लेगी जो प्रबन्ध व्यवस्था से स्वतन्त्र हों ?

श्री वेदब्रत बरुआ : जी, हां। कम्पनी के प्रबन्ध के सम्बन्ध में लेखा परीक्षक की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने के मामले पर विचार किया गया है और महाराष्ट्र सरकार के सुझाव पर हम उस मामले पर और विचार कर रहे हैं।

डा० सरदीश राय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वित्तीय कठिनाई के कारण बहुत सी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियाँ बंद हो रही है, क्या सरकार कोई उपाय करेगी ताकि वह वास्तविक वित्तीय स्थिति जान सके और शीघ्र ही उपचारात्मक उपाय कर सके ? क्या सरकार स्वतन्त्र लेखा-परीक्षक, जो प्रबन्धक से भी स्वतन्त्र हों, नियुक्त करेगी ?

श्री वेदब्रत बरुआ : कुछ मामलों में सरकार लेखा-परीक्षक नियुक्त कर सकती है, विशेषकर वह ऐसी किसी कम्पनी के लेखे का परीक्षण करवा सकती है जिसके बारे में वह समझती हो कि वह व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार नहीं चल रही है। परन्तु मुख्य कानून में ऐसा उपबन्ध नहीं है कि सभी कम्पनियों अथवा किन्हीं विशेष कम्पनियों के लेखे का परीक्षण किया जाये, चाहे वे ठीक ढंग से नहीं चल रही हों, जब तक कम्पनी अधिनियम की धारा 233 का उल्लंघन न किया जाये। इस समूचे मामले पर विचार किया जा रहा है तथा हम कम्पनी अधिनियम के कुछ उपबन्धों में संशोधन करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि ऐसी प्रथायें दूर की जा सकें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब कि अभी तक यह निर्णय नहीं किया गया हैं कि लेखा-परीक्षण कार्य का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा अथवा नहीं, क्या सरकार विद्यमान गैर-सरकारी लेखा-परीक्षक फर्मों को लागत-लेखा की भी जांच करने के लिये अनुमति देने पर विचार कर रही है जिससे और अधिक दुरुपयोग बढ़े ? इन्हीं लोगों को लागत-लेखा कार्य करने की भी अनुमति दी जा रही है।

श्री बेदब्रत बरुआ : जहां तक कम्पनियों के लेखे के परीक्षण का सम्बन्ध है, वह एक भाग है। निस्संदेह यह सच है कि लेखा-परीक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के रूप में लागत-लेखा की जांच करने सम्बन्धी अन्य कार्य करने की भी अनुमति है। सरकार उस भाग पर नियन्त्रण करने पर विचार नहीं कर रही है और महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव लेखा-परीक्षा सेवा का राष्ट्रीयकरण करने के लिए नहीं है। यह केवल ऐसा प्रस्ताव है जिसके द्वारा सरकार द्वारा नियुक्त लेखा-परीक्षकों अथवा नियन्त्रक और महालेखा-परीक्षक के माध्यम से कम्पनियों का लेखा-परीक्षण कराया जाय। निस्संदेह लेखा-परीक्षक थोड़ा दूसरा काम करते हैं, जैसे दूसरे मामलों पर विशेष राय देना, परन्तु उस मामले पर अभी तक इस दृष्टिकोण से विचार नहीं किया गया है।

श्री बी० वी० नायक : क्या महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर विचार करते समय, इंस्टीटयूट आफ चारटर्ड एकाउन्टेन्ट्स जो देश में लेखा-परीक्षकों का प्रतिनिधि विकास और स्वतंत्र निकाय है, की राय भी ली गई है, और यदि हाँ, तो इस मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है।

श्री बेदब्रत बरुआ : महाराष्ट्र सरकार का यह प्रस्ताव हाल ही में मिला है और इस मामले में निश्चय ही इंस्टीच्यूट आफ चारटर्ड एकाउन्टेन्ट्स की राय ली जायेगी। हमारे पास पिछले कुछ महीनों में अथवा और भी पहले जितने भी प्रस्ताव थे उन सभी पर सदैव इंस्टीच्यूट की राय ली गई है। ऐसे मामले जो चारटर्ड एकाउन्टेन्ट्स के सामान्य हितों और देश के हितों के सम्बन्ध में होते हैं उन सभी पर सदैव इंस्टीच्यूट की राय ली जाती रही है।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या महाराष्ट्र सरकार ने अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया कि यदि लेखा-परीक्षण कार्य का पहले ही राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता तो राज्य में बहुत सी सूती कपड़ा मिलों का संकट-ग्रस्त होकर बन्द हो जाना टाला जा सकता था ?

श्री बेदब्रत बरुआ . जी, नहीं। महाराष्ट्र सरकार का सुझाव उन चर्चाओं का परिणाम है जो संघ सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री के साथ हुई थीं और उन्होंने इन सुझावों को रखा था जिनमें दो बातें हैं। वर्तमान पद्धति के अन्तर्गत किसी कम्पनी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने लेखा-परीक्षक स्वयं नियुक्त करें और इस पद्धति के कारण कदाचारों को रोकने का कार्य कठिन हो जाता है। अतः यह प्रस्ताव है कि लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति सरकार अथवा स्वतन्त्र एजेन्सियों द्वारा की जानी चाहिये। मेरे विचार से चर्चा में शायद ही अन्य प्रश्न उठाये गये हों।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या कारण दिये गये हैं ?

श्री बेदब्रत बरुआ : हो सकता है कारण दिये गये हों। जब औद्योगिक विकास मन्त्रालय ने हमें लिखा था तो ये सब बातें उत्पन्न नहीं हुई थीं। निश्चय ही इसके कुछ कारण रहे होंगे क्योंकि जब कोई कम्पनी बन्द होती है तो उसका आंशिक कारण नियन्त्रक अंशधारियों द्वारा कम्पनी का कुप्रबन्ध हो सकता है क्योंकि कम्पनी के प्रबन्ध में अधिकांशतः वही लोग होते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : एसोसिएशन आफ चारटर्ड एकाउन्टेन्ट्स एन्ड कास्ट एकाउन्टेंट्स

के अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुये कि लेखा-परीक्षा व्यापार में फ्लाइट, वाटर हाउस और पीक जैसे कुछ एकाधिकार गृहों का इन पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के लेखा-परीक्षण पर लगभग एकाधिकार है, क्या सरकार इसका उपाय करने के लिये इस पर कुछ विशेष विचार करेगी ताकि लेखा-परीक्षण में अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व हो, न कि इन एकाधिकार लेखा-परीक्षण कम्पनियों के लेखा-परीक्षकों का प्रतिनिधित्व हो जो एकाधिकारी पूंजीपतियों के हितों में गलत ढंग से काम करते हैं ?

श्री बेदब्रत बरुआ : जहां तक पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों का सम्बन्ध है, ऐसी सूचनायें मिली हैं कि बड़ी-बड़ी लेखा-परीक्षक फर्मों को विभिन्न बड़ी-बड़ी कम्पनियों के लेखा-परीक्षण व्यापार मे काफी बड़ा अंश है। इस मामले पर सरकार विचार कर रही है और ध्यान दे रही है और कम्पनी अधिनियम में कई परिवर्तन किये जा रहे हैं अथवा विचाराधीन हैं।

देश के विभिन्न तेल शोधक कारखानों के अधिकारियों के वेतनमानों में समानता

***426. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न तेल शोधक कारखानों में नियुक्त अधिकारियों के वेतनमानों में समानता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) देश की विभिन्न शोधनशालाओं में नियुक्त अधिकारियों के वेतनमान में समानता नहीं है परन्तु भारतीय तेल निगम की गोहाटी बरौनी और कोआली शोधनशालाओं में अधिकारियों के वेतन मान में लगभग समानता है।

(ख) सरकार ने सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं के निम्नलिखित पदों जिन पर नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, के वेतन मान निर्धारित किये है :—

1. चेयरमैन, भारतीय तेल निगम
2. प्रबन्धक निदेशक (शोधनशाला व पाईप लाईन विभाग) भारतीय तेल निगम।
3. वित्त निदेशक, भारतीय तेल निगम।
4. महा प्रबन्धक गोहाटी बरौनी और कोयाली शोधनशाला।
5. चेयरमेन व प्रबन्ध निदेशक मद्रास शोधनशाला लि०।

अन्य पदों के वेतन मान कार्य सम्बन्धी आवश्यकताओं अहर्ताओं अनुभव कर्मचारियों की सुलभता और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर सम्बन्धित उपकरणों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

चूंकि निजी क्षेत्र की शोधनशालाएं पृथक अस्तित्व रखती है वे अपने अधिकारियों के वेतन मान स्वाधीन रूप से उन्ही बातों को ध्यान में रख कर निर्धारित करते हैं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मंत्री महोदय ने बताया कि सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे अधिकारियों के वेतनमानों में कमोबेस समानता है। क्या सुरक्षा अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद का

वेतनमान गोहाटी तेल शोधक कारखाने में बरौनी या अन्य तेल शोधक कारखानों की तुलना में कम है ? इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि इस अन्तर के कारण असन्तोष फैलता है क्या सरकार का विचार कम से कम राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में अधिकारियों के वेतनमानों में समानता लाने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : सरकार के स्तर पर तय किये जाने वाले अधिकारियों के वेतनमानों में समानता है । । अन्य निचले वेतनमान निदेशक मण्डल तय करता है । यदि इन वेतनमानों में कोई असमानता है तो हम इसे भारतीय तेल निगम के ध्यान में लायगे ।

Shri Hukam Chand Kachwai : What difficulty is coming before the government in introducing uniform pay scales in the public sector ?

Shri P.C. Sethi : In this connection, there is no difficulty before the government. In the public sector refineries some post have uniform pay scales. In the private sector the pay scales are of course higher than those in our refineries.

कम्पनियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण पर रोक

***427. श्री रामसहाय पांडे : क्या कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई विश्वासनीय कारण न होने पर भी कम्पनियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण किए जाने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस बारे में इंडिअन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से परामर्श किया गया था ?

कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) सरकार के पास, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कम्पनियों के पंजीकृत कार्यालयों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण के संबंध में कोई विचाराधीन प्रस्ताव नहीं है । कम्पनी-अधिनियम की धारा 17 में पहले ही ऐसे प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था है, अर्थात कम्पनी रजिस्ट्रार की आपत्ति करने के अवसर पर न्यायालय का अनुमोदन एवं समर्थन प्राप्त करना ।

(ख) तथा (ग) उत्पन्न नहीं होते ।

Shri R. S. Pandey : Due to the violent activities of C. P, M. and naxalites, many of the industries and companies want to shift from Calcutta. How many companies have applied for shifting ? I would also ilke to know as to what efforts are being made by the government for preven ing them from shifting and providing them with opportunity to do their work peacefully ?

श्री बेदब्रत बरुआ : पश्चिम बंगाल से कुछ कम्पनियां आदि बाहर गई हैं । अप्रैल 1968 से मई 1971 तक पश्चिम बंगाल से 67 कम्पनियों ने अपने कार्यालय स्थानान्तरित किए । स्थानान्तरण के समय न्यायालय की स्वीकृति लेना आवश्यक है और उन्होंने वह स्वीकृति ले ली है । हमने पश्चिम बंगाल सरकार तथा अन्य सरकारों ने भी न्यायालयों के सम्मुख अपने अभ्यावेदन दिये थे । हम इन्हें पश्चिम बंगाल से स्थानान्तरण करने से नहीं रोक सके । पर पश्चिम बंगाल सरकार और केन्द्रीय सरकार उस राज्य में औद्योगिक कार्यालयों में सहायता करने और फैक्टरियों, कार्यालयों और मुख्यालयों को पश्चिम बंगाल से स्थानान्तरित करने से रोकने के लिए अनेक उपाय कर रही है ।

Shri R. S. Pandey : Why the restrictions on shifting are not imposed while giving licence for starting an industry at a particular place ?

श्री बेदव्रत बरुआ : एक लाइसेंस शुदा कम्पनी के लिए अपनी फैक्टरी को स्थानान्तरित करने के लिए औद्योगिक विकास मंत्रालय की अनुमति लेना आवश्यक है। यदि केवल मुख्यालय स्थानांतरित करना हो, तो न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक है। इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया है। कोई अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहां नहीं जा सकता।

श्री एस. बी. गिरि : जब किसी कम्पनी अथवा फैक्टरी को श्रम सम्बन्धी कठिनाई के कारण नहीं वरन् कम्पनी के लाभ के लिए स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है तब श्रमिकों का क्या किया जाता है ? वे काम तो बन्द नहीं कर रहे। क्या भारत सरकार उनके लिए कुछ कर रही है ?

श्री बेदव्रत बरुआ : सरकार कम्पनियों को स्थानांतरित करने के लिए हतोत्साहित करती है। जब वैधानिक रीति से स्थानांतरण होता है तो सरकार कर्मचारियों को काम दिलाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करती है।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार : माननीय मंत्री ने बताया कि कुछ कम्पनियों ने कलकत्ता से स्थानान्तरण कर लिया है। में जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने उनके स्थानांतरण की अनुमति दे दी थी या न्यायालयों में इसका विरोध किया था।

श्री बेदव्रत बरुआ : अन्य मंत्रालयों के समान यह मंत्रालय भी स्थानांतरण को निरुत्साहित करता है। पर जब कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्ताव आता है तो उसे न्यायालय को स्वीकृति देनी पड़ती है, सरकार को नहीं। निस्सन्देह इस मंत्रालय को भी एक सूचना दी जाती है और मंत्रालय श्रमिकों और अन्य सम्बन्धी लोगों के हित की दृष्टि से अभ्यावेदन देता है।

डा० रानेन सेन : अभी-अभी मंत्री महोदय ने बताया कि बहुत बड़ी संख्या में उद्योगों ने अपने मुख्यालयों और फैक्टरियों को पश्चिम बंगाल से स्थानान्तरित कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि इन मामलों में या तो उन्हें न्यायालय के सम्मुख जाना पड़ता है या केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेनी होती है। अपने मुख्यालयों और फैक्टरियों का स्थानान्तरण करने के पक्ष में इन कम्पनियों ने न्यायालय में वास्तव क्या तर्क रखे हैं ? क्या अधिकतर कम्पनियों ने यह तर्क दिया है कि पश्चिम बंगाल अब व्यापार के लिए एक लाभ का क्षेत्र नहीं रह गया है ? यदि हाँ, तो इस प्रकार के प्रार्थना पत्रों के विरोध में न्यायालय में सरकार की पैरवी करने वाले अधिकारी ने क्या तर्क दिए ?

श्री बेदव्रत बरुआ : अपनी याचिकाओं में उन्होंने स्थनान्तरण के अनेक कारण बताए थे। तत्काल में वे कारण नहीं बना सकता। न्यायालय, अधिनियम के कतिपय निर्देशक सिद्धान्तों के आधार पर इस संबंध में निर्णय देता है। मुख्यालयों के स्थानान्तरण के लिए मंत्रालय से स्वीकृति लेनी की आवश्यकता नहीं है। प्रबन्ध निदेशक अपना मुख्यालय कहीं भी रख सकते हैं।

जीवन बीमा निगम द्वारा पिछड़े राज्यों को प्राथमिकता दिया जाना

***430. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने पिछड़े राज्यों को उनके विकास के लिए प्राथमिकता

देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार की सुविधाएं दी जायेंगी; और

(ग) क्या उसके प्रस्तावों से पिछड़े राज्यों को अवगत करा दिया गया है और यदि हाँ, तो उनके प्रति राज्यों की विशेषकर राजस्थान की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

जीवन बीमा निगम को जो मुख्य निवेश-क्षेत्र उपलब्ध हैं, वे ये हैं : सरकारों द्वारा उनकी गारण्टियों के अन्तर्गत जारी की गयी बाजार प्रतिभूतियां, राज्य सरकारों को (आवासन के लिये), राज्यों की सहकारी आवासन समितियों, राज्यों के बिजली बोर्डों तथा नगरपालिकाओं और जिला परिषदों को (जल पूर्ति आदि के लिए) ऋण तथा गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र की बाजार प्रतिभूतियाँ और उस क्षेत्र को ऋण । किसी विशेष राज्य को तरजीह देने की गुंजाइश केवल ऋण देने के सम्बन्ध में हो सकती है और वह भी केवल उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के मामले में, वास्तविकता यह है कि जीवन बीमा निगम ने पिछड़े राज्यों की सारी आवश्यकताएं पूरी की हैं ।

अभी हाल ही में जीवन बीमा निगम ने राज्यों के बिजली बोर्डों को ऋण देने के तरीके में परिवर्तन किया है अर्थात ऋण के उस भाग के लिए जिसके बारे में बन्धक ऋण की अपेक्षाएं पूरी नहीं की जा सकतीं; सरकारी गारण्टी स्वीकार करना; इससे सापेक्ष रूप से पिछड़े कुछ राज्यों के बिजली बोर्डों को, सामान्य बन्धक ऋण प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त हो सकने वाले ऋणों से अधिक ऋण लेने में सहायता मिलेगी । यह पता चला है कि राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड शीघ्र ही इस सुविधा से लाभ उठायगा ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : सभा पटल पर जो विवरण रखा गया है उसमें मेरे प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं दिया गया हैं । मेरा प्रश्न जीवन बीमा निगम द्वारा पिछड़े राज्यों के प्रति विशेष व्यवहार के बारे में है । मेरा प्रश्न श्री पाई के वक्तव्य पर आधारित था । जिसका उदाहरण नीचे दिया है :

> "श्री पाई ने यह उल्लेख किया कि जीवन बीमा निगम ने उड़ीसा के तूफान ग्रस्त क्षेत्रों के लिए 2 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों के लिये 3 करोड़ रुपये, बिहार के लिए 2 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल के लिये 1 करोड़ रुपये का आपातकालीन नियतन किया था ।"

इस वक्तव्य के संदर्भ में मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या पिछड़े राज्यों को सहायता देने के बारे में जीवन बीमा निगम ने कोई कसोटी नियत की है और यदि हां, तो इन नियतनों की कसौटी क्या है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सब वास्तव में उनकी योजनाओं अर्थात् विद्युत बोर्ड, आवास बोर्ड आदि पर निर्भर करता है । दुर्भाग्य से कुछ पिछड़े राज्यों ने इस प्रकार की संस्थाएं स्थापित नहीं की हैं । मेरा विचार है कि वे राज्य इस बात से सबक सीख रहे हैं और इनकी

स्थापना कर रहे हैं। अनेक राज्यों में विद्युत बोर्ड नहीं है। स्वाभाविक है कि जीवन बीमा निगम किसी राज्य की सहायता उसके ऋणों तथा ऋण पत्रों आदि में पैसा लगाकर और अनेक रूपों में निवेश के द्वारा ही की जा सकती है। मुझे अभी तक किसी पिछड़े राज्य से यह शिकायत नहीं मिली है कि जीवन बीमा निगम ने इस रूप में निवेश के प्रति उनकी मांग का प्रत्युतर नहीं दिया। यह निगम ऐसे ही धन नहीं बांट सकता। किसी राज्य की सहायता करने का उनका अपना खास ढंग है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य पिछड़े राज्यों में अग्रणी हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या राजस्थान सरकार ने जीवन बीमा निगम से पेय जल के प्रयोजनों हेतु विशेष धन देने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है जब भी इस राज्य की सरकार ने कोई अनुरोध किया उस पर विशेष ध्यान दिया गया। यदि मैं जीवन बीमा निगम के निवेश के राज्य कर आंकड़े बताऊं तो पता लग जायेगा कि उसमें राजस्थान का भी उचित भाग है और मार्च, 1971 तक राजस्थान में लगभग 51 करोड़ रुपये का निवेश हुआ।

Shri G. S. Mishra : How much money has been sanctioned by L. I. C. for investment in expansion schemes or a new unit of Electricity Board, for rural electrification or for tubewell projects in Madhya Pradesh or how much could be sanctioned ?

Shri Yashwant Rao Chavan : I do not remember the exact investment. I have mentioned general total. If a specific question is put I can collect information and give.

Shri G. S. Mishra : I want to know the position about electricity generation and expansion of old generators.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यक्रम और उस राज्य द्वारा जारी किये जाने वाले सामान्य ऋण पर निर्भर करता है। परन्तु यह भी विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं और क्षमता के अनुरूप रिजर्व बैंक द्वारा किये गये नियतन के अनुसार होता है।

श्री एच० के० एल० भगत : अपना प्रश्न पूछने से पूर्व मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूँ कि छपाई के समय अथवा किसी अन्य कारण से मेरे प्रश्न में गलती रह गई है। प्रश्न के भाग (ग) में मैंने पूछा है :

"इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जानी है।"

परन्तु छपी हुई प्रति में यह है :

"(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान ने इस दिशा में कब से।"

समझ में नहीं आता कि मेरे प्रश्न में पाकिस्तान कहां से आ गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह पहिले ही ठीक किया जा चुका है। शुद्धिपत्र पहिले ही जारी किया जा चुका है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पुरानी मोटर गाड़ियों पर ऋण दिया जाना

***432.** **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसी भी माडल की पुरानी मोटरगाड़ियों पर ऋण नहीं दिया जाता;

(ख) क्या इसके परिणाम स्वरूप छोटे चालक ऋण सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) उपयुक्त मामलों में राष्ट्रीयकृत बैंक पुरानी मोटरगाड़ियों की खरीद के लिए भी छोटे चालकों को ऋण देते हैं, बशर्ते कि वे गाड़ियां, पंजीकरण की तारीख से तीन से पांच वर्ष तक से अधिक पुरानी न हो।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ। माननीय मंत्री ने कहा है कि मामलों में राष्ट्रीयकृत बैंक छोटे लोगों को ऋण देते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई निर्देशपद निर्धारित किये गये हैं और सभी बैंकों के सम्प्रेषित किए गए हैं अथवा क्या कोई मामला है अथवा नहीं इस बात का निर्णय किसी अधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया जाता है।

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह ट्रकों, टैक्सियों और स्कूटरों पर भी लागू होता है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब मैंने यह कहा है कि यह वाहनों पर लागू होता है तो वाहनों में सभी वाहन आ जाते हैं चाहे वह टैक्सी हो, ट्रक व कोई अन्य वाहन हो।

जब मैं यह कहता हूं कि उपयुक्त मामले, तो यह निर्णय लेने की बात है और स्वभावतया जब निर्णय लेने की बात हो तो उसमें विवेक का भी स्थान रहता है। यह विवेक इस रूप में रहता है कि पुराने वाहनों की टूट-फूट को भी विचार में रखना होता है। स्वाभाविक रूप से उन्हें उत्तर-दायित्व ग्रहण करना पड़ता है। मैं यह नहीं कह सकता कि इस सम्बन्ध में निर्णय लेने में उन्हें विवेक का उपयोग नहीं करना पडता। परन्तु यदि माननीय सदस्य के ध्यान में कोई विशेष मामले हैं मैं उनकी जांच करने को तैयार हूं।

श्री एच० के० एल० भगत : यह स्पष्ट है कि इसमें विवेक की बात है। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली में बहुत से बैंकों में पुराने वाहन के लिए चाहे वह एक या दो वर्ष पुराना हो, छोटे चालकों को ऋण नहीं दिये जा रहे हैं। क्या बैंकों को इस बारे में कोई सामान्य अनुदेश अथवा सिद्धांत बताये जायेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं सामान्य समस्या पर विचार करूंगा परन्तु मैं यह नहीं जानता कि क्या विशेष अनुदेश जारी किये गये हैं। हाँ मैं उन्हें इतना अवश्य बता सकता हूं कि वे इन मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। उस पर भी इसके साथ ही चर्चा की जा सकती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे व्यापारियों को ऋण

***433. श्री पीलू मोदी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे व्यापारियों को अपने व्यापार का विस्तार करने के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिये जाते थे;

(ख) क्या इस प्रकार दिये जाने वाले ऋण या तो बन्द कर दिये गये है अथवा उनमें भारी कटौती कर दी गयी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंक छोटे व्यापारियों को उनकी कारोबार सम्बन्धी वास्तविक आवश्यकताओं के लिये बराबर ऋण मंजूर करते जा रहे हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री पीलू मोदी : माननीय मन्त्री ने जो कुछ कहा है क्या उसका तात्पर्य यह है कि छोटे व्यापारियों को अग्रिम धनराशी दिये जाने में कोई कमी नहीं हुई है अथवा उपलब्ध धनराशी के अनुरूप इन व्यापारियों को उससे कम अग्रिम धन प्राप्त हो रहे हैं जितने उन्हें पहले मिलते थे, क्योंकि मेरी जानकारी यह है कि विशेष रूप से छोटे व्यापारियों को बैंक ऋणों में बहुत कमी हुई है और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जब तक अगला ऋण उपलब्ध हो तब तक उनके लिए कार्य चलाना असंभव होता है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्य को यह जानकारी कहां से प्राप्त हुई है कि इनमें कमी आ रही है । मैं यह कह सकता हूं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात से जून 1971 के अंत तक सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों से 23069 व्यक्तियों ने ऋण लिया हुआ था और उनकी ओर बकाया राशि 39.78 करोड़ रुपये थी । अतः यह देखा जा सकता है कि वस्तुतः संख्या में वृद्धि हो रही है ।

श्री पीलू मोदी : प्रारम्भिक अवस्था में अर्थात बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात से इस बारे में बहुत अधिक प्रगति हुई थी । जो कि स्वाभाविक है । परन्तु बाद में धन की कमी के कारण ऋण लेने वालों और ऋण राशि में इतनी कमी हुई है कि उन व्यापारियों के लिए अपने व्यापार का विस्तार करना तो दूर दैनिक आवश्यकताएं पूरी करना ही दूभर हो गया है । आज आप किसी भी बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिये जाएं तो आप को यही कहा जाएगा कि धन उपलब्ध नहीं है । इसी बात की ओर माननीय मंत्री का ध्यान मैं आकर्शित करना चाहता हूं । यदि माननीय मंत्री के पास आंकड़े उपलब्ध है तो वह हमें उनके बारे में बतायें ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे पास कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं और मैं वह अवश्य बताऊंगा । सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक खुदरा व्यापार के लिए धन देते रहे हैं और अग्रिमों सम्बन्धी आंकड़े 'खुदरा व्यापार और छोटा व्यापार' वर्ग के अन्तर्गत लिखे जाते रहे हैं । इस वर्ग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों में इस प्रकार के लेखों की संख्या जून 1971 के अंत पर 1,46,398 थी जब कि जून 1969 के अन्त में यह संख्या 28,031 था । इससे स्पष्ट है कि इस बारे में पांच गुणा वृद्धि हुई है । अतः माननीय सदस्य द्वारा यह नहीं कहा जा सकता कि इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह धन राशि प्रति व्यक्ति कितनी बैठती है ?

श्री पीलू मोदी : क्या उस अवधि के पश्चात इसके सम्बन्ध में कोई अन्तिम आंकड़े उपलब्ध है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उपरोक्त अवधि के दौरान बकाया राशियाँ 19.22 करोड़ रुपये से बढ़कर 72.70 करोड़ रुपये हो गई हैं। यह वृद्धि चार गुणा है। जून 1971 के अन्त में प्रत्येक लेखे में औसत बकाया 5000 रुपये थे।

श्री आर० एस० पांडे : छोटे व्यापारी दो प्रकार के होते हैं। एक वर्ग में तो वे आते हैं जिनकी छोटी-छोटी दुकानें आदि हैं और दूसरे वर्ग में छोटे-छोटे फेरीवाले आते हैं। क्या माननीय मन्त्री ने बैंकों को कोई इस प्रकार का निर्देश दिया है कि फेरीवालों को ऋण दिए जायं, क्योंकि उनके पास गिरवी रखने को कुछ भी नहीं होता है ? ये लोग पटरियों पर बैठकर अपना सामान बेचते हैं। जिन लोगों की दुकानें आदि हैं और जिनको थोक विक्रेताओं से भी ऋण मिलता है उनकी अपेक्षा इन लोगों को अधिक सहायता मिलनी चाहिए।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरा विचार है कि उपेक्षित क्षेत्र में फेरीवाले भी सम्मिलित हैं और उनकी सहायता करना समुचित योजना पर निर्भर करता है।

श्री आर० एस० पांडे : वह पटरी पर बैठकर सामान बेचते हैं और पुलिस हर समय उनके पीछे पड़ी रहती है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : ऐसा हो सकता है कि किसी समय वह अनधिकृत कार्य कर रहे हों जिनके लिए उन पर मुकदमा चल सकता है।

Tea Estate Area Occupied by Pakistan

***434. Shri R. V. Bade :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Pakistan has forcibly occupied certain area covering Tea Estates in Assam.

(b) if so, since when Pakistan has been forcibly occupying this area; and

(c) the steps taken by Government in this regared ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) 1962 से पाकिस्तान ने लाठीटिल्ला-दुखबारी के कुछ क्षेत्र पर जबरन कब्जा कर रखा है जिसमें असम की पठोनी चाय बागान का कुछ भाग शामिल है

(ग) इस क्षेत्र में सीमा का अन्तिम रूप से सीमा निर्धारण नहीं किया गया है। सीमा को पाकिस्तान सरकार के परामर्श से अन्तिम रूप से निर्धारण करने के सम्बन्ध में हमारे प्रयास निष्फल रहे हैं।

Shri R. V. Bade : It has been stated that from 1962 certain areas are under their occupation. What is implied by 'certain area' ? How much area is under their occupation ? Are any figures about this area available with the Government ?

Shri Vidya Charan Shukla : Yes, Sir, figures are available. Land measuring 249 acres is under thier occupation.

Shri R. V. Bade : It has been stated that attempts so far made have been infructuous, they have not borne any result. What action has been taken and when was the last action taken.

Shri Vidya Charan Shukla : As the Hon Member, know this dispute arose out of interpretation of Redclif Award. A meeting was held in 1963 between Surveyor General of India and Surveyor General of Pakistan, but any agreement could not be reached. There-after Sector Commander's meeting was held and ground rules were agreed so that we can conduct petrolling.

Shri R. V. Bade : When was this meeting held ?

Shri Vidya Charan Shukla : The first meeting was held in 1963. There-after another meeting was held on 22nd February, 1966. In that meeting it was decided that a military working boundary should be demarcated. After that no meeting has so far been held. I have explained present position.

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : लाठी टीला और पथनी एस्टेट कई वर्षों से पाकिस्तान के कब्जे में है। विवरण में लिखा है कि इस बारे में बातचीत करने के लिए कुछ बैठकें भी की गई हैं। इन क्षेत्रों को वापस लेने के लिए सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारा उन्हीं तरीको को अपनाने का विचार है जो सीमा विवादों के निपटारे के लिए निर्धारित हैं और इसलिए जो तरीके हमने अब तक अपनाये हैं उनको मैंने बता दिया। यदि माननीय सदस्य विशेष तरीकों की बात कर रही हैं तो मैं नही समझता कि हम उन तरीकों के बारे में यहां पर चर्चा कर सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

रूबल के अवमूल्यन का प्रभाव

***423. श्री राज राज देव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस ने हाल ही में सभी प्रमुख विदेशी मुद्राओं के सम्बन्ध में रूबल का अवमूल्यन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत की विदेशी मुद्रा की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) सोवियत स्टेट बैंक द्वारा, पहली सितम्बर, 1971 को प्रकाशित सितम्बर, 1971 के लिए विनिमय-दरों की मासिक सूची में, अन्य बातों के साथ जापानी येन, पौण्ड स्टर्लिंग, फ्रांसीसी फ्रैंक, बेल्जियम फ्रैंक, डच गिल्डर, ड्यूश मार्क, आस्ट्रियन शिलिंग, स्वीडिश क्रोनर, इतावली लीरा और कनाड़ी डालर जैसी विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में, रूबल का मूल्य कुछ कम दिखाया गया है। अमरीकी डालर, फ्राँसीसी फ्रैंक और भारतीय रुपया उन मुद्राओं में से हैं जिनकी नई दरें निर्धारित नहीं की गयी हैं।

(ख) रूस द्वारा उठाये गये उपर्युक्त कदम का भारत के विदेशी व्यापार तथा भारत

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि भारत और सोवियत समाजवादी जन-तंत्र संघ के बीच सभी लेन-देन अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में होता है, जबकि दोनों मुद्राओं के सममूल्य का निर्धारण सोने के रूप में किया जाता है। रुबल और रुपयों के सममूल्यों की सोने के रूप में क्रमश: 0.987412 और 0.118489 ग्राम की जो परिभाषा की गई है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

उड़ीसा में पारादीप में उर्वरक कारखाने की स्थापना

***428. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री उड़ीसा में पारादीप में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के बारे में 14 जून, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 471 के उत्तर के सम्बन्ध में यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने उक्त उर्वरक कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन इस बीच प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) जी नहीं। विस्तृत विपणन सर्वेक्षण कार्य किए गये हैं। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा इन सर्वेक्षणों में उल्लिखित उत्पादन के वैकल्पिक पैटर्नों का अध्ययन किया जा रहा है। उक्त निगम द्वारा अध्ययनों के पूरा कर लिये जाने पर सम्भाव्य रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है।

पर्यटकों से अर्जित विदेशी मुद्रा

***429. श्री पी० के० देव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के दौरान पर्यटकों से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ख) क्या बंगला देश की समस्या के कारण, पर्यटकों के आगमन और उनसे विदेशी मुद्रा की आय में काफी कमी हो गई है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 15 सितम्बर, 1971 के 'स्टेट्समैन' में 'बंगला देश की समस्या का पर्यटन पर कुप्रभाव' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जनवरी-सितम्बर, 1971 की अवधि में पर्यटकों से 29.97 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के अर्जन का अनुमान लगाया गया है, जबकि इसकी तुलना में 1970 में उसी अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा की अनुमानित आय 27.69 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष अभीतक आने वाले पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष की तदनुरूपी संख्या के मुकाबले में वृद्धि हुई है। ऐसा अनुमान है कि यदि उपमहाद्वीप में परिस्थितयों के विषय में शंकाएं न होतीं तो परिणाम और अधिक अच्छे होते।

(ग) और (घ) जी, हां। पर्यटन विभाग के आंकड़े तथा अनुसंधान यूनिट द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट चालू वर्ष के पूर्वार्ध के दौरान आ। वाले पर्यटकों के रूख के विश्लेषण पर आधारित हैं। यह थोड़ी बहुत घटा-बढ़ी शायद केवल बंगला देश की घटनाओं के कारण ही नहीं अपितु पर्यटक स्रोत देशों को प्रभावित करने वाली मन्दी के कारण भी है।

पैंट्रोलियम के शोधन में आत्म-निर्भरता

***431. श्री निहार लास्कर** : क्या **पैंट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) पैंट्रोलियम तेल शोधन के क्षेत्र में आत्म निर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) सरकार का विचार अभी कितने समय तक शोधित उत्पादों का आयात करते रहने का है ?

पैंट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी. सी. सेठी) : (क) और (ख) बढ़िया मिट्टी के तेल और भट्टी के तेल को छोड़कर, पिछले तीन वर्षों में देश शोधन क्षमता में लगभग आत्म-निर्भर है। पैंट्रोलियम उत्पादों की मांग की वृद्धि की पूर्ति के लिए शोधन क्षमता को उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है। यह सदा सम्भव नहीं होता कि उत्पादन मांग के पूरी तरह बराबर हो। कुछ अधिकता और कमी निरन्तर रह ही जाती है जिसे आवश्यकता के अनुसार आयात अथवा निर्यात द्वारा पूरा किया जाता है। इस समय नियोजित की जा रही शोधनशालाओं के चालू हो जाने पर शोधन क्षमता में पूर्ण आत्मनिर्भरता 1976 तक प्राप्त किये जाने की संभावना है। पैंट्रोलियम उत्पादकों की खपत पर यथा संभव नियंत्रण रखने के लिये भी उपाय किये जाते हैं।

बिहार को कोयला तथा जलाने के तेल की सप्लाई

***435. श्री श्याम नन्दन मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में बरौनी तथा पत्रातु स्थित सबसे बड़े तापीय संयंत्रों की कोयले तथा जलाने के तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के अपने वायदों से फिर जाने के कारण इण्डियन आयल कम्पनी तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के विरुद्ध शिकायत की है; और

(ख) इण्डियन आयल कम्पनी तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा अपने वायदे पूरे न किये जाने के फलस्वरूप क्या उक्त दोनों संयंत्रों के कार्य में बाधा पड़ी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) : भारतीय तेल निगम की किसी विफलता के कारण से बरौनी और पातरातू तापीय विद्युत स्टेशनों को क्रमशः लो० सटफर हैवी स्टाक व हल्के डीजल तेल के प्रदाय में कोई कमी नहीं हुई है। ये दोनों उत्पाद शोधन शाला को पूर्ण मात्रा में उपलब्ध होते रहे हैं। परन्तु रेल पटरी के टूट-फूट जाने और अन्य परिवहन समस्याओं के कारण प्रदाय पातरातू तापीय विद्युत स्टेशन तक न पहुँच सके। बरौनी

तापीय स्टेशन के प्रदायों में कोई रुकावट नहीं थी। एन० सी० डी० सी० द्वारा कोयले की सप्लाई की स्थिति के सम्बन्ध में जांच की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

Decline in Foreign Capital Investment

***436. Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the amount of foreign capital investments has gone down considerably during the last three years;

(b) whether as against a target of three hundred crores of rupees fixed for the Fourth Five Year plan, foreign capital amounting to only Rupees ten to twelve crores has been coming to India every year; and

(c) if so, the reasons for the decline and the measures proposed to be taken by Govrnment to remedy the situation ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c) : The figure of Rs. 300 crores referred to in the Fourth Five Year Plan relates to the estimated inflow of gross loans and investments from abroad for private investment in the country during the Fourth Plan period. According to tentative estimates the gross inflow of foreign investments during the year 1969-70, the first year of the Fourth Five Year Plan, was Rs. 111 crores. Similar information for the subsequent period is not yet available. Even after allowing for the fact that the 1969-70 figures included the inflow of foreign investment in state-owned enterprises also, it can be safely assumed that there will be no difficulty in the target of Rs. 300 crores for the Fourth Plan period as a whole being fulfilled.

As regards the trends in the recent past the following figures of gross inflow of foreign capital including creditor capital from official institutions show a definite declining trend:-

Year	Amount (Rs. in crores)
1967-68	170
1 68-69 (tentative estimates)	141
1969-70 (-do-)	111

This is mainly because of a fall in the inflow of loans from official institutions abroad. If gross inflow from only private sources sbroad is taken, there is no clear trend either way, as is seen from the following :-

Year	Amount (Rs. in crores)
1967-68	114
1968-69 (tentative estimates)	116
1969-70 (-do-)	81

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनों का स्पष्टीकरण

***437. श्री समर मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यूरो ग्राफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज ने सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने कर्मचारियों के वेतनों और अनुषंगी लाभों में वृद्धि न करें; और

(ख) यदि हां, तो संक्षेप में वे निदेश क्या हैं और ऐसे निदेश दिये जाने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : बंगला देश से भारी संख्या में शरणार्थियों के आ ज ने के कारण उत्पन्न वर्तमान स्थिति और उसके परिणामस्वरूप सब ओर खर्च में कमी करने की आवश्यकता को देखते हुए, वित्त मन्त्रालय ने अक्टूबर, 1971 में प्रशासनिक मन्त्रालयों और सरकारी उद्यमों को ये हिदायत दी हैं कि उन सरकारी उद्यमों और संस्थाओं में, जिनके अधिकांश शेयर भारत सरकार के नियन्त्रण में है, केन्द्रीय सरकार (वित्त मन्त्रालय के परामर्श से कार्य करते हुए सम्बद्ध प्रशासनिक मन्त्रालय) से पूर्व-परामर्श किये बिना वेतनों में कोई सामान्य परिवर्तन या आनुषंगी लाभों में कोई वृद्धि नहीं की जानी चाहिए।

गुजरात स्टेट इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड को बेचे गये अवशिष्ट तेल के मूल्य में वृद्धि

***438. श्री के० एस० चावड़ा :**
श्री पी० एम० मेहता :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात बिजली बोर्ड को धुवारन विद्युत संयंत्र के लिए जो अवशिष्ट ईंधन तेल बेचा जाता है क्या उसका मूल्य 45 रु० से बढ़ाकर 128 रु० प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त मामले को मध्यस्थता के लिए सौंपने का प्रस्ताव किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) : लो सलफर हैवी स्टाक, जिसे रेजीडुअल फियूअल आयल (अवशिष्ट ईंधन तेल) भी कहा जाता है के मूल्य पर समझौता न होने की स्थिति में, गुजरात बिजली बोर्ड के धुवारन विद्युत पलांट को 45 रुपये प्रति मीटरी टन के अन्तरिम दर पर सप्लाई दी जा रही है जबकि कोयाली शोधनशाला से अहमदाबाद बिजली कं० को दिये जाने वाले प्रदाय का मूल्य 137·73 प्रति मीटरी टन है और बरौनी शोधनशाला से पास के बिहार राज्य बिजली बोर्ड के तापीय स्टेशनों को दिए जाने वाले इसी पदार्थ का भी वही मूल्य है। ट्राम्बे तापीय स्टेशन को बेचे जाने वाले इस पदार्थ का मूल्य इस समय 103·21 रुपए है और इसकी वृद्धि के लिए बातचीत हो रही है।

(ग) सरकार द्वारा इस मामले को मध्यस्थता के लिए सौंपे जाने का पहला सुझाव राज्य सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने इस सुझाव को पुनः उठाया है और यह विचाराधीन है।

विजयन्त टैंक-प्लेटों की आवश्यकता

***439. श्री के० मालन्ना :**
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **रक्षा** मंत्री विजयन्त टैंक-प्लेटों की आवश्यकता के बारे में 14 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न सं० 466 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देशीय संसाधनों से विजयन्त टैंक-प्लेटों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में अब तक कितनी सफलता प्राप्त की है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) विजयन्त टैंकों के निर्माण के लिए आवश्यक आरमल प्लेटों की आवश्यकताओं का एक बड़ा भाग मोटे तौर पर राउरकेला स्थित हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड पूरी कर रहा है। न्यूनतम कमी को पूरा करने के लिए इनका आयात किया जाता है। तथापि राउरकेला स्थित हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि हमारी आवश्यकतायें पूरी की जा सकें।

ऋण सम्बन्धी प्रतिबन्ध

***440. श्री बी० मायावन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूंगफली अरण्डी के बीज अलसी और तेल तथा बनस्पति पर लगाये गये ऋण देने सम्बन्धी प्रतिबन्ध, उद्योग के विस्तार और आधुनिकीकरण के मार्ग में मुख्य रूप से बाधक रहे हैं;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में खली की बढ़ती हुई मांग के अनुसार ही खली का उत्पादन बढ़ा है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए ऋण सुविधाएं देने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) सम्पूर्ण ऋण नीति की आवश्यकताओं के अनुकूल, भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न वस्तुओं के लिये ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध में समय समय पर स्थिति की समीक्षा करता रहता है और जहां आवश्यक होता है, विभिन्न प्रयोजनों के लिए जिनमें निर्यात प्रोत्साहन भी शामिल है, ऋण नियंत्रण में विशिष्ट छूट दे देता है। तदनुसार, खली के निर्यात के लिए पक्के आर्डरों के बदले इसके निर्यात के लिए और निर्यात हुण्डियों के लिए भी उपयुक्त छूट दे दी जाती है।

एलोपैथी की मिश्रित औषधियां तथा आधारभूत औषधियां बनाने वाले एककों की संख्या में वृद्धि

***441. श्री पी० गंगादेब** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से एलोपैथी की मिश्रित औषधियां तथा आधारभूत औषधियां बनाने वाले वाणिज्यिक एककों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) जी हां। औषधियों तथा भेषजों के निर्माण करने वाले एककों की वास्तविक संख्या 1952 में लगभग 1640

से 1970 में लगभग 2610 तक में वृद्धि के अतिरिक्त, प्रपुन्ज औषधियों के, जिनका अब कुल जोड़ 40 करोड़ रुपये होता है; उत्पादन में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। इनमें मूल अवस्थाओं से आवश्यक औषधियों की किस्में सम्मिलित है। विक्रय मूल्य में भी 1952 में लगभग 35 करोड़ रुपये से 1970 में लगभग 275 करोड़ रुपये तक वृद्धि हुई है।

कानपुर में मिग बैटरियों की चोरी

***442. श्री सी० टी० दंडपाणि :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो से एयरक्राफ्ट मेन्टेनेन्स कमांड, कानपुर से 6 लाख रुपये के मूल्य की मिग बैटरियों की चोरी के सम्बन्ध में जांचा करने के लिए कहा गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उसकी रिपोर्ट मिल गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) 18-19 जुलाई, 1971 की रात्रि को वायु सेना स्टेशन, चावेरो से 14 मिग बैटरियां जिनका मूल्य लगभग 1.14 लाख रुपये है, चुरा ली गई थी। इन बैटरियों को बाद में बरामद कर लिया गया। वायु सेनाधिकारियों द्वार स्थानीय असैनिक पुलिस की सहायता से मामले की जांच की गई। एक सरविसमैन तथा 13 असैनिक पर इस चोरी में सम्मिलित होने का संदेह किया जा रहा है। 13 असैनिकों में से 7 को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 6 व्यक्ति अभी फरार हैं। मामला जुडीशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विचाराधीन है।

जगाधरी और यमुना नगर (हरियाणा) में आयकर अधिकारियों के छापे

***443. श्री बी० एस० भौंग :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर अधिकारियों ने 5 नवम्बर, 1971 को जगाधरी और यमुनानगर में धातु व्यपारियों की दुकानों पर छापे मारे थे;

(ख) क्या आय कर अधिकारियों को एक व्यापारी की दुकान का ताला तोड़ना पड़ा था, जो भाग गया था; और

(ग) क्या बाद में तलाशी के लिये स्थानीय बैंकों में अनेक लाकरों पर भी सील लगा दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) तलाशी के दौरान आयकर अधिनियम की धारा 132(1) के अधीन ऐसा केवल एक लाकर सील किया गया था और उक्त अधिनियम की धारा 132(3) के अधीन बैंक को नोटिस जारी किया गया जिसमें उस लाकर का प्रयोग निषिद्ध कर दिया गया।

कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले लाभांश की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

***444. श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले लाभांश की अधिकतम सीमा निर्धारित करने

सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ;

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) सरकार समय-समय पर मूल्यों तथा वेतन, मजदूरी, लाभांश एवं व्याज आदि के रूप में होने वाली आय सहित सभी प्रकार की आय तथा औद्योगिक एवं कृषि-जन्य वस्तुओं के मूल्यों के बारे में एक समुचित नीति निर्धारित करने के उपायों पर विचार करती रही है। किसी क्षेत्र विशेष के बारे में नीति सम्बन्धी व्यौरा तभी दिया जा सकता है जब उस सम्बन्ध में विशिष्ट निर्णय कर लिये जायें।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त मामले

***445. श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने एकाधिकार तथा निवन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निपटान में बहुत अधिक समय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) इस पद्धति को सवाही कर दिया गया है, एवं यथा सम्भव, कम्पनी अधिनियम की धारा 30 में उल्लिखित समय की अवधि में, आवेदनपत्रों का निपटान कर दिया है।

प्रस्तावित विमुद्रीकरण

***446. श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की मुद्रा का विमुद्रीकरण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से नोटों आदि का विमुद्रीकरण किया जायेगा और इसके क्या कारण है;

(ग) इससे आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यह योजना कब तक लागू कर देने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

मंगलोर (मैसूर) में उर्वरक परियोजना का पूरा होना

***447. श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर (मैसूर) में 52 करोड़ रुपये की उर्वरक परियोजना की स्थापना का प्रारम्भिक कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है जिससे परियोजना को 1974 के आरम्भ में चालू किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा देने के लिए तथा विदेशी मुद्रा ऋण के मामले में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है और इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 51 करोड़ रुपये की मंगलौर उर्वरक प्रायोजना की स्थापना के प्रारम्भिक कार्यों का अभी निर्धारण किया जा रहा है और जब तक समस्त औपचारिकताएं पूर्ण नहीं हो जाती संयंत्र के चालू किये जाने की निश्चित तिथि बताना इस समय संभव नहीं है ।

(ख) से (घ) बताया जाता है कि प्रायोजना के लिये लगभग 315 एकड़ भूमि अर्जित कर ली गई है तथा परीक्षण भेदन व्यधन एवं कन्टूर सर्वेक्षण भी कर लिये गये हैं । कम्पनी ने अमोनिया तथा यूरिया संयंत्रों की डिजाइन इंजीनियरी तथा संयंत्र एवं मशीनों की सप्लाई के लिये विदेशी फर्मों के साथ नये करार किये हैं । सरकार ने पार्टी के प्रारंभिक इंजीनियरी करारों का अनुमोदन कर दिया है और के 75,000/- के बराबर विदेशी मुद्रा दे दी है । अन्य कारों पर इस समय विचार किया जा रहा है । प्रायोजना की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी लागत को पूरा करने के लिये ब्रिटेन ऋण के आबंटन के लिये भी ब्रिटेन के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है ।

पाकिस्तान को गुप्त जानकारी देने के आरोप में वायु सेना के अधिकारी की गोहाटी में गिरफ्तारी

***448. श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **रक्षा** मंत्री पाकिस्तान को गुप्त जानकारी देने के आरोप में वायु सेना के अधिकारी की गोहाटी में गिरफ्तारी के बारे में 14 जून, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 480 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बीच मामले की जांच करली गई है और, यदि हां, तो सम्बन्ति व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : इस मामले की अभी जांच की जा रही है ।

औद्योगिक अर्थ व्यवथा में गतिरोध के संदर्भ में राजकोषीय नीतियों का पुर्नविलोकन

***449. श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कि राज्यकोषीय नीतियां औद्योगिक

अर्थ-व्यवस्था मे विद्यमान गतिरोध के लिसे कहां तक उत्तरदायी है उनका पुनर्विलोकन करने के लिये कहा है; और

(ख) सरकार किस प्रकार इस क्षेत्र को गतिवान बनाना चाहती है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार, अर्थ-व्यवस्था के अन्दर औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव डालने वाली राजस्व सम्बन्धी तथा अन्य नीतियों की लगातार समीक्षा करती रहती है। हाल ही में, औद्योगिक उत्पादन की गति के धीमा होने के बहुत से कारण हैं जिनमें कच्चे माल की कमी, क्षमता सम्बन्धी अवरोध और देश के कुछ भागों में औद्योगिक सम्बन्धों का ठीक न होना भी शामिल हैं। सरकार कपास, इस्पात, सोयाबीन का तेल और अलौह धातुओं जैसे कच्चे माल के, जिसकी पूर्ति कम है, पर्याप्त आयात का प्रबन्ध करके; दीर्घावधिक उधार दे कर तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण सुविधाएं प्रदान करा के सरकारी क्षेत्र में निवेश के स्तर को ऊंचा करके, और संकटग्रस्त और बन्द पड़े कारखानों को अधिकार में लेने के लिये विशिष्ट कदम-उठा करके स्थिति का सामना करने के प्रयत्न कर रही है। लघु-उद्योगों की सहायता करने के लिये, लाइसेन्स तथा ऋण सम्बन्धी नीतियों की नयी दिशा दी जा रही है तथा राजसहायता प्रदान करके तथा रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता की पेशकश के द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अलावा विशेष रूप से देश के पूर्वी क्षेत्रों में, औद्योगिक गतिविधियों को फिर से चालू करने में सहायता देने के लिये औद्योगिक पुनर्निमाण निगम की स्थापना की गई है।

राज्यों द्वारा अतिरिक्त शुल्क लगाया जाना

***450. श्री मख्तियार सिंह मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को बगला देश के शरणार्थियों के सहायता कार्यों हेतु धन जुटाने के लिये अतिरिक्त शुल्क लगाने के निर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये निर्देश किस प्रकार के हैं; और

(ग) किन किन राज्य सरकारों ने इन निर्देशों को क्रियान्वित किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 12 अक्टूबर, 1971 को राज्यों के राज्यपालों/मुख्य मन्त्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें इस बात पर सहमति प्रकट की गई थी कि आम जनता में परिचालित होने वाले कुछ साधनों पर कर/शुल्क/अधिभार लगाकर बंगला देश के शरणार्थियों की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, दोनों ही के अतिरिक्त साधन जुटाने चाहिए।

(ग) अभी तक, बंगला देश के शरणार्थियों की सहायता के लिए नये कर लगाये जाने की घोषणा केवल नौ राज्यों, अर्थात् बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश ने ही की है।

भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि

2658. **श्री सोमचन्द्र सोलंकी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1971 में ब्रिटेन, अमरीका, फ्राँस, पश्चिमी जर्मनी और कनाडा से आने वाले पर्यटकों में 1970 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : जनवरी-अक्टूबर 1971 तथा 1970 की उसी अवधि के दौरान इंगलैंड, संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी तथा कनाडा से आने वाले पर्यटकों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

देश	आने वाले पर्यटकों की संख्या (जनवरी-अक्टूबर)		परिवर्तन
	1970	1971	
इंगलैंड	33,383	32,410	—2.9
संयुक्त राज्य अमरीका	49,175	47,299	—3.8
फ्रांस	14,835	15,084	+1.7
पश्चिमी जर्मनी	12,035	14,869	+23.5
कनाडा	5,855	5,877	+0.4

अहमदाबाद हवाई अड्डे का पुर्ननिर्माण

2659. **श्री सोमचन्द्र सोलंकी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद के हवाई अड्डे का पुर्ननिर्माण 1972 में करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) अहमदाबाद विमान क्षेत्र के टर्मिनल भवन का विस्तार करने के लिए 14-9-71 को 2,59,819 रुपये (विभागीय प्रभारों सहित) के व्यय के प्राक्कलन को मंजूरी दे दी गयी है।

पंजाब में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराई गई राशियां

2660. **श्री देविन्दर सिंह गरचा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाओं के माध्यम से दीर्घावधि तथा अल्पावधि के जमाखातों से कुल कितनी राशि प्राप्त की; और

(ख) उक्त शाखाओं द्वारा कृषि अथवा कुटीर उद्योगों के लिए कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं जमाखातों के पृथक पृथक रूप में राज्यवार आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पंजाब में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुल जमाखातों की रकम मार्च, 1971 के अन्तिम शुक्रवार को 137 करोड़ रुपये थी।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पंजाब में कृषि और लघु उद्योगों को दिए गए ऋणों की बकाया रकम क्रमशः 5.08 करोड़ रुपये और 9.35 करोड़ रुपये हैं। कुटीर उद्योग के लिए ऋणों के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

2661. श्री छत्रपति अम्बेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कर्मचारियों की वर्ग-वार क्या प्रतिशतता है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का श्रेणी-वार प्रतिशत अनुपात 30 मार्च, 1971 को निम्न प्रकार से था :—

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
	%	%
स्थायी		
I	0.13	0.03
II	0.16	0.03
III	1.26	0.12
IV	14.30	0.83
अस्थायी		
I	—	—
II	—	—
III	1.40	—
IV	25.00	6.25

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

2662. श्री छत्रपति अम्बेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की वर्गवार क्या प्रतिशतता है।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राजनैतिक दलों की ओर आयकर की बकाया राशि

2663. श्री छत्रपति अम्बेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राजनैतिक दलों के नाम क्या हैं जिनकी ओर आयकर की राशि बकाया है; और

(ख) गत तीन वर्षों से वर्षवार प्रत्येक दल की ओर कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) मान्यताप्राप्त 32 राजनीतिक दलों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

परिचालन में भारतीय मुद्रा

2664. श्री छत्रपति अम्बेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कुल कितनी भारतीय मुद्रा चलन में है; और

(ख) गत तीन वर्षों में भारतीय मुद्रा में कितनी वृद्धि हुई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 12 नवम्बर 1971 को 4556 करोड़ रुपये।

(ख) मुद्रा-वृद्धि की रकमों का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	करोड़ रुपयों में
1968-69	+306
1969-70	+328
1970-71	+369

बेरोजगार स्नातकों को इण्डियन आयल कारपोरेशन के अधीन विक्रेता बनाया जाना (डीलरशिप)

2665. श्री रोबिन ककोटी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगार स्नातकों को सहायता देने हेतु एक योजना बनाई है जिस से वे इण्डियन आयल कारपोरेशन के विक्रेता बन सकें;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) योजना की क्रियान्वित के लिए राज्यवार कितना धन नियत किया गया हैं; और

(घ) किन राज्यों ने योजना की क्रियान्वित के लिए अपनी योजनायें पहले ही प्रस्तुत कर दी थीं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) भारतीय तेल निगम ने नवम्बर, 1969 में एक ऐसी योजना को अन्तिम रूप दिया।

(ख) इस योजना की स्थूल रूपरेखा निम्न प्रकार है :—

(1) भूत-पूर्व सैनिकों के लिए विशेष रूप से आरक्षित क्षेत्रों के सिवाए, फुटकर पेट्रोल पम्पों, मिट्टी का तेल लाइट (हल्का) डीजल आयल और इण्डेन (घरेलू एवं वाणिज्यिक प्रयोग) की विक्रय एजेन्सी सामान्यतः मान्यता प्राप्त संस्थाओं के ऐसे बेरोजगार इन्जीनियरों एवं स्नातकों को दी जाती हैं, जिन्हें उसके लिए उपयुक्त समझा जाता है।

(2) व्यक्तिगत विक्रेताओं के लिए, प्रादेशिक भाषा के एक समाचार पत्र तथा एक अंग्रेजी समाचार पत्र सहित व्यापक रूप में पढ़े जाने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रैस नोटिस प्रकाशित किये जाते हैं।

(3) केवल तीस वर्ष से कम आयु वाले उम्मीदवार इसके पात्र हैं।

(4) उम्मीदवार कम आय वाले ग्रुपों (अर्थात जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष लगभग 10,000 रुपये हो) के होने चाहिए और वे उस सिविल जिले के रहने वाले होने चाहिए; जिसमें एजेन्सी चालू होनी है अथवा उसी राज्य के अन्तर्गत संलग्न सिविल जिलों के होने चाहिए।

(5) सेना-विघटित (डिमोब्लाइजड), एमर्जेसी कमीशन्ड अफसर, सेना के अन्य सेवा-निर्वृत कर्मचारी और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को अधिक महत्व दिया जाता है।

(6) छावनी-क्षेत्रों तथा अन्य चयन किये गये उप-नगरों में, जहां पर एजेन्सियों सेना के सेवा निवृत व्यक्तियों आदि के लिए आरक्षित हैं, इस योजना के लिए छूट दी गई है।

(ग) इस योजना के कार्यान्वियन के लिए कोई निधि राज्य-वार आवंटित नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में पूरी हुई होटल परियोजनायें

2666. श्री वी० मयावन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक स्वीकृत 58 होटल परियोजनाओं में से कितनी होटल परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं और वे कहां पर हैं;

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में अलग-अलग कितनी परियोजनायें पूरी हुई हैं; और

(ग) लगभग 5,000 होटल कमरों की कमी को वर्ष 1973 तक पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) नयी होटल परियोजनाओं का अनुमोदन तथा पहले से ही अनुमोदित किए हुए होटलों का क्रमशः पूरा किया जाना एक निरन्तर-

गामी प्रक्रिया है, तथा अनुमोदित होटल प्रायोजनाओं की संख्या इस समय 72 है। 1968 के अन्त से लेकर, जबकि अनुमोदित/वर्गीकृत होटलों में वर्तमान क्षमता की दृष्टि से अपेक्षित अतिरिक्त होटल कमरों का एक औपचारिक सर्वेक्षण किया गया था, निम्नलिखित स्थानों पर 21 नयी प्रायोजनाओं को पूरा किया गया :—

	होटल संख्या
आगरा	1
बम्बई	4
बंगलौर	2
बड़ौदा	1
कलकत्ता	2
कोचीन	1
दिल्ली	2
हैदराबाद	2
कानपुर	1
खजुराहो	1
मनिपाल (मैसूर)	1
निजामाबाद (आंध्र प्रदेश)	1
पूना	1
विशाखापटनम	1

(ख) बंगलौर में एक होटल प्रायोजना को छोड़कर, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में है, बाकी की सभी होटल प्रायोजनाएं निजी क्षेत्र में हैं।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र में, भारत पर्यटन विकास निगम तथा एयर इण्डिया की कई होटलों का निर्माण करने की योजनायें हैं; तथा निजी क्षेत्र को इस प्रकार के विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान कर के और अधिक होटल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जैसे; टैक्स व माली राहतें होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता, होटलों का निर्माण करने के लिए रियायती दरों पर सरकारी भूमि की बिक्री, होटल उद्योग की आवश्यकताओं के लिए प्राथमिकता का व्यवहार आदि।

डा० भगवान दास मेमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली

2667. श्री छत्रपति अम्बेश : क्या **वित्त** मंत्री 23 सितम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5728 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डा० भगवान दास मेमोरियल ट्रस्ट 2-एफ, लाजपत नगर, नई दिल्ली की आयकर छूट के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 23 जुलाई 1971 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5728 के उत्तर में, यह बताया गया था कि आयकर अधिकारी ने 1959 में यह फैसला दिया था

कि आयकर-अधिनियम, 1922 की धारा 15-बी (2) में निर्धारित शर्तें पूरी हो गई थी। आयकर-अधिकारी को किसी रिपोर्ट का उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए, आयकर अधिकारी की रिपोर्ट में मुख्य मुद्दों के उल्लेख करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि इसके पूर्व कहा जा चुका हैं, आयकर अधिकारी ने यह फैसला दिया था कि आयकर अधिनियम, 1922 में निर्धारित सांविधिक शर्तें पूरी हो गई थीं। वह अब इस बात की जांच कर रहा है, कि आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं अथवा नही तथा वह आवश्यक आदेश शीघ्र ही पारित करेगा।

सहायक वायु सैनिकों को नगर प्रतिकर भत्ते का भुगतान

2668. श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट : क्या **रक्षा मंत्री** सहायक वायु सैनिकों को नगर भत्ता प्रतिकर भत्ता देने के बारे में 12 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4532 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना के केन्द्रीय लेखा कार्यालय के कमान अधिकारी को एक अभ्यावेदन मिला जिसमें असैनिक दर पर नगर प्रतिकर भत्ता दिए जाने की शिकायतें की गई हैं और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या वायु सेना के अधिकारियों ने सम्बद्ध कर्मचारियों के वेतनों में से उतना नगर प्रतिकर भत्ता आंशिक अथवा पूर्ण रूप से काट दिया था जितना उन्हे रेलवे अधिकारियों द्वारा असैनिक दर से दिया जाता था; और

(ग) क्या इस प्रकार की कटौती के परिणामस्वरूप बचा धन असैनिक राजस्व को वापिस दे दिया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1963 में एक रेलवे कर्मचारी को जो सहायक वायुसेना का सदस्य था सक्रिय सेवा के लिए बुला लिया गया था, उसने वायुसेना केन्द्रीय लेखा कार्यालय को एक अभ्यावेदन भेजा था जिसमें वायुसेना में की गई सेवा की अवधि के लिए सिविल दरों पर मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता की मांग की गई थी। वायुसेना केन्द्रीय लेखा कार्यालय ने यह उत्तर भेज दिया था कि वायु सेना में की गई सेवा की अवधि के लिए वह उसी दर पर मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता के हकदार थे जो दर वायु सेना कार्मिकों के लिए लागू थी।

(ख) रेलवे प्राधिकारियों के द्वारा दिए गए नगर प्रतिकर भत्ते को वायु सेना केन्द्रीय लेखा कार्यालय के द्वारा पूर्णतया या आंशिक रूप में उसके वेतन से नहीं घटाया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Banks Functioning in Bihar

2669. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the present number of branches of each nationalised bank functioning in Bihar;

(b) the extent of increase likely to be registered in their number by 1972; and

(c) the amount of loans advanced by them for agricultural purposes ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) The number of offices of the banks

in the public sector functioning in Bihar as at the end of August, 1971, is indicated in the Statement attached.

(b) According to programmes finalised so far, 109 more offices are to be opened in Bihar by the public seetor banks in the course of the next one year or so. Further programmes will be drawn up by the banks as and when more centres are identified.

(c) As at the end of June, 1971, outstanding advances of the public sector banks in Bihar for agricultural purposes amounted to Rs.8.21 crores covering 23092 accounts.

Statement

Number of Public Sector Bank Offices functioning in Bihar

Name of Bank	No. of offices as on 31.8.1971.
1. State Bank of India	200
2. State Bank of Bikaner & Jaipur	1
3. Central Bank of India	85
4. Bank of India	21
5. Punjab National Bank	38
6. Bank of Baroda	18
7. United Commercial Bank	35
8. Canara Bank	4
9. United Bank of India	21
10. Dena Bank	3
11. Union Bank of India	10
12. Allahabad Bank	21
13. Indian Bank	1
Total	458

गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने द्वारा की जाने वाली सप्लाई के बारे में शिकायतें

2670. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को ऐसी शिकायतों की रिपोर्ट मिली है कि गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के संबंध में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है क्योंकि उसकी अधिकांश सप्लाई बिहार को जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो चोर बाजार के माध्यम से बिक्री रोकने के लिए उर्वरकों का समान और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसयन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में दी जाने वाली अमरीकी सहायता में कमी

2671. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन ने वर्ष 1971-72 के लिए भारत को दी जाने वाली अमरीका सहायता में 10 प्रतिशत कटौती की घोषणा की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में भारतीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) 15 अगस्त, 1971 को अमरीकी राष्ट्रपति ने अमरीकी राजस्व वर्ष 1972 (जुलाई 71—जून 72) में अमरीका के विदेशी आर्थिक सहायता कार्यक्रम में 10 प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की थी। परन्तु इसमें भारत को दी जाने वाली सहायता में कोई विशेष कटौती करने के विषय में नहीं बतलाया गया था। कटौती बजट तथा शोधन-शेष सम्बन्धी औचित्य के आधार पर .ी गई थी।

अमरीकी विदेशी सहायता विधेयक पर अमरीकी कांग्रेस में अभी विचार विमर्श हो रहा है। यह बताना कठिन है कि अन्तिम निर्णय क्या होगा, परन्तु भारत सरकार घटनाओं पर पूरी तरह से नजर रख रही है और उचित समय पर यथोचित उपाय किए जायंगे।

उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में आय-कर के विचाराधीन मामले

2672. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में आय-कर के अब कितने मामले विचाराधीन हैं;

(ख) क्या भारतीय महालेखा परीक्षक ने कर की बढ़ती हुई बकाया राशि और उन्हें वसूल करने के तरीके के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की है; और

(ग) कर वसूली के तरीकों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ?

वित्त मंत्री ((श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

(i)	उच्च न्यायालयों के समक्ष 31 मार्च 1971 को अनिर्णीत पड़े आयकर तथा अन्य प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित मामलों की संख्या (30 सितम्बर 1971 को अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या अभी तक उपलब्ध नहीं है) ...	7642
(ii)	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष 30 सितम्बर 19/1 को अनिर्णीत पड़े आयकर तथा अन्य प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित मामलों की संख्या ...	85,894

(ख) भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रति वर्ष आयकर विभाग द्वारा किये गये कर-निर्धारणों की नमूने के तौर पर लेखा परीक्षा करता है। नमूने के तौर पर की गई लेखा-परीक्षा के परिणामों की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष "राजस्व प्राप्तियों पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट" में दी जाती है तथा सामान्यतया इस रिपोर्ट के अन्तर्गत किसी वर्ष की

पहली सितम्बर से लेकर अगले वर्ष के 31 अगस्त तक की अवधि आ जाती है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट सामान्यतः, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के अन्त में वसूली के लिए पड़ी कर की शुद्ध प्रभावी बकाया के सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत करता है। कर की बकाया अथवा उसकी वसूली के लिये किये गये उपायों के बारे में वह कोई टिप्पणी नहीं करता।

(ग) कर वसूली के उपायों में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

कर वसूली के उपायों में सुधार लाने की दृष्टि से विभाग ने निम्नलिखित प्रशानिक, कानूनी तथा कार्यकारी उपाय किये हैः—

प्रशासनिक उपाय :

(i) वर्ष 1971 के पूर्व बकाया कर की वसूली का कार्य राज्य के प्राधिकारियों द्वारा किया जाता था, जो राजस्व की वसूली प्रायः पर्याप्त दिलचस्पी नहीं दिखा पाते थे। इसलिये, 1961 के अधिनियम में एक स्वयं पूर्ण राजस्व संहिता समाविष्ट की गई जिसमें कर-वसूली अधिकारियों की व्यवस्था की गई, जो विभागीय अधिकारी हो सकते थे। विभागीय अधिकारियों ने आयकर-आयुक्तों के सभी अधिकार क्षेत्रों में कर वसूली का कार्य पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अपने हाथ में ले लिया है।

(ii) कर्त्तव्य के अनुसार कार्य विभाजन की योजना लागू करना। जिसके अधीन करों की वसूली का कार्य रेंज के एक अथवा एक से अधिक आयकर अधिकारियों का विशिष्ट कर्त्तव्य बना दिया गया है।

(iii) विभाग द्वारा रेखित बैंकों का स्वीकार किया जाना तथा इस निमित्त आयकर कार्यालयों में अदायगी के लिए विशेष प्राप्ति काउंटरों का खोला जाना।

(iv) ऐसे निर्धारितियों के नामों को प्रकाशित करना जिन्होंने किन्हीं निर्धारित सीमाओं से ऊपर करों की अदायगी नहीं की है।

(v) पूरे देश में बकाया बेबाकी पखवाड़े मनाए जा रहे हैं। इस अवधि में, अनिर्णीत समायोजनों/भूल सुधारों को पूरा करने, अपीलीय आदेश को कार्यान्वित करने तथा निर्धारितियों की तरफ बकाया मांगों की शुद्ध रकमों की वसूली करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

(vi) कलकत्ता, केरल, दिल्ली, नागपुर तथा हैदराबाद में हाल ही में पाँच कर वसूली आयुक्त तैनात किये गये हैं। कर वसूली अधिकारियों पर प्रशासनिक अधिकार रखने के अतिरिक्त, उन्हें 1 जनवरी, 1972 से विभागीय कर-वसूली अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ दायर की गई अपीलों की सुनवाई का अपीलीय अधिकार भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त कुछ अपर आयकर-आयुक्तों को अनन्य रूप से वसूली का कार्य सौंप दिया गया है।

(vii) बकाया मांगों के निपटान के कार्य के लिए सरकार ने पिछले वर्ष आयकर अधिकारी (वसूली) के 60 पदों की मंजूरी दी थी।

कानूनी उपाय :

(i) आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत, उस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी निदेशकों को, कतिपय परिस्थितियों में कम्पनी द्वारा देय कर के लिये जिम्मेवार बनाया गया है, जिसका समापन उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद हुआ हो।

(ii) आयकर अधिनियम की धारा 230 के अन्तर्गत विदेश जाने वाले व्यक्तियों से कर बेबाकी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहना।

(iii) 30,000 रुपये से अधिक की सम्पत्ति की बिक्री के लिये दस्तावेज का पंजीकरण कराने के पूर्व, धारा 230-क के अन्तर्गत, बेबाकी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है t

(iv) आयकर अधिनियम की धारा 221 के अन्तगत चूक करने वाले करदाता पर 100 प्रतिशत तक दंड लगाना।

(v) आयकर अधिनियम में एक स्वयं पूर्ण वसूली संहिता का समाविष्ट किया जाना, जिनके अंतर्गत नीचे दिये गये किसी एक या एक से अधिक तरीकों द्वारा बकाया कर की वसूली की जा सकती है :—

(क) कर-निर्धारिती की चल-सम्पत्ति का अधिग्रहण और उसकी बिक्री;

(ख) कर-निर्धारिती की अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा उसकी बिक्री;

(ग) कर-निर्धारिती की चल तथा अचल सम्पत्ति के प्रबंध के लिये रिसीवर की नियुक्ति;

(घ) चूककर्ता को गिरफ्तार करना तथा दीवानी जेल की हिरासत में रखना;

(vi) विलम्ब से की जाने वाली अदायगियों के निमित 1 अक्तूबर, 1967 से ब्याज की दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है।

कार्यकारी उपाय :

(i) आयात-लाइसंसों/कोटा प्रमाण पत्रों/ निविदाओं आदि के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों से आयकर सत्यापन/आयकर बेबाकी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना।

(ii) जिन मामलों में विभाग द्वारा वसूली के प्रयास सफल नहीं हुए हैं, उन में, वसूली की कार्यवाही में सूचना देने अथवा अन्य प्रकार की सहायता पहुँचाने वाले मुखबिरों को पुरस्कार प्रदान करना।

आसाम, त्रिपुरा और मनीपुर से तथा वहां को दैनिक, इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों की उड़ानों का रद्द किया जाना

2673. श्री रोबिन ककोटी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों में आसाम-त्रिपुरा और मनीपुर को तथा वहां से इण्डियन एयरलाइन्स की दैनिक उड़ानों को प्रायः रद्द किया जाता था जिससे यात्रा करने वाले लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की डाक सेवाओं में विलम्ब होता था;

(ख) यदि हां, तो पूर्वी क्षेत्र में विमान सेवाओं में ऐसे प्रायः विघ्न पड़ने के क्या कारण हैं; और

(ग) पूर्वी क्षेत्र में विमान सेवाओं को नियमित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) खराब मौसम, इंजीनियरी त्रुटियों, और परिचालन सम्बन्धी कारणों से कुछ उड़ानें रद्द की गई हैं ।

(ग) कारपोरेशन द्वारा अपनी सेवाओं को नियमित रूप से परिचालित करने का यथा-संभव हर प्रयत्न किया जा रहा है।

त्रिवेन्द्रम् स्थित सैनिक स्कूल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन

2674. श्री रामचन्द्रन काडनापल्ली :
श्री बयालार रवि :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम स्थित काजाकूटम सैनिक स्कूल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बिना किराये के क्वार्टरों का आवंटन किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सैनिक स्कूल चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यूनियन काजाकूटम से एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निशुल्क आवास दिये जाने की प्रार्थना की गई थी ।

(ख) निधि की कमी के कारण उनकी माँग को स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ है ।

केरल में नारियल जटा के निर्यातकों के कार्यालयों की तलाशी

2675. श्री रामचन्द्रन काडनापल्ली : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन के सीमाशुल्क अधिकारियों ने केरल के नारियल जटा के कतिपय निर्यातकों के कार्यालयों और निवास स्थानों की तलाशी ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) सामान्यतया 'स्विच ट्रेड' के नाम से विदित कुछ निर्यातकर्ताओं की सहापराधिता को व्यक्त करने वाले दस्तावेज पकड़े गये थे। सीमाशुल्क अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किये जाने के कारण सीमाशुल्क समाहर्ता, कोचीन द्वारा पार्टियों के विरुद्ध इस्तगासे की कार्यवाही की गई है।

कम्पनियों के कर्मचारी

2676. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी 1969, 1970 और 1971 को वर्ष वार अलग अलग कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची छ: के भाग दो की मद चार के अनुसार भारत में कम्पनियों की कर्मचारी सूचियों के अनुसार उनमें कितने कर्मचारी थे;

(ख) उक्त तिथियों में उनमें से कितने कर्मचारी भारतीय थे तथा कितने गैर-भारतीय थे; और

(ग) प्रत्येक वर्ग में कितने कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रतिमास से अधिक वेतन दिया जा रहा था ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कम्पनी अधिनियम के पूर्व विद्यमान उपबन्धों के अन्तर्गत अनुसूचि छ: के भाग 2 की मद चार के अनुसार कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों की संख्या की बाबत सूचना का उल्लेख करना अपेक्षित नहीं है।

(ख) तथा (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखकर भाग (ख) तथा (ग) को कोई सूचना देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

आंध्र प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापे

2677. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में आन्ध्र प्रदेश के किसी संसद सदस्य के निवास और उनके बैंक लाकरों पर छापा मारा था;

(ख) क्या इस छापे में कुछ छिपा धन भी बरामद किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) प्रवर्त्तन निदेशालय ने किसी संसद सदस्य के मामले में कोई तलाशी नहीं ली, लेकिन, आयकर प्राधिकारियों द्वारा सितम्बर 1971 में दो संसद सदस्यों के मामले में तलाशियाँ ली गई थीं।

(ख) एक संसद सदस्य के यहाँ से जहां उनके पुत्र तथा उनका परिवार रहता था, नकदी पाई गई और आयकर अधिनियम की धारा 132(1) के अधीन नकदी पकड़ ली गई क्योंकि यह प्रथम दृष्टया लेखा-बाह्य धन लगा।

(ग) आयकर अधिकारी को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132(1) के अधीन पकड़ी गई नकदी के बारे में, निर्धारिती को अपना स्पष्टीकरण तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के बाद, तलाशी के 90 दिनों के अन्दर धारा 132(5) के अधीन आदेश पारित करना होता है। धारा 132(5) के अधीन जांच-पड़ताल जारी है। यह न्यायिक-कल्प जाँच है और आयकर अधिकारी द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, आदेश पारित किये जाएंगे।

आयकर अधिकारियों द्वारा आन्ध्र प्रदेश में छापे

2678. श्री गंधाधर साहा :
श्री बाल तन्डायुतम :
श्री एन० ई० होरो :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने सितम्बर, 1971 के तीसरे सप्ताह में आन्ध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, हैदराबाद, गुन्टूर जिलों में छापे मारे थे तथा तलाशियां ली थी;

(ख) यदि हाँ, तो इन छापों के दौरान जिन मामलों का पता लगा है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अनेक संसद सदस्यों के घरों पर भी छापे मारे गये थे; और

(घ) यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हाँ। सितम्बर 1971 के दूसरे और तीसरे सप्ताहों के दौरान 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 132 के अधीन तलाशियाँ ली गई।

(ख) सितम्बर 1971 में जिन व्यक्तियों के यहां तलाशी ली गई उनके नाम सदन की मेज पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं।

(ग) केवल दो संसद सदस्यों के व्यापारिक और रिहायशी स्थानों की तलाशी ली गयी।

(घ) अभी भी जांच-पड़ताल चल रही है। जिन मामलों में आवश्यक समझा जाएगा, केवल उनमें ही कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

विवरण

सितम्बर 1971 के महीने में आन्ध्र प्रदेश में जिन पार्टियों के स्थानों की तलाशी ली गई उनके नाम

1 मैसर्स श्री राजा राजेश्वरी रौ एन्ड बौयल्ड राइस मिल कन्ट्रैक्टर्स कं०, गुडीवाडा।
2 श्री तुम्माला रामब्रह्म, गुडीवाडा।

3 श्री चलासानी बेंकट सत्यनारायण राव ।
4 श्री आर्दुसुमिल्ली सुब्बा राव, गुडीवाडा ।
5 गुडीवाडा गुण्टुपल्ली लक्ष्मीनारायण, गुडीवाडा ।
6 अकीवेदी-मैसर्स रामेरला रगन्नाथा राव तथा अन्य ।
7 मैसर्स धीरा लक्ष्मी राइस मिल ।
8 श्री के० धर्म राव, अध्यक्ष, डब्ल्यू०सी० राइस मिलर्स एसोसिएशन ।
9 श्री के० धर्म राव, मेल्लामिल्ली ।
10 मैसर्स भूपति राजू रामचन्द्र राजू, पालाकसेल ।
11 श्री सत्य नारायण राजू मिल्स, पालाकोल ।
12 भूपति राजू रामचन्द्र राजू, जिन्नूर ।
13 वाडियावाणी पलेम वेजेसीना सोमाराजू ।
14 मैसर्स श्री सत्यनारायण राइस मिल कान्ट्रैक्टर्स और मैसर्स पेनूमत्सा सुरापा राजू रामचन्द्र राजू, पालाकोल ।
15 मैसर्स गणेश राइस मिल्स, ताडेपल्लीगुडेम ।
16 कोरलेपाड़ा कोटेश्वर राव, पिप्पाड़ा ।
17 तुम्मलापल्ली वीरनहृद्र राव, ताडेपल्लीगुडेम ।
18 दि कृष्ण डिस्ट्रिक्ट राइस एन्ड आयल मिलर्स एसोसिएशन, विजयवाड़ा ।
19 दि आन्ध्र प्रदेश स्टेट राइस मिलर्स एसोसिएशन, विजयवाड़ा ।
20 श्री आदुसुमिल्ली सुब्बा राव, विजयवाड़ा ।
21 मैसर्स कृष्ण राइस एन्ड ग्राउंडनट आयल मिल्स ।
22 मैसर्स कोंडापल्ली ब्रह्मामामडा रेड्डी ।
23 वी० वेक्टेश्वरलू सन्स एन्ड कं० गुडीवाडा ।
24 मैसर्स श्री राम राइस एन्ड ग्राउण्डनट आयल मिल्स कान्ट्रेक्टर्स कं० गुडीवाड़ा ।
25 श्री कोडुरी रंगा राव, मंडापान्डू ।
26 कोडुरी रंगा राव, काडुरू ।
27 कोडुरी रंगा राव, गुडीवाडा।
28 पिन्नामामेनी वेंक्ट कुटुम्बा राव, गुडीवाडा ।
29 मैसर्स रूकमणि कृष्णा बायल्ड राइस एन्ड आयल मिल्स, विजयवाड़ा ।
30 स्वीर्गीय श्री अतलूरी वेक्टरय्या का कानूनी प्रतिनिधि ।
31 श्री के० सत्यनारायण मूर्ति, विजयवाड़ा ।
32 श्री टी० रामचन्द्र राव, विजयवाड़ा ।
33 श्री के०एल०एन० प्रसाद ।
34 श्री मड्डी सुन्दरसम् और उनके लड़कों तथा उनके परिवार वालों का कोठापेट, गुण्टूर में रिहायशी स्थान ।

(अंत में उल्लिखित स्थान पर 2,81,003 रु० के करेंसी नोट पाये गये और पकड़ लिये गये । इसके अतिरिक्त 13 अमरीकी डालर और 501 इटालियन लीरा भी पाये गये तथा पकड़ लिये गये)

अक्तूबर, 1971 में उर्वरकों के विषय में हुई गोष्ठी

2679. श्री पी० गंगादेव :
श्री पी एम० मेहता :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा आयोजित तीन दिन की उर्वरकों सम्बन्धी अन्तर्क्षेत्रीय गोष्ठी 13 अक्तूबर, 1971 को नई दिल्ली में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां । संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा आयोजित द्वितीय अन्तर-क्षेत्रीय उर्वरक गोष्ठी का निष्कर्ष अधिवेशन 11 से 13 अक्तूबर, 1971 तक हुआ था ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन से गोष्ठी की रिपोर्ट की अभी प्रतिक्षा की जा रही है । किन्तु इसमें किये गये विचार-विमर्शों के मुख्य निष्कर्षों एवं सिफारिशों का एक विवरण पत्र सभा-पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(1) निम्न ब्याज दर पर ऋणों आदि जैसी आवश्यक अतिरिक्त सुविधाओं के प्रदान से उर्वरक प्रायोजनाओं का विकास एवं प्रबन्ध करने के लिए विश्व बैंक, आई० डी० ए० आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को सरकारों की सहायता करनी चाहिए ।

(2) एक दूसरे के राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आसानी से पाये जाने वाले कच्चे माल के आदान-प्रदान एवं निवेशों की परस्परता स्थापित की जानी चाहिए ।

(3) उर्वरक की लागतों को उचित रूप में कम करने के लिए प्रत्येक देश को अपने समस्त राष्ट्रीय हितों एवं मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए, कच्चे माल के प्रश्न का समावेश करना होगा ।

(4) लागत में कमी करने के लिए उर्वरकों के अधिक प्रेषण एवं संग्रह, तरल मिश्र उपक्रम तथा प्रयोग; अमोनिया का प्रत्यक्ष उपयोग; नाइट्रो-फासफेट आदि के उत्पादन हेतु विकासशील देशों में प्राद्योगिक योजनाएं प्रवर्तित करनी चाहिए ।

(5) सन्यत्रों के मानकीकरण एवं परिभाषा की लाभ प्रदत्ता तथा क्षमता के उपयोग की समस्याओं के बारे में मार्ग-दर्शन की व्यवस्था के लिए, यू० एन० आई० डी० ओ०, ई० सी० ए० इकाके जैसी एजेन्सियों को अध्ययन करना चाहिए ।

(6) विकासशील देशों की सरकारों को अपने पास उपलब्ध पद्धतियों की पुनः व्यवस्था द्वारा विपणन विकास एवं प्रोत्साहन के प्रश्नों को सुलझाना चाहिए ।

(7) प्रशिक्षण एवं अन्वेषण विकास के सम्बन्ध में, विकासशील देशों को भारतीय अनुभव द्वारा स्थापित मानक का अनुकरण करना चाहिए ।

(8) विकासशील देशों में उर्वरक उद्योग का अधिक शीघ्र विकास करने के लिए रूपांकित नीतियों को तैयार करने और उनको अपनी-अपनी अर्थ-व्यवस्था के अनुकूल बनाने हेतु, यू० एन० आई० डी० ओ०, आई० बी० आर० डी० तथा एफ० ए० ओ० को निकटतर सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

(9) वातावरण पर रसायन उर्वरकों के निर्माण, वितरण एवं प्रयोग के प्रभाव तथा उससे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण करने हेतु, यू० एन० आई० डी० ओ० द्वारा यू० एन० डी० पी० फाइनानिसंग के लिए पेश की गई विश्व प्रायोजना का सक्रिय रूप से अनुसरण करना चाहिए।

(10) विश्व बैंक उर्वरक सन्यन्त्रों के लिए अतिरिक्त पुर्जों के आयात की वित्त व्यवस्था करता है तथा उक्त उद्योग सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अतिरिक्त पुर्जों की यथा-समय उपलब्धि को सुनिश्चित करता है।

(11) यू० एन० आई० डी० ओ० को इकाके, ई० सी० ए०, ई० सी० एल० ए० तथा यू० एन० ई० एस० ओ० बी० के सहयोग से देशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना में प्रारम्भिक कार्यवाही करनी चाहिए।

(12) विकासशील देशों को कृषि की फसलों के लिए एक उचित ढंग से रूपांकित गारंटी-कृत मूल्य सहायता तथा उपलब्धि-नीति के कार्यन्वयन पर विचार करना चाहिए।

उपर्युक्त निष्कर्ष एवं सिफारिशें स्थूल रूप में सरकार की नीतियों के अनुरूप है।

पर्वतीय स्थलों पर परिवहन सुविधायें

2680. श्री राम सहाय पांडे : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे पर्वतीय स्थलों में जो कि देश में पर्यटकों के मुख्य केन्द्र हैं विदेशी पर्यटकों के लिए परिवहन सुविधाएं संतोषजनक नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये देश के पर्यटन केन्द्रों में वातानुकूलित बसों और कारों जैसे अधिक कुशल और आधुनिक परिवहन की व्यवस्था करने पर विचार किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। यद्यपि कोई नियमित सर्वेक्षण नहीं किया गया है, तथापि पर्यटन विभाग पर्यटन अभिरुचि के विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध परिवहन सुविधाओं को अनुपूरित करने का प्रयत्न करता है। इस दशा में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राप्त की गयी बहुत सी कारें मान्यता-प्राप्त परिवहन परिचालकों को आरक्षित (रिजर्वड) मूल्यों पर आवंटित की जाती है।

(ii) मीटर-रहित पर्यटक टैक्सियों के रूप में प्रयोग के लिये पर्यटन व्यवसाय को आवंटन करने के लिये पर्यटन विभाग को प्रति तिमाही 30 अम्बेसडर कारों का एक विशेष

कोटा दिया गया है। यह कोटा राज्य सरकारों को उपलब्ध कराये गये टैक्सी कोटे के अतिरिक्त है।

(iii) पर्यटन परिवहन परिचालकों को कम ब्याज की दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है।

(iv) जब तक देसी उपस्कर का निर्माण नहीं होता, पर्यटन व्यवसाय को विभाग द्वारा पर्यटक कोचों के लिए वातानुकूलित उपस्कर आयात करने के लिये सहायता दी जा रही है।

(v) 12 राज्य सरकारों को केवल-मात्र पर्यटन की अभिवृद्धि के उद्देश्य से वाहन दिये गये हैं। उनके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार को कुल्लू-मनाली क्षेत्र का भ्रमण करने वाले पर्यटकों के प्रयोग के लिये दो मिनी-बसें आवंटित की गयी हैं।

2. भारत पर्यटन विकास निगम 71 आयातित कारों, 44 अम्बेसडर कारों, 21 बड़े कोचों (2 वातानुकूलित कोचों सहित) तथा 8 मिनी बसों के बेड़े से 16 केन्द्रों पर पर्यटन यूनिटों का परिचालन कर रहा है, जिनमें दो पहाड़ी स्टेशन भी सम्मिलित हैं।

मूल्य-आय और वेतन संबंधी नीति

2681. श्री राम कंवर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मूल्य-आय-वेतन नीति निर्धारित करने की व्यवहारता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) सरकार समय समय पर आय, मजदूरी तथा वस्तुओं के मूल्यों के बारे में एक समुचित नीति निर्धारित करने के उपायों पर विचार करती रही है। नीति सम्बन्धी ब्यौरा तभी दिया जा सकता है जब इस सम्बन्ध में विशिष्ट निर्णय कर लिये जायें।

राजधानी में लोकप्रिय औषधियों की कमी

2682. डा० रानेन सेन :

श्री पी० वेंकटा सुब्बया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ सप्ताहों से राजधानी में लोक प्रिय नामों की औषधियों तथा 'ब्रोडस्क्वेट्रस एन्टीवायोटिक्स' आई ड्राप्स और विटामिन की गोलियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) दिल्ली तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में अचानक नेत्रश्लेष्माफैल जाने के कारण सितम्बर, 1971 में आप्थोमिल्क औष-

धियों तथा एन्टीवायोटिक दवाइयों सहित कई लोकप्रिय स्वास्थय औषधियों की कुछ कमी हो जाने की रिपोर्ट मिली थी। तात्कालिक सप्लाई द्वारा परिस्थिति का सामना किया गया था।

सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों द्वारा अपने मूल संवर्गों में वापस आने की इच्छा व्यक्त करना

2683. श्री पी० गंगा देव :
श्री पी० एम० मेहता :
श्री राजा कुलकर्णी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के ऊंचे पदों पर आसीन बहुत से प्रबन्धकों द्वारा अपनी मूल पदालियों में वापस आने की इच्छा व्यक्त करने से गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने यह इच्छा व्यक्त की है; और

(ग) सरकार का यह संकट दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गये निर्णय में जैसी अपेक्षा की गई थी उसके अनुसार, उद्यमों में प्रतिनियुक्त कुछ अधिकारियों द्वारा अपने मूल सरकारी संवर्गों में वापस लौटने का विकल्प स्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप अपने मूल पद पर वापस लौट जाने से सरकारी क्षेत्र में कोई संकट उत्पन्न नहीं हुआ है। कई मामलों में प्रतिनियुक्त अधिकारियों ने उन्हीं उद्यमों में रह जाना पसंद किया है जहां वे सेवा कर रहे थे। उपलब्ध सूचना के अनुसार यह अनुमान है कि 300 प्रतिनियुक्त अधिकारियों में से, जिन्हें अपना विकल्प देना था, अब तक 50 प्रतिशत से कम अधिकारी सरकारी संवर्गों में लौटे हैं; जहाँ कहीं भी प्रतिनियुक्त अधिकारियों ने सरकारी संवर्ग में वापस लौटने का विकल्प किया है वहां प्रक्रिया के अनुसार उनके उत्तराधिकारी नियुक्त किये जा चुके हैं या उनकी नियुक्ति के लिए कार्रवाई की जा रही है। इन रिक्त पदों में से कुछ पदों के लिए सरकारी उद्यम क्षेत्र में से ही उत्तराधिकारियों का चुनाव करना सम्भव हो गया है।

एकाधिकार वाले उद्योगों द्वारा साबुन का उत्पादन

2684. डा० रानेन सेन : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एकाधिकार वाले उद्योगों के नाम क्या है जिनका एक ही कारखाना है और जो देश में साबुन बनाते हैं; और

(ख) देश में बने और आयात शुल्क सहित आयातित साबुन के मूल्यों में क्या अन्तर है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीरसिंह) : (क) 1968, 1969 और 1970 के वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र के कुल उत्पादन की तुलना में साबुन उत्पादन के क्षेत्र में तीन बड़ी-बड़ी फर्मों का उत्पादन निम्न प्रकार है :-

(मात्रा मीटरी टनों में)

वर्ष	संगठित क्षेत्र में साबुन का कुल उत्पादन	साबुन के तीन बड़े-बड़े कारखानों का उत्पादन	कुल उत्पादन में फर्मों का हिस्सा
1	2	3	4
1968	2,16,494	हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई 1,21,723	56·3 प्रतिशत
		टाटा आयल मिल्लस कं० लि०, बम्बई 55,811	26·0 प्रतिशत
		कुसुम प्राडक्ट्स, लि०, कलकत्ता 7,735	3·5 प्रतिशत
1969	2,37,539	हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई 1,25,254	52·7 प्रतिशत
		टाटा आयल मिल्स कं० लि०, बम्बई 69,130	29·1 प्रतिशत
		कुसुम प्राडक्ट्स लि०, कलकत्ता 6,415	2·7 प्रतिशत
1970	2,32,400	हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई 1,15,225	49·6 प्रतिशत
		टाटा आयल मिल्स, कं०, लि०, बम्बई 67,957	29·2 प्रतिशत
		कुसुम प्राडक्ट्स लि०, कलकत्ता 6,088	2·6 प्रतिशत

संगठित क्षेत्र के उत्पादन के अतिरिक्त, संगठित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र के उत्पादन का अनुमान प्रतिवर्ष 3·5/4 लाख मीटरी टन साबुन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि साबुन के आयात की अनुमति नहीं है ।

अमरीका द्वारा विदेशी सहायता बन्द करने के निर्णय का बंगला देश के शरणार्थियों पर प्रभाव

2685. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :**
डा० संकटा प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सभी प्रकार की विदेशी सहायता बंद कर देने के हाल के अमरीकी निर्णय से भारत में बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये सहायता मिलनी बंद हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो इस समय तक भारत सरकार को अमरीकी सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जा रही हैं; और

(ग) सहायता कब से बंद हो जायेगी और क्या वह कमी पूरी करने के लिए किसी अन्य देश ने प्रस्ताव किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका ने, विदेशी सहायता बन्द कर देने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। 1972 के वित्तीय वर्ष (जुलाई 1971 से जून 1972 तक) के लिए अमरीकी विदेशी सहायता विधेयक अभी अमेरिका कांग्रेस के विचाराधीन है और इस संबंध में अन्तिम निर्णय का पता कुछ समय बाद ही लगेगा किन्तु शरणार्थियों की सहायता के लिये 25 करोड़ डालर की व्यवस्था पर अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने, भारत में बंगला देश के शरणार्थियों के लिए अब तक कुल 8916 लाख डालर की सहायता के वचन दिये हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) में स्पष्ट की गई स्थिति को देखते हुए यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उद्योगों में रोजगार के कम होते जा रहे अवसर

2686. श्री वीरेन दत्त : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अगस्त में प्रकाशित भारतीय कारखानों में रोजगार संबंधी रिजर्व बैंक बुलेटिन रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि 1951 से आयुध कारखानों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या में कमी होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) रिजर्व बैंक की अगस्त, 1971 की बुलेटिन रिपोर्ट से सरकार अवगत है। 1951 की तुलना में आयुध कारखानों की रोजगार शक्ति दुगने से अधिक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फ्रांस के साथ मिराज विमानों के लिए बातचीत

2687. श्री सी० चित्ति बाबू :
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :
श्री श्यामनन्दन मिश्र :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत मिराज विमानों के लिए फ्रांस से बातचीत कर रहा है; और

(ख) क्या सरकार ने यह विमान भारत में बनाने के लिए सहयोग की संभावनाओं का भी पता लगाया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). फ्रांसीसी आर्थिक मिशन जिसने हाल ही में देश का दौरा किया उससे बातचीत का क्षेत्र काफी विस्तृत था तथा इसके अन्तर्गत दोनों देशों के बीच विमानकीय उद्योग से संबंधित सहयोग के विषय पर विचारों का आदान प्रदान भी हुआ।

पाकिस्तानी 'मुजाहिदों' रजाकारों द्वारा आत्म-समर्पण

2688. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री निहार लास्कर :
श्री धनशाह प्रधान :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में बहुत से पाकिस्तानी मुजाहिदों/रजाकारों ने हाल ही में भारतीय सेना प्राधिकारियों के समक्ष आत्म-समर्पण कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) क्या इन मुजाहिदों को पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा तोड़-फोड़ और जासूसी करने के लिए जानबूझकर भेजा और माध्यम बताया जाता है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) और (ख) . लगभग 900 पाकिस्तानी रजाकारों ने पूर्वी सीमाओं पर आत्म-समर्पण किया है।

(ग) इनमें से कुछ को तोड-फोड़ के कार्यों के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों ने जानबूझ कर भेजा था कुछ अनैच्छिक रंग रूट प्रतीत होते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में आयकर विभाग के छापे

2689. **श्री के सूर्यनरायण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के अधिकारियों ने गत सितम्बर में, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों के कुछ प्रमुख व्यापारियों के व्यापारिक संस्थानों और घरों पर छापे मारे;

(ख) यदि हां, तो उन व्यापारियों के नाम क्या हैं और वहां से कितना छिपा धन पकड़ा गया; और

(ग) सरकार का इन व्यक्तियों के विरुद्ध इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण-पत्र संलग्न है [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1222/71]

(ग) जांच-पड़ताल चल रही है। जहां भी आवश्यक होगा, कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

पाकिस्तान द्वारा पुनः कब्जे में ली गई सीमा चौकी

2690. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्गिल के निकट एक अग्रिम सीमा चौकी, जो पाकिस्तान द्वारा 1965 के युद्ध के बाद खाली कर दी गई थी और जिस पर भारत पुनः कब्जा कर सकता था, अब तक खाली पड़ी रही और इस पर हाल ही में पाकिस्तान ने ताशकंद समझौते का उल्लंघन करके पुनः कब्जा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान से यह चौकी खाली कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) तथा (ख). ऐसी किसी सीमा चौकी पर पाकिस्तान के द्वारा पुनः कब्जा करने की सरकार के पास कोई सूचना नहीं है, जिसे उसने 1965 के भारत पाक के संघर्ष के उपरान्त खाली कर दिया था।

गौआ शिपयार्ड, सम्भाजी में हड़ताल

2691. श्री सी० वेंकटासुब्बया : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ शिपयार्ड, सम्भाजी (वास्को) में जो कि एक सरकारी उपक्रम है 35 दिन पुरानी हड़ताल समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के क्या कारण थे; और

(ग) हड़ताल के दौरान हुई हानि को दृष्टि में रखते हुए गोआ शिपयार्ड के कार्य को भली भांति सुनिश्चित कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) गोआ शिपयार्ड लिमिटेड के कर्मचारी अपने वेतन परिशोधन तथा बोनस भुगतान के संबंध में गैर कानूनी हड़ताल पर 15—9—71 से चले गए थे। कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के मध्य हुए फैसले के अनुसार जो 31—8—1972 तक प्रभावी है। इन मांगों को उसका उल्लंघन करते हुए प्रस्तुत किया गया था। तथापि औद्योगिक सम्बन्धों को सौहार्द पूर्ण बनाये रखने के लिए प्रबन्धकों ने हड़ताल प्रारम्भ होने से पूर्व कर्मचारियों की अनेक मांगों को मान लिया था जिससे लगभग 2.25 लाख रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय होना था। इसके साथ प्रबन्धकों ने 1 अप्रैल 1972 से तदर्थ वेतन वृद्धि को भी विचार करने के लिए पेशकश की। इसे भी तथापि संघ के द्वारा ना मन्जूर कर दिया गया था। जहाँ तक बोनस का प्रश्न है कर्मचारियों में 20% प्रोफिट शेयरिंग बोनस की मांग को जबकि बोनस अधिनियम की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत 1970-71 के लिए केवल 4% का

हक था । प्रबन्धकों ने तदर्थ आधार पर 8.6% प्रौफिट शेयरिंग की अदायगी पर विचार करने की पेशकश की । कर्मचारियों ने प्रबन्धकों की इस पेशकश को तथापि स्वीकार नहीं किया तथा 15-9-1971 से हड़ताल पर चले गये ।

22 सितम्बर, 1971 को लेखा सरकार ने हड़ताल को और चालू रखने के लिए निषेधात्मक आदेश जारी किया तथा साथ में ही मामले को न्याय निर्णय के लिए औद्योगिक ट्रिबुनल गोवा को मामला भेज दिया । फिर भी कर्मचारी अपनी गैर कानूनी हड़ताल चालू रखे रहे । हड़ताल की अवधि में अधिकारियों तथा प्रबन्धकों ने बड़े धैर्य तथा संयम से काम लिया यद्यपि कुछ हड़ताली कर्मचारियों ने निन्दनीय कार्य किये । हड़ताल अन्त में 21 अक्तूबर 1971 को समाप्त कर दी गई । विवाद अब औद्योगिक ट्रिबूनल के न्याय निर्णयाधीन है ।

कृषक पुनर्वित्त निगम द्वारा स्वीकृत योजनायें

2692. श्री पी० गंगादेव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या कृषक पुनर्वित्त निगम ने जून, 1971 में समाप्त हुए वर्ष में 62.15 करोड़ रुपये की 100 योजनायें स्वीकृत की हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी रूपरेखा क्या हैं; और

(ग) इन से क्या-क्या सफलतायें मिलीं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) निगम ने जिन कामों के लिए इन योजनाओं को मन्जूर किया है वे ये हैं (1) लघु सिंचाई (55), (2) भूमि विकास (9), (3) बागान और बागवानी (26), (4) मुर्गीपालन (2), (5) डेरी (3), (6) गोदाम (2), (7) मत्स्य पालन (2), और (8) फार्मों का यन्त्रीकरण (1)
(ग) ये योजनाएं केवल जून 1971 में समाप्त होने वाले वर्ष में मंजूर की गई हैं ।

इन्हें नियत समय में विभिन्न चरणों में क्रियान्वित किया जाता है । जबकि इनमें से कुछ क्रियान्वयन के प्रारम्भिक चरण में हैं अन्य योजनाओं का प्रस्तावित विकास केवल चालू वर्ष से शुरू होगा । इसलिए वास्तविक सफलता की जानकारी के लिए कृषि विकास पर इनके वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन करना समय पूर्व होगा ।

Financial Assistance for Loss Due to Floods in Gwalior

2693. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have since received any detailed information from the Government of Madhya Pradesh regarding the total loss suffered by the Central Government, State Government and private sector as a result of the recent floods in Gwalior Division during the months of July and August; 1971;

(b) the amount demanded by the State Government for relief to the flood affected areas; and

(c) the amount provided by the Central Government to the State Government ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) & (c) : Do not arise.

औषधियों का उत्पादन

2694. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में अधिकांश आवश्यक औषधियों की देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए योजनाएं तैयार पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ गैर सरकारी क्षेत्र के कारखानों ने वर्षों की खोज और अनुसंधान के बाद विदेशों में विकसित आधुनिकतम तौर तरीकों का प्रयोग करके नये उत्पाद आरम्भ कर दिए हैं;

(ग) क्या औद्योगिक लाइसेंस नीति को उदार बनाया गया है जिससे ये उद्योग शीघ्र उत्पादन शुरू कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो वस्तुस्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) गैर-सरकारी क्षेत्र से उत्पादन के विस्तार अथवा नई आवश्यक औषधियों के उत्पादन के लिए समय-समय पर योजना प्राप्त हुई हैं। सरकारी क्षेत्र में औषधि एवं भेषजिक उद्योग की वर्तमान वर्षों में स्थापना हुई थी और सरकार आवश्यक औषधियों के उत्पादन में अपनी गतिविधियों के विस्तार पर सक्रिय रूप से विस्तार कर रही है।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के यूनिट, अपने वर्तमान सहयोगियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित नये उत्पादकों का सामान्य रूप से निर्माण कर रहे हैं। देश की आवश्यकताओं तथा अपनाई जाने वाली प्रस्तावित प्रौद्योगिकियों के गुणावगुणों की उचित जांच के पश्चात् उनकी योजनाओं को स्वीकृति दी जाती है।

(ग) और (घ) फरवरी, 1970 में सरकार की लाइसेंस नीति में की गई उदारता का औषधि एवं भेषजिक उद्योग भी लाभ उठा सकता है।

मकान किराया भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव

2695. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान मकान किराया भत्ते की प्रतिशतता को एक निश्चित राशि में परिवर्तित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

तकनीकी सहायता कार्यक्रम में उच्चतर प्रशिक्षण

2696. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इस वर्ष कुछ भारतीय विदेशों में गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की जिसके अन्तर्गत वे विदेश गये हैं; मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अधिकारियों को विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय तकनीकी सहायता कार्यक्रमों जैसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, कोलम्बो आयोजना, भारत, फ्रांस-तकनीकी सहयोग कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजा जाता है।

अधिकारियों को विदेश में भेजने का प्रयोजन 'जानकारी-निर्माण' है ताकि अत्यावश्यक क्षेत्रों में, प्रतिभाशाली व्यक्तियों के आधुनिक जनशक्ति संवर्ग तैयार किये जा सकें। अतः विदेशों में प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का उपयोग तभी किया जाता जब ये सुविधायें देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यावश्यक हो तथा ऐसी आवश्यक सुविधायें देश में उपलब्ध न हों।

अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा तथा विदेशों में प्रशिक्षण सम्बन्धी खर्च की व्यवस्था सहायता देने वाला अभिकरण करता है। सरकार, केवल 'स्थानीय खर्च' अर्थात् प्रशिक्षण अवधि का वेतन, जहाज में बैठने की बन्दरगाह तक के यात्रा-व्यय आदि की व्यवस्था करती है जिसका भुगतान भारतीय रुपयों में किया जाता है।

विदेश भेजे जाने वाले प्रत्याशियों का चुनाव करने के लिए जो मापदण्ड अपनाए जाते हैं उनमें से ये मुख्य हैं :-

(1) प्रत्याशी के पास शिक्षा एवं तकनीकी विषयक बुनियादी योग्यताएं हों तथा उसे प्रशिक्षण के प्रस्तावित क्षेत्र में पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो।

(2) प्रत्याशी की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (विशिष्ट मामलों में आयु 48 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है)।

(3) प्रत्याशी पिछले तीन वर्षों से किसी भी तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए न गया हो।

सामान्यतः प्रशिक्षण की अवधि 9 महीने तक सीमित होती है।

Construction of Strategic Roads in Pak-occupied Kashmir by Pakistan Government

2700. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Pakistan has constructed a number of strategic roads in Pak-occupied Kashmir; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Jaggivan Ram) : (a) Yes,Sir

(b) Due note has been taken of these developments in making our defence arrangements.

ग्राडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड में विदेशियों के शेयर

2701. श्री शशि भूषण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिगरेट बनाने वाली ग्राडफ्रे फिलिप्स आफ-इण्डिया लिमिटेड नामक फर्म में विदेशियों के कितने प्रतिशत हिस्से हैं; और

(ख) ग्राडफ्रे फिलिप्स आफ इंडिया लिमिटेड के एकमात्र बिक्री एजेन्ट डी० मैंक्रोपोलो की पूंजी में विदेशियों के कितने प्रतिशत हिस्से हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) ग्राडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की सामान्य शेयर पूंजी में अनिवासियों की प्रतिशतता 92.84 प्रतिशत शेयर है। अधिमान्य शेयरों में विदेशियों के शेयरों की प्रतिशतता 1·4 है।

(ख) डी मैंक्रोपोलो की पूंजी में अनिवासियों के 22.14 प्रतिशत शेयर हैं।

मैंसर्स गाडफ्रे आफ इण्डिया लिमिटेड में डी० मैंक्रोपोलो का विलयन

2702. श्री शशि भूषण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० मैंक्रोपोलो को गाडफ्रे फिलिप्स आफ इण्डिया लिमिटेड के साथ विलय करने का आवेदन-पत्र विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) आवेदन-पत्र पर अभी विचार किया जा रहा है और यह कहना सम्भव नहीं है कि सरकार द्वारा किस समय निर्णय लिया जायगा।

युद्ध जोखिम बीमा योजना

2703. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री एच. के. एल. भगत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध जोखिम बीमे की व्यवस्था करने के लिए योजना को अन्तिम रूप देने के लिए राज्यों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक बैठक दिल्ली में 10 नवम्बर, 1971 को हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें कौन-कौन सी सिफारिशें की गई; और

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकार को ऐसी किसी बैठक की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

बड़े व्यापार ऋणों का बन्द किया जाना

2704. श्री कमल मिश्र मधुकर :
श्री राम अवतार शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 नवम्बर, 1971 के 'पेट्रियट' में 'आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का सरकार से बड़े औद्योगिक ऋणों को बंद करने का अनुरोध' शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने वादा बाजार बंद करने और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कि चीनी, कपड़ा और तेलों का भण्डार करने के लिए दिए गए बड़े-बड़े ऋणों को वापस लेने की भी माँग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि मुझ से 11 नवम्बर 1971 को मिले थे । ज्ञापन में उठाये गये मुद्दों पर सामान्य रूप से विचार किया गया था और विभिन्न मुद्दों पर सरकार के विचार उन्हें बता दिये गये थे ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस समय खाद्यान्नों, दालों, गुड़, खाद्य तेल और तिलहन जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के वायदे के सौदों पर पहले ही प्रतिबन्ध है । बहुत ही कम वस्तुओं के सम्बन्ध में भी, जिनका वायदे का सौदा हो सकता है, यह देखने के लिए कि ऐसे व्यापार को जारी रखने की कोई आवश्यकता है या नहीं नियमित रूप से वस्तुवार विश्लेषण किया जाता है ।

जहाँ तक चीनी, सूती वस्त्र और तेलों के स्टाक रखने के लिए ऋण देने का सम्बन्ध है ये भारतीय रिजर्व बैंक के चुने हुए ऋण नियंत्रण का अंग है । भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करता है और अपनी ऋण नीति में इस दृष्टि से सुधार करता रहता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पादन और वितरण के वास्तविक प्रयोजनों के लिए ऋण की आवश्यकताएं पूरी होती रहें, और साथ ही जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोका जा सके ।

तीसरे वेतन आयोग के लिए कार्यरत कर्मचारीगण

2705. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरे वेतन आयोग के कार्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों एवं अधिकारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से श्रेणीवार कितने व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर हैं; और

(ग) तीसरे वेतन आयोग पर अब तक कुल कितना व्यय हो चुका है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गयी है।

विवरण

29-11-71 को स्थिति

क्रम सं० (1)	नियमित पदों की श्रेणी (2)	वर्तमान स्थिति के अनुसार नियमित व्यक्तियों की संख्या (3)	प्रति नियुक्ति पर नियमित व्यक्तियों की संख्या (4)	खर्च की गई रकम 70-71 (5)	खर्च की गई रकम 71-72 (31-10-71 तक) (6)	जोड़ (7)
				(रुपये लाखों में)		
1.	सदस्य सचिव	1	1			
2.	संयुक्त सचिव	1	1			
3.	सलाहकार	1	कोई नहीं			
4.	निदेशक	2	2			
5.	उप-सचिव	4	4	+	++	
6.	विशेष कार्य अधिकारी	2	2	16.99	14.44	31.43
7.	अवर सचिव	4	4			
8.	अध्यक्ष का सचिव	1	1	+ (इसमें 0.92 लाख रुपये के खाता-नामे भी सम्मिलित हैं)		
9.	उप-निदेशक	1	1			
10.	वरिष्ठ विश्लेषक	2	2			
11.	वरिष्ठ गवेषण अधिकारी	5	5	++ (इसमें 1.44 लाख रुपये के खाता-नामे भी सम्मिलित हैं)		
12.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	1	1			
13.	गवेषण अधिकारी	4	4			
14.	प्रशासन तथा लेखा अधिकारी	1	1			
15.	अनुभाग अधिकारी	6	6			
16.	कनिष्ठ विश्लेषक	4	4			
17.	निजी सचिव (चुनाव ग्रेड)	5	5			
18.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (ग्रेड-1)	1	1			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	अधीक्षक	1	1			
20.	रिपोर्टर	6	6			
21.	सहायक	3	3			
22.	कनिष्ठ गवेषण सहायक	15	14			
23.	तकनीकी सहायक	34	34			
24.	लाइब्रेरियन	1	1			
25.	उच्च श्रेणी लिपिक	3	3			
26.	संगणक	13	13			
27.	आशुलिपिक ग्रेड-II	19	19			
28.	हिन्दी अनुवादक	1	1			
29.	प्रारूप-कार	1	1			
30.	अशुलिपिक-ग्रेड III	19	19			
31.	अवर श्रेणी लिपिक	17	17			
32.	गेसटेटनर आपरेटर	3	3			
33.	स्टाफ कार चालक	2	2			
34.	जमादार	4	4			
35.	दफ्तरी	2	2			
36.	चपरासी	19	2			
37.	फरास	2	—			
	जोड़	211	190	16.99	14.44	31.43

नोट :— इस में प्रतिदिन के पारिश्रमिक पर नियुक्त नैमित्तिक कर्मचारी (7 रुपये प्रतिदिन की दर से 18 दिहाड़ी दार क्लर्क तथा 4 रुपये प्रतिदिन की दर से 29 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी) सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि उनकी संख्या काम की वास्तविक जरूरत पर समय समय पर घटती बढ़ती रहती है ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए प्रबन्धक पूल

2706. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 वर्ष पुराना औद्योगिक प्रबन्धक पूल जो सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के सबसे ऊंचे और वरिष्ठ पदों के लिए प्रबन्धक अधिकारी उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई थी, उपयोग नहीं किया गया ;

(ख) क्या प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के बावजूद इस पूल को न तो नियमित सेवा में परिवर्तित किया गया है और न ही सरकारी क्षेत्र के विस्तार के अनुरूप इसका विस्तार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) यह कहना ठीक नहीं होगा कि औद्योगिक प्रबन्धक पूल में प्रगतिरोध है जैसा कि नीचे दी गई सारणी से पता चलता है :—

औद्योगिक प्रबन्धक पूल के अधिकारियों की स्थिति

	आरम्भिक स्थिति (1960)	इस तारीख तक स्थिति
पदक्रम I (2750 रुपये स्थिर)	—	3
पदक्रम II (2500 रुसये स्थिर)	2	13
पदक्रम III (2000-125-2250 रुपये)	3	25
पदक्रम IV (1600-100-2000 रुपये)	9	22
पदक्रम V (1300-60-1600 रुपये)	18	17
पदक्रम VI (1100-50-1400 रुपये)	26	8
पदक्रम VII (700-1500 रुपये)	39	
छोटे पदक्रम (400-700 रुपये)	2	
दूसरे विभिन्न प क्रमों में (पदक्रमों में आवंटन उपलब्ध नहीं है)	31	
जोड़	130	88

(कुल आंकड़ों में अंतर संवर्ग से त्यागपत्र देने तथा सामान्य सेवा निवृति के कारण है)

कुछ प्रमुख सरकारी उद्यम जैसे हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और बौकारो स्टील लिमिटेड के प्रधान अधिकारी पूल से लिये गये अधिकारी है।

(ख) शायद माननीय सदस्य प्राक्कलन समिति द्वारा अपनी नवीं रिपोर्ट (पहली लोक सभा 1953-54) तथा 52वीं रिपोर्ट (तीसरी लोक सभा 1963-64) में की गई उन सिफारिशों/दिये गये मन्तव्यों का उल्लेख कर रहे हैं, जिनमें समिति ने इस बात पर जोर दिया था कि सरकारी उद्यमों में नियुक्तियाँ करने के लिए पर्याप्त प्रबन्धकीय योग्यता वाले व्यक्तियों की उपलब्धि की सुनिश्चित व्यवस्था करना जरूरी है और इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया था कि एक केन्द्रीयकृत सेवा का गठन किया जाय और उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए जाए। 1957 में भारत सरकार ने औद्योगिक प्रबन्धकपूल का गठन किया था। यह केन्द्रीय सरकार की प्रथम श्रेणी की सेवा है। 1959 60 में पूल के विभिन्न वेतनमानों के पदों पर नियुक्तियां की गई थीं परन्तु आरम्भिक भरती के बाद पूल के लिए और आगे भरती नहीं की गई।

(ग) प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी क्षेत्र की उद्योगों सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में, सरकारी उद्यमों की कर्मचारियों विषयक नीति के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये है उनके औचित्य को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। प्रशासनिक सुधार आयोग का यह विचार था कि सम्पूर्ण सरकारी क्षेत्र के लिए प्रबन्ध सम्बन्धी और तकनीकी कर्मचारियों का सामान्य संवर्ग बनाया

जाना ना तो आवश्यक है और ना ही उचित । इस संदर्भ में औद्योगिक प्रबन्ध निकाय के पुन: दृढ़ीकरण के लिये इस समय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है किन्तु सरकार ने सरकारी उद्यमों के लिये योग्य प्रबन्धकों का पता लगाने के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित किया है। सरकारी उद्यम कार्यालय सरकारी उद्यमों के अधिकारियों, औद्योगिक प्रबन्धक पूल गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के और वाणिज्यिक प्रबन्धकों तथा सरकार के स्थायी असैनिक तथा रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों में से ऐसे उपयुक्त व्यक्तियों की एक नामिका (पेनल) तैयार करता है जिनमें उद्योग और वाणिज्य तथा प्रशासन के उन क्षेत्रों के प्रबन्ध करने की निश्चित योग्यता होती है । ये नामिकाएं मध्यम और शीर्षस्थ पदों के प्रबन्धकों के चुनाव के लिए प्रयोग में लाई जाती है ।

मैसर्स एण्ड्र्यू मूल एण्ड कम्पनी कलकत्ता द्वारा पटसन मिलों और अन्य स्थापनाओं का बेच दिया जाना

2707. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स एण्ड्र्यू मूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा पटसन मिलों और अन्य लाभदायक स्थापनों को चोरी छिपे बेचा जा रहा है;

(ख) क्या इसकी सूचना कर्मचारी संघ द्वारा सरकार को दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) कम्पनी के 31-12-70 तक के तुलन-पत्र से अन्य कम्पनियों में 4,92,260 रुपये के मूल्य के नियोजनों का निपटान प्रकट होता है सरकार को ज्ञात हुआ है कि कम्पनी अपनी मै० बज बज अमालागामेंटंड कं० लिमिटेड जिसके पास एक जूट मिल है, की हिस्सेधारित्व कुछ अन्य व्यापारिक गृहों को हस्तान्तरित कर रही है । मै० एण्ड्रयू मूल एण्ड कम्पनी लि० मै० बज बज अमालागामेंटंड कम्पनी लि० की भूतपूर्व प्रबन्ध अभिकर्त्ता थी । यह देखने के लिये विचार किया जा रहा है कि क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन हुआ है । बज बज अमालागामेंटंड कम्पनी लि० के अल्पमत हिस्सेधारियों से भेजा हुआ अभिप्रत एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ।

सरकारी उपक्रमों में ही अतर्लयन के बारे में 'सिविल' कर्मचारियों से विकल्प

2708. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में डेपुटैशन पर गये बहुत से 'सिविल' कर्मचारियों ने उन उपक्रमों में रहने का विकल्प देने से इन्कार कर दिया है जिनमें वह इस समय सेवा रत है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे 'सिविल' कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 'कर्मचारी सम्बन्धी नीति' बना रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकारी आदेशों के अनुसार औद्योगिक प्रबन्ध निकाय के कर्मचारियों को छोड़कर शेष स्थायी असैनिक सेवाओं से और रक्षा उत्पादन

उपक्रमों में नियुक्त कर्मचारियों को छोड़कर रक्षा सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को निश्चित अवधि के अन्दर अन्दर, जो दो से तीन वर्ष तक की होती हैं, यह विकल्प देना पड़ता है कि वे या तो उन उपक्रमों में स्थायी रूप से रहेंगे जिनमें वे नियुक्त हैं या अपने स्थायी संवर्गों में वापस चले जायेंगे। इस प्रकार, बहुत से मामलों में, यह विकल्प देने का अभी समय नहीं हुआ है किन्तु उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिनियुक्ति पर आने वाले बहुत से कर्मचारी अपने सरकारी संवर्गों में वापस जाने के बजाय, सरकारी उपक्रमों की सेवा के लिए विकल्प दे रहे हैं। इस तारीख तक, प्रतिनियुक्ति पर आये अनुमानतः जिन 300 कर्मचारियों को उक्त विकल्प देना था उनमें से अब तक लगभग 5) प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने स्थायी रूप से उपक्रमों की सेवा में रहने के विकल्प के बारे में ही निर्णय किये हैं।

(ग) सरकार का उद्देश्य यह है कि प्रबन्धकीय साधनाक के सम्बन्ध में सरकारी सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों पर उद्योगों की निर्भरता कम करने के उद्देश्य से ये आदेश जारी किये गये थे क्योंकि इससे उद्यमों को निस्सन्देह समरूप प्रबन्धकीय संवर्गों का विकास करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने उपयुक्त प्रबन्धकीय कार्मिकों की भरती करने और प्रशिक्षण कार्य परिवर्तन, जीवन-वृत्ति आयोजन आदि के माध्यम से उनका विकास करने के लिए भी मार्ग-दर्शक सिद्धाँत निर्धारित किये हैं और वह इस संबंध में उद्योगों को सहायता भी देती है। सरकारी उद्यमों की कर्मचारी विषयक नीतियों पर भी बराबर नजर रखी जाती है ताकि जब कभी उनमें कोई त्रुटि दिखायी पड़े तब उसे दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

इस वर्ष में अत्यधिक और निरन्तर होने वाली वर्षा के कारण

2709. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उत्तरी भागों तथा उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में, इस वर्ष मार्च, के आरम्भ से 18 अक्तूबर, तक लगभग निरन्तर होने वाली असाधारण वर्षा के कारणों की जांच के लिए अब तक कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि कोई जाँच नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन की मुख्य मुख्य बातें निम्नलिखित थी :—

(i) पिछले मौनसून मौसम के दौरान अत्यधिक एवं लगातार वर्षा अवनमन तथा निम्न दाब क्षेत्रों की एक लम्बी शृंखला के बंगाल की खाडी की ओर से देश के अन्दरूनी भागों की ओर सरकने तथा तत्पश्चात उसके गंगा के मैदान के ऊपर उत्तर पश्चिम की ओर चलने के कारण हुई।

(ii) इस प्रकार के 14 निम्न दाब क्षेत्र जून तथा मध्य अक्तूबर के बीच उत्तरी भारत

में पहुँचे और उनके कारण भारी वर्षा हुई तथा उत्तर भारतीय नदियों में बाढ़ आ गयी। अधिक होते हुए भी यह संख्या असाधारण नहीं है।

(iii) मार्च से मई तक के मौनसून-पूर्व महीनों के दौरान, कई निम्न दाब क्षेत्रों ने पश्चिम की ओर से उत्तर भारत में प्रवेश किया और उनके कारण ग्रीष्म ऋतु के दौरान, तीन बार असामान्य एवं लम्बी वर्षा हुई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

देश में पर्यटन की सम्भावनाओं के बारे में मूल्यांकन करने के लिये संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित करना

2710. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन की सम्भावनाओं का मूल्यांकन करने और इस सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के एक दल को आमंत्रित कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें कितनी सच्चाई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) भारत को एक पर्यटकों के लिए लक्ष्य देश के रूप में प्रस्तुत करने के लिये पर्यटन के आधारभूत उपादानों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान एवं सांख्यिकी प्रणालियों तथा विभाग के अभिवृद्धि-विषयक क्रियाकलापों में सुधार करने के लिये उपाय सुझाने के लिए नवम्बर-दिसम्बर, 1970 में संयुक्त राष्ट्र के 4 विशेषज्ञों का एक दल भारत आया था। दल ने अपनी रिपोर्ट जून, 1971 में प्रस्तुत कर दी, जिसपर कार्यवाही की जा रही है।

गुजरात में सोन-ए-लुमिएर के 'शो' की व्यवस्था का प्रस्ताव

2711. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सोन-ए-लुमिएर' के 'शो' की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी रूप रेखा क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री कर्ण सिह) : (क) जी, हां।

(ख) साबरमती आश्रम में गांधी जी के इस आश्रम से संबंधित जीवन एवं कार्यों पर आधारित एक 'ध्वनि और प्रकाश' प्रदर्शन पर्यटन विभाग की ओर से भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस प्रयोजना की अनुमानित लागत 18.25 लाख रुपये है।

दिल्ली में पकड़ी गई जाली मुद्रा

2712. श्री अमर नाथ चावला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में दिल्ली में कितनी जाली मुद्रा पकड़ी गई थी; और

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गोहाटी तेल शोधक कारखाने में धन का गबन

2713 श्री दिनेश चन्द गौस्वामी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या गोहाटी तेल शोधक कारखाने के प्रशासन के विभाग में बहुत बड़ी धनराशि का गबन हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) गोहाटी परिष्करणशाला के वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के लेखों के अक्टूबर, 71 में किए गए आन्तरिक आडिट से लेखन सामग्री लेखे में अनियमितताओं के बारे में पता लगा था, जिसके जांच परीक्षण किए जाने पर लगभग 10,000/-रुपये का दुर्विनियोग प्रतीत होता है।

(ख) दोषी पाये गये व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने की दृष्टि से मामले की जांच की जा रही है। लेखन सामग्री के कार्य-भारी क्लर्क की दूसरे विभाग में तबदीली कर दी गई है।

आयकर अधिकारियों की सेवा की शर्तों के बारे में नियम

2714. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या आय कर अधिकारियों की नियुक्तियां, पदोन्नतियां, वेतन और सेवा की अन्य शर्तों सम्बन्धी कोई व्यापक नियम नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में व्यापक नियम बनाने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

फिलहाल आयकर-अधिकारियों के आयकर अधिकारी (श्रेणी-11) तथा आयकर-अधिकार (श्रेणी 1) नाम के दो ग्रेड हैं। इनमें से आयकर-अधिकारी (श्रेणी 11) ग्रेड की भरती आयकरी

सेवा (श्रेणी 11 पद) भरती नियमावली, 1963 के अनुसार विनियमित की जाती है। आयकर अधिकारी (श्रेणी-1) ग्रेड की भरती का विनियमन वित्त मन्त्रालय (राजस्व प्रयोग) के दिनांक 18 अक्टूबर, 1951 के पत्र फा० सं० 24(2)-प्रशासन-आयकर/51 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व वित्त विभाग (केन्द्रीय राजस्व), संकल्प संख्या 29 दिनाँक 26 मई, 1945, के अनुसार किया जाता है।

इन ग्रेडो के वेतन-मानों का निर्धारण, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1960 के अन्तर्गत किया गया था। व्यक्तिगत मामलों में स्वीकार्य वेतन तथा भत्ते, अधिकांशतः भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सामान्य रूप से लागू होने वाले नियमों तथा आदेशों द्वारा शासिल होते हैं।

इन दो ग्रेडों में अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण, क्रमशः केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के दिनाँक 27 अक्टूबर, 1955 के पत्र फा० सं० 58 (10) प्रशासन (आयकर)/51 तथा 5 सितम्बर, 1952 के पत्र फा० सं० 58 (3)-प्रशासन (आयकर)/50 के अनुसार किया जाता है।

सेवा की अन्य शर्तों का विनियमन,अधिकाँशतः कार्मिक विभाग तथा व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्यरूप से लागू होने वाले नियमों तथा आदेशों के अनुसार किया जाता है।

(ख) आयकर सेवा, श्रेणी-1 के विभिन्न ग्रेडों की भरती से सम्बन्धित नियमों को अद्यतन बनाने तथा उनको एक समेकित रूप में जारी करने के प्रस्ताव पर पहले ही विचार किया जा रहा है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

प्राइवेट होटलों द्वारा उत्पाद-शुल्क विनियमों का पालन

2715. **श्री राम सहाय पांडे** . क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शराब सम्बन्धी उत्पाद-शुल्क विनियमों का प्राइवेट होटलों द्वारा उचित ढंग से पालन नहीं किया जाता है और इससे सरकारी होटलों के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हाँ, तो उन प्राइवेट होटलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जो इन नियमों का पालन नही करते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ग) होटलों में शराब परोसने से सम्बन्धित उत्पादन-शुल्क विनियमों का लागू किया जाना एक ऐसा मामला है जिसका संबंध सम्बन्धित राज्य सरकारों के सम्बन्धित प्राधिकारियों तथा उनके कर्तव्यों से है।

(ख) जी, नहीं।

चिटफंड कम्पनियों का कार्यकरण

2716. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **वित्त** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिटफंड कम्पनियों तथा वित्त देने वाली फर्मों में धन लगाने वाली जनता की ओर से प्राय: ठगने और धोखाधड़ी करने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे संस्थानों के कार्यकरण को नियमबद्ध करने तथा उस पर कड़ा नियन्त्रण रखने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है;

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) रिजर्व बैंक तथा कम्पनियों के कुछ रजिस्ट्रारों को इनामी चिटों या सदस्यों की अन्य देय रकमों की अदायगी में देरी होने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) और (ग) : बैंकिंग आयोग, गैर-बैंकिंग कम्पनियों, जिनमें चिटफंड भी शामिल हैं से सम्बद्ध मामलों की जांच कर रहा है। बैंकिंग आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई पर विचार किया जायेगा।

सैनिक अस्पतालों में अर्हता प्राप्त डाक्टरों और नर्सों की कमी

2717 श्री डी० वी० चन्द्र गौडा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सैनिक अस्पतालों में अर्हता प्राप्त डाक्टरों और नर्सों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): सैनिक अस्पतालों में डाक्टर तथा नर्सों की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :-

(क) **डाक्टर**

(1) खुले बाजार से भरती के कार्य में तेजी लाई गई है। 1971 के बाद से पूना स्थित सशस्त्र सैनिक मेडिकल कालेज में 60 अरक्षित सीटों के लिए दाखिले के हेतु उनको प्राथमिकता दी जाएगी जो एम. बी. बी. एस. परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् थल सेना मेडिकल कोर में अल्पकालीन कमीशन अफसर के लिए अपनी सेवा अर्पित करेंगे।

(2) रिजर्व कमीशन का दिया जाना तथा कलर सरविस के लिए वापस बुलाया जाना

(3) अनिवार्य सरविस लायबिलटी स्कीम के अन्तर्गत राज्य मेडिकल सेवा तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा से डाक्टरों का स्थानान्तारत करना।

(ख) **नर्स**

(1) असैनिक नर्सों की भर्ती में तेजी लाई गई है

(2) असैनिक नर्सों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर लेना

(3) मिलिटरी नरसिंग सरविस में कमीशन देने के लिए प्रोवेशनर नर्सों तथा बी०एस० सी० (नरसिंग) छात्रों को नरसिंग के स्कूलों तथा नरसिंग कालेज में अधिकतम संख्या में लिया जाना।

(4) सेवा को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए उसकी सेवा शर्तों में सुधार की कार्रवाई विचाराधीन है।

(5) असैनिक महिलाओं को स्वैच्छिक एंड डिटैचमेन्ट का प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षण जिससे वे नियमित नर्सों के कार्यों को संपूरण कर सकें।

(2) मिलिटरी मेडिकल तथा नरसिंग सेवाओं में रोजगार कैरियर के अवसरों का विस्तृत विज्ञापन प्रेस, रेडियो तथा मेडिकल कालेजों का समय-समय पर दौरा करके किया जा रहा है।

नई दिल्ली के एक होटल की दूकान से जवाहरात की चोरी

2718. श्री पी० के० देव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 नवम्बर, 1971 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस आशय के एक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि कुछ व्यापारियों द्वारा अनुरोध किये जाने के बावजूद भी नई दिल्ली स्थित पालम हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों ने नई दिल्ली में जवाहरात की चोरी के एक मामले में अन्तर्ग्रस्त कुछ अमरीकी राष्ट्रिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) सरकार ने 2 नवम्बर, 1971 के इण्डियन एक्सप्रेस में 'ज्वेल थीफ ईल्यूड्स पुलिस ट्रैप' शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट देखी है। इस समाचार में ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस बात का संकेत मिलता हो कि कुछ व्यापारी पालम हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क अधिकारियों के पास गए और अधिकारियों ने अमरीकी राष्ट्रिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया।

फिर भी, सचाई यह है कि श्री लोचीलिन सेलियन कार्लेस 1-11-1971 को, पैन अमरीकन फ्लाइट से निकासी के लिए सीमाशुल्क काउण्टर पर आए। पैन अमरीकन का एक कर्मचारी आया और यात्री को, उसके टिकट की जांच करने के लिए ले गया। इस यात्री का हैण्डबैग सीमाशुल्क काउण्टर पर रह गया था। एयर लाइन के कर्मचारी के साथ उक्त यात्री के चले जाने के बाद एक व्यापारी सीमाशुल्क अधिकारी के पास यह प्रार्थना लेकर आया कि चूंकि वह यात्री चोरी के मामले में फंसा हुआ था अतः उसके असबाब की पूरी तरह तलाशी ली जानी चाहिये। सीमाशुल्क अधिकारी ने उस सज्जन को ऐसा करने का आश्वासन दिया लेकिन श्री कार्लेस वापिस नहीं आए और इसी बीच पुलिस तथा अन्य व्यक्ति सीमाशुल्क अधिकारियों के पास आये और तब हैण्डबैग की तलाशी ली गई और तस्दीक के बाद उसमें पाया गया माल, पुलिस द्वारा कब्जे में ले लिया गया।

एयर इण्डिया द्वारा इकोनोमीकल्स के लिए भारत से अमरीका तथा अमरीका से भारत तक के विमान भाड़े में कमी

2719. श्री निहार लास्कर :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने हाल ही में इकोनोमी क्लास के लिए भारत से अमरीका तथा अमरीका से भारत तक के विमान-भाड़े में 50 प्रतिशत की कमी की है;

(ख) क्या एयर इण्डिया का विचार दिसम्बर, 1971 से इकोनोमी क्लास के लिये विमान-भाड़े में और आगे 50 प्रतिशत से अधिक की कमी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो भाड़ों में कमी करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 19 सितम्बर, 1971 से एयर इण्डिया ने यू०एस०ए० से भारत के लिये; एक नया 450 डालर का वापसी-भ्रमण टिकट (रिटर्न एक्सकर्शन फेयर) चालू किया है। इसके लिये निर्धारित शर्तें ये हैं कि भारत में न्यूनतम 21 दिन का प्रवास होना चाहिये तथा यह टिकट अधिकतम 120 दिनों के लिये वैध होगा। रास्ते में ठहरने की अमुमति नहीं होगी, तथा उत्तरी अमरीका में प्रस्थान के अन्तिम स्थल तथा भारत में आगमन के प्रथम स्थल और भारत से प्रस्थान के अन्तिम स्थल तथा उत्तरी अमरीका में आगमन के प्रथम स्थल के बीच यात्रा उसी विमान से तथा उड़ान नम्बर बदले बिना होनी चाहिए।

(ख) पहली दिसम्बर, 1971 से एयर इण्डिया भारत से संयुक्त राज्य की यात्रा करने के लिए 550 डालर या 4125 रुपये का एक नया भ्रमण टिकट चालू कर रहा है। शर्तें उपरिलिखित (क) के समान ही होंगी, सिवाय इसके कि उत्तरी अमरीका में न्यूनतम प्रवास काल 14 दिन का होगा।

(ग) ये प्रोत्साही किराए नए यातायात का सृजन करने के लिये चालू किए गए हैं।

'एशियाई डालर' का बनाया जाना

2720. श्री पीलूमोदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टर्लिंग और अमरीकी डालर पर निर्भरता के स्थान पर सैद्धान्तिक 'एशियाई डालर' बनाने के प्रस्ताव है;

(ख) क्या बंगकाक में हाल में हुई आर्थिक सहयोग के लिये एशियाई मंत्रि परिषद् की बैठक में इस सम्बन्ध में काफी चर्चा की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किए गए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) प्रस्तावित एशियाई समाशोधन संघ के करार के मसौदे में 'एशियाई समाशोधन डालर'' नामक हिसाब-किताब की एक सामान्य इकाई बनाये जाने की परिकल्पना की गई है। यह इकाई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा निर्धारित एक आहरण अधिकार (स्पेशल ड्राइंग राइट) के बराबर होगी जिसका मूल्य इस समय 0.888671 ग्राम शुद्ध सोने या वर्तमान सम-मूल्य के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका के एक डालर के बराबर है। हिसाब-किताब की इस सांकेतिक इकाई की परिकल्पना प्रस्तावित एशियाई समाशोधन संघ के समाशोधन के माध्यम से सदस्यों के बीच किये जाने वाले लेन-देनों के निपटारे में सुविधा पहुंचने के उद्देश्य से की जा रही है।

(ख) जी, नहीं। आर्थिक सहयोग के लिए एशियाई मंत्रि परिषद की बैंकाक में हाल में कोई बैठक नहीं हुई थी। "77 के ग्रुप' एशियाई दल की एक मंत्रालयिक बैठक 5 से 7 अक्तूबर, 1971 तक बैंकाक में हुई थी परन्तु इस बैठक में सांकेतिक "एशियाई डालर" के बनाये जाने के बारे में कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भारत की अर्थ व्यवस्था के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रतिवेदन

2721. श्री पीलू मोदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वर्ष 1970 में तथा वर्ष 1971 के प्रथम भाग में विश्व की अर्थव्यवस्था के कार्यकरण का ब्यौरा देने वाला एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रतिवेदन में भारत के आर्थिक विकास का भी उल्लेख है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की 1971 की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ 1970 के वर्ष में और 1971 के वर्ष के पहले भाग के दौरान विश्व की अर्थ-व्यवस्था के कार्यकरण के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में, 1970 में भारत की अर्थ-व्यवस्था का भी संक्षिप्त उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि उत्पादन-वृद्धि की दर बराबर 5 प्रतिशत बनी रही और मुद्रास्फीतिकारी दबाव मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र से ही पड़ता रहा, जिसे बैंक ऋण के निर्धारण में अपनाये गये नये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, लघु-उद्योगों, निर्यात और कुछ सहकारी ऋण समितियों के साथ प्राथमिकता दी गई। रिपोर्ट में इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि विदेशी सहायता की शुद्ध प्राप्तियों में कमी होने तथा आयात और निर्यात के अन्तर के अधिक होने के कारण भारत के लिए 1970 का वर्ष शोधन-शेष की स्थिति की दृष्टि से खराब था।

ये विचार आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में किये गये उस मूल्यांकन के अनुरूप है, जो 1970-71 की आर्थिक समीक्षा में बताया गया है।

चौथी योजना के लिए नियत राशि में कटौती

2722. श्री पीलू मोदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 17 सितम्बर, 1971 के स्टेटट्समैन" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि उन्होंने चौथी योजना के लिये नियत की गई राशि में भारी कटौती करने का प्रस्ताव किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार ने 17 सितम्बर, 1971 के "स्टेट्स-मैन" में छपा समाचार देखा है ।

(ख) हमारा यह इरादा नहीं है कि आयोजनागत योजनाओं के क्रियान्वयन की गति को धीमा किया जाय । वास्तव में, आयोजनागत आयोजनाओं को तेजी से पूरा करने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के विचार से ही हमने आयोजना के निष्पादन में सुधार करने का प्रयत्न किया है । किन्तु बंगला देश के शरणार्थियों के व्यय के भारी वित्तीय बोझ को देखते हुए, योजना आयोग के परामर्श से इस बात की जाँच की जा रही है कि आयोजना के अनिवार्य और बुनियादी पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, खर्च में कमी करके इस वर्ष के आयोजना-गत व्यय में 5% की बचत की जा सकती है या नहीं ।

श्रीनगर में अवैध टक्साल

2723. श्री पीलू मोदी :
श्री सरजू पांडे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर में हाल में एक अवैध टक्साल का पता लगाया गया था;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में काश्मीर सरकार से कोई रिपोर्ट मिली है तथा यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : जम्मू तथा काश्मीर की सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पेट्रोलियम की मांग में वृद्धि

2724. श्री राजदेव सिंह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेट्रोलियम की मांग में प्रति वर्ष औसतन 8·6 प्रतिशत वृद्धि हुई है और वर्ष 1960 में इसकी 7·8 मिलियन मीट्रिक टन की माँग वर्ष 1969 में दुगने से भी ज्यादा हो कर 17·3 मिलियन मीट्रिक टन हो गई; और

(ख) क्या भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन के अनुसार वर्ष 1970 में उक्त मांग की वृद्धि प्रति वर्ष 9·5 प्रतिशत के लगभग रही है और इसका उपभोग वर्ष 1975 तक 32·2 मिलियन मीट्रिक टन होने की आशा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) यद्यपि पी० ओ० एल० उत्पादों की मांग 1960 में 7·8 मिलियन मीटरी टन से 1969 में 17·3 मिलियन मीटरी टन तक बढ़ी; किन्तु मौलिक उत्पाद दर का औसत प्रतिवर्ष 9·3 प्रतिशत था ।

(ख) भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की मई, 1971 की रिपोर्ट के अनुसार 1969 में पी० ओ० एल० उत्पादों की कुल आवश्यकताओं की तुलना में 1970 में भाग का अनुमान 8.2 प्रतिशत अधिक लगाया गया था तथा 1975 में भाग के उच्चतर एवं निम्नतर (अपर एण्ड लोअर) स्तर निम्न प्रकार होंगे :

उच्चतर स्तर	31.5 मिलियन मीटरी टन
निम्नतर स्तर	29.8 मिलियन मीटरी टन

Financial Assistance to States

2725. Shri R. V. Bade : Will the Minister of **Finance** be pleased to State :

(a) whether some States would be given more financial assistance by the Central Government during the current financial year, as compared to that in the past and, if so, the names of those States;

(b) whether some other States have also demanded more financial assistance from the Centre during the current financial year; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of finance (Shri Y. B. Chavan) (a) Central assistance for State Plan schemes has increased for all States during the current financial year as compared to the past year.

(b) & (c) Does not arise.

कलकत्ता में छोटे सिक्कों की कमी

2726. श्री समर मुखर्जी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता में छोटे सिक्कों की कमी की गम्भीर समस्या की ओर दिलाया गया है जिसके कारण सरकारी क्षेत्र के परिवहन उपक्रमों और जनता को कठिनाई हो रही है;

(ख) उक्त कमी कितनी है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां। यद्यपि देश के अन्य भागों में इससे पहले छोटे सिक्कों की जो आम कमी महसूस हो रही थी, वह लगातार कम होती जा रही है यद्यपि कलकत्ता में जो स्थिति बिगड़ी है वह केवल हाल में बिगड़ी लगती है।

(ख) यह बताना सम्भव नहीं है कि छोटे सिक्कों की कमी कितनी है। कलकत्ता में भी छोटे सिक्कों की कमी का कारण बुनियादी तौर पर वही है जो समूचे देश में है अर्थात धातु के रूप में अधिक मूल्य प्राप्त करने की दृष्टि से कुछ मिश्रित धातुओं के छोटे सिक्कों को गलाने के प्रयोजन से बड़े पैमाने पर सिक्कों को चलन से हटाया जाना। कलकत्ता में दो-तीन महीने पहले, स्थिति अपेक्षाकृत सन्तोषजनक थी और हाल ही में स्थिति के बिगड़ने के कारण की जाँच की जा रही है।

(ग) सरकार ने, छोटे सिक्कों की आम कमी की समस्या को सन्तोषजनक ढंग से हल करने के उद्देश्य से, टकसालों में छोटे सिक्कों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने और सिक्कों की

ढलाई की मिश्र धातुओं में इस प्रकार से परिवर्तन करने के लिए पहले ही कई कदम उठाये हैं जिससे उत्पादन की दर में वृद्धि हो सके और साथ ही उन सिक्कों को गलाये जाने के जोखिम को दूर किया जा सके। 22 अक्टूबर 1971 को छोटे सिक्के (अपराध) अध्यादेश 1971 भी लागू कर दिया गया था जिसके द्वारा सिक्कों का गलाया जाना और गलाने के उद्देश्य से सिक्कों की जमाखोरी करना कानून की दृष्टि में अपराध माना जायेगा जबकि पहले ऐसा न था। कलकत्ता में, सिक्कों की स्थानीय तौर पर कमी को दूर करने के लिए, रिजर्व बैंक ने, नगर के मुख्य सार्वजनिक परिवहन संस्थानों अर्थात कलकत्ता ट्रामवेज कम्पनी और कलकत्ता राज्य परिवहन निगम को प्रति सप्ताह क्रमश: 35,000 रुपये तथा 18,000 रुपये की दर से छोटे सिक्के मुहैया करने के बारे में विशेष प्रबन्ध किये हैं। सिक्कों के स्टाक की स्थिति को देखते हुए, अन्य गैर-सरकारी चालकों को भी विशेष कोटे दिए गए हैं।

गुजरात में कोयाली तेल शोधक कारखाने का विस्तार

2727. श्री के० मालन्ना :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री गुजरात के कोयाली तेल शोधक कारखाने के विस्तार के बारे में 14 जून, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 470 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह समिति कब तक अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर देगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां। 17 नवम्बर, 1971 को।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स के निदेशकों का चुनाव

2728. श्री विक्रम महाजन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स के निदेशकों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है;

(ख) सामान्यत: उनकी कार्यविधि क्या होती है; और

(ग) वर्तमान निदेशकों के नाम और उनकी योग्यताएं क्या हैं तथा वे कब से निदेशक मण्डल में हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : निदेशक मंडल के गठन का विनियमन एयर कारपोरेशन एक्ट, 1953 की धारा 4 द्वारा किया जाता है।

(ख) वे सामान्यतया दो वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किये जाते हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ग) वर्तमान निदेशकों के नाम; उनकी योग्यताएं तथा कब से वे बोर्ड के निदेशक हैं :—

इण्डियन एयरलाइन्स

क्रम संख्या	नाम	नियुक्ति तथा पुनर्नियुक्ति यदि कोई है, की तारीख	योग्यताएं
1.	श्री एन० पी० सेन० (अध्यक्ष)	1-8-1971	प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालिज आफ इंडिया, हैदराबाद।
2.	श्री जे. आर. डी. टाटा (सदस्य)	12-6-1953 से अब तक	देशीय तथा अंतर्देशीय उड्डयन का काफी अनुभव एवं ज्ञान एक विख्यात उद्योगपति।
3.	श्री वाई. टी. शाह, अतिरिक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) (सदस्य)	1-8-1969 से अब तक	सरकारी अधिकारी।
4.	श्री एम. एस. सुन्दरा (सदस्य)	1-8-1971	भारत पर्यटन विकास निगम लि० के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
5.	ए. वी. एम. एस. ए. हुसैन (सदस्य)	1-8-1971	इंडियन एयरलाइन्स के महा प्रबंधक।
6.	एयर मार्शल एम. एस. चतुर्वेदी (सदस्य)	2-12-1967 से अब तक	एयर इंडिया के महा प्रबन्धक।
7.	श्री एन. खोसला, संयुक्त सचिव, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली। (सदस्य)	12-3-1969 से अब तक	सरकारी अधिकारी।
8.	श्री रवि जे० मथाई (सदस्य)	1-8-1969 से अब तक	निदेशक, भारत प्रबंध संस्था अहमदाबाद।
9.	श्री के. एन. मुखर्जी (सदस्य)	1-8-1967 से अब तक	उद्योगपति

औषधों के बारे में मूल्य नियंत्रण के कार्यकरण का पुनर्विलोकन

2729. श्री पी. गंगादेव :
श्री सी. जनार्दनन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधों के बारे में मूल्य नियंत्रण आदेश के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया है; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी. सी. सेठी) : (क) और (ख) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के कार्यकरण का समय समय पर पुनर्विलोकन किया गया है और इसके कार्यकरण में प्राप्त हुये अनुभव के प्रकाश में ही इसमें कुछ संशोधन किये गये हैं। औषध उद्योग तथा व्यापार की सूचना एवं मार्गदर्शन के लिए कुछ स्पष्टीकारक निर्देश भी जारी किये गये है। आदेश के अंतर्गत संशोधित मूल्य ढांचा जनवरी, 1971 से लागू हुआ था और आदेश के अनुसार मूल्यों के कम से कम एक वर्ष तक लागू रहने के बाद ही इसका कोई पुनरोविलोकन करना सम्भव हो सकेगा।

Memorandum from Bihar flying club Employees Union.

2730. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Tourism and civil aviation** be pleased to State :

(a) whether the Bihar Flying Club Employees Union submitted any Memorandum to the Director-General of Civil Aviation on the 21st September last;

(b) if so, the contents thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a) & (b) : The President of the Bihar Flying Club Employees Union addressed a letter dated 21st September, 1971, to the Director General of Civil Aviation. protesting inter-alia against the high handedness of the Management in turning down the demand of the employees for increased dearness allowance due to paucity of funds, while at the same time making new appointments. A request was also made that the Club should be taken over by the State Government.

(c) : The State Government have set up a high-level enpuiry committee on the 11 th November, i971, to enquire into the affairs of the Club.

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

2731. श्री सी० टी० दण्डपाणि : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने वर्ष 1970-71 के दौरान 2.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की थी;

(ख) उक्त निगम द्वारा खोली गई चार शुल्क-मुक्त दुकानों द्वारा 1970-71 में कुल कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) निगम को वर्ष 1970-71 में कुल कितना लाभ हुआ ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां यह अनुमान लगाया गया है कि भारत पर्यटन विकास निगम के विभिन्न क्रियाकलापों के कारण लगभग 250 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी है।

(ख) 22.56 लाख रुपये।

(ग) 1970-71 के दौरान (टैक्स लगाने एवं मूल्य-ह्रास से पूर्व) कुल व्यापार लाभ 97.83 लाख रुपये था और टैक्स लगाने के बाद शुद्ध लाभ 37.06 लाख रुपये था।

ब्रिटेन की सरकार द्वारा बैंक दर में कटौती करने का भारत पर प्रभाव

2732. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार ने गैर-कानूनी धन के आगमन को रोकने के लिए 2 सितम्बर, 1971 को बैंक दर में कटौती की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ब्रिटेन की सरकार के उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप भारत पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हाँ। ब्रिटेन में 2 सितम्बर, 1971 को बैंक दर 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गयी थी। यह कमी अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के परिणामस्वरूप की गयी थी और इसका मुख्य उद्देश्य मुख्यत: ब्रिटेन में विदेशों से सट्टेबाजी के धन के आगमन को रोकना था।

(ख) और (ग) मुद्रा सम्बन्धी वर्तमान अनिश्चित अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में ब्रिटेन की बैंक-दर में एक प्रतिशत की कमी किये जाने का भारत पर केवल मामूली सा प्रभाव पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप, ब्रिटेन के उत्पादन में जितनी वृद्धि होगी और वहां की बेरोजगारी में जितनी कमी होगी उतना ही उस देश को किये जाने वाले हमारे निर्यात पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है।

भारतीय चार्टर्ड लेखापाल संस्थान की शासी परिषद में सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियों की नियुक्ति

2733. **श्री एम. कृष्णन** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय चार्टर्ड लेखापाल संस्थान की शासी परिषद में सरकार द्वारा मनोनीति व्यक्तियों को, जिनमें से कुछ व्यक्ति बड़ी लेखा-परीक्षक फर्मों में भागीदार है, नियुक्ति पर युवा चार्टर्ड लेखापालों में असंतोष व्याप्त है;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार को प्राप्त हुए ज्ञापन का सारांश क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) युवा चार्टर्ड लेखापालों से सरकार द्वारा प्राप्त दो ज्ञापनों की प्रति सभा-पटल पर अनुलग्न 'क' और 'ख' के रूप में प्रस्तुत की जाती है। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1223/71]

(ग) यह मामला परीक्षान्तर्गत है।

भारत के इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक द्वारा किये गये सर्वेक्षण का प्रतिवेदन

2734. श्री एम० के० कृष्णन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े राज्यों की औद्योगिक संभावनाओं के बारे में भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक द्वारा किये गये सर्वेक्षण का प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क): जी हां। अब तक सरकार को चार पिछड़े राज्यों/संघीय क्षेत्रों अर्थात असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर तथा त्रिपुरा के सम्बन्ध में अन्य वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से भारतीय औद्योगिक बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट मिली है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, नेफा, उत्तर प्रदेश राजस्थान, उड़ीसा और चण्डीगढ़ के सर्वेक्षणों के सम्बन्ध में इस प्रकार की रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) अब तक मिली चार सर्वेक्षण रिपोर्टों में स्थूल रूप से निम्नलिखित बातों का विवरण है :—

(i) औद्योगिक विकास के लिए आधार भूत सुविधाएं जिन्हें सम्बद्ध क्षेत्रों में सुदृढ़ करना जरूरी है।

(ii) क्षेत्रों की औद्योगिक क्षमता।

(iii) वित्तीय प्रोत्साहन, अर्थात परिवहन और बिजली के लिए राज सहायता जो केन्द्रीय/राज्य सरकारों को देनी पड़ सकती है; और

(iv) वित्तीय संस्थाओं से मिल सकने वाली रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता।

(ग) निदेशन समिति, जिसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, कृषि पुनर्वित्त निगम और भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी हैं, और जो सर्वेक्षण कार्य का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करती है राज्य सरकारों और सम्बद्ध राज्यों की वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करती है ताकि सम्बद्ध राज्य सरकारें सिफारिशों पर उपयुक्त कार्यवाही कर सकें। इस प्रकार का विचार असम, त्रिपुरा और जम्मू तथा कश्मीर में सम्बन्धित रिपोर्टों के बारे में हाल ही में सितम्बर और अक्तूबर 1971 में हुआ है। आशा है कि राज्य सरकारें इन विचार विमर्शों के दौरान जिस प्रकार तय हुआ है उसके अनुसार आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेंगी।

भारतीय बैंकों की विदेशों में स्थित शाखायें

2735. श्री रणबहादुर सिंह :
श्री राजा कुलकर्णी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने देश हैं जहां भारतीय व्यापारियों तथा उद्योगों को सहायता देने के लिए भारतीय बैंकों की शाखायें कार्य कर रहीं हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें खोलने का है यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) : बाहर के 13 देशों में 7 भारतीय वाणिज्यिक बैंक कार्य कर रहे हैं। देशों के सम्बन्ध में ब्यौरा और भारतीय बैंकों की शाखाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। ये शाखाएं भारतीय व्यापारियों और उद्योगों को सभी सम्भव सहायता प्रदान करती हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित बैंकों को भारत से बाहर अतिरिक्त कार्यालय खोलने की अनुमति दी है :—

(1) भारतीय स्टेट बैंक—न्यूयार्क (अमेरिका)

(2) बैंक आफ इंडिया—विम्बले (ब्रिटेन)

(3) बैंक आफ बड़ौदा—कोवेन्टरी और
ब्रेडफोर्ड (ब्रिटेन)
रोजहिल
वेकोस मारीशस

विवरण

भारतीय व्यापारियों और उद्योगों को सहायता देने के लिए विदेशों में कार्य करने वाले भारतीय बैंकों के कार्यालयों की संख्या का विवरण ।

क्रम संख्या	देश	कार्यालयों की संख्या
1.	श्री लंका	3
2.	फिजी द्वीप	7
3.	गायना	2
4.	हांगकांग	4
5.	जापान	2
6.	कीनिया	10
7.	मलेशिया	11
8.	मारीशस	3
9.	नाइजीरिया	1
10.	सिंगापुर	6
11.	युगाण्डा	5

12.	थाईलैंड	1
13.	ब्रिटेन	11
		—
	जोड़	66

टिप्पणी : (1) इन कार्यालयों में चलते फिरते। सहायक कार्यालयों के प्रधान कार्यालय शामिल हैं।

(2) नाइजीरिया और युगांडा स्थित बैंक आफ इंडिया की शाखाओं को बैंक को सहायक कम्पनियों ने क्रमशः 18 नवम्बर, 1968 और पहली नवम्बर, 1969 को अपने हाथ में ले लिया है। युगांडा स्थित बैंक आफ इंडिया के कार्यालय को पहली नवम्बर, 1969 को बैंक की सहायक कम्पनी ने अपने हाथ में ले लिया है।

(3) उपरोक्त कार्यालयों के अलावा भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के 39 कार्यालय पाकिस्तान में भी हैं जिनको 1965 में पाकिस्तान के शत्रु सम्पत्ति के अंगरक्षक ने अपने हाथ में ले लिया है।

'साफ्ट वार्य' की किस्म'

2736. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व रक्षा सेवाओं में आपातकालीन खाद्य पदार्थ के रूप में चलाये गये 'साफ्ट वार' बड़ी मात्रा में नष्ट किये गये थे अथवा पशुओं को खिलाये गये थे वह बहुत घटिया किस्म के थे और इससे सरकार को पर्याप्त हानि हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) तथा (ख) कुछ वर्ष पूर्व खरीदे गए 18,38,399 सोफ्ट वारों में से 2,06,485 टिकाउपन की खराबी के कारण खराब हो गए। खराब हुई मात्रा में से 91,802 पूर्तिकर्ता को बदलने के लिए वापस कर दिए गए तथा 1,05,472 पशुओं को खिला दिए गए। पूर्तिकर्ता ने 36,826 वारों को बदल दिया है तथा शेष मात्रा को (जिसमें पशुओं को खिलाई गई मात्रा भी शामिल है) जो 1,89,611.99 रुपये थी उसके बिल में से घटा दी गई है। पूर्तिकर्ता ने यद्यपि घटौती को नहीं माना है तथा पंच फैसला के लिए कहा है।

होटलों के प्रबन्ध और विकास के लिए निगम

2738. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में होटलों का निर्माण करने और उन्हें चलाने के लिए उनके मंत्रालय ने एक निगम की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उसने किन किन स्थानों पर होटल बनाने का निर्णय किया है;

(ग) प्रत्येक होटल के निर्माण पर अनुमानतः कितना व्यय होगा;

(घ) उक्त प्रत्येक होटल में पर्यटकों तथा अन्य उपभोक्ताओं को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी;

(ङ) क्या इस प्रयोजन के लिए सरकार ने किसी विदेशी कम्पनी के साथ कोई करार किया है; और

(च) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) (क) : भारत पर्यटन विकास निगम का एक मुख्य कार्य होटलों का निर्माण एवं उनका परिचालन करना है ।

(ख) और (ग)

स्थान	अनुमानित लागत
(i) विमान क्षेत्र होटल कलकत्ता	120 लाख रुपये
(ii) गुलमर्ग में होटल	110 लाख रुपये
(iii) कोवालम में होटल तथा 40 कुटीरें	135 लाख रुपये

भारत और पर्यटन विकास निगम ने हाल ही में बंगलौर में एक होटल का निर्माण पूरा किया जिसके लिए 165 लाख रुपये की व्यवस्था थी । होटल ने 1 मई, 1971 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया ।

भारत पर्यटन विकास निगम औरंगाबाद तथा गोवा में होटलों का निर्माण करने और बंगलौर में अपने होटल में और 100 कमरों की वृद्धि करने के प्रश्न की जांच कर रहा है । भारत पर्यटन विकास निगम नई दिल्ली नगर पालिका के साथ पट्टे के आधार पर नई दिल्ली में अकबर होटल को भी शीघ्र ही चालू करेगा ।

(घ) बंगलौर के होटल में पाँच स्टार वर्ग के होटलों के मुकाबले की सुविधाएं उपलब्ध हैं । नई दिल्ली के अकबर होटल तथा कोवालम व कलकत्ता विमान क्षेत्र के होटलों में चार स्टार श्रेणी के होटलों में सामान्यतया उपलब्ध होने वाली सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । गुलमर्ग होटल में दी जाने वाली सुविधाओं के स्वरूप पर विचार किया जा रहा है ।

(ङ) और (च) पर्यटन की अभिवृद्धि के उद्देश्य से तकनीकी सहयोग की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार ने संघीय जर्मन गणराज्य की सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं । इस करार के अन्तर्गत संघीय जर्मन गणराज्य धन विनियोजना, होटल निर्माण, होटल प्रबन्ध तथा प्रशिक्षण सुविधाओं पर परामर्श देने के लिए 8 परामर्शदाताओं की सेवाएं उपलब्ध कराएगा जिनमें से दो पर्यटन विभाग के लिए तथा 6 भारत पर्यटन विकास निगम के लिए होंगे ।

कोचीन के सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना

2739. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या कोचीन के सीमाशुल्क अधिकारियों ने श्री एम० एस० बी० अनवर से बड़ी संख्या में कलाई घड़ियां तथा बड़ी मात्रा में सोना पकड़ा था;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में ये वस्तुएं पकड़ी गई थीं; और

(ग) क्या इस मामले में पुरस्कार के भुगतान के बारे में कोई शिकायत हुई थी ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) तथा (ख) कोचीन के सीमाशुल्क अधिकारियों ने 10-1-69 को 'अनवर' नामक एक मोटर युक्त सेलिंग नौका में लगभग 467 किलोग्राम सोना पकड़ा जिसका मूल्य अन्तर्राष्टीय मुद्रादर पर लगभग 39.37 लाख रुपये और भारतीय बाजार दर पर 74 लाख रुपये था और साथ ही 4998 कलाई घड़ियाँ भी पकड़ीं जिनका मूल्य भारतीय बाजार दर पर लगभग 6.54 लाख रु० था।

(ग) जी हां, लेकिन जांच करने पर वह गलत पाई गई।

पुरस्कार के भुगतान के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

2740. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969 में केरल के समुद्र के तटपर श्री एम० एस० अनवर की गिरफ्तारी के पुरस्कार के भुगतान में तथाकथित जाल-साजी की केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जांच की गई थी;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के क्या निष्कर्ष थे; और

(ग) मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) जी, हां। किन्तु मामले का सम्बन्ध एक अरब नौका एम० वी० 'अनवर' के रोके जाने से है, न कि श्री एम० एस० अनवर की गिरफ्तारी से।

(ख) जाँच-पड़ताल के बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि आरोप सिद्ध नहीं हुए।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

कन्नानोर के निकट मंगत्तुपराम्बू में एक नया हवाई अड्डा बनाने की मांग

2741. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कन्नामोर के निकट मंगत्तुपरांबू में एक नया हवाई अड्डा बनाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां। परन्तु विमानक्षेत्रों के निर्माण के लिए वित्तीय साधनों के सीमित होने के कारण, कन्नानोर के मामले पर फिलहाल विचार करना सम्भव नहीं है।

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग का बढ़ना

2742. **श्री मुहम्मद शरीफ़** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोलियम वाले उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री : (श्री पी० सी० सेठी) (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान पी० ओ० एल० उत्पादों की वार्षिक मांग तथा वर्ष वार प्रतिशत वृद्धि का ब्यौरा निम्न-प्रकार है :—

वर्ष	पी. ओ. एल. उत्पादों की मांग (1000 मीटरी टनों में)	मांग में प्रतिशत वृद्धि
1968	15829	+12.4
1969	17336	+9.5
1970	18734	+8.1

पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग वर्तमान परिष्करणशालाओं में विस्तार द्वारा और नई परिष्करणशालाओं की स्थापना द्वारा पूरी की जा रही है। किसी विशेष वर्ष के दौरान मांग तथा देशीय उत्पादन के बीच हुए असंतुलन कम मात्रा में उपलब्ध होने वाले उत्पादों के आयात से और अधिशेष उत्पादों के निर्यात से पूरे किए जाते हैं।

जीवन बीमा निगम के एजेन्टों का पारितोषक

2743. श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या जीवन बीमा निगम के एजेन्टों को पारितोषक देने के लिए मार्च, 1969 में किसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

(ख) यदि हां तो उसका स्वरूप क्या था;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिस ढंग से निर्णय लिये गये थे उससे जीवन बीमा निगम के कुछ एजेंट असंतुष्ट हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (घ) : मार्च। 1969 में जीवन बीमा निगम ने एजेंटों के लिए नये कारोबार' पालिसियों की संख्या और / अथवा संग्रहीत प्रीमियम के आधार पर शाखा-वार प्रभागवार तथा अखिल भारत के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया था। प्रत्येक कार्यालय, प्रतियोगिता के लिए अपनी-अपनी शर्तें निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र था। परंतु कुछ एजेंटों ने प्रतियोगिता की शर्तों में से किसी न किसी शर्त के बारे में असंतोष व्यक्त किया। इस संबन्ध में पूरी जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है परन्तु वह इकट्ठी करके प्रस्तुत की जा सकती है यदि माननीय सदस्य निगम के उन कार्यालयों के नाम बतायें, जिनके बारे में उन्होंने शिकायतें सुनी हों।

दो रुपये वाले जाली नोट

2744. श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बंगलौर तथा अन्य स्थानों पर अन्तर्राज्यीय जालसाजों द्वारा दो रुपये के जाली नोटों का मुद्रण तथा परिचालन करने के कथित षडयंत्र की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या दो रुपये वाले नोटों के मुद्रण हेतु उपयोग में आने वाले 6 ब्लाकों का एक पूरा सेट' दो रुपये नोट का एक बड़ा किया हुआ चित्र और बड़ी संख्या में तराशे तथा गैर-तराशे नोट हाल ही में पकड़े गये हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त मामले संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) : मैसूर की सरकार तथा मैसूर के निकटवर्ती राज्यों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभापटल पर रख दी जायेगी ।

अमरीका की इन्टरनेशनल डैवलपमेंट मिशन एजेन्सी द्वारा अमरीका में बनी औषधियों का अधिक मूल्य लिया जाना

2745. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अमरीका की इन्टरनेशनल डैवलपमेंट मिशन एजेन्सी द्वारा उन औषधियों के मूल्य अधिक लिए जा रहे हैं जो अमराका की बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितने तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) अनुमान है कि संकेत यू० एस० एजेन्सी फार इन्टरनेशनल डैवलपमेंट की ओर है न कि इन्टरनेशनल डैवलपमेंट एजेन्सी की ओर । अमरीका में निर्मित औषधियों की प्राप्ति हेतु इस उद्देश्य के लिए ए० आई० डी० के वित्त व्यवस्था का प्रयोग करके प्रदायकों के साथ सीधी व्यवस्था की जाती है । अतः इस प्रकार प्राप्त औषधियों के लिए ए० आई० डी० द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बताया जाता है कि 1971 से पहले लागू कार्यविधि के अन्तर्गत कुछ प्राप्तियां "एक मात्र स्रोत" के आधार पर की गई थी और प्रतियोगी आधार पर की गई प्राप्तियों को छोड़कर हो सकता है कि इस कारण अधिक मूल्य दिये गये हो अधिक मूल्य पर की गई प्राप्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है । ऐसी प्राप्तियों से सम्बन्धित व्यवस्था में अब सुधार आ गया है ताकि ऐसी प्राप्तियां प्रतिस्पर्धा के आधार पर की जाएं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों की बैठक

2746. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों की 4 नवम्बर, 1971 को नई दिल्ली में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या अभिरक्षकों ने सरकारी बैंकों, छोटे किसानों के विकास से सम्बद्ध एजेंसियों तथा मध्यम किसानों और कृषि श्रमिकों की परियोजनाओं में अधिक पारस्परिक समन्वय की आवश्यकता का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) बैठक में मैंने इस बात पर जोर दिया था कि स्थानीय बैंकों के एजेन्टों और कार्यरत अभिकरणों के बीच निकट सम्पर्क होना चाहिए। सरकार अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से समन्वित रूप से कार्य करने के लिए उत्सुक है।

सरकारी उपक्रमों का कार्यकरण

2747. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने 1970-71 में कुल मिलाकर कैसा कार्य किया और पिछले वर्ष की तुलना में यह कैसा रहा; और

(ख) उन औद्योगिक उपक्रमों के नाम क्या हैं, जिनमें घाटा हुआ और इसके क्या कारण थे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) कुछ उपक्रमों से 1970-71 के समाप्त वर्ष के परीक्षित लेखे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। परन्तु उपलब्ध सूचना के आधार पर यह अनुमान है कि वर्ष 1970-71 के दौरान 51 उपक्रमों को 72 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ होने की आशा है और 36 उपक्रमों को 78 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि होने की सम्भावना है। वर्ष 1969-70 के दौरान, 49 उपक्रमों को 72.3 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ जब कि 32 उपक्रमों को 75.7 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि हुई। इसलिए समग्र रूप से 1970-71 के निष्पादन से 6 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि होने का अनुमान है जब कि पिछले वर्ष 3.40 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि हुइ थी;

(ख) जिन उपक्रमों को 1970-71 के दौरान हानि होने का अनुमान है, वे परिशिष्ट में दिये गये हैं।

हानि होने के मुख्य कारण ये हैं :—

(क) निम्नलिखित कारणों से उत्पादन का स्तर नीचा रहना :

(i) उचित उत्पादन, आयोजन और निमंत्रण का अभाव

(ii) उत्पादन उपकरणों की अतिरिक्त/संतुलनकारी मदों को कारगर ढंग से प्रयोग में लाने में विलम्ब होना,

(iii) उपकरणों के उचित अनुरक्षण का अभाव, श्रम की कम उत्पादकता

विवरण

परिशिष्ट

वे उपक्रम जिन्हें 1970-71 में हानि हुई।

चालू उपक्रम	रकमें लाख रु० में (अनन्तिम)
1. हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि०	1756.4
2. नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि०	1105.9
3. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लि०	786.6
4. माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०	645.3
5. हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि०	581.6
6. हिन्दुस्तान स्टील लि०	472.0
7. इण्डियन एयर लाइन्स	469.4
8. हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि०	288.5
9. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०	262.2
10. फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०	211.6
11. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जलपरिवहन निगम लि०	142.7
12. नेशनल इस्ट्रमैण्ट्स एण्ड आप्थालमिक ग्लास लि०	134.7
13. नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लि०	126.0
14. हिन्दुस्तान जिंक लि०	117.7
15. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लि०	95.5
16. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लि०	82.1
17. त्रिवेणी स्ट्क्चरल्स लि०	71.2
18. टैनरी एन्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	57.8
19. नेशनल न्यूजप्रिंट एन्ड पेपर मिल्स लि०	47.3
20. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैम्किल्स लि०	42.6
21. मशील टूल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	35 3
22. सिमेंट कारपोरेशन आफ इन्डिया लि०	34.4
23. प्रागा टूल्स लि०	29.7
24. केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लि०	22.9
25. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०	16.4

26. सेंट्रल फिशरीज कारपोरेशन लि०	11.8
27. इन्डियन कन्शार्सियम फौर पावर प्रोजेक्ट्स लि०	5.1
28. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	3.8
29. सांभर साल्ट्स लि०	3.6
30. इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इन्डिया) लि०	2.5
31. जल और विद्युत विकास परामर्श सेवा (इन्डिया) लि०	1.9
32. हिन्दुस्तान केबल्स लि०	1.2
33. पायराइट्स फोस्फेट्स एन्ड कैमिकल्स लि०	17.3
प्रोत्साहक उपक्रम	
34. पुनर्वास उद्योग निगम लि०	62.6
35. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०	47.3
36. आवास और नगर विकास निगम लि०	*
	7792.9

भारत में विदेशी निवेष करने हेतु परिस्थितियां

2748. श्री डी० के० पंडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश उद्योग कन्फेडरेशन के विदेशी मामलों के वरिष्ठ सलाहकार मि० नोरमन विपइग ने हाल ही में अपने दिल्ली के एक वक्तव्य में कहा है कि भारत में विदेशी निवेष करने हेतु जितनी उपयुक्त परिस्थितियां कुछ समय पूर्व थी, वह अब नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां। सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित वक्तव्य देखें हैं।

(ख) सरकार इस विचार से सहमत नहीं है। सरकार के अनुसार, देश में विदेशी निवेष सम्बन्धी वातावरण में किसी प्रकार की खराबी नहीं आई है।

एकाधिकार आयोग का कार्यकरण

2749. श्री डी० के० पंडा : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग की स्थापना के समय से अब तक इसके कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

*इसने अभी ही कार्य शुरू किया है और इसने 30000 रुपये का संचालन सम्बन्धी व्यय किया है।

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत 1 जून, 1970 से 31 दिसम्बर, 1971 की अवधि तक का एक वार्षिक प्रतिवेदन शीघ्रातिशीघ्र संसद के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

लेखा परीक्षा कार्य का कुछ हाथों में जमा हो जाना

2750. श्री डी० के० पंडा :
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्री एम० कल्याणसुन्दरम् :

क्या **कम्पनी कार्य** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लेखा परीक्षा संबंधी कार्य केवल कुछ फर्मों के हाथ में जमा होता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का जमा होने की इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सरकार को यह ज्ञात हुआ है कि शास-प्राप्त लेखाकार फर्मों की एक लघु संख्या ने, निगम क्षेत्र में, लेखा-परीक्षा काये के एक वृहद भाग को प्राप्त कर लिया है।

(ख) यह विषय परीक्षान्तर्गत है।

सोमालिया की एक तेल कम्पनी के शेयर प्राप्त करने के लिए आयल इण्डिया द्वारा मांगी गई अनुमति

2751. श्री डी० के० पंडा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया ने, इस समग्र अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनी के एक समूह के संयुक्त स्वामित्व वाली सोमालिया (अफ्रीका) की एक बहुत बड़ी तेल कम्पनी के शेयर प्राप्त करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आयल इंडिया द्वारा क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलिलम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) बर्मा आयल कम्पनी द्वारा आयल इंडिया लिमिटेड को दी गई पेशकश में अपनी सोमालिया पैट्रोलियम अन्वेषण रियायत उद्यम में मुख्यतः वित्तीय भागीदार की व्यवस्था हुई होती। तकनीकी एवं परिचालन सम्बन्धी सभी निर्णय विदेशी भागीदार के हाथों में रहे होते। प्रारम्भिक अनुमानित अन्वेषण लागतों के लिए अपने हिस्से की अदायगी से इस पेशकश से आयल इंडिया लिमिटेड को उद्यम में थोड़ा सा अधिकार प्राप्त हुआ होता। ऐसा भी उस क्षेत्र में दो कुएं खोदने के लिए,

उस समय किये जा रहे सर्वेक्षण जैसे प्रारम्भिक कदमों के आधार पर निर्णय किये जाने की शर्त पर था।

रियायत के क्षेत्र की स्थितियों तथा संभावनाओं को देखते हुए, क्योंकि यह शर्त आकर्षित नहीं समझी गई पेशकश स्वीकार नहीं की गई थी।

इण्डियन आयल कारपोरेशन में प्राक्कलन समिति के 86वें प्रतिवेदन में उल्लिखित दस्तावेजों के गुम होने के बारे में की गई कार्यवाही

2752. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **पैट्रोलियम और** रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राक्कलन समिति (चौथी लोक सभा) द्वारा अपने 86वें प्रतिवेदन के पैरा 1.24 से 2.32 में की गई शिकायतों के अनुसरण में इंडियन आयल कारपोरेशन के दस्तावेजों के गुम होने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : इस विषय पर सरकार के उत्तर, जिसका प्राक्कलन समिति ने अपनी 115वीं रिपोर्ट के अध्याय 11 (क्रम संख्या 4 पेराग्राफ 2.31 में सिफारिश) में उल्लेख किया है, की दृष्टि में इस मामले में कोई और कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं थी; प्राक्कलन समिति (चौथी लोक सभा) की 286वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण इस रिपोर्ट में दिये गये हैं।

उड़ीसा में पर्यटन का विकास तथा पर्यटकों के आकर्षण केन्द्रों पर होटल खोला जाना

2753. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पर्यटन के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या उड़ीसा में पर्यटकों के आकर्षण केन्द्रों पर कुछ अच्छे होटल खोलने की वांछनीयता पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और उस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) उड़ीसा में चुने हुए पर्यटन केन्द्रों पर उपयुक्त आवास की कमी को पूरा करने के लिए तीसरी योजना में भुवनेश्वर और कोणार्क में पर्यटक बगले बनाये गये थे, जिनकी वित्त व्यवस्था पूर्णतया केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा की गई थी, तथा पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क और रम्भा में भी पर्यटक बंगलों का निर्माण किया गया था जिसके लिए 50% अनुदान दिया गया था। पर्यटन विभाग ने दूसरी योजना में राज्य सरकार को पुरी, भुवनेश्वर और रूरकेला में पर्यटन ब्यूरो खोलने के लिये 50% आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। वर्तमान योजना की अवधि में कोणार्क और भुवनेश्वर में सुविधाओं के और अधिक विकास पर प्रयत्न केन्द्रित करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने खंडगिरि और उदयगिरि में

पुंज प्रकाश व्यवस्था, पर्यटक बंगलों के विस्तार, चिल्का झील पर मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था, परिवहन-वृद्धि, और पुरी से कोणार्क तथा मेरीन ड्राइव के निर्माण से सम्बन्धित पर्यटन स्कीमों के लिये 32 लाख रुपये की योजनागत वित्त व्यवस्था की है ।

(ख) और (ग) उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र में कोई होटल बनाने का प्रस्ताव नहीं है, परन्तु भारत पर्यटन विकास निगम का भुवनेश्वर में अपने यात्री-लाँज का विस्तार करने का प्रस्ताव है। एक प्राइवेट पार्टी से एक 75 कमरे वाले होटल के निर्माण के बारे में प्राप्त हुए प्रस्ताव की पर्यटन विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

विमानन अनुसंधान केन्द्र के एक विमान का दुर्घटनाग्रस्त होकर भूमि पर उतरना

2755. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानन अनुसंधान केन्द्र का एक विमान 12 अगस्त, 1971 को दुर्घटनाग्रस्त होकर भूटान में आवदेन के निकट भूमि पर उतरा था;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना संबंधी तथ्य तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) इस दुर्घटना में कितने लोग हताहत हुए;

(घ) क्या उक्त दुर्घटना की कोई जांच की गई है; और

(ङ) इस विमान पर सवार अधिकारियों तथा विशिष्ट व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (ङ) इस विषय में कोई सूचना देना लोकहित में नहीं होगा ।

सुरक्षा सम्बन्धी योजना का पाकिस्तान को बेचा जाना

2756. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी पाकिस्तान से लगने वाले क्षेत्रों से सम्बद्ध सुरक्षा सम्बन्धी योजनाएं हाल ही में कथित रूप से पाकिस्तान को बेची गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन गुमशुदा सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) जी नहीं। सरकार को हाल में पाकिस्तान को किसी भी रक्षा योजना की बिक्री के किसी भी मामले की सूचना नहीं है । तथापि एक ब्लू प्रिंट के गुमने का एक मामला था जो अगले दिन प्राप्त कर ली गई थी, अतारांकित प्रश्न संख्या 1870 दिनांक 26 नवम्बर, 1971 के उत्तर के संदर्भ में देखें ।

उत्तर कनारा जिले (मैसूर) में कास्टिक सोडा फैक्टरी के लिए भूमि के अर्जन से विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यवाही

2757. **श्री वी० वी० नायक :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कनारा जिले (मैसूर) में कास्टिक सोडा फैक्टरी के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों जिनकी संख्या लगभग 12,600 है के पुनर्वास के लिये उनकी भूमि अर्जित करने से पूर्व पर्याप्त कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या भूमि अर्जन कार्यवाही को तब तक के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव है जब तक कि मैसूर में लोकप्रिय सरकार स्थापित नही हो जाती ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) मैसूर सरकार से सूचना मांगी गई है। सूचना प्राप्त होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के एक कर्मचारी की मृत्यु

2758. **श्री दशरथ देव :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की अगरतला स्थित सैंट्रल वर्कशाप के एक कर्मचारी श्री तारा साहकिया की तेल के तथा प्राकृतिक गैम आयोग के अगरतला के अस्पताल में उचित तथा समय पर चिकित्सा न मिलने के कारण मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के त्रिपुरा प्रायोजना में कार्य कर रहे लुहार श्री तारा साहकिया, ने बीमारी की सूचना दी थी तथा वह उक्त आयोग के चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से आंत्र मरिंगो एसेफलेमाएलाइटस के इलाज के लिए 8-9-1971 को अगरतला के सरकारी हस्पताल में प्रविष्ट किये गये थे। सरकारी हस्पताल के विशेषज्ञों ने उनकी जाँच की थी तथा उनकी उचित चिकित्सा की थी। किन्तु दुर्भाग्यवश, कुछ सुधार होने के पश्चात् श्री साहकिया का हृच्छवासन भंग हो जाने के कारण 17-11-1971 को हस्पताल में देहान्त हो गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं को नियंत्रण में लेना

2759. **श्री दशरथ देव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय सभी शाखाएं, मलेशिया स्थित शाखाओं को छोड़कर, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं या उनकी सहायक कम्पनियों के रूप में काम कर रही हैं।

(ख) मलेशिया में, विदेशी सरकार के स्वामित्व की या उसके द्वारा नियंत्रित किसी बैंकिंग कम्पनी को, बैंक सम्बन्धी कारोबार करने की अनुमति नहीं है। मलेशिया में भारतीय बैंकों की शाखाओं के कारोबार को अपने हाथ में लेने के लिए वहां एक नई कम्पनी स्थापित करने का प्रस्ताव हैं जिसकी $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत पूँजी भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास होगी।

खराब गोलाबारूद

2760. डा० कर्णी सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सितम्बर, 1969 में दिये गये प्रयादेशों के अनुसार शस्त्र सेनाओं के उपयोग के लिये फरवरी, 1968 तक आयात किया गया चार करोड़ रुपये के मूल्य का गोलाबारूद खराब पाया गया था;

(ख) क्या उक्त गोला बारूद के विदेशी सप्लायर के सहयोग से देश में उक्त गोला बारूद का निर्माण आरम्भ किया गया था;

(ग) क्या भारत में निर्मित गोला बारूद भी खराब पाया गया था जिसके फलस्वरूप और आगे उत्पादन स्थगित करना पड़ा था; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त उत्पादन स्थगित करने के कारण अनुमानतः कुल कितनी हानि हुई ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां। 1966 में दिए गए आर्डरों के अन्तर्गत आयात किए गोले बारूद में कुछ खराबी पाई गई थी। सप्लाई कर्ता ने अब मरम्मत के तरीके का हल निकाल लिया है तथा खुद खर्च वहन कर खराबी को दूर करने के लिये सहमत हो गया है। तदनुसार सप्लाई किए गए गोले बारूद के परिमाण के एक भाग की खराबियों को सन्तोषजनक रूप से दूर कर दिया गया हैं तथा शेष कुछ दिनों में ठीक कर दिए जाएंगे।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) देश में उत्पादित किये गये गोले बारूद में भी उसी प्रकार की खराबी पाई गई जैसी कि आयात किए गए में। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन को अस्थाई रूप से रोकना पड़ा। फर्म द्वारा मरम्मत के लिये सन्तोषजनक निदान निकालने के पश्चात भविष्य की उत्पादन की योजना सशस्त्र सेनाओं की कुल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। परन्तु घरेलू उत्पादन के गोले बारूद में खराबी पाई जाने के कारण कुछ दिनों तक बन्द किये जाने के फलस्वरूप कोई उल्लेखनीय हानि नहीं हुई है।

P licy adopted in regard to Advancing of loans to engineers by Banks.

2761. **Dr. Lakminarain Pandey** : Will the Minister of **Finance** be pleased to State :

(a) the time generally taken in advancing loans to engineers by banks after receipt of applications;

(b) whether it is a fact that even after the approval of schemes by Government, banks do not pay the required amounts in full; and

(c) the policy laid down by Government in this regard ?

The Minister of finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) Banks normally take two to three months to finalise loan proposals from engineers. In some cases it takes longer if necessary information is not furnished along with the applications.

(b) & (c). Government have not approved any scheme as such Schemes are prepared by the banks. Guidelines for framing schemes are issued by the Reserve Bank of India. Sometimes the banks refer the applications made in response to the schemes to extension and consultancy agencies in the public or the private sector for scrutiny of the proposal. The actual amount of the loans sanctioned is determined by the banks depending on the genuine requirements of the project. Sanctioned loans are also disbursed at times in instalments as determined by the banks. It is possible that, in a few cases, there is some difference in amount recommended by the consultants and the amount actually sanctioned by banks.

Collecion of Wealth Tax

2762. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the percentage of increase in the number of wealth-tax payers during the last three years;

(b) the percentage of increase in the amount of wealth-tax collected during the period; and

(c) the total number of Wealth-tax payers at present ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) The percentage of increase in the number of Wealth-tax assessees has been as under :

Financial year.	**Percentage of increase over the immediately preceding year.**
1968-69	12.7
1969-70	28.3
1970-71	24.4

(b) The percentage of increase in the amount of Wealth-tax collected has been as under :

Financial year	**Precentage of increase over the immediately preceding year.**
1968-69	9.1
1969-70	38·1
1970-71	0·2

(c) The total number of Wealth-tax assessees as on 30. 9. 1971 (i, e. the latest available figure) was 1, 82, 463.

Shifting of office of Appellate Assistant Commissioner Ratlam

2763 : **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether the office of the Appellate Assistant Commissioner, Ratlam is proposed to be shifted from there;

(b) whether the Tax Advisory Council, Ratlam has passed a resolution requesting Government not to shift it from there; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) No Sir.

(b) A representation urging the Central Board of Direct Taxes not to abolish the office of the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Ratlam was reveived from the kar Salahakar Parishad, Ratlam.

(c) The Kar Salahakar Parishad, Ratlam has already been informed that at present there was no move for the abolition of the office of the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Ratlam.

Memorandum sent by Residents of Danapur, District Patna to the chairman of the State Bank

2764. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether 48 traders and other residents of Danapur in District Patna (Bihar) had sent a memorandum to the Chairman of the State Bank, Bombay on the 20 th October last in regard to the local Branch of the State Bank;

(b) if so, the contents thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. **Chavan)** : a) to (c). Yes, Sir. A representation dated 20th October, 1971 was made to Chairman, State Banks of India by some traders and residents of Danapur in the District of Patna (Bihar), requesting for the shifting of the branch of State Bank of India at Danapur from its existing premises to a location considered more convenient for businessmen. The representation is being looked into by S. B. I.

Supply of inferior quality of petrol by foreign oil companies in 1965

2765. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether due to supply of inferior quality petrol by certain foreign oil companies, our aircrafts engaged in operations during the 1965 Indo-Pak conflict had developed defects; and

(b) if so. the arrangements made by Government to avoid the recurrence of similar situation ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan **Ram**) : (a). No, Sir.

(b) Does not arise.

Difficulty Experienced by persons in obtaining loans for development of small scale industries.

2766. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether many persons are unable to get or experience great difficulty In getting

loans for the development of small scale industries, because of the complicated and unintelligible forms required to be filled up for the purpose;

(b) if so, whether Government propose to simplify the forms; and

(c) if so, when ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c). I have been emphasising in my meetings with the Chief Executives of the public sector banks the need to simplify the loan application forms. Reserve Banks of India have already circulated simplified model loan application forms for small scale industries to all the banks for their guidance. A number of banks have already simplified their forms. This question is engaging the attention of the remaining banks and it is hoped that very soon all the banks will have simplified their forms.

बम्बई के निकट देखी गई पाक पनडुब्बी ।

2767. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या रक्षा यह मन्त्री बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बम्बई के निकट एक पाकिस्तानी पनडुब्बी देखी गई थी,

(ख) यदि हां, तो इन घटना के तथ्य क्या हैं, और

(ग) क्या शत्रु देशों की पनडुब्बियों द्वारा हमारी समुद्री नौका का अतिक्रमण रोकने के उपाए किए गए हैं ?

रक्षा मंन्त्री (श्री जगजीवन राम). (क) और (ख). इस वर्ष अगस्त में बम्बई से कुछ दूर हमारे क्षेत्रीय सागर से बाहर एक पनडुब्बी देखी गई थी परन्तु उसको पहचाना नहीं जा सका ।

(ग) जी हां ।

छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों की ऋण संबंधी आवश्यकतायें

2768. **श्री भोला मांझी :**

श्री वी0 के0 दासचौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है तब से इन बैंकों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को उस वृद्धि से कोई लाभ नहीं हुआ है, और

(ग) यदि हां तो क्या छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों की ऋण संबन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई विशेष कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यंशवन्तराव चव्हाण) : (क). नीचे दी गयी सारणी से यह पता चलेगा कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये प्रत्यक्ष ऋणों (बागानों को छोड़ कर) की बकाया रकमों में जून 1969 और जून 1971 के बीच 195.53 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है ।

सारणी

(लाख रुपयों में)

जून 1969 के अन्त में		जून 1971 के अन्त में		जून 1969 और जून 1971 के अन्त तक के बीच हुई वृद्धि	
खातों की संख्या	बकाया शेष	खातों की संख्या	बकाया शेष	खातों की संख्या	बकाया शेष
171880	3802.0	805735	19755.2	633855	19553.2

(ख) और (ग). 5 एकड़ और उससे कम जोत वाले छोटे और सीमान्तिक किसानों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये प्रत्यक्ष ऋणों की बकाया रकमें 25 दिसम्बर 1970 को 184.26 करोड़ रुपया अर्थात् कुल रकम का लगभग 21.5 प्रतिशत थी।

छोटे और सीमान्तिक किसानों को दिये गये बैंक अग्रिमों में, तेजी से और वृद्धि करने के लिए किये गये उपायों को संलग्न विवरण में बताया गया है।

विवरण

ग्राम्यऋण समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार छोटे किसानों की दशा सुधारने के लिए देश में 46 लघु कृषक और 41 सीमान्तिक कृषक और कृषि श्रमिक विकास अभिकरणों की मंजूरी दी गयी है। लघु कृषक विकास अभिकरणों सीमान्तिक कृषक और कृषि श्रमिक अभिकरणों का मुख्य उद्देश्य अपने अपने क्षत्रों में लघु सीमान्तिक किसानों और कृषि श्रमिकों के पात्रवर्गों का पता लगाना और उनके लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करना, कृषि के काम आने वाली वस्तुओं सेवाओं और ऋण की उपलब्धि की सुनिश्चित व्यवस्था करना और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत, प्रवित्तीय एवं प्रशासनात्मक प्रबन्ध करना है। लघु कृषक विकास अभिकरण का उद्देश्य उपयुक्त फसल आयोजनाएं अपना कर उनकी आय अधिक से अधिक करके छोटे किसानों को सक्षम बनाना है जबकि सीमान्तिक कृषक और कृषि श्रमिक अभिकरणों का उददेश्य सीमान्तिक किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों के लिए सहायक व्यवसाय प्रारम्भ कर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। आशा है कि वित्तीय संस्थाएं अर्थात् सहकारी और वाणिज्यिक बैंक इस सम्बन्ध में बनायी गयी योजनायों के क्रियान्वयन की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए समय पर ऋण उपलब्ध करेंगे।

भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड नाम की एक नयी सरकारी लिमिटेड कम्पनी जनवरी 1971 में निगमित की गयी थी और उसने 1 अप्रैल, 1971 से काम करना शुरू कर दिया था। अन्य बातों के साथ-साथ, थोड़ी अवधि के लिए कृषकों को 1000 रुपये तक के ऋण और मध्यम अवधि के लिए 5000/- रुपये तक के ऋण निगम की गारंटी योजना के अन्तर्गत आ जायंगे। इस योजना के अधीन 75 प्रतिशत तक की हानियों को पूरा किया जायगा।

कृषि पुनर्वित्त निगम, छोटे और सीमान्तिक किसानों के लिए लघु कृषक विकास अभिकरणों सीमान्तिक कृषक कृषि श्रमिक क्षेत्रों में शुरू की गयी योजनाओं के लिए 100 प्रतिशत पुनर्वित्त की

व्यवस्था करता है।

1000 रुपये से 5000 रुपये तक, फसल ऋण विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भूमि की किसी प्रकार की दृश्य प्रतिभूति की मांग किये बिना दिये जाते है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक प्रथा चलायी है जिसके अनुसार केन्दीय सहकारी बैंकों को मंजूर की गयी 20 प्रतिशत तक की ऋण सीमाओं को छोटे तथा आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर किसानों के लिए निर्धारित करना आवश्यक है।

राज्यीय कानूनों से सम्बन्धित विशेषज्ञ सूमह की सिफारिशे, जो कृषकों के भूमि हस्तान्तरण अधिकारी के सम्बन्ध में और अन्य मामलों में कृषि के लिए ऋण देने वाले वाणिज्यिक बैंकों पर प्रभाव डालती है, जब राज्य सरकारों ारा क्रियान्वित की जायंगी तब वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने, विशेष कर छोटे किसानों को ऋण देने में प्रोत्साहन मिलेगा।

राज्यों में संथेटिक डीटरजेंट कारखाने की स्थापना

2769. श्री ई० आर० कृष्णन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां संथेटिक डीटरजेंट कारखानों की स्थापना अभी तक नहीं की गई है;

(ख) उन राज्यों में ऐसे कारखानो की स्थापना के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं;

(ग) क्या उत्पादन 47580 टन की अधिष्ठापित क्षमता पर पहुंच चुका है; और

(घ) क्या 66520 टन की अतिरिक्त क्षमता, जिसके लिए आशय पत्र दिये जा चुके हैं; अधिष्ठापित की जा चुकी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल को छोड़कर सभी राज्य।

(ख) गुजरात, हरियाणा, मैसूर, पंजाब तथा तामिलनाडु राज्यों में कारखानों की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी किये गये हैं।

(ग) 1970 में 31,400 मीटरी टन उत्पादन हुआ था और 1971 में इसके स्थापित क्षमता तक पहुंच जाने की आशा है।

(घ) जी नहीं। योजनायें कार्यान्वित की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

एथिल एलकोहल (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1971 के संबंध में तामिलनाडु से अभ्यावेदन

2770. श्री ई० आर० कृष्णन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु के कुछ एककों से एथिल एलकोहल (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1971 के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) निम्न विषयों के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे।

(1) एलकोहल के मूल्य में कमी।

(2) अधिप्रभार जो सीरे के परिवहन लागत के कारण आसवनियों द्वारा लगाया जा सकता है, की सीमा में कमी।

(3) आसवनियों को, जो अपनी इकाइयों में भट्टी तेल को ईंधन के रूप में प्रयोग में लाती हैं, दिए जाने वाले भत्ते का बन्द करना।

टैरिफ कमीशन की जिसने समस्त सम्बद्ध तथ्यों पर विचार किया है, सिफारिशों के आधार पर 1—2—1971 से एलकोहल मूल्य का पुनरीक्षण किया गया है। मूल्य का पुनरीक्षण करते समय अभ्यावेदनों में दिये गये विषयों पर विचार किया जायेगा।

सीरे के परिवहन मूल्य के कारण अधिप्रभारन की सीमा तथा भट्टी के तेल के प्रयोग के कारण भत्ते के समापन के बारे में अभ्यावेदनों पर विचार हो रहा है।

डी० डी० टी० के निर्माण के लिए एक नए संयंत्र की स्थापना अथवा अलवाये स्थित बी० एच० सी० संयंत्र का विस्तार करने सम्बन्धी निर्णय

2771. श्री आर०पी० उलगनम्बी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा निर्णय किया गया है कि डी० डी० टी० का निर्माण करने के लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया जाए अथवा अलवाये स्थित बी० एच० सी० संयंत्र का विकास किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलोल नवगांव में पाइप लाइन का कार्य पूरा किया जाना

2772. श्री आर०पी० उलगनम्बी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलोल-नवगांव क्षेत्र में पाइप लाइन डालने का कार्य निर्धारित समय में पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसे चालू कर दिया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) . (क) तथा (ख) कलोल-नवगांव कोयाली पाइप लाइन पर मुख्य कार्य के पूर्ण होने के पश्चात ही उक्त लाइन का कलोल-नवगांव क्षेत्र (सैक्टर) 28-8-71 को चालू किया गया था। पाइप लाइन को चालू करने में विलम्ब कुछ तो आयातित सीवनहीन पाइप की देरी से उपलब्धि के कारण हुआ तथा कुछ अंशों में ठेकेदार द्वारा कार्य में धीमी प्रगति के कारण हुआ।

त्रिपुरा में कुएं की खुदाई के लिए आधुनिक उपकरण का आयात

2773. श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा क्षेत्र में पहला कुआँ खोदने के लिये आधुनिक उपकरण का आयात निश्चित कार्यक्रम के अनुसार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पहला कुआँ खोदा जा चुका है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी. सी. सेठी) : (क) जी नहीं । उपकरणों का आयात मुख्य रूप से अमरीका से किया जाना था । लेकिन अमरीका में लांग-शोरमेन (बन्दरगाह के मजदूरों) की हड़ताल के कारण उस देश से आयात की जाने वाली मदों का अभी तक केवल एक भाग प्रेषित किया जा सका है, हालांकि 1971 की पहली छमाही तक सभी मदों के लिए आर्डर दे दिये गये थे । उन मदों, जिनका अभी तक प्रेषण नहीं हुआ है, के प्रेषण अमरीका के ईस्ट कोस्ट से वैस्ट कोस्ट बन्दरगाहों, जहाँ हड़ताल समाप्त हो जाने की रिपोर्ट मिली है, का अपवर्तन करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

जीप कारों का निर्माण करने हेतु जबलपुर में एक कारखाने की स्थापना

2774. श्री शशि भूषण : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के लिए जीप कार तथा अन्य वैहिकल बनाने के लिए सरकार ने जबलपुर में एक कारखाने की स्थापना की है;

(ख) शैड तथा अधिकारियों की कालोनी के लिये निर्माण पर अब तक 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय की जा चुकी है;

(ग) क्या वहाँ जीपकारों का निर्माण आरम्भ हो गया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कारखाने का उत्पादन लक्ष्य क्या है तथा वहाँ से पहली जीप कार कब तक तैयार हो कर आने की आशा है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां। जबलपुर में तीन प्रकार की गाड़ियों के निर्माण के लिए एक अलग फैक्टरी खोली गई है। यह हैं शक्तिमान 3 टन, निशान 1 टन और जौंगा (यह एक जीप की तरह गाड़ी है)

(ख) फैक्टरी में कई इमारतें हैं—तकनीकी, उत्पादन, प्रशासनिक और गोदाम। साथ-साथ एक उपनगर भी है जिसमें विभिन्न प्रकार के आवास सम्बन्ध सेवाओं सहित हैं और अफसरों के लिए एक कालोनी भी शामिल है। इन सबका निर्माण सरकारी एजेन्सी द्वारा हुआ है जिसके लिए पर्याप्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त स्वीकृति दी गई थी। समस्त सिविल वर्क्स में कुल खर्चा अनुमानतः 13·43 करोड़ रुपये धन राशि का है।

(ग) और (घ). जी हां। निशान जोंगा का उत्पादन फैक्टरी में आरम्भ हो चुका है। चालू वर्ष के लिए उत्पादन लक्ष्य 1500 निशान जोंगा है।

जबलपुर स्थित जीप तथा मोटरगाड़ी कारखाने से शैड के निर्माण पर किया गया व्यय

2775. श्री शशि भूषण : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर में हाल ही में स्थापित जीप तथा मोटरगाड़ी कारखाने के शैड के निर्माण पर आवश्यकता से बहुत अधिक धन राशि व्यय की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस व्यय के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है और यदि हां, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं। माननीय सदस्य महोदय शायद जबलपुर स्थित न्यू व्हैकिल्स फैक्टरी के उत्पादन शापों का उल्लेख कर रहे हैं। इस तकनीकी आवास का निर्माण, तीन विभिन्न प्रकार की गाड़ियों 3 टन, 1 टन तथा जोंगा के उत्पादन की आवश्यकताओं की विस्तृत छानबीन के पश्चात किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स एस्सो कम्पनी द्वारा दी गई विक्रय एजेन्सियां

2776. श्री शशि भूषण : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस्सो कम्पनी की भारत में कितनी पूँजी लगी हुई है;

(ख) ऐसे पेट्रोल पम्पों की संख्या कितनी है जिनपर इस कम्पनी का स्वामित्व है या जिनको इस कम्पनी ने विक्रय एजेन्सियाँ दे रखी है; और

(ग) गत तीन वर्षों में इसे विभिन्न क्षेत्रों में कितने विस्तार की अनुमति दी गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों में इसने कितना लाभ विदेशों को भेजा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 31·12·1970 को एस्सो मार्केटिंग और रिफाइनिंग (विपणन एवं शोधन) द्वारा लगाई गई कुल पूंजी 2901·7 लाख रुपये थी।

(ख) 1-1-1971 को मैसर्स एस्सो के फुटकर विक्रेता पम्प देश भर में 1928 थे।

(ग) गत तीन वर्षों में शोधन क्षमता के विस्तार के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी।

(घ) गत तीन वर्षों में मैसर्स एस्सो द्वारा लाभों/लाभांशों/सकल पारिश्रमिक के कारण विदेश में अपने मुख्यालयों को निम्नलिखित धन राशियां भेजी गई थी :—

लाख रुपयों में

कम्पनी का नाम	1968	1969	1970
एस्सो	15	15	94
एस्सो रिफाइनिंग	शून्य	171	284

इण्डियन एयरलाइन्स के श्री रानादिवे आदि के विरुद्ध मुअत्तिली के आदेशों और न्यायालय में चल रहे मुकदमों को वापिस लेने का निर्णय

2777. श्री माधुर्य्य हाल्दार :
श्री बीरेन दत्त :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐवरो तकनीकी समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने श्री राना दिवे, इण्डियन एयरलाइन्स, बम्बई के डिप्टी आपरेशन्ज मैनेजर और इण्डियन कमर्शियल पायलेट्स ऐसोसिएशन के अध्यक्ष के विरुद्ध मुअत्तिली के आदेशों और न्यायालय में चल रहे मुकदमों को वापिस लेने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) कैप्टेन रानादिवे के विरुद्ध निलंबन आदेशों तथा कोर्ट केस को वापस लेने का कोई निर्णय नहीं किया गया है। भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ (आई०सी०पी०ए०) का प्रधान निलंवित नहीं है और न ही उसके विरुद्ध कोई कोर्ट केस अनिर्णीत पड़ा है।

भूतपूर्व सैनिक कर्मचरियों को पेट्रोल पम्पों का आवंटन

2778. श्री हरी सिंह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन की कोई ऐसी योजना है कि पेट्रोल पम्प आवंटित करने के मामले में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो पेट्रोल पम्पों के लिये कितने भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों ने आवेदन किया और चालू वर्ष से उनमें से कितने व्यक्तियों को पैट्रोल पम्प अलाट किये गये ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां। पैट्रोल पम्पों के आवंटन के सम्बन्ध में अन्य बातों के समान होने पर भूतपूर्व सैनिकों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों को महत्व दिया जाता है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिए पेट्रोल पम्पों का आरक्षण

2779. श्री हरी सिंह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने छावनी क्षेत्रों के सभी पैट्रोल पम्प केवल भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिये आरक्षित रखने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो छावनी क्षेत्रों के पैट्रोल पम्पों के लिये कितने भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों ने आवेदन किये और चालू वर्ष के दौरान कितने भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को पैट्रोल पम्प आवंटित किये गये ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हाँ,

(ख) आलोच्य वर्ष में छावनी के अधिकारियों द्वारा कोई फुटकर विक्रय पम्प नहीं दिया गया है। अतः प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित करने तथा फुटकर विक्रय पम्पों के आवंटन के लिए उन पर कार्यवाही करने का अभी प्रश्न नहीं उठता।

मकान बनाने हेतु रक्षा कर्मचारियों को ऋण

2780, श्री हरी सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली ने निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये आवास योजना के अन्तर्गत रक्षा कर्मचारियों को मकान बनाने हेतु ऋण देने के लिये निधियां आरक्षित की है; और

(ख) यदि हां, तो रक्षा कर्मचारियों को उक्त योजना के अन्तर्गत जनवरी 1970 से अब तक उनके द्वारा कितनी धनराशि दी गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना राज्य सरकार तथा केन्द्रीय क्षेत्र के प्रशासनों से मंगाई गई है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

भूतपूर्व सैनिकों को फालतू सैनिक भूमि अलाट करने की योजना

2781. श्री हरी सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फालतू सनिक भूमि भूतपूर्व सैनिकों और उनकी सहकारी समितियों को देने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजना के लिए दिसम्बर, 1971 में कितनी फालतू भूमि उपलब्ध होगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सरकार की सामान्य नीति सुरक्षा विभाग के अधीन जमीन को पट्टे पर देने के मामले में भूतपूर्व सैनिकों की सहयोग सोसाइटी को

और अकेले भूतपूर्व सैनिक को प्राथमिकता देने की है। कृषि योग्य भूमि जो कि रक्षा आवश्यकताओं के लिए स्थाई रूप से अधिक हों, तथा जिसे लेने की इच्छा भूतभूर्व सैनिकों की सहयोग सोसाइटी या अकेले भूतपूर्व सैनिक करते हैं, उसका स्थाई रूप से विक्रय नहीं किया जाता है बल्कि वह भूतपूर्व सैनिकों की सहयोग सोसाइटी या अकेले भूतपूर्व सैनिक को पट्टे पर दे दी जाती है। उसी प्रकार से शहरी जमीन के टुकड़ों के निपटारे के मामले में भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाती है। उस कृषि योग्य भूमि के लिए, जिसकी रक्षा प्रयोजनों के लिये तत्काल आवश्यकता नहीं होती है लेकिन जो रक्षा आवश्यकताओं के लिए स्थाई रूप से अधिक नहीं है सरकार की नीति भूतपूर्व सैनिकों की सहयोग समिति और अकेले भूतपूर्व सैनिक को प्राथमिकता देने की है। कृषि योग्य भूमि अस्थाई रूप से अधिक होती है, और जिसे कृषि के लिए पट्टे पर भूतपूर्व सैनिकों की सहयोग समिति या अकेले भूतपूर्व सैनिक को छोड़ जब अन्य पार्टी को दी गई हो, उस स्थिति में, सामान्य नीति यह है कि वैसी जमीन को धीरे धीरे क्रमागतरूप से उनसे वापस ले लिया जाए तथा विशेष कठिनाई के मामलों को छोड़ कर भूतपूर्व सैनिकों की सहयोग सोसाइटी या अकेले भूतपूर्व सैनिक को पट्टे पर दे दी जाए। यह कहना संभव नहीं है कि रक्षा विभाग की कितनी जमीन दिसम्बर, 1971 में उपलब्ध रहेगी। तथापि कृषि योग्य भूमि के पट्टे मार्च या मई माह की समाप्ति पर खत्म हो जाते है।

पश्चिम एशियाई हवाई अड्डे पर जम्बो जेट के इंजन में खराबी

2782. श्री विजय पाल सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक पश्चिम एशियाई हवाई अड्डे पर एक जम्बो जेट के इंजन में खराबी आ गई थी और उसकी पुनः उड़ान से पूर्व इसके पूरे इंजन को बदला गया था;

(ख) यदि हां, तो इन्जन के बदलने की लागत यात्रियों के लिए वैकल्पिक उड़ान व्यवस्था पर आने वाली लागत को किसने वहन किया; और

(ग) क्या जम्बो को बनाने वाली कम्पनी ने विमान के लिए कोई गारन्टी दी थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) उड़ान भरने से पूर्व एयर इण्डिया के 747 विमान के एक इंजन को तेल की अधिक खपत करने के कारण 2 अगस्त, 1971 को कुवैत में बदला गया था।

(ख) प्रचलित परिपाटी के अनुसार, इंजन के बदलाव की कीमत तथा यात्रियों को उड़ान के लिये वैकल्पिक प्रबंध करने का खर्चा एयर इण्डिया द्वारा वहन किया गया। श्रम एवं साज-समान सहित इन्जन की मरम्मत का व्यय निर्माता द्वारा वहन किया गया क्योंकि इन्जन में खराबी 'वारंटी-काल' में ही हुई थी।

(ग) विमान निर्माता विमान की संरचना के बारे में, जिसमें साज-समान व डिजायन की खराबियां भी सम्मिलित हैं, एक नियत अवधि के लिये गारन्टी देते हैं। इंजन के दोष एवं खराबियां एक निश्चित अवधि की 'वारन्टी' में ही आ जाते हैं और उसमें दोषपूर्ण पुर्जों का बदलाव एवं उस बदलाव के लिये साज-सामान तथा श्रम भी सम्मिलित होते हैं।

आयुध कारखानों में उत्पादन का बढ़ाया जाना

2783. श्री विजय पाल सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में आयुद्ध कारखानों के कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या पाकिस्तान की युद्ध जैसी तैयारियों के परिणामस्वरूप, हमारी सीमाओं पर उत्पन्न हुई तनावपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयुद्ध कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के बारे में कोई विशेष कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका सारांश क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) जी हां । प्रमुख मदों का उत्पादन जिनकी सशस्त्र सेनाओं को आवश्यकता है, का एक कैश कार्यक्रम संबन्धित सेवाओं से मशविरा के बाद लिया गया है जिससे कि बढ़ती हुई आवश्यकताएं पूरी की जा सकें । आयुध कारखानों को इन बढ़ती हुई ग्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक क्रियाशील बनाया गया है । आयुध कारखानों के जनरल मैनेजर को माल तथा अवयवों आयात किये जाने वाले तथा देशी दोनों के प्रबन्ध के लिए विशेष वित्तीय शक्तियां दी गई हैं । कार्यविधि की धारा रेखित करने के लिए कदम उठाये गये हैं जिससे सेवाओं, प्रापण एजेन्सी तथा अन्य सम्बद्ध ग्रधिकारियों से मशविरा कर के उत्पादन में अनेकों व्यवधानों को दूर किया जा सके ।

विवरण

आयुक्त कारखानों के पिछले 3 वर्षों के निष्पादन का संक्षिप्त विवरण ।

आयुध कारखानों में पिछले 3 वर्षों में काफी प्रगति हुई है । स्थापित मदों के अलावा सशस्त्र सेनाओं के लिए आवश्यक मदों की एक बड़ी संख्या का उत्पादन इस अवधि में स्थापित किया गया है तथा आत्म निर्भरता का क्षेत्र काफी बढ़ा है ।

2. 1962 के बाद स्थापित नई फैक्ट्रिया प्रगतिशील रूप से बढ़ती हुई संख्या में मदों का उत्पादन करने लगी हैं तथा छोटे हथियारों तथा हल्की तोप खाने के हथियार तथा गोले बारूद के लिए पर्याप्त आत्म निर्भरता प्राप्त करली गई है । एन्टी एयरक्राफ्ट गन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए गए हैं । स्मोक एम्यूनेशन के लिए उजले फासफोरस फिलिंग का उत्पादन स्थापित किया गया है । शक्तिमान 3 टन ट्रक, निशान 1 टन ट्रक तथा निशान पेट्रोल जिसका निर्माण पहले आयुध कारखानों की वर्तमान क्षमता के अन्तर्गत किया जा रहा था उनके निर्माण के लिए एक नई व्हीकल फैक्ट्री की स्थापना की गई है तथा इसमें उत्पादन आरम्भ हो चुका है । जबलपुर में एक ग्रेग्रायरण फैक्ट्री स्थापित की जा रही है जिससे बड़ी संख्या में ग्रे ग्रायरण और पिटवाँ आयरन कास्टिग का उत्पादन, व्हीकल फैक्ट्री, टैंक फैक्ट्री तथा रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, हो सके । क्रुपसैन पुलों के लिए

फ्लोटस का उत्पादन देश में आरम्भ हो चुका है। हवाई छतरियों का उत्पादन स्थापित किया गया है तथा अन्य प्रकार के पैराशूटों का उत्पादन स्थापित किया जा रहा है। फोल्ड केबल, कैरियर क्लाड केबल का उत्पादन आयुध कारखानों में आरम्भ किया जा चुका है।

3. द्वितीय महायुद्ध की पुरानी फोल्ड गनों को हटाने के लिए एक नई फोल्ड गन जिसका उससे अधिक अराम है, का विकास देश में किया गया है तथा इसका तकनीकी परीक्षण सफलता पूर्वक समाप्त किया गया है तथा इन गनों का देश में उत्पादन पांच वर्षों के भीतर आरम्भ हो जाने की आशा है। आयुध कारखाने थल सेना तथा असैनिकों के लिए एक नई प्रकार की पिस्तौल का विकास कर रहे हैं तथा इसका उत्पादन 3 वर्ष की अवधि में आरम्भ हो जाने की आशा है। एक एलौय तथा स्पेशल स्टील परियोजना को स्वीकृति दी जा चुकी है जिससे कि अनेक प्रकार के स्टील की मांग जिनकी आधुनिक आयुध के निर्माण में आवश्यकता होती है, पूरी की जा सके।

4. यह कहना यद्धपि आवश्यक है कि आयुध कारखानों का उत्पादन 1970-71 में विशेषकर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। इसका कारण स्टील तथा अन्य कच्चे मालों की कमी तथा कठिन स्थिति थी। इन व्यवधानों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

विदेशी तेल कम्पनियों के हित में सार्वजनिक सम्पर्क सुविधाओं का दुरुपयोग

2784. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें यह आक्षेप लगाया गया है कि विदेशी तेल कम्पनियां आयल इंडिया की सार्वजनिक सम्पर्क सुविधाओं का उपयोग केवल अपने हित में ही कर रही है; और

(ख) क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायत भी प्राप्त हुई है कि उनके मन्त्रालय से सम्बद्ध संयुक्त क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा प्रेस को दी जाने वाली सूचनाओं आदि में कथित सरकार-विरोधी प्रचार सन्नीहित होता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) और (ख) जी नहीं।

विजयन्त टैंक के लिए अवरक्त (इन्फ्रा-रैड) सर्चलाइट

2785. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून स्थित उपकरण अनुसंधान तथा विकास संस्थान ने हाल ही में विजयन्त टैंक के लिए अवरक्त (इन्फ्रा-रैड) सर्चलाइट निकाली है; और

(ख) यदि हां, तो यह सर्चलाइट कहां तक लाभकारी है और इससे टैंक की कार्यकुशलता में कितना सुधार होगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) देहरादून स्थित उपकरण अनुसंधान तथा विकास संस्थान ने विजयन्त टैंक के गनर के लिए अवरक्त सर्चलाइट

का विकास किया है। विजयन्त टैंकों के कमांडरों के लिए अवरक्त सर्चलाइट का विकास कार्य चल रहा है।

(ख) अवरक्त सर्चलाइट का प्रयोग विजयन्त टैंक के चालकों को रात्रि में प्रभावकारी ढंग से टैंक संचालन के लिए समर्थ बनायेगा।

सेवा युक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की नेशनल केडिट कोर में पुनः नियुक्ति

2786. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व एमर्जेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की नेशनल केडिट-कोर में वैकल्पिक पद प्रदान करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारियों को पदों की पेशकश की गई है और उनमें से कितने अधिकारियों ने इन पदों को स्वीकार किया;

(ग) भूतपूर्व एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के हितों को नेशनल केडिट-कोर में सुरक्षित रखने के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है; और

(घ) भूतपूर्व कमीशन प्राप्त अधिकारियों के नेशनल केडिट-कोर की सेवा करने के अन-इच्छुक होने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम):(क) जी हां।

(ख) से (घ) 28 जून 1971 को तारांकित प्रश्न संख्या 767 के उत्तर में जैसा बताया गया था सामान्यतः तीनों सेनाओं के नियमित अफसर राष्ट्रीय कैडेट कोर में पदारूढ़ होते हैं।

नियमित अफसरों की भारी कमी के कारण अनेक भूतपूर्व आपात कमीशन प्राप्त अफसरों को अस्थाई रूप से राष्ट्रीय कैडेट कोर में कमीशन प्रदान कर दिया गया है।

2941 भूतपूर्व आपात कमीशन प्राप्त अफसरों ने राष्ट्रीय कैडेट कोर में कमीशन प्राप्त करने के लिये आवेदन किया था जिनके बारे में राष्ट्रीय कैडेट कोर में कमीशन प्रदान करने के संबन्ध में विचार किया गया है। 1157 को अनुमोदित कर दिया गया है किन्तु उनमें 71 को अन्य संगठनों एवं सेवाओं में जैसे सी.आर.पी./आई.पी.एस./बी.एस.एफ. इत्यादि में खपा लिया गया है तथा शेष 1086 को राष्ट्रीय कैडेट कोर में कमीशन के लिए पेशकश की गई है। 732 राष्ट्रीय कैडेट कोर में आ गए थे किन्तु उनमें 163 ने बाद में राष्ट्रीय कैडेट कोर छोड़ दी है। अतः अब 569 भूतपूर्व आपात कमीशन प्राप्त अफसर राष्ट्रीय कैडेट कोर में कमीशन ग्रहण किये हुये हैं।

उनका सेवाकाल 2 वर्ष निर्धारित है जोकि एक बार एक वर्ष के लिए जब तक उनकी सेवाओं की आवश्यकता है बढ़ाया जाता रहेगा। चूंकि नियमित अफसरों की तीनों सेनाओं में कमी कुछ वर्षों तक रहेगी अतः निकट भविष्य में भूतपूर्व आपात कमीशन प्राप्त अफसरों को जो राष्ट्रीय कैडेट कोर में कमीशन ग्रहण किये हुये हैं छटनी का कोई भय नहीं है। चूंकि उन्हें सैनिक अफसरों के स्थान पर रखा गया है अतः उन्हें राष्ट्रीय कैडेट कोर में स्थाई रूप में नहीं रखा जा सकता है।

भूतपूर्व आपात कमीशन प्राप्त अफसर जिन्हें राष्ट्रीय कैडेट कोर में अस्थाई नियुक्ति दी गई है, जब उन्हें अधिक अच्छी अवधि का रोजगार मिल जाता है राष्ट्रीय कैडेट कोर को छोड़ देते हैं।

पर्यटन के लिए राष्ट्रीय योजना

2787. श्री बेकारिया : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन के लिये एक राष्ट्रीय योजना बनाने का ट्रेवल एजंट एसोसिएशन द्वारा दिए गए सुझाव पर सरकार द्वारा विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) सरकार पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाने के लिये उठाये जाने वाले कदमों पर विचार कर रही है।

गुजरात को वित्तीय महायता

2788. श्री बेकारिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान गुजरात राज्य को विकास कार्यों के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ख) क्या राज्य ने पूर्ण सहायता का उपयोग कर लिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) राज्य की आयोजना के लिए गुजरात को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता और राज्य की हकदारी के आधार पर दी गई वास्तविक रकमें नीचे दी गयी हैं;

(करोड़ रुपयों में)

	निर्धारित रकम	दी गयी केन्द्रीय सहायता
1968-69	34 70	33.03
1969-70	28.20	28.20
1970-71	28 64	27.05

Conditions for Granting Recognition to Unions of Defence establishments

2790. Sﾆri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the terms and conditions governing the grant of recognition to registered unions in Defence Establishments and the Manual in which these have been enumerated; and

(b) whether 'Rashtriya Suraksha Shramik Sangh, Kanpuri fulfils the conditions of recognition ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) A summary of guidelines for recognition of unions of Defence civilians was given in reply to Unstarred Question No. 4929 on 2. 9. 1970.

(b) The Sangh did not fulfil the requirement of restriction of membership to one establishment and was, therefore, advised to comply with it.

Seizure of Smuggled goods in Bombay

2791. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether a huge quantity of smuggled goods was recovered from two trucks by the offiicials of the Directorate of Revenue Intelligence in North Bombay in the month of August, 1971;

(b) if so, the amount of smuggled goods recovered; and

(c) the number of persons against whom action was taken and the nature of action taken in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) (a) & (b). Yes, Sir. on 16-8-1971 officers of the Directorate of Revenue Intelligence unit at Bombay together with local officers of customs seized one truck, one tempo and one taxi together with Synthetic yarn and fabrics of Japanese origin valued at about Rupees 7 lakhs at Indian market rate.

(c) Two persons were arrested in this connection and were subsequently released on bail. They will be prosecuted in a court of law in due course.

वन्य पशु गोष्ठी में की गई सिफारिशें

2792. श्री सी० चितिबाबू : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वन्य पशु पर एक विचार-गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तेजी से समाप्त होने वाली पशु जातियों के परिरक्षण के बारे में गोष्ठी द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। वन्य पशुओं पर एक गोष्ठी मई, 1971 में बिहार में बेटला में हुई थी।

(ख) तेजी से समाप्त हो रही पशु जातियों के परिरक्षण के लिये की गई सिफारिशों में से कुछ निम्नलिखित हैं:—

(1) और अधिक वन्य जीव शरण-स्थानों का निर्माण।

(2) अवैतनिक वन्य पशु संरक्षकों (गेम वार्डनों) की नियुक्ति।

(3) वन्य पशुओं की चोरी को रोकने के लिये चलते-फिरते सशस्त्र बल का निर्माण।

(4) एक वन्य पशु प्रबंध शिक्षा संस्था की स्थापना।

(5) वन्य पशुओं के सरक्षण एवं परिरक्षण के लिये व्यापक कानून बनाना।

(ग) ये राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

जाम नगर में सोने के तस्कर व्यापारी

2793. श्री पी० एम० मेहता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि जाम नगर जिले में सिक्का से सलाया तक पूरे समुद्री तट का उपयोग तस्कर सोने को छुपाने के लिए किया जाता हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां तस्कर व्यापारियों की गतिविधियां रोकने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या तस्कारी का पता लगाने के आधुनिक यंत्रों के अभाव के कारण सीमाशुल्क अधिकारी 24 घण्टे समुद्री तट की निगरानी रखने में असमर्थ हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सिक्का से सलाया तक पश्चिमी समुद्र तट पर समय समय पर निषिद्ध सोना पकड़ा गया है । यह कहना कठिन है कि इन दो स्थानों के बीच का पूर्ण समुद्र तट चोरी छिपे लाये गये सोने को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है;

(ख) तथा (ग) आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त, पश्चिमी समुद्र तट पर निरन्तर चौकसी रखी जाती है, तस्करों की गति-विधियों को रोकने के लिए हाल ही में अतिरिक्त निवारक कर्मचारियों की स्वीकृति भी दी गई है । नियंत्रण को अधिक अच्छा बनाने के लिए वाहनों और नौकाओं जैसे उपकरण की भी व्यवस्था की गई है ।

आधुनिक उपकरण की अपेक्षाओं की जांच करने तथा इस सम्बन्ध में सलाह देने के लिए एक उच्च स्तर के अध्ययन दल की स्थापना की गई थी तथा उसकी रिपोर्ट विचाराधीन है ।

नेशनल केडिट कोर का कार्य निर्धारण

2794. श्री पी० एम० मेहता : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राज्यों को ऐसा सुझाव दिया है कि नेशनल केडिट कोर को आंतरिक सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवायें बनाये रखने आदि जैसे कुछ कार्य सौंपे जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) नेशनल केडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 की 31) की धारा 10 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 9 सितम्बर, 1965 को एक अधिसूचना जारी करते हुए नेशनल कैडेट कोर के अफसर (सीनियर, जूनियर और ग्रल्स डिवीजन) जो सीनियर डिवीजन में हों तथा जिनकी आयु 17 वर्ष या उससे अधिक हो के लिए निम्नलिखित ड्यूटी निश्चित की है :

(क) अनाक्रमक हवाई सुरक्षा, जिसमें बचाव कार्य, प्राथमिक चिकित्सा, हताहत व्यक्तियों को हटाना, अग्निशामक कार्य तथा मलबा हटाने का कार्य शामिल है ।

(ख) नागरिक सुरक्षा पोस्टों पर रहना तथा नागरिक सुरक्षा गश्ती तथा निगरानी करना।

(ग) यातायात नियन्त्रण।

(घ) अचल सिगनल स्टेशनों में कार्य करना।

(ङ) दूतवाहक सेवा।

(च) अस्पतालों में डयूटी।

(छ) असैनिकों को हटाये जाने की स्थिति में शिविरों का प्रशासनिक तथा संचालन कार्य।

(ज) कोई अन्य सम्बद्ध डयूटी।

राज्य सरकारों को इस कानूनी स्थिति से अवगत करा दिया गया है ताकि ये जहाँ तक आवश्यक हो एन० सी० सी० साधनों का उपयोग करें।

ऐसी आशा की जाती है कि राज्य सरकारें एन० सी० सी० साधनों का जहां तक आवश्यक हुआ तथा जैसा 1965 में किया गया था उसी प्रकार से पूरा उपयोग करेंगी।

भूतपूर्व सैनिकों की सेवाओं का उपयोग

2795. श्री पी० एम० मेहता : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकारों से नागरिक सुरक्षा' अत्यावश्क सेवायें आदि बनाये रखने के लिए भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए कहा गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : नागरिक सुरक्षा और अनिवार्य सेवाओं को कायम रखने का कार्य राज्य सरकारों की नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्डस संस्थाओं का है इन संस्थाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण है।

केरल सरकार द्वारा ऋण की अदायगी

2796. श्री ए० के० गोपालन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि उनके राज्य द्वारा वापस की जाने वाली ऋण राशि को कम कर दिया जाए;

(ख) क्या सरकार ने उस अनुरोध पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) केरल सरकार से ऐसा कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें उन्होंने केन्द्र को वापस की जाने वाली ऋणराशि को घटाने के लिए कहा हो।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केरल में वायु सेना भर्ती केन्द्र

2797. श्री० ए० के गोपालन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर ार को केरल में एक वायु सेना भर्ती केन्द्र खोलने के लिए केरल के मुख्य मंत्री की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) केरल के मुख्य मंत्री से ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । किन्तु अभी ह ल में केरल सरकार से एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें केरल में एक वायुसेना का भर्ती केन्द्र खोलने की प्रार्थना की गई है इस पर सरकार विधिवत विचार करेगी ।

Scheme for Development of Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, Rishikesh

2798. Shri Mulki Raj Sa'ni : Will the minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the year in which the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, Rishikesh, was set up;

(b) the year in which it started production;

(c) the details of its yearly income and expenditure; and

(d) the future scheme of Government for the development ofthe factory and for increa ing its profits ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : (a) The Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. was set up in April, 1961.

(b) The Surgical Instruments Plant, Madras, started its production in 1965-66 and Synthetic Drugs Plant, Hyderabad and Antibiotics Project, Rishikesh, started their production in the year 1967-68,

(c) The yearly income and expenditure is as under :

(Rupee and Lakhs)

Year	Income	Expenditure
1967-68	0·05	63·40
1968-69	20·15	522·03
1969-70	136·81	633·44
1970-71	489·48	948·72

(d) The following steps are being taken by the companay to improve the working of the plants :

(i) The efforts are now concentrated on attaining rated capacities and achieving the norms of production and consumption as indicated by the collaborators within the time stipulated therefor. These efforts are intended to stabilise the production of antibiotics and Synthetic Drugs and bring down the costs to the level of standard estimates.

(ii) With a view to obtaining lower costs by attaining the economies of scale, the capacities are being enhanced for phenacetin, sulphanil amide, analgin, amidopyrin vitamin B 1, vitamin B 2, folic acid and phenobarbitone by marginal additions of equipments;

(iii) Production of new drugs like paracetamol, and PAS with the available facilities of the Synthetic Drugs Plant;

(iv) In the Surgical Instruments Plant, efforts are continuing to increase the order level both for the existing product mix and newly developed instruments at the plant and also for job orders with a view to utilise fully the capacity;

(v) Distribution of drugs imported by the STO and which are in the programme of the Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. at pooled prices in order to remove the duality of the prices operating to the detriment of indigenous producers.

Names of Various Departments of the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited at Rishikesh

2799. Shri Mulki Raj Saini : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the names of various Departments in the Factory set up by the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited at Rishikesh; and

(b) the number of Officers and employees in each Department ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri P. C. sethi) : (a) & (b) : The ruquired information is given below :

Table

Name of Department.	No. of Officers	No. of employes
1. Production	75	1285
2, Plant Maintenance and services	42	950,
3. Research and Development	9	52
4, Quality Control and Animal House.	12	148
5, Personnel and Administration	9	146
6. Security and F :e	1	120
7. Finance & Ac ɔunts	7	118
8. Stores & Purchase	11	164

9.	Safety	1	2
10.	Production Planning and Control	5	19
11.	Commercial Department	2	28
		174	3032

वाणिज्यिक बैंकों के लाभ में वृद्धि

2800. श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 69 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कुल लाभ में वर्ष 1970-71 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 1969 की तुलना में 1970 के वर्ष में 69 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से भिन्न 34 भारतीय अनुसूचित बैंकों के सम्बन्ध में बोनस की अदायगी से पहले के लाभ के आंकड़े उपलब्ध हैं और बोनस से पहले के कुल लाभ में 41 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। शेष बैंकों के मामले में बोनस की अदायगी से पहले उनके कुल शुद्ध लाभ में 146 लाख रुपये की वृद्धि हुई है।

केरल में हवाई पट्टी और हवाई अड्डे के निर्माण की योजना

2801. श्री सी० जनार्दन :
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल को विभिन्न शहरों से मिलाने के लिए आन्तरिक उड़ानों को चलाने हेतु, केरल सरकार ने उस राज्य में और अधिक हवाई पट्टी और हवाई अड्डों के निर्माण के लिये कोई योजना केन्द्र को पेश की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी रूप-रेखा क्या है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं।

केरल राज्य की आर्थिक समस्यायें

2802. श्री सी० जनार्दनन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के मुख्य मंत्री ने हाल ही में उनसे अपने राज्य की आर्थिक समस्याओं के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो किन बातों पर विचार-विमर्श किया गया; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) 14 अक्टूबर, 1971 को केरल के मुख्य मंत्री के साथ जो विचार विमर्श हुआ था उसका सम्बन्ध भारतीय रिजर्व बैंक से राज्य सरकार द्वारा लिये गये ओवर ड्राफ्ट की समस्या से था। ओवर ड्राफ्ट की स्थिति पर भारत सरकार को जो चिन्ता है उसको मुख्य मंत्री ने भी स्वीकार किया और इस बात से रजामंदी जाहिर की कि ओवर ड्राफ्टों को कम करने के लिए व्यय में बचत तथा अतिरिक्त साधनों का संग्रह सहित अनेक कदम उठाने की आवश्यकता है।

बरौनी रिफाइनरी में अशोधित तेल की कमी

2804. श्री के० लकप्पा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी रिफाइनरी को इस समय अशोधित तेल की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) बरौनी शोधनशाला तीन मिलियन मीटरी टन की अपनी आँशित क्षमता की तुलना में असम तेल क्षेत्रों में से लगभग 2 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल प्राप्त करती है। शोधनशाला के संयंत्र में कुछ संशोधनों एवं परिवर्धनों की एक परियोजना का अनुमोदन किया जा चुका है तथा उस योजना को अब कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके 1974 के मध्य में पूर्ण होने की आशा है। इन संशोधनों के पूर्ण होने के पश्चात् ही शोधनशाला अपनी रूपांकित क्षमता को पूर्णतया प्राप्त करने के लिये आयातित अशोधित तेल को लेने में समर्थ होगी। यदि तकनीकी तौर पर सम्भव हुआ तो वर्तमान शेष क्षमता का उपयोग करने के लिए साथ ही साथ प्रयास किये जा रहे हैं।

देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निजी होटलों को आर्थिक सहायता

2805. श्री के० लकप्पा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होटलों के निर्माण के लिये निजी फर्मों को आर्थिक सहायता दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता और अनुदान का रूप क्या होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) निजी क्षेत्र में होटल उद्योग के लिये वित्तीय सहायता के विशेष साधनों की व्यवस्था करने के लिए, एक होटल विकास ऋण योजना 1969 से चली आ रही है। इस योजना के अंतर्गत नई होटल प्रायोजनाओं के निर्माण की वित्तीय व्यवस्था करने तथा वर्तमान होटलों का नवीकरण एवं विस्तार करने के लिये लम्बी अवधि के ऋण दिये जाते हैं।

अक्तूबर, 1971 में एयर इण्डिया जम्बो जेट की उद्घाटन उड़ानों पर हुआ व्यय

2806. श्री के. लकप्पा :
श्री पी. नरसिम्हा रेड्डी :
श्री पी. ए. सामिनाथन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1971 में एयर इण्डिया की जम्बो जैट की लंदन और न्यूयार्क की उद्घाटन उड़ानों में कुछ संसद सदस्यों ने उनको सबसे निचली श्रेणी दिये जाने के प्रति विरोध प्रकट किया था;

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार का विरोध किया गया और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पश्चिम और पूर्व की ओर की गई उद्घाटन उड़ानों पर एयर इंडिया द्वारा कुल कितना व्यय किया गया है जिसमें इन उड़ानों के दौरान विदेशों में संसद सदस्यों पर किया गया रहने और खाने पीने का खर्च भी शामिल है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) विचाराधीन उद्घाटकीय उड़ानें पूर्णतया मितव्ययिता श्रेणी के रूप में परिचालित की गई थीं।

(ग) इन उड़ानों का परिचालन सामान्य अनुसूचित उड़ानों के रूप में किया गया था तथा उद्घाटकीय आमंत्रितों के अलावा उसमें किराया देकर यात्रा करने वाले यात्री भी थे। तथापि, न्यूयार्क में चार दिन ठहरने के लिए 40 संसद सदस्यों पर होने वाले व्यय का अनुमान 11,000 डालर है।

मैसूर राज्य में अधिक पर्यटक आकर्षित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होटलों का निर्माण

2807. श्री के. लकप्पा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में अधिक संख्या में पर्यटक आकर्षित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के होटलों का निर्माण करने हेतु कितने व्यक्तियों ने पर्यटन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों से ऋण के लिए आवेदन पत्र दिए हैं; और

(ख) उनके आवेदन पत्रों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अब तक बंगलौर में तीन होटल प्रायोजनाओं के निर्माण की वित्तीय व्यवस्था करने हेतु ऋण के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) होटल विकास ऋण योजना के बोर्ड ने ऋण के एक आवेदन-पत्र का अनुमोदन कर दिया है तथा अन्य दो विचाराधीन हैं।

इंडियन एयरलाइन्स में प्राइवेट उद्योगपतियों द्वारा खान-पान का प्रबन्ध

2808. श्री के. लकप्पा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स में खान-पान के प्रबन्ध के लिए कतिपय प्राइवेट उद्योग-पतियों को ठेका गया दिया है;

(ख) यदि हां, तो पार्टियों के नाम आदि क्या हैं; और

(ग) क्या उनको ठेका देने से पहले कोई निविदाएं आमंत्रित की गई थीं और यदि हां, तो उनकी शर्तें क्या थीं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) इण्डियन एयरलाइन्स भोजन सामान्यतया अपने ही किचनों से तथा दिल्ली और बम्बई में एयर इण्डिया के फ्लाइट किचनों से लेते हैं। कुछ स्थानों पर, इंडियन एयरलाइन्स अपना भोजन नागर विमानन महानिदेशक द्वारा नियुक्त विमानक्षेत्र खान-पान प्रबंधकों (केटरस) से लेते हैं। जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्धनहीं है, वहां भोजन मान्यता-प्राप्त होटल/रेस्टोरेंटों से लिया जाता है। इन मामलों में, दरें बातचीत द्वारा तय करके निर्धारित की जाती हैं।

विद्युत चालित करघा उद्योग के विकास के लिये स्टेट बैंक बुरहानपुर की शाखा द्वारा ऋण दिया जाना

2809. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में विद्युत चालित उद्योगों के विकास के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया, बुरहानपुर शाखा द्वारा कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) ; 1969, 1970 और 1971 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, बुरहानपुर ने विद्युत चालित करघा उद्योग के विकास के लिए क्रमश. 43,051, 90370 और 2,17,648 रुपये के ऋण दिये हैं।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों और छोटे उद्योगों को दिये गये ऋण

2810. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर, हल, बैल आदि खरीदने के लिए कितने गरीब किसानों, छोटे उद्यमियों, शक्तिचालित करघों और हथकरघा उद्योगों में लगे लोगों को ऋण दिये गये; और

(ख) राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकों द्वारा उन्हें कुल कितनी धनराशि का ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) बैंक, पूछे गये प्रश्न में उल्लिखित प्रत्येक वर्ग के अनुसार आंकड़े नहीं रखते। तथापि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को और लघु उद्योगों को दिये गए प्रत्यक्ष ऋणों के आंकड़े निम्नलिखित हैं।

(लाख रुपयों में)

	जून 1969		मार्च 1970		मार्च 1971	
	खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम
किसानों को प्रत्यक्ष ऋण	3,152	74.00	12849	330.00	27,328	661.00
लघु उद्योगों को ऋण	1,709	860.00	2750	1160.00	3,204	1420.00

टिप्पणी :—किसानों को दिए गए प्रत्यक्ष ऋणों में अन्य बातों के साथ-साथ ट्रैक्टर, हल, बैल आदि खरीदने के लिए ऋण भी शामिल हैं।

स्टेट बैंक की बुरहानपुर शाखा से ऋण देने के बारे में शक्तिचालित करघों के मालिकों द्वारा शिकायतें

2811. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शक्तिचालित करघों के मालिकों द्वारा शिकायतें की गई थीं कि मध्य प्रदेश के स्टेट बैंक आफ इण्डिया की बुरहानपुर शाखा द्वारा ऋण के लिए उनके आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया था जबकि अन्य क्षेत्रों को ऋण निरन्तर रूप से दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) बरहानपुर विद्युतचालित करघा संघ (फेडरेशन) बरहानपुर से शिकायतें प्राप्त हुई थीं। बरहानपुर स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया विद्युतचालित करघा चालकों की वित्तीय आवश्यकताओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है। 30—6—1971 को जिन 160 छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों के लिए वित्त प्रबन्ध किया गया था उनमें से 138 विद्युतचालित करघा एकक थे। शाखा ने जिन 138 विद्युतचालित करघा एककों

के लिए वित्त प्रबन्ध किया है, उनमें से 93 एककों के पास केवल 2 या इससे कम विद्युतचालित करघे थे। शाखा विद्युतचालित करघों के मालिकों की वित्तीय आवश्यकताओं पर गुणदोष के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करती रहेगी।

पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश में होटल निर्माण करने का प्रस्ताव

2812. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में होटलों की अत्यधिक कमी है; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश में पर्यटकों के लिए एक बड़ा होटल बनाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) यह मानी हुई बात है कि देश में पर्यटन के महत्व के लगभग सभी स्थानों पर अच्छे होटल आवास की सामान्यतया कमी है। अन्य प्राथमिकताओं के कारण भारत सरकार की फिलहाल मध्य प्रदेश में किसी होटल के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

I.A.F. Plane Damaged Near Ahmednagar

2813. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether an I.A.F. plane was damaged near Ahmednagar during August, 1971;

(b) whether some high rankiug officers were travelling in that plane·

(c) if so, the number and names thereof;

(d) whether the said plane was carrying any ammunition; and

(e) the causes of the mishap ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : The following 11 I A F personnel were killed in the flying accident near Poona on 16.8.1971 :—

1. Gp Capt J. B. Lal
2. Wg Cdr A. K. Bhattacharjee
3. Sqn Ldr B. D. Dangwal
4. Sqn Ldr V. P. Handa
5. Sqn Ldr K. D. Anand
6. Flt Lt V. G. Krishnan
7. Flt Lt B. D. Barua
8. Flt Lt R. V. Habbu
9. Warrant Officer M. K. Padmanabhan
10. Flt Sgt Sunder Raj
11. Cpl J. N. Verma

(d) The plane had on board some military stores also.

(e) Because of poor light conditions, the aircraft crashed against an unmapped hill feature.

अम्बाला छावनी क्षेत्र के अनधिकृत निर्माण

2814. श्री शिव कुमार शास्त्री : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बाला छावनी क्षेत्र में छावनी की भूमि पर कितनी जगहों पर अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण किए गये हैं;

(ख) छावनी भूमि पर कितने ईटों के मकानों और झोंपड़ियों का निर्माण किया गया है तथा उनमें कितनी भूमि घिरी है; और

(ग) अधिकारियों द्वारा अब तक कितने अनधिकृत मकानों को गिराया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी कम्पनियों को हुई हानि

2815. श्री एन० ई० होरो : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 और 1969-70 के वर्षों में 78 सरकारी कम्पनियों द्वारा अपने वार्षिक लेखों में कुल कितनी हानि दिखाई गई;

(ख) क्या वर्ष 1968-69 में हुई हानि 1969-70 के वर्ष की तुलना में अधिक थी;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण थे; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) · 1969-70 में प्रोत्साहक और वित्तीय उपक्रमों के अलावा 68 चालू उपक्रम थे । इन 68 चालू उपक्रमों तथा प्रोत्साहक और वित्तीय उपक्रमों के 1969-70 और 1968-69 के कार्यों के वित्तीय परिणाम इस प्रकार है :—

		करोड़ रुपयों में
	शुद्ध लाभ (+)	शुद्ध हानि (—)
	1969-70	1968-69
(i) चालू उपक्रमों (—)	3.70 (68 उपक्रमों के लिए)	(—) 27.34 (61 उपक्रमों के लिए)
(ii) प्रोत्साहक और वित्तीय उपक्रम (जीवन बीमा निगम को छोड़कर)	(+) 0.30 (13 उपक्रमों के लिए)	(—) 0.77 (12 उपक्रमों के लिए)
(iii) कुल मिलाकर हानि	(—) 3.40 (31 उपक्रमों के लिए)	(—) 28.11 (73 उपक्रमों के लिए)

उपर्युक्त सारणी में यह देखा जा सकता है कि वस्तुतः कुल मिला कर, 1969-70 में 1968-69 की अपेक्षा कम हानि हुई।

(ग) और (घ) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

चीन की परमाणु शक्ति

2816. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने 27 सितम्बर, 1971 के यू० एन० न्यूज एण्ड वर्ल्ड रिपोर्ट के अंक को देखा है जिसमें चीन की परमाणु शक्ति का ब्यौरा दिया गया है; और

(ख) उपरोक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए भारत की सुरक्षा को दृढ़ करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) हमारी रक्षा योजनाओं में हमारी सुरक्षा को सभी खतरों का ख्याल रखा गया है और इनका निरन्तर पुनर्रीक्षण होता रहता है।

Fire in Ordnance Factory at Jabalpur-Khamaria

2817. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the approximate loss suffered as a result of fire in Ordnance Factory at Khamaria (Jabalpur); and

(b) the causes leading to the said accident as per enquiry conducted by Government ?

The Minister of State (Defence Production) in The Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) There have been two fire accidents in Ordnance Factory ,Khamaria: One on 21.10.1971 night at 0030 hrs. in an incorporator in building No. 115 and the other on 7.11,1971 at about 3 A.M. in building No. 583, main building of Box Plant. Board of Enquiry has been appointed in both the cases and their reports are still awaited.

हल्दिया उर्वरक परियोजना

2818. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित हल्दिया उर्वरक परियोजना चौथी योजना में शामिल कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उसका निर्माण कार्य कब शुरू होगा;

(ग) क्या मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो निर्माण कार्य के शुरू होने में क्या बाधा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा हल्दिया उर्वरक प्रायोजना को निम्न क्षमता के साथ स्वीकृति दे दी गई है :—

(1)	अमोनिया	198 000 मीटरी टन प्रति वर्ष
(2)	नाइट्रो-फासफेट्स	379 000 ,, ,, ,, ,,
(3)	यूरिया	165,000 ,, ,, ,, ,,
(4)	सोडा-क्षार	60,000 ,, ,, ,, ,,
(5)	मैथानोल	41,250 ,, ,, ,, ,,

प्रायोजना पर 8802.65 लाख रुपये (2903.7 लाख रुपये के विदेशी मुद्रा अंशसहित) की लागत आने का अनुमान है और इसमें ईंधन तेल का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। भारतीय उर्वरक निगम इस प्रायोजना की कार्यान्विति के लिए आवश्यक उपाय अपना रही है। निर्माण कार्य के शीघ्र ही आरम्भ किए जाने की आशा है।

विश्व बैंक द्वारा बंगला देश शरणार्थियों के शिविरों का दौरा

2819. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विश्व बैंक के एक दल ने भारत में बंगला देश के शरणार्थी शिविरों का दौरा किया था और उनके साथ भी विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो विचार विमर्श का सार क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) विश्व बैंक के नई दिल्ली में स्थित निवासी मिशन के एक छः सदस्यीय दल ने 19 अगस्त से 22 अगस्त तक कलकत्ता और उसके आस-पास के शरणार्थी-शिविरों का दौरा किया था ताकि शरणार्थी-समस्या का, और भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का, मौके पर जाकर अध्ययन किया जाय। मैंने भी, विश्व बैंक के प्रधान श्री मेकनमारा से इस विषय पर बातचीत की थी, जब मैं उनसे अभी हाल में वाशिंगटन में हुई विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के समय मिला था। अपने स्थानीय मिशन द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर, विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिस पर भारत सहायता संघ की 26 अक्टूबर को पेरिस में बुलाई गई विशेष बैठक में कार्यकारी निबन्ध-पत्र के रूप में विचार किया गया था। इस बैठक में भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। इस बैठक के बाद जारी की गई प्रेस-विज्ञप्ति की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है।

विवरण

प्रेस विज्ञप्ति

तुरन्त प्रकाशन के लिये

26 अक्टूबर, 1971 विषय : **भारत सरकार संघ की विशेष बैठक**

भारत के आर्थिक विकास में जिन सरकारों और संस्थाओं की रुचि है उनके संघ की एक विशेष बैठक विश्व बैंक की अध्यक्षता में 26 अक्टूबर, 1971 को पेरिस में हुई थी। इसमें अभी हाल में पूर्व पाकिस्तान से भारी मात्रा में आये और लगातार आ रहे शरणार्थियों के, भारत की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार-विमर्श किया और अनुमान लगाया कि मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में राहत-कार्यों पर 70 करोड़ डालर खर्च आयेगा। बैठक में आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, नीदरलैंड, नार्वे, स्वीडन, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों के प्रतिनिधियों और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थियों सम्बन्धी उच्चायुक्त, संयुक्त-राष्ट्र संघीय बाल सहायता निधि और आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सरकारों ने प्रेषकों के रूप में इस बैठक में भाग लिया।

इस बैठक ने, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव, डा० आई० जी० पटेल और संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थियों सम्बन्धी उप-उच्चायुक्त श्री चार्ल्स मेस के वक्तव्य सुने और शरणार्थियों को राहत पहुंचाने पर आने वाले खर्च के बारे में विश्व बैंक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर विचार किया। अब तक भारत में 95 लाख से अधिक शरणार्थी आ चुके हैं और उनका आगमन जारी है।

प्रतिनिधियों ने इस स्थिति पर और भारत के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले इसके गम्भीर प्रभाव के बारे में चिन्ता प्रकट की और शरणार्थियों को सहायता देने से जो बोझ पड़ेगा उसको दूर करने के लिए विशेष सहायता देने की आवश्यकता को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। सदस्यों ने इस बात पर बल दिया कि शरणार्थियों को राहत पहुंचाने के लिए दी जाने वाली सहायता, सामान्य विकास-सहायता के अतिरिक्त होनी चाहिए। समस्या के स्वरूप को देखते हुए, अनुदान के रूप में सहायता दिए जाने को तरजीह दी जानी चाहिए। इस बात को रोकने के लिए कि भारत में विकास-व्यय में भारी कमी की जाय विशेष सहायता के लिए तत्काल वचन दिये जाने की आवश्यकता है और वह सहायता इस रूप में होनी चाहिए जिससे भारत सरकार के बजट को और सामान्य रूप से भारतीय अर्थ-व्यवस्था को तुरन्त समर्थन प्राप्त हो।

बैठक की राय में, भारत में शरणार्थियों की समस्या एक अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। बैठक में यह बात नोट की गई कि उस तारीख तक विश्व भर से 20 करोड़ डालर से अधिक के अंशदान के वचन दिये गये हैं। प्रतिनिधि मण्डलों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थियों सम्बन्धी उच्चायुक्त से, संयुक्त राष्ट्र संघ की सम्पूर्ण व्यवस्था के केन्द्रीय बिन्दु के रूप में, यह अनुरोध किया कि वह राहत-कार्यों की लागत को पूरा करने के लिए, जिसका अनुमान 70 करोड़ डालर लगाया गया है, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से अंशदान प्राप्त करने के लिए अपने प्रयत्न जारी रखें। बैठक में जिन देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, उन्होंने भारत में अपनी विशेष रुचि होने के कारण यह स्वीकार किया कि वे कुल आवश्यकताओं के काफी बड़े भाग की पूर्ति के लिए प्रयत्न करेंगे।

कई सदस्यों ने शरणार्थियों को राहत पहुंचाने पर आने वाले खर्च के लिए भारी मात्रा में नये अंशदान की इच्छा प्रकट की और कुछ अन्य सदस्यों ने यह संकेत दिया कि उनकी सरकारें इस

मामले पर विचार कर रही हैं।

सिल्चर से ऐजल और ऐजल से लुंगबी तक की सड़कों की खराब हालत

2820. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० आर० टी० एफ० द्वारा हाल ही में निर्मित सिल्चर से ऐजल और ऐजल से लुंगबी तक सड़क की दशा खराब रख रखाव के कारण बिगड़ गई है; और

(ख) क्या इन सड़कों के सामरिक महत्व को दृष्टि में रखते हुये सरकार का विचार इन सड़कों के रख रखाव पर और अधिक ध्यान देने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सिलचर-ऐजल रोड़ और ऐजल-लुंगलेह रोड़ (लुन्गबी नहीं) की स्थिति, खराब अनुरक्षण के कारण नहीं बिगड़ी है। 1970-71 तथा 1971-72 वर्षों की अवधि में भारी मानसून के परिणामस्वरूप इन सड़कों को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है।

(ख) इन सड़कों का अनुरक्षण एक ऊंची कोटी के स्तर पर किया जाता है। वर्षा के कारण हुई क्षति को ठीक करने के लिए प्राथमिकता तथा आपातकालीन विधि से मरम्मत की जा रही है। ऐजल-लुन्गह रोड़ के कुछ घिसे फिटे टुकड़ों की सतह का नवीकरण भी किया जा रहा है।

बाढ़ और मिट्टी के कटाव के बारे में अध्ययन करने के लिये केरल का दौरा करने वाले केन्द्रीय अध्ययन दल के निष्कर्ष

2821. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बाढ़ और मिट्टी के कटाव की स्थिति का अध्ययन करने के लिये एक केन्द्रीय अध्ययन दल ने हाल ही में राज्य का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) अधिकारियों के एक केन्द्रीय दल ने बाढ़ की स्थिति का मौके पर जा कर जायजा लेने और केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनार्थ राहत कार्यों के लिए धन की आवश्यकता का निश्चय करने के लिए, सितम्बर, 1971 में केरल का दौरा किया था। दल ने विभिन्न राहत और मरम्मत कार्यों के लिए 314 लाख रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा की सिफारिश की जिसमें सिचाई, बाढ़ नियन्त्रण और समुद्री कटाव निरोधक निर्माण कार्यों की मरम्मत के लिए 100 लाख रुपये और कृषकों को केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा दिये जाने वाले बीजों और उर्वरकों के लिए दिये जाने वाले ऋणों की 10 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है।

(ग) केन्द्रीय दल ने जिन अधिकतम सीमाओं की सिफारिश की थी उन्हें पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया है और इस सम्बन्ध में राज्य-सरकार को सूचित कर दिया गया है। 32.18 लाख रुपये का एक ऋण पहले ही दिया जा चुका है जिसमें कृषि मन्त्रालय द्वारा कृषि के काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं के लिए अल्पावधिक ऋण के रूप में दी गई 2.18 लाख रुपये की रकम शामिल है। उपर्युक्त अधिकतम सीमाओं में रहते हुए, और अधिक सहायता वास्तविक व्यय की प्रगति के आधार पर दी जाएगी।

केरल में पोलीथीन की थैलियां बनाने का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव

2822. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में पोलीथीन की थैलियां बनाने का कारखाना स्थापित करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) केरल में पोलीथन की थैलियां बनाने के लिए कारखाने की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि केरल सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि वे पोलीथिलीन की थैलियों के निर्माण के लिए एक कारखाना लगाने के इच्छुक हैं और वे अपने प्रस्ताव शीघ्र ही भेज देंगे।

केरल में मिट्टी के तेल का अभाव

2823. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल राज्य में मिट्टी के तेल का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस अभाव को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) केरल में मिट्टी के तेल की कमी के बारे में न ही केरल राज्य सरकार से और न ही तेल कम्पनियों से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरी कनारा जिला में कास्टिक सोडा फैक्टरी

2824. श्री बी० वी० नायक : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरी कनारा जिले में कास्टिक सोडा कारखाने में उत्पादन कब आरम्भ हो जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : वर्तमान संकेतों के अनुसार, उत्तर कनारा जिले के कास्टिक सोडा कारखाने में 1974 की प्रथम तिमाही में उत्पादन के आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ।

होनावार ताल्लुक जिला उत्तर कनारा में कारी कनामा के तीर्थ स्थान का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

2825. श्री बी० वी० नायक : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कनारा में होनावार ताल्लुक के सालकोड ग्राम में कारी कनामा के तीर्थ स्थान को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो कारीकनामा पर्यटन केन्द्र के विकास पर कुल कितनी लागत आएगी और इसका विकास कितने समय में हो जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

व्यापार के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा धन दिया जाना

2826. श्री बी० वी० नायक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न व्यापार के लिए 4 राष्ट्रीयकृत बैंक पूंजी दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकरण के बाद इसके लिए कुल कितना धन दिया गया; और

(ग) इस अग्रिम धन का प्रभाव खाद्यानों के मूल्यों पर क्या पड़ा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) खाद्यान्न के लिए ऋण, आवर्तक ऋण जैसी नकद ऋण सुविधाओं के रूप में दिये गये हैं और बकाया रकम के आँकड़े एक विशेष निधि के उपलब्ध हैं । अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने खाद्यान्न के लिए जो ऋण दिये हैं उनकी बकाया रकम 11 जून 1971 को 63 करोड़ रुपये थी । इसमें भारतीय खाद्य निगम और अन्य खरीद अभिकरणों के ऋणों की रकम शामिल नहीं है । जिसका अनुमान लगभग 245 करोड़ रुपया है ।

(ग) खाद्यान्न के लिए ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक के चयनात्मक ऋण नियन्त्रण के अनुसार दिये जाते हैं । चयनात्मक ऋण नियन्त्रण के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न बातों को, जिनमें मूल्यों की प्रवृत्ति भी शामिल है, ध्यान में रखते हुए उपयुक्त अनुदेश जारी करता रहता है ।

वाणिज्यक लेखा परीक्षा के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंटों की सूची

2827. श्री एम० कल्याण सुन्दरम : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यक लेखा-परीक्षा के लिए सूची में नाम लिखाने वाले चार्टर्ड एकाऊंटेंट की फर्मों की कुल संख्या क्या है; और

(ख) सूची में उनके नाम लिखाने के लिए क्या प्रक्रिया है और उसकी कसौटी क्या है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) इस प्रकार की कोई नामिका कम्पनी कार्य विभाग द्वारा नहीं रखी जा रही है।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

2828. श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब कर्मचारी समन्वय समिति ने पंजाब सरकार और केन्द्रीय सरकार को हरियाणा के अनुरूप पंजाब के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने के लिए कोई संकल्प भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पंजाब कर्मचारी समन्वय समिति से हाल ही में ऐसा कोई संकल्प प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है जिसमें हरियाणा के प्रतिमान के आधार पर मकान किराया भत्ता मंजूर करने की मांग की गई हो। परन्तु, उक्त समिति से नवम्बर 1971 के आरम्भ में एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें पंजाब के कर्मचारियों की कुछ ऐसी मांगों का उल्लेख किया गया था जिनमें 'मकान किराया भत्ता" सम्बन्धी मांग शामिल थी उस पत्र में मकान किराया भत्ते सम्बन्धी मांग के यथार्थ स्वरूप का उल्लेख नहीं किया गया था। पंजाब सरकार से वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

(ख) प्रत्येक राज्य को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल स्थानीय भत्तों का अपना खुद का प्रतिमान तैयार करना होता है और यह समीचीन होगा कि प्रस्तावित स्वरूप के परिवर्तनों को राज्य सरकारों पर ही छोड़ा जाय।

कोचीन, बरौनी कोयली स्थित तेल शोधक कारखानों का विस्तार

2829. श्री निहार लास्कर : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन. बारौनी ओर कोयली तेलशोधक कारखानों के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) जी, हां । स्थिति निम्न प्रकार है :—

(1) **कोचीन शोधनशाला :** मार्च 1971 में शोधनशाला को वार्षिक 1 मिलियन मीटरी टन तक अपनी शोधन क्षमता के विस्तार के लिए एक औद्योगिक लाइसेन्स स्वीकृत किया गया है । विस्तार परियोजना का भली भांति निर्माण हो रहा है और अतिरिक्त क्षमता के 1973 की पहली तिमाही में प्रारम्भ होने की आशा है ।

(2) **बरौनी शोधनशाला :** यद्यपि शोधनशाला की रूपांकित क्षमता 3 मिलियन मीटरी टन है, किन्तु यह प्रति वर्ष 2.2 मिलियन मीटरी टन पर कार्य कर रही है । इसमें पूर्वी क्षेत्रों से अधिक अशोधित तेल की अनुपलब्धि ही मुख्य कारण है । शोधनशाला के सन्यन्त्र में कई संशोधनों तथा परिवर्धनों की स्वीकृति दी गई है ताकि शोधनशाला में शेष-क्षमता की सीमा तक आयातित अशोधित तेल साफ किया जा सके । ये 1974 के मध्य तक पूर्ण हो सकेंगे ।

(3) **कोयाली शोधनशाला :** यद्यपि शोधनशाला की रूपांकित क्षमता प्रति वर्ष 3 मिलियन मीटरी टन है, किन्तु सफाई आदि एवं अवरोध को हटाने (रिवैम्पिग तथा डिबौट्लनैकिंग) की प्रक्रिया द्वारा क्षपता को प्रति वर्ष 4.3 मिलियन मीटरी टन तक बढ़ाया जा चुका है । समस्त पहलुओं से शोधनशाला का और विस्तार करने के प्रश्न की जांच करने के लिए गठित किए गये कार्यकारी दल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है; जो परीक्षाधीन है ।

कार्यरत कम्पनियों का विवरण

2830. श्री टी० एस० लक्ष्मणन : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठनात्मक एककों और विभागों में नियमित प्रक्रियाओं के बावजूद वर्ष 1967, 1968, 1969 और 1970 में कार्यरत कम्पनियों के प्रमाणित आंकड़े देना कठिन है; और

(ख) यदि नही, तो विभाग की वर्ष 1970-71 की वार्षिक रिपोर्ट के विवरण संख्या एक के अन्तर्गत अंतरिम आंकड़े देने का क्या कारण है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) 1967 तथा 1968 के वर्ष के कार्यरत कम्पनियों के आंकड़ों का संकलन कर लिया गया है व एवं इस विभाग की 1971-72 को अगली वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किये जा रहे हैं । साधरणता उस तिथि, जिसको सम्बन्धित कार्यरत कम्पनियों के आंकड़े उपलब्ध होते हैं, से उस तिथि तक, जब तुलन पत्रों में उपलब्ध सूचना के आधार पर अन्तिम आंकड़े उपलब्ध होते हैं, के मध्य तीन वर्षों का समयान्तर होता है । कम्पनियां, अपने आर्थिक वर्ष की समाप्ति के पश्चात, 6-9 मासों के पश्चात ही कम्पनी रजिस्ट्रारों को अपने तुलन-पत्र प्रस्तुत करती है । कम्पनी रजिस्ट्रार अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कम्पनियों के तुलन-पत्रों से सूचना प्राप्त करने में, मोटे तौर पर एक वर्ष का समय लगा देते हैं, एवं सम्पूर्ण देश के आँकड़ों के अन्तिम संकलन की प्रक्रिया में और एक वर्ष लग जाता हैं ।

विदेश स्थित भारतीय तेल निगम के कार्यालय

2831. श्री विक्रम महाजन : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में खोले गए भारतीय तेल निगम के कार्यालयों के नाम क्या है; और

(ख) भारतीय तेल निगम द्वारा प्रत्येक कार्यालय पर कितनी राशि खर्च की गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) विदेश में भारतीय तेल निगम का कोई कार्यालय स्थित नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

समझौता ज्ञापन 1969 के अन्तर्गत प्रतिनिधि की नियुक्ति

2832. श्री अमरनाथ विद्यालंकार : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्ड और इसके कर्मचारियों के महासघ के बीच 13 मई, 1969 को हुये समझौता ज्ञापन के पैरा 20 के अनुसरण में प्रतिनिधि की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) यह सत्य है कि दिनांक 13 मई, 1969 के समझौते के ज्ञापन के पैरा 20 के अनुसार कैन्टानमेंट बोर्ड के प्रतिनिधियों तथा बोर्ड के कर्मचारियों के मध्य कोई नामांकन नहीं हुआ है क्योंकि इस प्रकार के नामांकन की अभी कोई आवश्यकता नहीं समझी गई है। प्रयत्न सदैव यह रहा है कि कैन्टोनमेंट बोर्ड के कर्मचारियों की फडरेशन से हरेक मामले पर शांतिपूर्वक समझौता कर लिया जाए। उपरोक्त धारा के अन्तर्गत आने वाला यदि कोई मामला अनसुलझा रह जाए तो उस धारा में दी हुई व्यवस्था के अनुसार कार्य किया जाएगा ।

छावनी बोर्ड कर्मचारियों के साथ हुए समझौता ज्ञापन का लागू न किया जाना

2833. श्री अमरनाथ विद्यालंकार :
श्री राम प्रकाश :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों और छावनी बोर्ड कर्मचारियों के मध्य 20 नवम्बर, 1966 को हुए समझौता ज्ञापन को लागू न करने के सम्बन्ध में सरकार को बहुत सी शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तों को पूरी तरह लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और उठाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) प्रत्यक्षत: संदर्भ 26 नवम्बर, 1966 के समझौता ज्ञापन के सम्बन्ध में है जो कि छावनी बोर्ड स्वीकार यूनियन अम्बाला तथा छावनी कार्यपालिका अधिकारी, अम्ब ला बोर्ड के मध्य हुआ था। यदि ऐसा है तो यह सच है कि सरकार को इस मामले में कुछ अभ्यावेदन प्त हुये हैं।

(ख) मामला अनुग्रह पूर्वक सहायता के सम्बन्ध में था। यह निर्णय किया गया था कि वह 1 जून, 1966 से अदा किया जाय तथा अखिल भारतीय छावनी बोर्ड कर्मचारी सघ के प्रतिनिधियों ने जिनके सभापति श्री अमर नाथ विद्यालंकार प्रमुख थे इस बात पर सहमत थे कि मांग को पहले की अवधि के लिए छोड़ दिया जाय। तद्परान्त संघ ने चाहा कि 1-6-'6 से पहले का अम्बाला का मामला श्रम न्यायालय को भेज दिया जाय तथा जो कि अभी तक अनिर्णीत है।

Working and Management of Central Government Owned Hotels

2834. Dr. Sankata Prasad : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the working and management of Central Government owned hotels in Delhi and other places is not satisfactory; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise. Of course, efforts are always being made to further improve the performance of the various hotels run by the Indian Tourism Development Corporation.

Directions Issued Regarding Spending of Money at Companies Discretion.

2835. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have directed all the Insurance Companies to spend 40 per cent of their funds for safeguarding their Departmental business;

(b) if so, the amount which can be spent at the Companies' discretion and the amount for which prior approval is necessary; and

(c) the benefits likely to accrue therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finace (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) to (c). No Sir. Government have recently issued the following Guidelines for investment of General Insurance funds :

All investment of funds of insurance companies will be subject to the following conditions :

(i) New investments should be only in approved investments. However investment in non-approved inves ments could be made with prior approval of Government.

(ii) Not less than 40% of the available funds should be invested in market secuities issued or guaranteed by the Central Government and the State Governments

(iii) The balance may be made in debentures, preference shares and ordinary shares and in other investments such as in land and house properties and loans on mortgages. Investmentin ordinary shares, however, should not exceed 50% of the total new investments made.

(iv) Investments in land and house properties and mortgages should be made only with the prior approval of the Government.

(v) All proposals for investment should be put to and approved by the Advisory Committee of Custodians; in an emergency, however, investments may be made in consultation with the Coordinating Custodian.

(vi) For any single investment in cxcess of Rs. 25 lakhs or where a new investment could bring up the total amount invested on any particular concern beyond Rs. 25 lakhs, the prior approval of the Government must be taken.

(vii) Sale of any investment should be made subject to the same conditions and limits as for new investments.

(viii) Each investment should be considered on its own merit and the question of any consideration of getting insurance business should not influence the decision.

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड में उच्च श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति परीक्षा पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण

2836. श्री दलीप सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड ने 4 अगस्त, 1971 को उच्च श्रेणी लिपिकों की निरीक्षक के पद पर उन्नति से सम्बन्धित परीक्षा के पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण कर दिया है;

(ख) क्या उन उम्मीदवारों को भी जिन्होंने पुराने पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पहले ही परीक्षा पास कर ली है फिर से नये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने को कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) जो उम्मीदवार पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार पहले ही लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर चुके हैं उन्हें 4-8-1971 को संशोधित आदेश जारी किये जाने से पहले उत्पन्न रिक्त पदों पर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक के पद पर पदोन्नत करने के मामले पर विचार किया जा सकता है ।

4-8-1971 के पश्चात् उत्पन्न रिक्त पदों के सम्बन्ध में केवल उन्हीं मंत्रालयी कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया जायेगा जो कि 4-8-1971 के आदेशों में निर्धारित पदोन्नति परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेंगे ।

(ग) 4 अगस्त, 1971 से पहले केवल एक साधारण लिखित परीक्षा होती थी जिसमें उम्मीदवार के सामान्य ज्ञान, प्रवुद्धता दृष्टिकोण तथा अपनी बात अभिव्यक्त करने की क्षमता की जांच की जाती थी । इस प्रकार की परीक्षा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क आदि जैसे तकनीकी विषयों की परीक्षा आवश्यक नहीं समझी जाती थी । अब निर्धारित की गई पदोन्नति परीक्षा का यह सुनिश्चित करना है कि कार्यकारी संवर्ग में पदोन्नत किये गये कार्यालयी कर्मचारियों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा प्रशासित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सीमाशुल्क तथा स्वर्ण नियंत्रण और अन्य कानूनों का पर्याप्त तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो ।

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा अन्य भत्तों का भुगतान

2837. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य व्यापार निगम जैसे सरकारी उपक्रम अपने कर्मचारियों को भारत सरकार के कर्मचारियों को दी जाती दर से ऊंची दरों पर मकान किराया भत्ता तथा नगर भत्ता दे रहे हैं;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम जैसे कुछ सरकारी उपक्रम अपने कर्मचारियों को जिनके पास स्कूटर हैं, मोटर साइकल है यात्रा भत्ता भी उदारतापूर्वक दे रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ये सुविधाएं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी सरकारी उपक्रमों को अनुदेश देने का है कि वे अपने कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों पर लागू नियमानुसार भत्तों का भुगतान करें; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) खाद्य निगम तथा राज्य व्यापार निगम जैसे कुछ सरकारी उद्यम, बड़े शहरों में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले मकान किराया भत्ते की दर से भी ज्यादा ऊंची दर पर मकान किराया भत्ता दे रहे हैं। किन्तु, अधिकांश उद्यम, नगर प्रतिकर भत्ता उसी दर से दे रहे हैं, जिस दर से सरकार देती है।

(ख) खाद्य निगम अपने कर्मचारियों को इस हिसाब से वाहन भत्ता दे रहा है :—

(i) उन कर्मचारियों को जो अधिक से अधिक 250 रुपये तक मासिक वेतन ले रहे हैं।	5 रुपया प्रतिमास, यदि कर्मचारी अपनी साइकिल या स्कूटर या मोटर-साइकिल रखता हो।
(ii) उन कर्मचारियों को जो 250 रुपये से अधिक किन्तु ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपये तक मासिक वेतन ले रहे हों।	यदि कर्मचारी अपनी साइकिल रखता हो तो 5 रुपया प्रतिमास। यदि कर्मचारी अपना स्कूटर, मोटर-साइकिल या अपनी कार रखता हो तो 50 रुपया प्रतिमास।
(iii) उन कर्मचारियों को जो 1000 रुपये से अधिक वेतन ले रहे हों।	यदि कर्मचारी अपना स्कूटर या मोटर-साइकिल रखता हो तो 50 रुपया प्रतिमास और यदि वह अपनी कार रखता हो तो 150 रुपया प्रतिमास।

कुछ और सरकारी उद्यम भी अपने कर्मचारियों को वाहन भत्ता अदा करते हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जो विभिन्न प्रकार के भत्ते मिलते हैं वे सामान्यतया सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त वेतन आयोगों की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये

गये निर्णयों के आधार पर दिये जाते हैं। परन्तु जहां तक सरकारी उद्यमों का सम्बन्ध है, ये उद्यम स्वयंभव इन भत्तों का निर्धारण, सामान्यतया तथा उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली पर्पाटियों सहित अनेक बातों को ध्यान में रखते हुए करते हैं।

(घ) और (ङ) जैसा ऊपर बताया गया है, सरकारी उद्यमों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्तों पर सरकारी नियम लागू नहीं होते। परन्तु सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि यद्यपि यह बात शायद व्यावहारिक नहीं होगी कि सरकारी उद्यमों के वेतन और भत्ते, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के बराबर हों या फिर सभी सरकारी उद्यमों में वेतनों और भत्तों का ढांचा एक समान हो, तथापि जहां भी वेतन और भत्तों के ढांचे की वैज्ञानिक संगति दी जा सके, जरूर दी जाय। इसीके अनुसार सरकार ने महंगाई भत्ते, नगर प्रतिकर भत्ते, मकान किराये भत्ते, वाहन भत्ते, परियोजना भत्ते और यात्रा भत्ते के विनियमन के लिए, सरकारी उद्यमों के मार्गदर्शन के लिए पहले से ही कुछ सिद्धान्त निश्चित कर दिये हैं। यद्यपि ये मार्गदर्शक सिद्धांत उद्यमों पर बाध्यकर नहीं है तथापि सरकार यही समझती है कि उद्यम इन सिद्धान्तों का अनुसरण करेंगे और यदि कहीं पर इन सिद्धान्तों से कुछ हट कर निश्चय करना हो तो वह निश्चय बोर्ड के स्तर पर कराया जायेगा। यह भी कहा गया कि जहां पर अन्तर्नियमावली में यह उपबन्ध हो कि कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के लिये सरकार का अनुमोदन आवश्यक है, वहां पर उसी का अनुसरण करना पड़ेगा। हाल ही में बंगला देश से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आ जाने से जो स्थिति पैदा हो गई है उसे देखते हुए, सरकार ने सरकारी उद्यमों द्वारा सरकार से पूर्व परामर्श किये बिना वेतन में सामान्य वृद्धि किए जाने और कर्मचारियों को अन्य आनुषंगिक लाभ दिये जाने पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिए हैं।

अधिक समय तक ठहरने वाले पर्यटकों के लिये केन्द्रों के रूप में विकास के लिये सरकार द्वारा चुने गये स्थान

2838. श्री इराज्मुद सैकेरा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिक समय तक ठहरने वाले पर्यटकों के लिए केन्द्रों के रूप में विकास के लिए कुछ स्थानों का चुनाव किया था; और यदि हां, तो वे कौन-कौन से हैं; और

(ख) प्रत्येक स्थान पर कार्य की क्या प्रगति हुई और वहां कितना-कितना खर्च किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) चौथी योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में भारत को लक्ष्य बना कर आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए तीन केन्द्रों का विहार स्थल के रूप में विकास करने के लिए चयन किया गया है। गुल्मर्ग का 400 लाख रुपये की लागत से एक शीतकालीन विहार-स्थल के रूप में तथा कोवालम और गोआ का क्रमशः 221.58 लाख रुपये व 20 लाख रुपये की लागत से समुद्र तटीय विहार-स्थलों के रूप में विकास करने के लिए चयन किया गया है। तंगमर्ग तथा गुल्मर्ग के बीच सड़क का निर्माण किया गया है, स्की प्रशिक्षकों तथा पर्वतारोहण गाइडों को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्की स्कूल स्थापित किया है और एक 500 मीटर लम्बी 'चेयर-लिफ्ट', एक 'प्रैक्टिस स्की लिफ्ट' तथा एक 'रोप-टो' स्थापित किये गये हैं। स्की उपस्कर तथा बर्फ हटाने के उपस्कर आयात किये गये हैं और

पर्वतारोहण उपस्कर देशीय निर्माताओं से प्राप्त किये गये हैं। संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत, शीतकालीन खेल-कूद पर एक संयुक्त राष्ट्र सलाहकार की सेवायें तथा कुछ उपस्कर प्राप्त कर लिए गये हैं।

कोवालम में प्रासाद सम्पत्ति तथा समुद्र तट के साथ-साथ की भूमि अधिगृहीत कर ली गई है, और समुद्र तटीय कुटीरों तथा होटल पर कार्य प्रारम्भ हो गया है।

देहातों में शिक्षित व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संस्थाओं का चलाया जाना

2839. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहातों में शिक्षित व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संस्थायें चलाये जाने के लिए व्यवस्था की गई हैं; जिससे वे बैंकों में कार्य कर सकें; और

(ख) बैंक राष्ट्रीयकरण के आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के दृष्टिकोण को बदलने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं। देहातों में शिक्षित व्यक्तियों में से नए चुने गए लोगों को भी दूसरे लोगों के साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा चलाये जाने वाले प्रशिक्षण संस्थानों में ही प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) उच्च पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्क्रम, इस तरह तैयार किए गए हैं जिससे कि वे उन्हें बैंक राष्ट्रीयकरण के लिए नए दृष्टिकोण के अनुकूल बना दे। इसके अतिरिक्त अधिकारियों को सामयिक परिपत्र जारी करके उनकी पुरानी विचारधारा को बदलने के लिए प्रवोधित किया जाता है और उन्हें सौंपे गए नए कार्यों के अनुकूल अपने को बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन प्रयत्नों के साथ-साथ विचार गोष्ठियां और कर्मशालायों का आयोजन किया जाता है जहाँ पर राष्ट्रीयकरण के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उनके दृष्टिकोण को बदलने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

आंध्र प्रदेश में पर्यटक केन्द्रों का विकास

2840. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्रप्रदेश के कौन-कौन से स्थानों का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का विचार है;

(ख) इस वर्ष आंध्र प्रदेश में पर्यटक महत्व के स्थानों का विकास करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वित करने का विचार है; और

(ग) क्या त्रिचूर जिले में हसिली हिल्स तिरूपती को, जो पर्यटक महत्व के स्थान हैं, इन पर्यटक विकास योजनाओं में सम्मिलित करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में

हैदराबाद-नागार्जुन सागर काम्प्लेक्स में सुविधाओं की व्यवस्था पर प्रयत्न केन्द्रित करने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष के दौरान, नागार्जुन सागर में परिचालन के लिए 14.28 लाख रुपये की लागत से 2 मोटर लांचों के लिए, तथा हैदराबाद की चारमीनार का एक लाख रुपये की लागत से पुंज-प्रकाश करने के लिए, आदेश दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत पर्यटन विकास निगम ने हैदराबाद में 2 लग्जरी कारों, 3 अम्बे डर कारों, 2 कोचों तथा एक मिनी-बस के बेड़े से एक परिवहन यूनिट की स्थापना की है।

(ग) जी, नहीं ।

रांगलोसीमा जिला, आंध्र प्रदेश से सशस्त्र सेना में भर्ती

2841. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के राँगलोसीमा जिले में हमारी सशस्त्र सेना में भर्ती करने के लिए वर्तमान व्यवस्था क्या है; और

(ख) सशस्त्र सेना में इस क्षेत्र के कम प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र से अधिक भर्ती करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) ऐसा विचार है कि अभिप्राय रायलासीना जिलों से है। मद्रास, सिकन्द्राबाद तथा गुन्टूर स्थित भर्ती दफ्तर रायलासीमा क्षेत्र को भी देखते हैं, जिसमें अन्नतपुर, चितुर, कुरनूल एवं कुंडघाट जिले शामिल हैं।

(ख) भर्ती अफसरों को आदेश दे दिये गये है कि इस क्षेत्र में भर्ती के कार्य को ज्यादा तेजी से करें।

देश में तेल के उत्पादन के बारे में रूसी विशेषज्ञों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

2842. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल के उत्पादन संबंधी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन करने वाले रूसी विशेषज्ञों ने सितम्बर 1971 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की जनशक्ति, उपकरण और वित्तीय संसाधनों को अपेक्षित स्तरों तक बढ़ाने में व्यवहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, अन्वेषी एवं विकास परिचालनों के उस परिमाण, जो रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर आगामी वर्षों के लिए नियोजित किया जाना चाहिए, का निर्धारण करने के लिये इस रिपोर्ट की जाँच तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश में चितूर में नायलोन सूत के उत्पादन का कारखना स्थापित करना

2843. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्ध्र प्रदेश में नायलोन सूत के उत्पादन का कारखाना स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी कर दिया गया है; और

(ख) क्या औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने की नीति के अनुरूप प्रस्तावित कारखाना आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थापित किया जायगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये नये निदेशक बोर्डों का गठन

2844. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी मामलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के गठित करने का काम पूरा हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो नए बोर्डों में कौन सदस्य है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'नहीं' में है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 7 के अधीन 18 जुलाई, 1970 को गठित राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रथम निदेशक बोर्ड कार्य कर रहे हैं। आशा है राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और विविध उपबंध) योजना 1970 के अनुसार निदेशक बोर्डों का गठन तब शीघ्र ही कर लिया जायगा जब कर्मचारियों के संघों के प्रतिनिधि स्वरूप के बारे में सत्यापनकार्य पूरा हो जायगा। निदेशक बोर्डों के गठन के बारे में पूर्वोक्त योजना के खण्ड 3 में बताया गया है।

बैंकों द्वारा उद्योगों को ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त

2845. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा उद्योगों को ऋण दिए जाने के सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उद्योग की प्रगति और उत्पादन पर उनके प्रभाव पर विचार किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय अपनी ऋण नीति इस प्रकार निर्धारित करता रहता है जिससे कि बैंकिंग प्रणाली उद्योग की वैध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण सुविधाएं देने की सुनिश्चित व्यवस्था कर सके। इस प्रकार की ऋण सुविधाएं देते हुए बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उन सुविधाओं के उचित इस्तेमाल की सुनिश्चित व्यवस्था करें। इस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक ने अपनी

ऋण प्राधिकरण योजना चलायी है जिसके अन्तर्गत इसने वाणिज्यिक बैंकों से यह कहा है कि 1 करोड़ और उससे अधिक की ऋण सीमाओं के प्रस्ताव रिजर्व बैंक को उन विहित फार्मों में भेजे जायं जिनका उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि सामान की सूची तैयार करना, निगमों के बीच ऋण के आदान-प्रदान और निवेश, आल्पावधिक निधियों के अपवर्तन आदि जैसे पहलुओं की ध्यानपूर्वक छानबीन कर ली गयी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से इस बात की सिफारिश की है कि इस प्रकार की छानबीन 25 लाख रुपये से अधिक की सीमाओं के प्रस्तावों के सम्बन्ध में की जाय। रिजर्व बैंक ने एक चयनात्मक ऋण नियंत्रण प्रणाली भी चलायी है जिसके अधीन रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंकों को उस तरीके के सम्बन्ध में परामर्श देता है जिसके अनुसार कुछ वस्तुओं के लिए ऋण सीमाओं को लागू किया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक इन उपायों को उदारता पूर्वक चलता है ताकि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के अविछिन्न-स्तर को सहायता दी जा सके और साथ ही इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके कि ऐसे मामलों में जहाँ आवश्यक नहीं है अधिक ऋण न दिया जाय।

25 लाख रुपये से अधिक आय-कर की बकाया राशि

2846. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यापार गृहों और व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनकी आय-कर की बकाया राशि 25 लाख रुपये से अधिक है ;

(ख) गत तीन वर्षों में सरकार ने उनके मामलों में कितनी राशि बट्टे खाते में डाली ; और

(ग) उनसे कितनी राशि वसूल की गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जिन कर- निर्धारितियों के मामलों में 31-3-1971 की आयकर की 25 लाख रुपये से अधिक शुद्ध बकाया थी, उनके नाम और शुद्ध बकाया आंकड़े अनुबन्ध में दिये गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1224/7.]

(ख) कुछ नहीं।

(ग) वित्तीय वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के दौरान अनुबन्ध में निर्दिष्ट कर-निर्धारितियों से वसूल की गयी रकम के सम्बन्ध में विवरण इकट्ठा किया जा रहा है और यथा शीघ्र सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

Authorised Strength of Senior and Junior Divisions of N.C.C.

2847. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the authorised strength of the Senior and Junior Divisions of National Cadet Corps for 1970-71; and

(b) the number of colleges, High Schools and Higher Secondry Schools in the country where training is being given to trainees of National Cadet Corps ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) :

(a) Senior Division : 8,17,000
Junior Division : 7,77,3 0

(b) 3,102 colleges
6,158 Schools.

Reservation of Seats for Scheduled Castes in Indian Forces

2848. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister **Defence** be pleased to state :

(a) whether 10 per cent of the seats are reserved for Scheduled Castes in Government Service (Civil);

(b) whether there is no reservation for Scheduled Castes in the Indian Navy, Army and Air Force;

(c) if so, whether Government intend to reserve 10 per cent of the seats for Scheduled Castes in the military as well with a view to safeguarding their interests; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Def nce (Shri Jagjivan Ram) : (a) Reservation for Scheduled Castes in civilian posts is as follows :—

(i) 15% in posts filled by direct recruitment through written competitive tests.

(ii) 16 2/3% in posts filled by direct recruitment but without written competitive tests.

(iii) 15% in posts filled by promotion, except in scientific posts exempted from reservation.

(b), (c) and (d) : There is no reservation for Scheduled castes in Armed Forces. Instructions have been given for the present that other things being equal preference should be given to members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for recruitment to the Army.

राष्ट्रीयकृत बैंकों में तकनीकी विधेयक सेवा सैल स्थापित किया जाना

2849. श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी ने छोटे उद्यमकर्ताओं के वित्तीय सहायता सम्बन्धी प्रस्तावों को तुरन्त निपटाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ सेवा सैल स्थापित किए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) छोटे उद्यमकर्ताओं के वित्तीय सहायता सम्बन्धी कितने आवेदन-पत्र राष्ट्रीयकृत बैंकों के विचाराधीन है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : छोटे उद्यमकर्ताओं से ऋणों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर कारवाई करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में से बारह बैंकों ने तकनीकी कक्ष स्थापित किए हैं। अन्य बैंकों ने तकनीकी अधिकारियों की नियुक्तियाँ की हैं अथवा परामर्श-दाताओं की सूची बनायी है। जहाँ जहाँ आवश्यक होता है राष्ट्रीयकृत बैंक लघु उद्योगिक सेवा संस्थानों से तथा विशिष्ट क्षेत्रों में गैर-सरकारी परामर्शदाताओं से सहायता भी ले रहे हैं।

(ग) जून, 1971 के अन्त तक राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 68919 ऋणकर्ताओं को ऋण दिये हैं जिनसे 24,273. लाख रुपये बकाया है। जिन आवेदन-पत्रों पर अभी कार्यवाही करना शेष है उनके सम्बन्ध में, आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

7 सरकारी रक्षा उपक्रमों को ऋण देना

2850. श्री आर० पी० उलगनम्बी : : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सात सरकारी रक्षा उपक्रमों को 77.94 करोड़ रुपये की प्रदत्त अंश पूंजी पर 75.29 करोड़ रुपये का ऋण देने के क्या कारण हैं; और

(ख) उपर्युक्त ऋण वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार की यह नीति होने हुये कि ऐसे खर्चों को अंशत: इकट्ठी पूंजी से तथा अंशत: ऋण द्वारा पूरा किया जाय सरकार ने पेडअप इक्विटी पूंजी के अलावा पूंजी मद के व्यय को पूरा करने के लिए ऋण भी दिए हों उपक्रमवार प्रदत्त अंश के ब्यौरे तथा भारत सरकार के 31 मार्च, 1971 को बकाया ऋण निम्नलिखित है:—

क्रम सख्या	उपक्रम का नाम	प्रदत अंश पूंजी	सरकार के बकाया ऋण
1.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड	50.41	50.20
2.	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	5.21	5.91
3.	मझगाँव डाक लिमिटेड	3 30	6.69
4.	गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड	3.00	2.40
5.	प्रागा टूल्स लिमिटेड	3.00	2.40
6.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	11.90	7.45
7.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	0.60	0.45
	योग	77.42	76.10

भारत डाइनामिक्स लिमिटेड को अभी तक कोई ऋण नहीं दिया गया है।

(ख) ऋण की सस्वीकृति में उसे निर्धारित अवधि में तथा निर्धारित वार्षिक किश्तों में वापस करने का अनुबन्ध होना है। उपक्रम इन ऋणों को अनुबन्ध के अनुसार वापस कर रही है। ऋण की बकाया राशि पर वह ब्याज भी निर्धारित दर पर अदा कर रही हैं।

हवाई अड्डे के उपकरणों को आयात करने का प्रस्ताव

2851. श्री पी० ए० सामिनाथन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हवाई अड्डों के उपकरणों को आयात करने सम्बन्धी प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है, उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी, उनका आयात किन देशों से किया जाएगा और देश में ही उपकरण बनाने के लिए विदेशी जानकारी प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगाने के लिए क्या प्रयत्न किये गए हैं; और

(ख) देश में उपकरण बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) आयात किये जा रहे विमान क्षेत्र उपस्कर की मुख्य मदों में रन-वे स्वीपर, एयरो-ब्रिज, बचाव गाडियां, फायर टैंडर, ट्रॉसमिटर/रिसीवर, अदिशीय एच० एफ० बीकन, राडार, केन्द्रीय लाइन धावनपथ उपस्कर तथा कुछ अन्य

इलेक्ट्रानिक उपस्कर सम्मिलित हैं। रन-वे स्वीपर, एयरो ब्रिज, बचाव गाड़ियां, फायर टैंडर, ट्रांसमीटर/रिसीवर तथा अद्विशीय बीकान जिनकी कि अनुमानित लागत विदेशी मुद्रा में 4.91 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, एक 'पैकेज डील' के अन्तर्गत कनाडा से आयात किए जा रहे हैं। केन्द्रीय लाइन धावनपथ उपस्कर जिसकी कि मुद्रा में अनुमानित लागत 35 लाख रुपये है, टैंडर मंगा कर आयात किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त, इलेक्ट्रानिक उपस्कर की कुछ मदें, जिनकी कि विदेशी मुद्रा में अनुमानित लागत 17 लाख रुपये है यू० एस० ए०, यू० के० कनाडा अथवा फ्रांस से आयात की जा रही हैं।

विभिन्न प्रकार के उपस्कर के देशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) उपस्कर का आयात औद्योगिक विकास मन्त्रालय के अन्तर्गत तकनीकी विकास के महानिदेशक से 'क्लीयरेंस' प्राप्त होने के बाद ही किया जाता है। जहाँ तक क्रैश फायर टैंडर का सम्बन्ध है, तथा संभरण विभाग देशी माल का उत्पादन करने के लिए कार्यवाही कर रहा है। भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० को इलेक्ट्रानिक उपस्कर की आवश्यकताओं से काफी पहले से अवगत करा दिया गया है। इलेक्ट्रानिक आयोग इस उपस्कर का देश में ही निर्माण करने के लिए प्रयत्नों का समन्वय कर रहा है।

पर्यटन में अनुसन्धान के लिए शिक्षावृत्ति (फैलोशिप) आरम्भ करने की योजना

2852. श्री पी० ए० सामिनाथन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों में पर्यटन के क्षेत्र में अनुसन्धान करने के लिए शिक्षा-वृत्ति (फेलोशिप) आरम्भ करने सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह योजना अब तक कितने विश्वविद्यालयों में क्रियान्वित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) किसी एक यूनीवर्सिटी में प्रयोगात्मक आधार पर पर्यटन में "डाक्टोरेट" के लिए दो शिक्षावृत्तियाँ प्रारम्भ करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

होटल विकास ऋण योजना के अधीन ऋण देने के लिए स्वीकृत परियोजनायें

2853. श्री वी० मयावन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत 609.59 लाख रुपये के ऋण देने के लिए कौनसी 14 परियोजनायें स्वीकार की गई हैं;

(ख) कौन सी परियोजनाओं के लिए 217.54 लाख रुपये के ऋण दिये गये हैं; और

(ग) शेष स्वीकृत ऋण कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) प्रायोजनाओं के नामों तथा मंजूर किये गये एवं वितरित किये गये ऋणों की राशि को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा है।

(ग) अनुमोदित किये गय ऋणों की बकाया राशि का वितरण' पार्टियों द्वारा पर्याप्त प्रतिभूति की व्यवस्था के रूप में काफी परिसम्पत्ति एकत्रित करने तथा सभी कानूनी औपचारिकताओं को सन्तोषप्रद ढंग से पूरा करने के बाद किया जायेगा।

विवरण

होटल विकास ऋण योजना

31 मार्च, 1971 को मंजूर किये गये एवं वितरित किये गये ऋणों की राशियों को दिखाने वाला विवरण।

(लाख रुपयों में)

होटल कम्पनी का नाम तथा स्थान	मंजूर किए गए ऋण की राशि	वितरित किए गए ऋण की राशि
1	2	3
कलकत्ता		
1. एस० पी० जायसवाल एस्टेट्स (प्रा) लि०, कलकत्ता (होटल हिन्दुस्तान इंटरनेशनल)।	25.00	20.00
2. रत्त दीन (प्रा) लि०, कलकत्ता।	12.00	12.00
3. रिट्ज काटिनेन्टल होटलस लि०, कलकत्ता।	20.00	20.00
बम्बई		
4. इंडियन होटलस कं० प्रा० लि०, बम्बई (ताज महल होटल)	75.00	50.00
5. फोरियाम होटल्स (प्रा) लि०, बम्बई।	21.59	21.54
6. पीयम होटल्स (प्रा) लि०, बम्बई।	80.00	32.00
7. होटल होरिजन (प्रा) लि० बम्बई।	50.00	33.00
8. एलेल होटल एण्ड इन्वेस्टमैंट (प्रा) लि०, बम्बई।	74.00	—
9. नारगस होटलस (प्रा) लि०, वम्बई (होटल अम्बेसडर बंबई)	6.00	—
लखनऊ		
10. उत्तर प्रदेश होटलस एण्ड रेस्टोरैंट्स लि०, वाराणसी (होटल क्लार्क्स अवध, लखनऊ)।	60.00	16.00
श्रीनगर		
11. ब्रौडवे एंटरप्राइजेज (प्रा) लि०, श्रीनगर	36.00	—

हैदराबाद		
12. करण एंटरप्राइजेज (प्रा) लि०, (होटल नागार्जुन, हैदराबाद) ।	15.00	13.00
जयपुर		
13. उत्तर प्रदेश होटल्स एण्ड रेस्टोरेन्टस लि०, वाराणसी (होटल क्लार्क्स अमर जयपुर) ।	60.00	—
14. आर० के० होटल्स (प्रा) लि०, जयपुर	75.00	—
कुल	(09.59	217.54

होटल पुर्नविलोकन तथा सर्वेक्षण समिति का प्रतिवेदन

2854. **श्री वी० मयावन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन होटलों के नाम क्या हैं और वे कहां पर स्थित हैं जिन्हें कुछ सुधार करने की सलाह दी गई है जिससे वे 28 फरवरी, 1971 से पहले ऊंचे दर्जे के होटल बन सकें;

(ख) ऊंचे दर्जे के स्तर तक कितने होटल पहुंच पाये हैं; और

(ग) क्या होटल पुर्नविलोकन तथा सर्वेक्षण समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) (क)से (ग) होटल पुर्नविलोकन समिति 1970 ने चार और पांच स्टार वाले होटलों का निरीक्षण किया जिनमें विचाराधीन होटल सम्मिलित थे । समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा लकोवा 'टी एस्टेट' भूमि का अर्जित किया जाना

2855. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कुछ वर्ष पूर्व आसाम के सब सागर जिले में लाकोवा 'टी इस्टेट' की 300 एकड़ भूमि अर्जित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार ली गई भूमि के लिये 'टी एस्टेट' के मालिक को भूमि के प्रतिकर के रूप में कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) क्या उक्त सौदे के बारे में गम्भीर आरोप लगाये गये थे; और यदि हां, तो क्या कोई जाँच कराई गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा लकोवा चाय सम्पत्ति की भूमि में से 300 बीघे (लगभग 130 एकड़) अर्जित किये गये थे ।

(ख) रु० 27,50,471.12 पैसे (इनमें से चाय की झाड़ियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 22 67,148.00 रु० थे) शेष धनराशि भूमि की लागत को दर्शाती है।

(ग) जी हाँ। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाँच की जा रही है।

राष्ट्रीय बैंकों में कदाचार

2856. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कदाचारों में बहुत वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इस बुराई को हटाने के लिये कठोर कार्यवाही करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस दिशा में क्या उपाय करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि हाल के महीनों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कदाचारों में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये बहुत से उपाय किये गये हैं। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकार में आना स्वीकार कर लिया है और उन्होंने सतर्कता कक्ष स्थापित कर लिये हैं। ये कक्ष भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करते हैं और उन पर उपयुक्त कार्यवाही करते हैं। केन्द्रीय जांच कार्यालय भी भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उसे सीधे प्राप्त हुई और बैंकों द्वारा उसे भेजी गई शिकायतों की जांच करता है। आंतरिक लेखा परीक्षा, पर्यवेक्षण और नियन्त्रण कार्य को सुदृढ़ बनाने के सम्बन्ध में भी राष्ट्रीयकृत बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक लगातार ध्यान दे रहे हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

अमरीका द्वारा भारत को हथियारों की सप्लाई निलम्बित करने का समाचार

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ तथा उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"भारत को सभी प्रकार के हथियारों की सप्लाई तुरन्त बन्द करने और पहले किये गये सम्बन्धी वायदों को भी रद्द करने का अमरीकी सरकार का कथित निर्णय।"

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : संयुक्त राज्य अमरीका सरकार ने सरकार को यह सूचना दी है कि 'दक्षिण एशिया में बिगड़ती हुई स्थिति तथा भारत और पाकिस्तान के सशस्त्र सैनिकों के बीच सैनिक मुठभेड़ों' को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1 दिसम्बर 1971 को यह निश्चय किया है :

(1) कि भारत को भविष्य में दी जाने वाली युद्ध सामग्री की सूची के लाइसेन्स देना बन्द किया जाए,

(2) कि कोई भी नया लाइसेन्स जारी नहीं किया जाए या वर्तमान लाइसेन्सों का नवीकरण नहीं किया जाए; और

(3) ऐसे अनेक लाइसेन्सों को रद्द कर दिया जाए, जिनका उनके अनुमान के अनुसार कुल मूल्य लगभग 20 लाख डालर के बराबर है।

कई महीनों से भारत संयुक्त राज्य अमरीका और विश्व की अन्य सरकारों का ध्यान इस ओर दिला रहा है कि बंगला देश में पाकिस्तानी शासन के अमानवीय अत्याचारों से भारी बोझ उस पर पड़ा है और वह शुभ सुझाव दे रहा है कि उन्हें पाकिस्तान को इस बात पर राजी कराना चाहिए कि वह सैनिक दमन समाप्त करे और बंगला देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ कोई राजनीतिक समाधान निकाले। पाकिस्तान के सैनिक शासकों को समझाने बुझाने के उनके प्रयत्नों का कोई फल नहीं निकला है। हमारी भूमि पर एक करोड़ शरणार्थियों के आ जाने से और हर रोज 10 हजार शरणार्थी के आते रहने से तथा हमारी सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों के जमाव से और सैकड़ों बार हमारी सीमा और वायुसीमा का उल्लंघन करने और हमारे क्षेत्र पर निरन्तर गोलाबारी करने से हमारी सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है हम इस गंभीर घटना को चुपचाप बैठे देख नहीं सकते। अतः हमें आश्चर्य है कि संयुक्त राज्य सरकार ने इन घटनाओं के प्रति इस रूप में जैसा कि उन्होंने किया है अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

श्री पीलू मोदी : माननीय मंत्री ने उत्तर में आश्चर्य शब्द का प्रयोग किया है। स्पष्ट है कि उनको बताना चाहिए कि हमारा प्रचार असफल रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके अनुमान के अनुसार हमें 20 लाख डालर का सामान मिलने वाला था। क्या हम उनके अनुमान के अनुसार सारा कार्य करते रहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हमने यह प्रथा कब से शुरू की है। क्या हम वाणिज्यिक स्तर पर ऐसा कर रहे हैं क्या उनके विचार में ऐसा करने का कोई औचित्य है? इस प्रकार के अनुचित रवैये और एक पक्षीय व्यवहार के लिए विरोध प्रकट करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि उन्होंने कहा है कि वह जो लाइसेंस रद्द कर रहे हैं उनका मूल्य 20 लाख डालर के लगभग है। हम इस बात का पता लगायेंगे कि यह ठीक है अथवा नहीं। अभी तक उनसे इस बारे में ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है। सैनिक उपकरणों के बारे में मैं किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। क्योंकि ऐसा करना लोक हित में नहीं है।

श्री पीलू मोदी : माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा कब से शुरू किया था।

श्री स्वर्ण सिंह : हम समय-समय पर वाणिज्यिक स्तर पर कुछ सैनिक उपकरण खरीदते रहे हैं। इससे अधिक मैं कुछ नहीं बता सकता।

Shri M. C. Daga (Pali) : Keeping in view that the attitude of China and America is against India may I know the steps Government propose to take to mould the public opinion in our favour there through propaganda ?

Shri Swaran Singh : This question can be raised at some other time.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) May I know why the hon. Minister is expressing surprise on suspension of arms supplies to India by America as it is well known that America is following a policy of helping those people who toe their foot-steps ? We should learn a lessson

from it and should try to be self-relaint for arms. May I know the quantity of arms supplied to India since 1965 and the value thereof ? I also want to know the value of out-standing licences. Mey I also know whether America is suspending arms supplies to India only or to some other countries also ?

श्री स्वर्ण सिंह : विदेशों से खरीदे जाने वाले हथियारों की मात्रा तथा उनके मूल्य के बारे में सभा में नहीं बताया जाता और न ही मैं बताना चाहता हूं ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I have asked a very relevant question. The hon. Minister should reply whether the supply of arms to other countries have also been stopped by America or it is only for India ?

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : क्या अमरीकी सरकार की कार्यवाही में हमारे साथ कोई भेदभाव किया गया है । क्या सरकार को इस बारे में पता है अथवा नहीं ।

श्री स्वर्ण सिंह : यह बिलकुल स्पष्ट है कि यदि उन्होंने भारत को लाइसेंस जारी करना बन्द कर दिया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने अन्य देशों को भी हथियारों की सप्लाई बंद कर दी है । वह खुले तौर पर अन्य देशों को हथियार दे रहे हैं ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इससे राडार तथा अन्य उपकरणों के बारे में हमारी रक्षा पर कुछ प्रभाव पड़ेगा ? क्या अन्य देशों से इन चीजों को प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं ? जब प्रधान मंत्री अमरीका गई थी तो क्या उस समय उनको इस बारे में कोई संकेत मिला था ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारा प्रयास यह रहा है कि जहाँ कहीं से भी सामान मिलता है हम ले लेते हैं । हमारा प्रयास यह है कि विभिन्न देशों से सामान खरीदा जाये । मुझे आशा है कि हमारी सेना ऐसी कार्यवाही करेगी जिससे अमरीका से रक्षा सामग्री सप्लाई बन्द होने का कोई प्रभाव न पड़े ।

ध्यानाकर्षण सूचना के बारे में (प्रश्न)

Re : Call Attention Notics (Query)

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा-पश्चिम) : मैंने ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी । पिछले 36 घण्टों से अगरतल्ला पर गोलाबारी हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री दोनों उपस्थित नहीं हैं । उनके आनेपर स्थिति का पता लगेगा ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : आप ने कल शाम कहा था कि रक्षा मंत्री इस बारे में कुछ जानकारी देंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : वे प्रेस सम्मेलन करते हैं परन्तु सभा को विश्वास में नहीं लेते हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : रक्षा उत्पादन मंत्री श्री शुक्ल यहां पर उपस्थित हैं । अतः वास्तविक स्थिति के बारे में वह वक्तव्य दे सकते हैं । क्या रक्षा उत्पादन मंत्री वक्तव्य देंगे ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र : अन्तर्राष्ट्रय प्रेस से भी यह पता चल रहा है कि स्थिति गम्भीर हो रही है अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति भी कुछ हमारे विपक्ष में है हम ठीक स्थिति जानना चाहते हैं

Mr. Speaker : Let the Ministers come.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : चीन के साथ 1962 के युद्ध के दौरान प्रधान मंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरु स्वयं सभा को प्रतिदिन की घटनाओं के बारे में बताया करते थे परन्तु अब कुछ भी नहीं बताया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री तक मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा । रक्षामंत्री भी इस समय बाहर गये हुए हैं । उनके आने के पश्चात हमें अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेना होगा ।

श्री एस०एम० बनर्जी : समाचार पत्रों में छपने वाले समाचारों के आधार पर ही हम ध्यान दिलाने वाली सूचनायें देते हैं । यह ठीक है कि प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री बाहर गए हुए है परन्तु श्री शुक्ल वक्तव्य दे सकते हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : स्थिति की गम्भीरता को कम करके दिखाने का हमारा कोई विचार नहीं है । हम विरोधी दलों के नेताओं को स्थिति से परिचित कराने की आवश्यकता को भी समझते हैं । परन्तु हमने देश की रक्षा को भी ध्यान में रखना है प्रश्न यह है कि यह सब कैसे किया जाये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परसों प्रैस वालों को अनेक बातें बताई गई हैं जो कि सभा के सामने नहीं रखी गई हैं ।

श्री राज बहादुर : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को माननीय प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री तक पहुँचा दूंगा । मैं शीघ्र ही प्रधान मंत्री तथा विरोधी दलों के नेताओं के बीच एक बैठक का प्रबंध करूंगा ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : जनता को सभा में बताई गई बातों से ही जानकारी मिलती है न कि बैठकों में बताई गई बातों से ।

श्री राजबहादुर : मै विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही रक्षा मंत्री वापस आयेंगे मैं उनको सभा को विश्वास में लेने के लिए कहूँगा ।

अध्यक्ष महोदय : सभा का सत्र चल रहा हो तो सभा को जानकारी देना आवश्यक होना चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या भविष्य में सभी वक्तव्य केवल रक्षा मंत्री द्वारा ही दिये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : श्री शुक्ल भी रक्षा मंत्री हैं परन्तु इस मामले में मैं सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि वे मंत्री महोदय की प्रतीक्षा कर लें । श्री शुक्ल; क्या आज कोई वक्तव्य देना सम्भव होगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : रक्षा मन्त्री

कुछ क्षेत्रों का दौरा करने गए हुए हैं। वक्तव्य देना कोई कठिन बात नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या उसका कुछ महत्व होगा। सीमा पर गम्भीर स्थिति को देखते हुए हमें वक्तव्य देने में सावधानी से काम लेना चाहिए। सभी महत्वपूर्ण मामलों को सभा के समक्ष रखा जाता है। यदि आप यह चाहते हैं कि जिस प्रकार प्रेस वालों को प्रतिदिन जानकारी दी जाती है इसी प्रकार सभा को भी दी जाये तो यह एक पृथक बात है। मैं समझता हूं आप का विचार ऐसा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : घटनाओं के बारे में सभा को सूचित किया जाना चाहिए इस कठिन समय में हमें इस बारे में कोई प्रक्रिया अपनानी होगी।

श्री राजबहादुर : मैं सभा से अनुरोध करुंगा कि ऐसे वक्तव्यों पर यदि प्रश्न न पूछे जायें तो अच्छा होगा सभी प्रश्नों का उत्तर देना सम्भव नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस को मुझ पर छोड़ दें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers Laid on the Table

बंगाल वित (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं श्री के० आर० गणेश की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(i) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त, बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) दिल्ली विक्रय कर (पांचवा संशोधन) नियम, 1971, जो दिल्ली राज पत्र, दिनांक 1 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (130)/68-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे तथा तत्सम्बन्धी शुद्धि पत्र, जो दिल्ली राज पत्र, दिनांक 1 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (13) 68—फिन (जी) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) दिल्ली विक्रय कर (पंचवां संशोधन) नियम, 19 1, जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (25)/70-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अधिसूचना संख्या एफ० 4 (40)/71-फिन (जी), जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 26 जुलाई, 1971 की अधिसूचना संख्या एफ० 4 (41)/71-फिन (जी) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1211/71]

(2) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 18/3 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत डाकघर बचत बैंक (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1260 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1212/71]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 68वाँ संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एम० आर० 1376 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 69वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एम० आर० 1377 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 70वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1410 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा शुल्क तथा केन्द्री उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 71वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 25 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1411 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 72वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1412 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 73वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1413 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 74वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1414 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 75वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1415 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 76वां

संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1416 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 78वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1445 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 77वां संशोधन नियम 1 71, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1446 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 79वां संशोधन नियम, 1971, जो भारय के राजपत्र, दिनांक 9 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1516 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 80वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1517 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 81वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1518 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 82वां संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1519 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 83वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1520 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 84वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1521 में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठारह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 85वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1522 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1213/71]

(4) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित, मैसूर स्टाम्प अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रतिः—

(एक) एस० ओ० 578, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) एस० ओ० 656, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक, 22 अप्रैल, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) एस० ओ० 1295, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) एस० ओ० 1328, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1214/71]

रेल सुरक्षा आयोग के वर्ष 1970-71 के कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं रेल सुरक्षा आयोग के वर्ष 1970-71 के कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण संख्या की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। (ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1215/71)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी शतपथी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तका अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रतिः—

(एक) जी० एस० आर० 1172, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 18 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 1383, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी० एस० आर० 1542क, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 अक्तूबर 1971 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) जी० एस० आर० 1596, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) जी एस० आर० 1649, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) जी० एस० आर० 1674, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) जी० एस० आर० 1726, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर, 1971 में प्राकशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) जी० एस० आर० 1729, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । (ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1216/71)

(2) अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर अध्यादेश, 1971 की धारा 8 की उपधारा (3) के अंतर्गत अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1760 में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी 1217/71)

राज्य सभा से सन्देश

Messages from Ragya Sabha

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सभा को सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा को लोकसभा द्वारा 25 नवम्बर, 19 1 को पास किये गये रेल यात्री भाड़ा विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 25 नवम्बर, 1971 को पास किये गये डाक वस्तुओं पर कर विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 25 नवम्बर, 1971 को पास किये गये, अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी हैं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

Committee in Public Undertakings

प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

श्री एम० बी० राणा (भड़ौंच) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूँ ।

(1) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सम्बन्ध में दूसरा प्रतिवेदन ।

(2) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड सम्बन्धी समिति के दूसरे प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सर-

कारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (1970-71 तथा 1971-72) की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

अनुदानों की अनुपूरक माँगे (रेलवे) 1971-72

Supplementary Demands for Grants (Railways) 1971-72

रेल मंत्री (श्री के० हनुमंतैया): मैं वर्ष 1971-72 के बजट (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनूपूरक माँगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ ।

हिन्दुस्तान मोटर्स फैक्ट्री उत्तरपाड़ा के बारे में वक्तव्य

Statement on Hindustan Motors Factory Uttarpara

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुलहक चौधरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा दिये गये सुझाव के उत्तर में कि मैं उत्तरपाड़ा स्थित हिन्दुस्तान मोटर्स कारखाने में कारों के निर्माण के लिए संयंत्र और मशीनों की स्थिति के सम्बन्ध में तथा उनकी पुस्त मूल्य के बारे में वक्तव्य दूं, मैं निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूँ :—

अनेक माननीय सदस्यों द्वारा कारों के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा 24 नवम्बर, 1971 को दिये गये निर्णय के संदर्भ में, प्रस्तुत किये गये ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के उत्तर में, 26 नवम्बर, 1971 को सदन में दिये गये मेरे वक्तव्य के पश्चात मुझसे पूछा गया था कि सरकार हिन्दुस्तान मोटर्स का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करती । मैंने उत्तर दिया था कि कारें बनाने वाली मशीनों की घटिया किस्म को देखते हुए जबकि विशेष रूप से उसने सरकारी क्षेत्र में एक कार परियोजना स्थापित करने का निश्चय किया है सरकार का विचार फिलहाल हिन्दुस्तान मोटर्स का राष्ट्रीयकरण करने का नहीं है ।

हिन्दुस्तान मोटर्स पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा स्थित अपने कारखाने में कारें बनाता है । वाणिज्यिक गाड़ियाँ, शावेल्स, भारी क्रेनें ौर ढांचे आदि भो उसी कारखाने में बनाये जाते हैं । इस कारखाने की स्थापना सन् 1948 में सबसे पहले पुर्जे जोड़कर कारें बनाने के लिये की गई थी । कारें और वाणिज्यिक गाड़ियां बनाने की सुविधाएं अब मिला दी गई हैं । प्रकाशित लेखाओं के अनुसार 31 मार्च 1970 को कम्पनी की आस्तियों का वास्तविक मूल्य 67.54 करोड़ रु० था । उसी तारीख का अवलिखित मूल्य 44.70 करोड़ रु० है ।

आटो प्रभाग में उत्पादन सुविधाएं जैसे भट्टी, ढलाईघर और प्रेस शाप और इसके अलावा कुछ मशीनें तथा उपकरण कारों तथा मोटर गाड़ियों दोनों के उत्पादन के लिये समान हैं । आटो प्रभाग की अचल परिसम्पत्ति अवलिखित मूल्य जिसका मूल्यांकन कम्पनी द्वारा समय समय पर दिये गये आंकड़ों के आधार पर किया गया है 31 मार्च 1970 को लगभग 28 करोड़ रु० था जबकि इसका प्रारम्भिक मूल्य 55.12 करोड़ रु० था । केवल कारों के लिये प्रयुक्त होने वाली मशीनों का

अवलिखित मूल्य लगभग 7.5 करोड़ रु० आँका गया है। इसमें शीट मेटल डाइयों का अवलिखित मूल्य अर्थात 7.81 लाख रुपये भी सम्मिलित है जिसका प्रारम्भिक मूल्य लगभग 2.2 करोड़ रुपये था।

मे० हिन्दुस्तान मोटर्स ने कार मूल्य जांच आयोग को जिसके अध्यक्ष श्री सरजू प्रसाद सिंह थे और जो सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशों के अनुसरण में नियुक्त किया गया था। कुछ आँकड़े प्रस्तुत किये थे। उसमें उन्होंने कहा था कि कारों का उत्पादन करने में प्रयुक्त होने वाली घिसी-पिटी मशीनें जो इस समय उनके पास हैं उनके बदलने के लिये 10 करोड़ रुपये के विनियोजन की आवश्यकता होगी ताकि वर्तमान उत्पादन क्षमता को जारी रखा जा सके। मे० हिन्दुस्तान मोटर्स ने जुलाई, 1970 में सरकार को एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि वे एम्बेसडर कार का उत्पादन बन्द करना चाहते हैं और ओपल-कैडेट का उत्पादन करना चाहते हैं उसके लिये भी घिसी पिटी मशीनों और उपकरणों को बदलने के लिये उनको लगभग 10 करोड़ रु० के अनुमानित विनियोजन की आवश्यकता होगी अतः उनके कथन से यह देखा जा सकता है कि मोटर गाड़ी प्रभाग की 20 करोड़ रु० की अचल आस्तियों के अवलिखित मूल्य के होने पर भी उन्हें कारों का वर्तमान उत्पादन स्तर बनाये रखने के लिये 10 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होगी।

मे० हिन्दुस्तान मोटर्स को वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों के निर्माण करने की वार्षिक लाइसेंस प्राप्त क्षमता 15,000 है। वाणिज्यिक गाड़ियों के मूल्य और वितरण पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। इस पर भी इस कम्पनी का वाणिज्यिक गाड़ियों का उत्पादन कम हो रहा है और प्रति-वर्ष कम ही होता जा रहा है। 1965 में 4,855 ट्रकों का उत्पादन हुआ था जबकि 1968, 1969 तथा 1970 में क्रमशः इसका उत्पादन 1981, 1755 तथा 1319 रहा। उच्चतम न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि प्रतिवर्ष 15 000 ट्रकों की अधिष्ठापित क्षमता होने पर भी इस फर्म का वास्तविक उत्पादन प्रतिवर्ष 15,000 से अधिक का नहीं था। इस संयंत्र के उत्पादन में गिरावट का रुख रहा है जबकि उत्पादन करने वाले प्रमुख एककों में हाल के ही वर्षों में निरन्तर काफी उत्पादन हुआ है।

मैं आशा करता हूँ कि जो कुछ मैंने पहले कहा था और अब यह जो जानकारी मैंने दी है माननीय सदस्य उसे और अधिक भली प्रकार समझ सकेंगे।

सभा का कार्य

Business of the House

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं आज सभा में घोषित करता हूँ कि सोमवार 6 दिसम्बर 1971 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित कार्य किया जायेगा :—

(1) आज की कार्य सूची के सरकारी कार्य के ऐसे मदों पर विचार करना जिन पर चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई है।

( ) अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान ।

(3) गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू रखने सम्बन्धी संकल्पों पर चर्चा ।

(4) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पास करना :—

(एक) मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषदें विधेयक 1971 ।

(दो) उत्तर प्रदेश छावनी (भारक तथा बेदखली) नियन्त्रण (निरसन) विधेयक 1971, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में ।

(तीन) एशियन रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) विधेयक 1971 ।

(चार) कोकिंग कोयला (आपात उपबन्ध) विधेयक 1971 ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे केवल श्री बनर्जी की सूचना प्राप्त हुई है ।

श्री एस०एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान अमरीकी सरकार द्वारा भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाये जाने से एक नई स्थिति पैदा हो गई है । अतः हमें नयी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विशेषतः बंगला देश के सन्दर्भ में, विचार करना चाहिए । दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री को सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के बारे में सरकारी निर्णय की घोषणा के बारे में वक्तव्य देना चाहिए ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमान् भारत, बंगला देश और पाकिस्तान के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नयी घटनायें हुई हैं । इस सन्दर्भ में हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा का अवसर मिलना चाहिए । अतः संसदीय कार्य मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस मद को भी सरकारी कार्य में सम्मिलित कर लें ।

श्री राजबहादुर : जहां तक अन्तरिम राहत के बारे में वक्तव्य देने का सम्बन्ध है, मैं वित्त मंत्री को इस बात से अवगत करा दूंगा ।

वायु निगम (संशोधन) विधेयक

Air Corporation (Amendment) Bill

अध्यक्ष महोदय : अब सभा के समक्ष डा० कर्णसिंह द्वारा 2 दिसम्बर 1971 को प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव है, जिस पर आगे विचार किया जायेगा । साथ ही मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूँ कि आज सभा में मध्यान्ह भोजन के लिए अवकाश न होगा ।

डा० रानेन सेन (बारसात) : इस विधेयक में कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर आपत्ति की जाये । किन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है । उदाहरण के लिए धारा 2(1) (क) में यह उल्लेख है कि निदेशक-बोर्ड में एक अध्यक्ष (चेयरमैन) होगा । साथ

ही यह भी बताया गया है कि यह चेयरमैन पूर्णकालिक अधिकारी होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इस पद पर किन योग्यताओं वाला व्यक्ति नियुक्त किया जायेगा ? मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इन निगमों के कार्य में सुधार तभी होगा जबकि उनके चेयरमैन पूर्णकालिक अधिकारी होंगे। विधेयक में यह भी बताया गया है कि सदस्यों के स्थान पर (निदेशक) डायरेक्टर होंगे। किन व्यक्तियों को डायरेक्टर बनाया जायेगा। धारा 3 के अन्तर्गत भत्तों की बजाये वेतन और भत्ते दिये जायेंगे। मेरे विचार से यह वेतन भी अधिक ही होगा। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग नियुक्त किये जायेंगे, उनकी अर्हताएं क्या होंगी ? चेयरमैन और डायरेक्टरों की नियुक्ति के मामले में हमें सजग रहना पड़ेगा।

मंत्री महोदय ने यह बताया था कि इन निगमों द्वारा होटल स्थापित किये जायेंगे। कलकत्ते में आज तक भी कोई होटल अभी तक नहीं बनाया गया है, यद्यपि समाचारपत्रों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दे दिया है कि कलकत्ते में एक होटल होना चाहिए, ताकि विदेशी पर्यटक वहां आकर ठहर सकें। पटना जैसे स्थान पर भी एक होटल बनाया जाना चाहिए। मंत्री महोदय ऐसे स्थानों पर होटल बनाये जाने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें। मूल अधिनियम की धारा 12(2) में आये 'चालू लेखे' (करन्ट एकाऊंट) के स्थान पर केवल 'लेखे' (एकाऊंट) रखने का क्या उद्देश्य है। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय इन बातों का स्पष्टीकरण करेंगे।

श्री बी० मायावन (चिदाम्बरम्) : श्रीमान मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। खण्ड 2 में उल्लेख है कि चेयरमैन सहित एक निदेशक मंडल बनाया जायेगा। इस निदेशक मंडल में 8 से लेकर अधिक से अधिक 14 निदेशक होने की व्यवस्था है। मेरे विचार से इसमें 8 से अधिक निदेशक नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितने अधिक निदेशक होंगे, खर्च भी उतना ही अधिक बढ़ जायेगा और कार्यकुशलता भी उसी अनुपात में कम हो जायेगी। मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि ऐसे निगमों में 4 निदेशक और एक प्रबन्धक निदेशक होना चाहिए। साथ ही अंशकालिक निदेशकों के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। ऐसे निगमों में अंशकालिक निदेशक नहीं होने चाहिए क्योंकि वे अपना पूरा समय और ध्यान निगम के कार्य को नहीं दे सकते। ऐसे निदेशकों से कार्यकुशलता नहीं बढ़ती है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि इन दोनों निगमों में केवल आठ निदेशक हों। और उन दोनों के लिए एक प्रबन्धक निदेशक हो। इससे इन दोनों निगमों में समन्वय स्थापित हो जायेगा।

खण्ड 8 में निगमों को 40 लाख रुपये तक की राशि बिना सरकार से अनुमति लिए खर्च करने का अधिकार दिया गया है। एयर इण्डिया के मामले में यह राशि बढ़ाकर 50 लाख की जानी चाहिए। मैं एक अन्य सुझाव यह देना चाहता हूं कि एक नया संगठन बनाया जाना चाहिए जो इन दोनों निगमों को फालतू पुर्जों की सप्लाई कर सके। साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया में कितने सुरक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं। अन्त में मेरा यह सुझाव है कि मद्रास स्थित चिनमबक्कम हवाई अड्डे पर आने-जाने की सूचना तमिल भाषा में भी दी जानी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में आदेश जारी करने का अनुरोध करता हूं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मंत्री महोदय ने विधेयक को पेश करते हुए कहा था कि यह विधेयक अधिनियम 1953 में संशोधन करने के उद्देश्य से लाया गया है, ताकि ये निगम

इस क्षेत्र में विद्यमान स्पर्धा का मुकाबला कर सकें। जहां तक निदेशक मंडल आकार का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि वह छोटा ही रहे और निगम का चेयरमैन योग्य व्यक्ति बनाया जाये और वह सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाला हो तथा वह सरकारी उपक्रमों में भी विश्वास करने वाला हो। साथ ही मेरा यह भी सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे निगम पर केवल चेयरमैन का ही आधिपत्य न जम जाये इसके लिये यह आवश्यक है कि निदेशक मण्डल के सभी सदस्य निगम के कार्यों में रूचि लें। साथ ही मेरा यह सुझाव भी है कि चेयरमैन एक वेतनभोगी व्यक्ति हो और निगम के कार्यकरण और संचालन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जाये।

इस विधेयक के अन्तर्गत इन निगमों को यात्रियों की आवश्यकता-पूर्ति हेतु होटल रेस्टोरैंट और आराम-गृह खोलने का अधिकार भी दिया गया है। इस संदर्भ में मेरा सुझाव है कि न केवल विदेशी यात्रियों की सुविधाओं पर बल्कि भारतीय यात्रियों की सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाये। ऐसा करने से देश में विमान यात्रियों की संख्या अवश्य बढ़ेगी। अभी मन्त्री महोदय का ध्यान केवल बड़े-बड़े हवाई अड्डों की ओर गया है। मेरा सुझाव है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। उदाहरण के लिए, सरकार को खजुराहो के अड्डे के विकास पर ध्यान देना चाहिए। इससे सरकार को पर्याप्त आय हो सकती है।

इन निगमों की लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा उनकी लेखा-परीक्षा की जायेगी और इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट महालेखा-परीक्षक को भेजी जायेगी। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि उनकी लेखापरीक्षा महा लेखापरीक्षक के सीधे पर्यवेक्षण में की जानी चाहिए और सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति को उस पर चर्चा करने का अधिकार होना चाहिए, ताकि संसद निगमों के कार्यकरण पर विचार-विमर्श कर सके।

जहां तक रियायती चारटर्ड सेवा का सम्बन्ध है, ऐसी अधिक सेवायें चलायी जानी चाहिए, ताकि विदेशों में काम कर रहे व्यक्ति या छात्र अधिक संख्या में स्वदेश आ-जा सकें। मुझे पूर्ण आशा है कि विधेयक में प्रस्तावित निगमों के बन जाने पर उनका काम अधिक कुशलता से होगा और इससे पर्यटन-संवर्धन में भी सफलता मिलेगी।

श्री एन० श्रीकांतन नायर (क्विलोन) : श्रीमान्, 15 लाख रुपये की राशि के स्थान पर 40 लाख रुपये कर दिया जाना इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, जितना कि निदेशकों की संख्या में वृद्धि किया जाना है। ये लोग कौन होंगे, कैसे होंगे और उन्हें कैसे नियुक्त किया जायेगा ? ऐसा करना खतरनाक होगा। इससे इन निगमों की कार्यकुशलता नहीं बढ़ेगी। इससे तो वहां अफसरशाही रिश्वत खोरी और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा ही मिलेगा। दूसरी बात यह है कि केवल केरल राज्य की राजधानी त्रिवेन्द्रम एक ऐसा नगर है जहां दिल्ली से सीधी विमान सेवा नहीं है।

बहुत आंदोलन करने के पश्चात बोइंग-737 की विमान सेवा त्रिवेन्द्रम के लिए आरम्भ की गई। इसके उतरने के लिए राज्य सरकार को तीन मंजिली इमारत को गिराना होगा। दिल्ली से त्रिवेन्द्रम को सीधी बोइंग-737 विमान सेवा आरम्भ की जानी चाहिए। अधिकारी इस ओर सहानुभूतिपूर्ण विचार नहीं करते क्योंकि वे त्रिवेन्द्रम को जाने वाली बोइंग सेवा को वित्तीय दृष्टि

से असफल बनाकर उसे रद्द करना चाहते हैं। इस मामले में तकनीकी कठिनाई की बात की जाती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है।

इस बात की जाँच की जानी चाहिये कि क्या इण्डियन एयर लाइन्स के लिए होटलों और जलपान गृहों को चलाने का कार्य अपने हाथ में लेना उचित है? होटल निगम को इस बारे में पूरी जानकारी है। इस कार्य के लिए होटल निगम की सहायता से कोई सहायक कम्पनी बनाई जा सकती है।

जब मुख्य कम्पनी ठीक कार्य कर रही है तो सहायक कम्पनियों को चलाने की कोई आवश्तकता नहीं है।

कर्मचारियों की सेवा शर्तों को उड्डयन मंत्रालय के अधीन नहीं होना चाहिए। श्रम मंत्रालय के किसी अधिकारी को जिसे सब बातों की जानकारी हो, कार्मिक प्रबन्धक नियुक्त किया जाना चाहिए। बोर्ड में कार्मिक संघ के एक अथवा दो व्यक्तियों को मनोनीत किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को उचित समय पर बोर्ड में उठाया जा सके।

मन्त्री महोदय को असैनिक विमान के चालकों की ओर ध्यान देना चाहिए। उनकी उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने अपने प्रशिक्षण पर पर्याप्त धन खर्च किया है। हमें उनकी नियुक्ति करनी चाहिए और उन्हें उचित प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे वे प्रतिरक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में सेवा कर सके।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : (मदुरै) : सरकार जब हवाई अड्डों को और अधिक सुविधायें देने की बात सोचती है तो वे उक्त सुविधायें केवल बम्बई और कलकत्ता जैसे बड़े हवाई अड्डों को देने की ही बात सोचती है। कलकत्ता हवाई अड्डे की भी उपेक्षा की जा रही है। मद्रास हवाई अड्डे की इस बारे में भारी उपेक्षा की जाती है।

सरकार को लाभ के बारे में विचार न कर यात्रियों को अधिक सुविधायें उपलब्ध करवानी चाहिए। सरकार केवल लाभ की दृष्टि से ही विचार करती है।

अध्यक्ष महोदय : वर्तमान विधेयक का क्षेत्र बहुत सीमित है। आप विधेयक में उल्लिखित बोर्ड और अन्य बातों के बारे में बोलें।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : निगम को यात्रियों की सुविधाओं की ओर ध्यान देना चाहिए। मद्रास में उतरने वाले एक विमान को छोटे छोटे मरम्मत कार्य के लिए बम्बई की ओर देखना पड़ता हैं। फालतू पुर्जे भी बम्बई से मंगाने पड़ते हैं। मद्रास में एक पूरा इंजीनियरिंग सेक्शन खोला जाना चाहिए जिससे फालतू पुर्जों की आवश्यकता को पूरा करने की व्यवस्था हो।

वहां बड़े विमान नहीं उतर सकते। दक्षिण के हवाई अड्डे की सुधार के मामले में उपेक्षा की जा रही है।

एवरो विवाद के बारे में दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। अभी भी विमान चालक संतुष्ट नहीं है। यदि वे दोनों प्रतिवेदन परस्पर विरोधी हैं तो इस बारे में विमान चालकों को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए जिससे उन्हें सन्तुष्ट किया जा सके।

मदुरै की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । मदुरै से दिल्ली आने पर 24 घण्टे मद्रास हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है । बम्बई और बंगलौर से आने वाली विमान सेवाओं को मद्रास तक बढ़ाया जाना चाहिए ।

छोटे छोटे हवाई अड्डों पर होटलों की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे ऐसे पर्यटकों को जो सुबह आयें तथा जिन्हें शाम तक रुकना पड़े, वहां खाना प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो ।

Shri Bharat Singh Chowhan (Dhar) : The objects of the amending Bill are praiseworthy. There is no doubt that this has been brought to get more powers. Some powers have been demanded for bringing improvement in the management. But this service has not become so popular as it should have been.

The schemes should be prepared even to connect big cities by air in the respective state. Madhya Pradesh has been neglected in this respect. No proper transport facilities are available in the State.

Mr. Speaker : You must be relevant. You should say something about the Corporation.

Shri Bharat Singh Chowhan : We have no objection in giving more powers but efficiency of the air services should be increased. Hindi newspapers should be made available to the people in the aeroplanes. The supply of beaf should be stopped in planes.

(Mr. Deputy Speaker *in the Chair*)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुं)

The quantity of meals supplied within the planes is less. A sense for air travel should be created in the minds of the people. The percentage of deduction in the case of cancellation of air tickets should be reduced. Special attention should be paid for connecting backward area of Madhya Pradesh by air.

Shri Mohammed Ismail (Barrackpore) : In the Bill introduced by the hon. Minister proposal has been made to increase the number of the members of Corporation from 8 to 15. Proposal has also been made for increasing their powers and salaraies. I am not against it. But changes should be brought in the Corporation. The behaviour of the officers towards workers, drivers and mechanics is not proper. They indulge in grouping. They should remain neutral. Posts have been kept vacant and people are not appointed. People are paid lakhs of rupees as over-time. People are asked to do work for ten to twelve hours. Vacancies should immediately be filled.

Only 25 or 40 emplypees of the Airways India have been absorbed. There should not be any partiality in absorbing the employees.

It has been stated that the hotels will be handed over to a company or a corporation. Eight to ten lakhs of rupees have yet to be realised from a hotel in Bombay. No action has been taken in this regard.

The Grand Hotel and Grand Eastern Hotel of Calcutta have been closed for the last two months. No action has been taken to reopen these two hotels.

No person can take more than one kilogram weight along with him in case he wants to go from Calcutta to Agratalla. These restrictions should be relaxed.

There is no certainty about the time of the departure of the plane. The officers work-

ing there are masters of their own in this respect. Complaints have been made in this regard but no action has been taken.

Checking of luggage of the passengers take too much time.

Government should make such arrangements whereby the middle class people like rich people could also travel by air.

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : मुझे एयर इंडिया से अनेक बार यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ है मैं उसकी सेवा की सराहना करता हूँ। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि वह अपने नियन्त्रण में होटल खोल रही है। होटलों में भारतीय भोजन की कमी बहुत अखरती है। मुझे आशा है विदेशों में भी भारतीय होटलों में भारतीय भोजन सप्लाई किया जायेगा।

कलकत्ता जाने वाले विमान को लखनऊ के बाद गोरखपुर रुकना चाहिए और फिर बनारस पटना और कलकत्ता जाना चाहिये। पहले गोरखपुर के लिए विमान सेवा थी जिसे अब बन्द कर दिया गया है। गोरखपुर एक महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ अनेक बड़ी चीनी की मिलें हैं। आशा है मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे कि कलकत्ता जाते समय और कलकत्ता से लौटते समय विमान गोरखपुर रुके। आशा है अब कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच कोई विवाद नहीं होगा। मैं विधेयक क समर्थन करता हूं।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : निगम का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त न करने के बारे में अनेक सदस्यों ने उल्लेख किया है स्थिति यह है कि जनरल मैनेजर, जिन्हें अब मैनेजिंग डायरेक्टर कहा जायेगा, उक्त निगम के पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष पूर्णकालिक हो सकते हैं अथवा अंशकालिक। यह कहना ठीक नहीं है कि केवल बड़े उद्योगपतियों को ही अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। श्री मोहन कुमार मंगलम भी इंडियन एयर लाइन्स के अध्यक्ष थे। श्री टाटा विशेष अंशदान के कारण एयर इण्डिया के अनेक वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं। जब तक उपयुक्त व्यक्ति इस स्थान के लिये उपलब्ध न होगा हमें इस परम्परा का पालन करना होगा।

इस समय कम्पनी के प्रबन्धकों में से केवल एक व्यक्ति को लिया गया है बाकी व्यक्ति बाहर के हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने कर्मचारी निदेशक के पदों पर नियुक्ति का सुझाव दिया है। हम बोर्ड में कम्पनी के दो या चार वरिष्ट अधिकारियों को बोर्ड में नियुक्त करेंगे। उनको अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा।

इण्डियन एयर लाइन्स की स्थिति में पहले से बहुत अधिक सुधार हुआ है और इसमें और अधिक सुधार हो रहा है। मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि मंत्रालय इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेगा।

एयर इंडिया के विश्व के विभिन्न देशों में 40 या 50 कार्यालय हैं और उसके लिए कभी-कभी चन्दा देना आवश्यक हो जाता है। राजनीतिक दलों को धनराशि न देने के बारे में राज्य सभा में एक संशोधन प्रस्तुत किया गया था। डमडम हवाई अड्डे पर होटल स्थापित करने के बारे में कार्य आरम्भ हो गया है। इस पर 120 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

अनेक माननीय सदस्यों ने निगम के व्यय में केन्द्रीय सरकार की सलाह बिना 15 से 40 लाख रुपये की वृद्धि करने का उल्लेख किया है। मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि निदेशक बोर्ड

में केन्द्रीय सरकार को अच्छा प्रतिनिधित्व प्राप्त है । अतः उक्त धनराशि के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता । सभा के सामने अनेक बार यह अनुरोध नहीं रखा जा सकता कि हम और अधिक खर्च करना चाहते हैं और इसलिए हम और अधिकार प्राप्त कर रहे हैं । लेकिन हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि धनराशि अथवा इस उपबन्ध का दुरुपयोग नहीं होगा । हम उतने ही निदेशकों की नियुक्ति करते हैं जितने हम आवश्यक समझते हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना अप्रैल, 1972 में की जायेगी । राज्य सभा द्वारा विधेयक पारित कर दिया गया है और इस पर राष्ट्रपति की अनुमति ली जानी है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति के बारे में स्थिति संतोषजनक नहीं है । अनेक बार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार नहीं मिलते । योग्यता प्राप्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के मिलने में कठिनाई होती है । मैं नियुक्ति के मामले में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता बल्कि मैंने अध्यक्ष को यह लिखा था कि सब योग्यताएं पूरी करने वाले अनुसूचित तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

प्रादेशिक भाषाओं में घोषणा करने के बारे में हम विचार करेंगे । इस मामले में अनेक कठिनाइयां हैं फिर भी हम इस सम्बन्ध में ध्यानपूर्वक विचार करेंगे ।

कम्पनी की लेखा परीक्षा के बारे में उल्लेख किया गया है । कम्पनी के लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत है । सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति निगमों के मामले में जांच करती हैं । अतः इस मामले में काफी हद तक संसदीय नियंत्रण है । उन पर इतना अधिक नियन्त्रण भी नही होना चाहिये कि वे कार्य ही न कर सकें ।

छोटे हवाई अड्डों की दशा में सुधार करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है ।

इस वर्ष 15 अक्टूबर से त्रिवेन्द्रम के लिए बोइंग-737 जैट सेवा आरम्भ की गई है । लेकिन यह कहा जा रहा है कि अन्य सेवाओं से समय मेल न खाने की वजह से उक्त सेवा का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता ।

मैंने इण्डियन एयरलाइन्स के अधिकारियों को इस मामले की जांच करने के लिए कहा है । उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वे कार्यक्रम में कुछ समायोजन करने का प्रयत्न करेंगे, यह बात ठीक नहीं है कि केवल त्रिवेन्द्रम से ही दिल्ली के लिये सीधी विमान सेवा नहीं है । ऐसे और भी कई स्थान है जैसे पूर्वी क्षेत्र में भुवनेश्वर । फिर भी हम विभिन्न प्रदेशों की मांगों को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे । मैं इस बात से सहमत हूं कि दिये जाने वाले भोजन में सुधार किया जाना चाहिए । जहां तक विमान-चालकों की बेरोजगारी का सम्बन्ध है हम आगामी 2-3 वर्षों में लगभग 100 विमान चालक भर्ती कर रहे हैं । मुझे आशा है कि इनमें से कुछ व्यक्तियों को रोजगार मिल जायेगा । इसके अतिरिक्त हमने संघलोक सेवा आयोग को भी इस सम्बन्ध में लिखा है और नगर विमानन विभाग में हवाई अड्डा अधिकारियों के भर्ती नियमों में भी संशोधन किया गया है जिससे इनको रोजगार के अवसर मिल सकें ।

कुछ संसद सदस्यों ने कहा है कि उनके क्षेत्रों से होकर विमान जाते हैं परन्तु वहां रुकते नहीं है । प्रश्न विमान के उतरने का नहीं है हमें यात्रियों की आवश्यकता होती है । फिर हर बार

उतरने में अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मदुरै के लिए कुछ व्यवस्था की जाये। श्री भरत सिंह ने कहा था कि अखिल भारतीय सेवाओं के अतिरिक्त राज्यों में भी छोटे आकार के जहाज चलाये जाने चाहिए। सिद्धान्त रूप में यह प्रस्ताव ठीक है परन्तु हमारे पास छोटे विमान नही है जो इस कार्य को कर सकें। डी० सी० 3 विमान छोटे हैं परन्तु उन्हें भी उतरने के लिए 3000 फुट जगह चाहिए। यदि भारत में छोटे विमान अधिक होते तो एयर टैक्सी सेवा आरम्भ की जा सकती थी। परन्तु इतने अधिक विमान खरीदना सम्भव नहीं है।

प्रो० एल० एस० सक्सेना (महाराजगंज) : उनका निर्माण किया जाना चाहिए।

डा० कर्ण सिंह : हमने एक विमान बनाया है और यदि हम छोटे विमान भी बनाना आरम्भ कर दें तो अर्थ-व्यवस्था ठप्प हो जायेगी। जहाँ तक प्रबन्ध और श्रमिक सम्बन्धों की बात है, मुझे आशा है कि उनमें अवश्य सुधार होगा। एयरवेज इण्डिया लिमिटेड के कर्मचारियों का का भी उल्लेख किया गया था। बात यह है कि वे प्राइवेट एयरलाइन्स के कर्मचारी थे। कानूनी रूप से उनको सेवा में खपाने का सरकार का कोई दायित्व नहीं है। मानवीय आधार पर हम उस मामले की जांच करने के लिये तैयार थे। हमने वैसा ही किया और साक्षात्कार किये गये 123 या 124 कर्मचारियों में से 51 कर्मचारियों को नियुक्त कर लिया गया है। इनको नियुक्त करने के लिये ही हमने कुछ प्रतिबन्धों में भी ढील दी है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : उन्हें ऐसे पदों पर नियुक्त किया जा सकता है जिनमें उसी अनुभव एवं अर्हताओं की आवश्यकता हो। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

डा० कर्ण सिंह : मुझे एक और अभ्यावेदन मिला है और हम देखेंगे कि इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही की जा सकती है।

कलकत्ता से अगरतला तक जाने के लिए सामान की सीमा निर्धारित है क्योंकि यह विशेष सेवा होती है और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक यात्री ले जाये जायें।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : मंत्री महोदय ने बताया था कि केवल मालवाहक विमान चलाया जायेगा।

डा० कर्ण सिंह : हम उसके बारे में भी विचार करेंगे। हमारे पास विमानों की कमी है। श्री इस्माइल ने जांच पड़ताल का प्रश्न उठाया था। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यह जांच पड़ताल बहुत आवश्यक है। कांग्रेस के सदस्यों के लिये कोई अपवाद नहीं हो सकता है। किसी मंत्री के लिए भी कोई रियायत नहीं है।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : हमें पता चला है कि भोजन व्यवस्था के बावजूद दिल्ली कलकत्ता विमानों में सप्लाई किये जाने वाला भोजन ठेकेदारों द्वारा बहुत ऊंची दर पर दिया जाता है। क्या यह बात ठीक है ?

डा० कर्ण सिंह : इस सम्बन्ध में हम अब तक ठेकेदारों पर ही निर्भर करते रहे हैं। अब एयर इण्डिया ने बम्बई और दिल्ली में एक-एक 'फलाइट किचन' स्थापित किया है। हम धीरे-धीरे प्रयत्न कर रहे हैं कि हम यथा सम्भव प्राइवेट ठेकेदारों पर निर्भर न करके स्वयं भोजन की

व्यवस्था करे। कलकत्ता में अभी यह व्यवस्था नहीं है परन्तु दमदम होटल बन जाने के बाद हम उनसे भी भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहेंगे। इस बीच हम टेंडर आमंत्रित करके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में उड़ानों की कमी है। बात यह है कि सब हवाई अड्डे बिहार और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में हैं। उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर तक विमान सेवा चलाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं।

मैं एयर कारपोरेशन्स के कार्यकरण पर गत चार या पांच वर्षों से विशेष ध्यान दे रहा हूं। कठिनाइयों के बावजूद इस सम्बन्ध में काफी प्रगति हो रही है। मुझे आशा है कि सभा इस विधेयक का अनुमोदन कर देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वायु निगम अधिनियम, 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड वार चर्चा की जायेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 13, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 से 13, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र ओर विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 2 to 13, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

डा० कर्ण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

जयन्ती शिपिंग कम्पनी (शेयरों का अर्जन) विधेयक

Jayanti Shipping Company (Acquisition of Shares) Bill

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि राष्ट्रीय पोत परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं की और अच्छी प्रकार से पूर्ति करने के लिए तथा जनसामान्य के हित में राष्ट्रीय पोत परिवहन की उन्नति और विकास में सहायक होने के उद्देश्य से जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के शेयरों का अर्जन करने का तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

माननीय सदस्य भलीभांति जानते हैं कि सरकार को किन परिस्थितियों में जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के शेयरों का अर्जन करना पड़ा। एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है जिस में इन सभी परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। इस विधेयक के खण्ड 3 में सभी शेयर केन्द्रीय सरकार को स्थानान्तरित करने की व्यवस्था की गयी है इस विधेयक में केन्द्रीय सरकार सभी शेयरों को स्थानान्तरित करने इन्हें शेयर धारकों को मुआवजे के रूप में कुल मिला कर 4.50 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करके सभी न्यासों, दायित्वों और भारों से मुक्त इन शेयरों को सरकार को प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। 2,88,128 शेयरों में से 212,472 शेयर डा० धर्म तेजा के नाम पर हैं और 70,825 शेयर श्री एम० एम० कुलकुंडीस के नाम पर हैं। शेष शेयर अन्य लोगों के है। थोड़े शेयरों के रखने वाले अंशधारियों को पूर्ण मुआवजा और बाकी अंशधारियों को नकद भुगतान किया जाये। इस विधेयक के खण्ड 5 में भारतीय नौवहन निगम और कुछ अन्य व्यक्तियों को शेयर स्थानान्तरित करने का उपबन्ध किया गया है। 100 शेयर छोड़कर केन्द्रीय सरकार द्वारा अर्जित शेष शेयरों को भारतीय नौवहन निगम को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा शेष 100 शेयर एक आदेश द्वारा कुछ व्यक्तियों को, जैसा कि इस आदेश में बताया जायेगा, स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। यह कार्यवाही इसलिए की जा रही है क्योंकि 10 जून, 1966 से भारतीय नौवहन निगम इस कम्पनी को चला रही है और इसके परिणामस्वरूप इस कम्पनी में काफी सुधार हुआ है। इस दौरान इस निगम ने कम्पनी का पिछला घाटा ही पूरा नहीं किया बल्कि लाभ भी अर्जित किया है। अतः यह लोकहित में है कि भारतीय नौवहन निगम का अच्छा प्रबन्ध चलता रहे।

इस विधेयक के खण्ड 7 में कम्पनी के अन्तरिम प्रबन्ध के लिए व्यवस्था की गई है। कंपनी की एसोसिएशन के ज्ञापन और अन्तर्नियमों के अनुसार कम्पनी का निदेशक बोर्ड गठित करने में कुछ समय लगेगा। इस कारण उस समय तक कम्पनी का प्रबन्ध करने के लिये एक निदेशक बोर्ड गठित किया गया है। जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के शेयरों का अर्जन किया जाना आवश्यक हो गया है जिससे राष्ट्र की नौवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और लोकहित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नौवहन का विकास तथा संवर्धन आसानी से किया जा सके। केन्द्रीय सरकार ने जयन्ती शिपिंग कम्पनी के प्रबन्ध को पहले ही अपने नियन्त्रण में लिया हुआ है। इस दौरान पहले प्रबन्धकों द्वारा की गई कई अनियमितताओं का पता चला है और जयन्ती शिपिंग कम्पनी को इन अनियमितताओं के कारण कई दावे दायर करने पड़े हैं। डा० धर्म तेजा के विरुद्ध एक आपराधिक मुकदमा भी दायर किया है जिसके पास 74 प्रतिशत शेयर थे। डा. धर्म तेजा और श्री एम० एम० कुलकुंडीस के पास लगभग 98 प्रतिशत शेयर थे और उनपर कई मुकदमे चल रहे हैं।

अब जयन्ती शिपिंग कम्पनी भारतीय नौवहन निगम की सहायक कम्पनी के रूप में कार्य कर रही है। इस कम्पनी ने दो न्यायालयों से डिगरियां प्राप्त की है। डिगरी की राशि 1.25 करोड़

रुपये है । इसके अतिरिक्त डा० तेजा तथा श्री कुलकुंडीस के विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायालय में और भी मुकदमे दायर किए गये हैं जिसमें मुआवजे की राशि 2.87 करोड़ रुपये हैं । बम्बई उच्च न्यायालय ने डा० तेजा के सभी शेयरों को कुर्क कर लिया है और इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है । सरकार ने इन सभी शेयरों का अर्जन कर लिया है और इसी कारण यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रीय पोत परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं की और अच्छी प्रकार से पूर्ति करने के लिए तथा जन सामान्य के हित में राष्ट्रीय पोत परिवहन की उन्नति और विकास में सहायक होने के उद्देश्य से जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के शेयरों का अर्जन करने का तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा-पश्चिम) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ । मन्त्री महोदय ने अभी अभी बताया है कि कुछ अंशधारियों ने भ्रष्टाचार से कुछ धन कमाया था । क्या ऐसे अंशधारियों को सरकार द्वारा दिये जाने वाले मुआवजे से लाभ पहुँचेगा ? मेरा अभिप्राय यह है कि आपराधिक व्यक्ति को पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए ।

सरकार ने मुआवजा देने का उल्लेख किया है परन्तु उन्होंने कर्मचारियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है । मुझे पता चला है कि सीधे भर्ती किये जाने वाले कुलियों को तो पुनः नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है परन्तु जिनकी भर्ती ठेकेदारों द्वारा की जाती है उनको पुनः नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये ।

सरकार को इस कम्पनी के कर्मचारियों को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचारी प्रबन्धकों से काफी कष्ट उठाना पड़ा है । उनकी शिकायतें दूर की जानी चाहिए ।

***श्री सी० चित्तिबाबू** (चिंगलपुट) : मैं जयन्ती शिपिंग कम्पनी के हिस्सों को राष्ट्र हित में अर्जित करने के लिए सरकार की सराहना करता हूं । जहाजों द्वारा दूसरे देशों को भेजे जाने वाला समुचय कार्य सरकार को स्वयं करना चाहिये । नौवहन का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं सौंपना चाहिये । यदि सरकार स्वयं यह कार्य करती है तो उसका लाभ सारे देश को होगा । स्टेट बैंक आफ इंडिया ने एक अज्ञात और साधारण से व्यक्ति डा० धर्म तेजा को 20 करोड़ रुपये का ऋण दिया था जिसके लिए कोई पर्याप्त गारंटी तक नहीं ली गई थी । उस समय श्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और उन्हीं के कारण यह राशि डा० तेजा ले पाये थे । डा० तेजा ने ग्रीक के जहाज मालिकों के साथ सांठ-गांठ कर रखी थी कि जैसे ही उनके जहाज भारतीय तट पर पहुँचे उन पर जयन्ती ध्वज लगाया जाना चाहिये और डा० तेजा प्राधिकारियों

***तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।**

Summarised translated version based on English Translation of a speech delivered in Tamil

को दिखा देंगे कि वे जहाज उन्होंने खरीदे थे। प्राधिकारी डा० तेजा के तर्कों का सत्यापन किये बिना उसे धन दे देते थे। सरकार स्वयं इस स्थिति पर पहुंची है। अतः सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि क्या इन शेयरों और जहाजों को अपने नियंत्रण में लेने का कोई लाभ भी है या नहीं। क्या सरकार ने इन शेयरों के वास्तविक मूल्य का पता लगाने का कोई प्रयत्न किया है ?

जयन्ती शिपिंग कम्पनी भारतीय नौवहन निगम की सहायक कम्पनी के रूप में कार्य करेगी परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि जयन्ती शिपिंग कम्पनी को कोई हानि होती है तो उसे भारतीय नौवहन निगम के खाते में न दिखाया जाये।

भारतीय नौवहन निगम में विलय से पूर्व इस कम्पनी के कार्यकरण पर निगाह रखी जानी चाहिये और इसके खे भी अलग रखे जायें। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि शेयरधारियों को मुआवजा देने से पूर्व जयन्ती शिपिंग कम्पनी के शेयरों का किस प्रकार मूल्यांकन किया जायेगा तथा किस आधार पर यह मुआवजा दिया जायेगा। आनियमितता तथा कदाचार करने वाले बड़े-बड़े शेयरधारियों को मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिये।

पूरे पांच वर्ष प्रतीक्षा करने के पश्चात भी अन्तर्क्षेत्रावाले में राष्ट्रपति द्वारा 17-10-71 को अध्यादेश जारी किया जाना कहां तक न्यायसंगत है। यदि 27 दिन और इन्तजार कर लेते तो क्या प्रलय हो जाती ? इस प्रकार की कार्यवाही से लोकतांत्रिक प्रथाओं की समृद्धि नहीं होती है।

हालांकि जयन्ती शिपिंग कम्पनी के शेयरों का अधिग्रहण करने सम्बन्धी यह विधेयक बड़ी देर से लाया गया है तथापि मैं इसका स्वागत करता हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

Constitution (Amendment) Bill

अनुच्छेद 51 का संशोधन

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेलीचेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जायें।

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : हम इसी अवस्था पर इस विधेयक का विरोध करते हैं क्योंकि स्वाधीनता के पूर्व से भी भारत की साम्राज्य विरोधी तथा राष्ट्रों की स्वाधीनता-पोषक नीति तथा परस्पर सर्वविदित रही है। अतः संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यह प्रश्न संविधान में संशोधन करने का नहीं प्रत्युत नीति के बारे में है। इस विधेयक के पेश होने पर भी विश्व यह समझेगा कि शायद हम अपने दृष्टिकोण को बदल रहे हैं। अतः मैं इस विधेयक का पुरःस्थापना के समय भी विरोध करता हूँ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : वियतनाम लाओस तथा कम्बोडिया के सम्बन्ध में सरकार की

नीति हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के अनुरूप नहीं रही है । अतः निदेशालय सिद्धान्तों में इस उद्देश्य का खण्ड जोड़ देना न्याय संगत है और इसी लिए मैं यह विधेयक पेश कर रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived

राजस्थान विकास बोर्ड विधेयक

Rajasthan Development Board Bill

राजमाता कृष्णाकुमारी जोधपुर (जोधपुर) : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि राजस्थान का तुरन्त कृषि तथा औद्योगिक विकास करने प्रयोजनार्थ एक बोर्ड के गठन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इस विधेयक के कारण क्योंकि भारत की संचित निधि पर प्रभाव पड़ता है तो क्या माननीय सदस्य ने अपने विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त कर ली है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह विधेयक नहीं पढ़ा है । इस संदर्भ में माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं ?

राजमाता कृष्णाकुमारी जोधपुर (जोधपुर) मैं यह विधेयक डा० कर्णी सिंह की ओर से पेश कर रही हूँ और वह इस समय यहां नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि राजस्थान का तुरन्त कृषि-औद्योगिक विकास करने के प्रयोजनार्थ एक बोर्ड के गठन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived

संविधान (संशोधन) विधेयक

Constitution (Amendment) Bill

अनुच्छेद 368 का प्रतिस्थापन

Substitution of Article 368

श्री सी० चित्तिबाबू (चिंगलेपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संविधान में और आगे संशोधन करने वाले प्रस्ताव को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री सी० चित्तिबाबू : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

फसल बीमा निगम विधेयक

Crop Insurance Corporation Bill

श्री सी० चित्तिबाबू : मैं प्रस्ताव करता हूँ ।

"कि अपरिहार्य कारणों से होने वाली हानि से छोटे कृषकों के हित की रक्षा करने के उद्देश्य से फसल बीमा कारबार करने के प्रयोजनार्थ फसल बीमा निगम की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहब पी० शिंदे : सरकार स्वयं चाहती है कि छोटे किसानों के हितों की रक्षा हो और इसी उद्देश्य से हमने एक विधेयक का मसौदा तैयार कर रखा है तथा राज्य सरकारों को वितरित किया जा चुका है । अतः हम स्वयं इस आशय पर विधेयक पेश करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी विधेयक की पुरःस्थापना का विरोध करने के लिए यह तर्क ठीक नहीं है । आप यह तर्क विधेयक पर विचार करने के समय कह सकते हैं ।

अब प्रश्न यह है :—

"कि अपरिहार्य कारणों से होने वाली हानि से छोटे कृषकों के हित की रक्षा करने के उद्देश्य से फसल बीमा कारबार करने के प्रयोजनार्थ फसल बीमा निगम की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री सी० चित्तिबाबू : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

न्यायाधीश (कतिपय मामलों में सुनवाई से प्रतिशोध) विधेयक

Judges (Prohibition of hearing in certain cases) Bill

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज): मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"कि ऐसे मामले में जिसमें उच्चतम न्यायालय के अथवा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में यह आशंका हो कि उनका दृष्टिकोण पूर्व निश्चित है, उन्हें सुनवाई और विनिश्चय करने से प्रतिषिद्ध करने की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि ऐसे मामले में जिसमें उच्चतम न्यायालय के अथवा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में यह आशंका हो कि उनका दृष्टिकोण पूर्व निश्चित है उन्हें सुनवाई और विनिश्चय करने से प्रतिषिद्ध करने की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

Tne motion was adopted

प्रो० एस० एल० सक्सेना : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

Constitution (Amendment) Bill—*Contd*

(अनुच्छेद 370 का प्रतिस्थापन—जारी)

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : अनुच्छेद 370 जम्मू व काश्मीर राज्य से संबन्धित है और इसका संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 का ध्यान रखना होगा जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 370 में संशोधन करने से पूर्व उक्त राज्य की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा और यह सम्भव नहीं लगता कि उक्त राज्य इस अवस्था पर ऐसी स्वीकृति दे देगा। साथ ही अनुच्छेद 320 के अतिरिक्त जम्मू व कश्मीर सम्बन्धी विभिन्न अनुच्छेदों में संशोधन किए जा चुके हैं अतः यदि अनुच्छेद 320 को समाप्त कर दिया गया तो उन संशोधनों का क्या होगा ?

उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 238 को समाप्त कर दिया गया है जबकि उक्त अनुच्छेद का सम्बन्ध अनुच्छेद 370 (1) (क) से है। यह सच है और हमने अन्य संशोधनों के साथ साथ इस अनुच्छेद के इस भाग को ही संशोधित करना उचित समझा क्योंकि केवल एक संशोधन के लिए विधेयक पेश करना न तो उचित है और न ही आवश्यक है।

उन्होंने एक बात यह भी कही है कि भारत एक डोमीनियन नहीं प्रत्युत एक स्वतन्त्र और गणतन्त्र देश है फिर भी इस अनुच्छेद में इसे डोमीनियन कहा गया है। वस्तुतः अफिमिलन के

दस्तावेज पर वर्ष 1947 में हस्ताक्षर हुए थे और उस समय भारत डोमीनियन ही था न कि लोकतन्त्र। इस लिए 'डोमीनियन आफ इंडिया' शब्दों का रहना स्वाभाविक ही था। अतः अफिमिलन के समय भारत का यह दर्जा था।

आगे श्री बाजपेयी ने कहा हैं यह संसद संघीय सूची (यूनियन लिस्ट) के अधीन जम्मू व काश्मीर के लिए कानून नहीं बना सकती। वस्तुतः संघीय सूची की 97 मदों में से यह संसद 92 मदों के बारे में कानून बना सकती है पर 5 मदों के बारे में नहीं। इसी प्रकार संवर्ती सूची की 47 मदों में से भी संसद 20 मदों पर कानून बना सकती है। धीरे धीरे हम इस स्थिति में आते जा रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर सम्बन्धी सभी मदों के बारे में यह संसद कानून बना सकेगी चाहे यह मदें संधीय सूची में हों अथवा संवर्ती सूची में।

आगे उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति तथा भारत के नागरिक जम्मू व काश्मीर में कोई संपत्ति नहीं खरीद सकते। वैसे तो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 298 की व्यवस्था के अनुसार वहां संपत्ति खरीदने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं परन्तु फिर भी इस कठिनाई को दूर करने के लिए इस राज्य के कानूनों में संशोधन करने के लिए सरकार को कहा गया है। हां भारतीय नागरिकों द्वारा वहां सम्पत्ति के क्रय की जहां तक बात है निश्चय ही इसमें कठिनाई है। जहां तक कृषि योग्य भूमि के क्रय का प्रश्न है वहां ऐसी भूमि की कमी होने के कारण राज्य सरकार इसकी अनुमति नहीं देगी परन्तु अन्य प्रकार की भूमि लोगों ने वहां खरीदी है और उद्योग आदि स्थापित किए हैं।

जहां तक इस राज्य में औद्योगिक प्रगति का प्रश्न है इस सम्बन्ध में मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा ने विस्तार से बता दिया है कि भारत के अनेक भागों के लोगों ने वहां जाकर जम्मू व कश्मीर में अनेक उद्योग स्थापित किये हैं।

श्री डागा ने कहा है कि उक्त विधेयक पर जनमत प्राप्त किया जाये। परन्तु मेरा उनसे कहना है कि इससे अनावश्यक समस्यायें पैदा हो जाएंगी जिससे न तो हमें कुछ लाभ होगा और न ही जम्मू व कश्मीर के लोगों को। अतः वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा का कहना है कि जम्मू व काश्मीर में वहां के लोग नहीं प्रत्युत भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय प्रायुक्त सेवा के अधिकारी ही इस विशेष दर्जे का लाभ उठा रहे हैं और अपने लाभ के अनुसार ही कानून बनाते हैं। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि इस राज्य में आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० संवर्ग ले ही नहीं और वहां के लोगों को ही वहां की सेवाओं के लिए भर्ती किया गया है तथा भारत के अन्य भागों के कुछ अधिकारियों को वहां प्रतिनियुक्तियों पर भेजा गया है।

उक्त कारणों को लेकर मैं प्रस्तावक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह अपने इस विधेयक को वापस ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बाजपेयी यहां नहीं हैं अतः वह उत्तर देने के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते। क्या श्री डागा अपना संशोधन वापस ले रहे हैं जिसमें विधेयक पर जनमत प्राप्त करने की बात कही गई है।

श्री मूलचन्द डागा : जी हां ।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया

The amendment was, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divibed

पक्ष में 6 विपक्ष में 49

Ayes 6 Noes 49

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया ।

स्वतंत्रता सेनानी (सेवाओं की सराहना) विधेयक

Freedom Fighters (Appreciation of Services) Bill

प्रो० एस० एल० सक्सेना : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि स्वतन्त्रता सेनानियों की सेवाओं की सराहना करते हुए उन्हें राज्य द्वारा सम्मानित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मेरे विचार से इस विधेयक का कोई भी सदस्य विरोध नहीं करेगा क्योंकि इस में स्वाधीनता सेनानियों की सेवाओं की सराहना की व्यवस्था है । यह बड़े खेद की बात है स्वतन्त्रता के 24 वर्ष के बाद भी सरकार की ओर से इन सेनानियों की दशा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज इनकी हालत बहुत ही खराब है । कुछ राज्यों ने इन सेनानियों को कुछ थोड़ी बहुत पेन्शन दी हैं । परन्तु उसके लिये भी जिस प्रकार आवदेन पत्र मांगने और मजिस्ट्रेटों द्वारा जांच पड़ताल कराने की प्रक्रिया अपनाई गई उससे तो अधिकांश सेनानी यह पेन्शन नहीं लेना पसन्द करेंगे । इन स्वाधीनता सेनानियों ने देश की स्वाधीनता के लिये बड़े बड़े बलिदान दिये है और उनको मजिस्ट्रेटों आदि द्वारा तरह तरह से जांच पड़ताल का पात्र बनाया जाना उनके लिए अपमान जनक सा लगता हैं । होना तो यह चाहिये कि सरकार स्वयं यह पता लगाये कि कौन कौन स्वाधीनता सेनानी रहे हैं जिन्होंने आज इस सदन को सरकार को यह शक्ति और सम्मान प्राप्त कराया है । परन्तु सरकार ने इस के लिये कुछ नहीं किया । और मुझे प्राप्त उनके पत्रों से मालूम हुआ है कि आज अधिकांश सेनानी बड़ी ही दुर्दशा को प्राप्त हैं । सरकार से अनुरोध है कि इन सेनानियों का पता लगाकर उन्हें पर्याप्त मात्रा में पेन्शन आदि दे ।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

इसी उद्देश्य को लेकर मैंने यह विधेयक पेश किया है । वस्तुतः तो इसे बहुत पहले पेश किया जाना चाहिये था मुझे आशा है कि सरकार इसे स्वीकार कर लेगी ।

इस सम्बन्ध में मुझे अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं और इसी कारण मैंने अपने 13 या 14 संशोधन भी पेश किये हैं।

सरकार ने अनेक बार स्वतन्त्रता सेनानियों की दशा पर अपनी चिन्ता प्रकट की है और इस बजट में उनके लिये 10 लाख रुपये की व्यवस्था भी की है परन्तु यह तो बहुत ही अधि राशि है।

अब सभा से मेरा निवेदन है कि स्वाधीनता सेनानियों के सम्मान को दृष्टि में रखते हुए वह मेरे इस विधेयक को स्वीकार कर ले।

सभा पति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि स्वाधीनता सेनानियों की सेवाओं की सराहना करते हुए उन्हें राज्य द्वारा सम्मानित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 1 मार्च, 1972 तक राय जानने के प्रयोजन के लिये उसे परिचालित किया जाये।"

सभा पति महोदय : उक्त दोनों प्रस्ताव अब सभा के समक्ष हैं।

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : गत दो दिनों में दो संविधान (संशोधन) विधेयक पास करके लोक सभा में एक नया इतिहास निर्मित किया गया है। मुझे पूरा विश्वास हैं कि इन संशोधनों से देश में फैली गरीबी को दूर करने में बड़ी सहायता मिलेगी और सरकार देश में एक समतावादी समाज की स्थापना कर सकेगी। परन्तु मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि इस ने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिये क्या किया ?

केन्द्रीय सरकार ने 2 अक्तूबर 1969 से लागू होने वाली योजना में सरकार ने अन्दमान जेल में कम से कम पांच वर्ष तक की सजा पाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को कुछ वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की है जिसके अन्तर्गत लगभग 210 परिवारों को सहायता दी जायेगी। इस कार्य पर सरकार ने प्रति माह लगभग 43,000 रुपये खर्च किये हैं। परन्तु क्या सरकार यह समझती है कि ऐसे केवल 210 सेनानियों ने ही हमारे स्वाधीनता संग्राम की इस सारी अवधि में लड़ाई लड़ी थी ?

सरकार ने उन लोगों के लिए क्या किया जो 5 वर्ष से कम अवधि तक जेलों में रहे ? क्या उनके लिए सरकार के दिल में कोई सहानुभूति नहीं है! साथ ही उनके बारे में सरकार ने क्या किया जो अन्दमान तथा अन्य जेलों में रहे ! ऐसे लोगों के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil

सरकार भूतपूर्व नरेशों के परिवारों को प्रतिवर्ष 18 लाख रुपये की राजनैतिक पेन्शन दे रही है। यह योजना भारत में अंग्रेजों सरकार ने बनाई थी और वह आज भी जारी है। सरकार इस अनुचित योजना को कब समाप्त करेगी। ताकि इस अपार धनराशि से देश के स्वाधीनता सेनानियों के परिवारों को रोजगार तथा सहायता दी जा सके।

स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले हमारे अनेक राष्ट्रीय नेता आज मंत्री बन गये हैं- उनके बेटे-बेटियां भी मंत्री बन गये हैं परन्तु उन लाखों देश भक्तों के लिए क्या किया जा रहा है जो संकट की घड़ी में इन राष्ट्रीय नेताओं के पीछे पीछे चलते रहे मगर जो आज बहुत ही दयनीय दशा को प्राप्त हैं ? ये परिवार आत्म सम्मान वाले हैं और सम्भव है कि वे किसी प्रकार की सहायता के लिए सरकार के सामने हाथ न पसारें यह तो सरकार का कर्त्तव्य है कि वह उनका पता लगाकर और उन्हें सही अर्थों में सहायता पहुंचा कर अपनी कृतज्ञता प्रकट करे।

सरकार ने 1857 से 1947 के बीच स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लेने वाले वीर सेनानियों की स्मृति में स्मारक बनाने का निश्चय किया है जो कि अप्रैल 1972 से पूर्व निर्धारित किया जाना है। परन्तु हमें तो उक्त प्रस्ताव की क्रियान्विति के कोई चिन्ह नजर नहीं आते। मंत्री महोदय घोषणा करें कि उक्त स्मारक कब तक स्थापित कर दिया जायेगा।

तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु स्थित स्वाधीनता सेनानियों के लिये सहायतार्थ अब तक इन के 6000 परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। एक कांग्रेसी विधायक ने राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि 15 अक्तूबर, 1971 तक जितने भी स्वाधीनता सेनानियों ने वित्तीय सहायता मांगी हैं उन्हें यह सहायता दे दी जाये। और हमारी इस राज्य सरकार ने उक्त प्रस्ताव को मानने में कोई संकोच नहीं किया। ऐसे अनेक उदहारण मैं यहां पेश कर सकता हूँ जिससे इस सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार की तत्परता का प्रमाण मिलता है।

मैं इस विधेयक के प्रति अपना हार्दिक समर्थन व्यक्त करता हूं और इस के अधीन पृथक पृथक जितनी धनराशि देने का सुझाव दिया गया है उसकी हिमायत करता हूं मैं सरकार से जोरदार अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक के खण्ड 4 में दिए गए सुझावों को क्रियान्वित करे और इन प्रस्तावों पर प्रति वर्ष 2.52 करोड़ खर्च करने में संकोच न करे।

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj): All of us and the people of the entire country are highly obliged to Shri Saksena who has brought forward this important Bill before the House. It might be recalled that since 1920 the freedom fighters of the country had been struggling hard to liberate the country. Though many of them have lost their lives, many are still alive who took part in the struggle launched in 1921. 1930 and 1942. They secrified their educational opportunities and other amenities for the cause of the country. But it is deplorable that the conditions of the surviving freedom fighters is pathetic. They are unable to educate their children. They are unable to feed themselves and their children properly. Since 1947 we have been hearing that the political sufferers would be provided with rehabilitation grant, land and other facilities. But except a few persons, the economic condition of these people are appealing

After the war soldiers are demobilised and efforts are made by the Government to rehabilitate them. But such efforts have not been made by the Government so far in respect of the freedom fighters It has been suggested by my friends that freedom fighters should be given employment in the Centre and in the States. But it is unfair on the part on the Government that their percentage in these serv ice is negligible.

Most of the persons who took active part in the freedom struggle have been living in the villages in deplorable conditions and our Minister do not care even to consult them. They are not even treated as politicians. The Ministers do not want even to meet them.

I am unable to understand the rationale of the demand that this Bill should be circulated for eliciting public opinion. Do you want to delay it for a further period when you will find nobody to be benefitted ? It has been said that D. M. K. Government have made provision to give pension benefits to 6000 persons after 1967. All honours to them. Bihar Government also gave relief in cash to such persons as remained in Jail for taking part in freedom struggle. But the amount of relief is utterly inadequate in view of the fact that most of the freedom fighters lost their entire property and they were subjected to all sorts of sufferings. I Suggest that they should be given proper compensation.

Emphasis was also laid by me in 1954-55 on the necessity of relief measures to the freedom fighters. Afterwards, Government formutated a scheme under which it was decided to give relief to those who were imprisoned for five years in the foreign Jails. At that time we demanded that there should be no discrimination between those who were imprisoned in foreign Jails and who were imprisoned in Indian jails.

It has been observed that for availing of these facilities they are asked to produce a certificate from the District Magistrate, the very persons who sent them in Jails. The political sufferers do not want to go to them because of the tact that they were humiliated by these bureaucrates. Government should find out an easy method by which politicals sufferers may avail the facilities.

It should be remembered that to-day we are enjoying our freedom because of the great sacrifice of these persons. We should not be ungrateful to these persons who got liberation to our country. But I am sorry to say that our political sufferer's have been living in miserable conditions. It is a matter of shame for us to see these persons following inpoverty. I do not lay emphasis on the quantum of allowance to be given to them. But arrangements should be made to ensure that they get the minimum amount needed to meet the necessaries of life.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीगढ़) : पहले मैं श्री सक्सेना को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण विधेयक विचार विमर्श के लिए रखा है। इस मामले में मेरे विचार से सभी दलों के सदस्य एकमत हैं इस सम्बन्ध में तथा सभी सरकार के रवैये से असंतुष्ट हैं।

महोदय यह सौभाग्य की बात है कि इस विषय पर आप के सभापतित्व में विचार विमर्श हो रहा है तथा हमें आशा है कि सरकार अब अपनी नीति में परिवर्तन करेगी।

हमारे स्वतंत्रता सेनानी आज दयनीय स्थिति में जीवन बिता रहे हैं तथा हमें उनके बारे में पूरी जानकारी तक नहीं है। भगत सिंह आदि जैसे अनेक बहादुरों ने देश की स्वतन्त्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था।

यह प्रश्न स्वतन्त्रता सेनानियों को कोई दान या किसी प्रकार की सहायता दिये जाने का नहीं है। इस दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार करना हमारे देश की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। यह प्रश्न उनकी सेवा से उऋण होने का है तथा देश को यह बताने का है कि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था।

इस विधेयक में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने का प्रस्ताव है। मेरे विचार से पेंशन की बजाये उन्हें राष्ट्रीय सम्मान के रूप में कुछ दिया जाना चाहिये।

ब्रिटिश सरकार ने हमारे बहुत से बहादुरों को काले पानी की सजा दी थी तथा उन्हें अंदमान की सैलूलर जेल में रखा था जिससे वे अपनी मातृभूमि और अपने प्रिय जनों से पृथक हो गये थे। इसके अतिरिक्त बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को अन्य स्थान पर भी कैद में रखा गया था। एक्स अण्दमान पोलीटिकल प्रिजनर्स फ्रेटरनिटी एसोशियशन ने 1969 में सरकार को अभ्यावेदन दिये जिस पर सरकार ने यह निर्णय किया।

भारत सरकार ने 2 अक्तूबर, 1969 से उन पात्र स्वतंत्रता सेनानियों को अथवा जो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जीवित नहीं रहे उनके परिवारों को पेंशन देने की योजना बनाई है जो अन्दमान और निकोबर द्वीपसमूह की जेल में पांच वर्ष तक कैद रहे ।

इसके पश्चात् सरकार ने यह निर्णय किया कि चाहे ये लोग अन्दमान जेल में कितने भी दिन रहे हों किन्तु उनकी जेल की अवधि पांच वर्ष से कम न हो।

सरकार का यह रवैया उचित नहीं है क्योंकि इसके अनुसार यदि कोई स्वतन्त्रता सेनानी चार या तीन वर्ष के लिए कारावास में रहा है तो सरकार की दृष्टि में वह स्वतन्त्रता सेनानी नहीं हुआ।

इसके पश्चात् फिर आन्दोलन हुआ तथा श्री भूपेश गुप्त ने 5 दिसम्बर 1969 को राज्य सभा में कहा था कि पेंशन के बारे में स्वतन्त्रता सेनानियों के साथ भेदभाव नही किया जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि कोई राजनीतिक पीड़ित निर्धन हो तभी उसको वित्तीय सहायता दी जाये। यह कोई खैरात नहीं है। सरकार को नीति बदलनी चाहिए।

श्री राजनारायण द्वारा यही प्रश्न उठाये जाने पर श्री चव्हाण ने यह उत्तर दिया था कि सरकार ने इन विशिष्ट व्यक्तियों के लिए एक विशेष योजना बनाने का प्रयत्न किया है जिसके द्वारा कृतज्ञ राष्ट्र उनकी सेवा के बदले अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता है।

इस आन्दोलन के पश्चात् सरकार ने पांच वर्ष की अवधि की शर्त हटाई। किन्तु जब उनकी सूची बनाई गई तो सरकार ने कुछ व्यक्तियों का नाम उसमें से हटा दिया। यदि कोई व्यक्ति 55-57 वर्ष की आयु में अपने परिश्रम से अपनी रोटी कमाने में समर्थ है तो इसका यह आशय नहीं कि उसे पेंशन पाने का हक नहीं है। सरकार की यह भेदभावपूर्ण नीति अनुचित है। पेंशन सभी को मिलनी चाहिए।

मेरे पास वह सूची है तथा इससे पता चलता है कि सरकार ने 16 व्यक्तियों को पेंशन न देने का निर्णय किया है क्योंकि वे रोजगार प्राप्त हैं। वास्तव में ये 16 व्यक्ति 54 से लेकर 82 वर्षकी आयु के हैं। मेरा सुझाव है कि उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। उन्हें पेंशन न देकर सरकार कितनी मितव्यता कर सकती है ? मेरा आशय है कि उन्हें सम्मान के रूप में यह राहत दी जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस सहायता को स्वीकार नहीं करता तभी उसको इससे वंचित करना चाहिये।

गत जुलाई में श्री कृष्णचन्द्र पंत ने उनको यह आश्वासन दिलाया था कि शेष मामलों पर

अनुकल विचार किया जायेगा। किन्तु खेद है कि इस मामले में अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इस मामले में बहुत कंजूसी कर रही है। सरकार केवल लगभग 200 रुपये ही दे रही है तथा उसमें भी उसने कुछ व्यक्तियों को सूची से निकाल दिया है। अन्दमान की जेल में केवल 250 ही कैदी थे ? नहीं। उनमें से बहुत से व्यक्ति मर भी गये होंगे। सरकार को इस बारे में जांच करनी चाहिए।

मैं श्री तिवारी द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का समर्थन करता हूं कि सभी स्वतन्त्रता सेनानियों को, उनके कारावास की अवधि का विचार किये बिना पैंशन मिलनी चाहिए। उन लोगों को भी यह राहत दी जानी चाहिए जो घायल हुए या जिनकी सम्पत्ति नष्ट हुई। ऐसा करके ही हम उनका राष्ट्रीय सम्मान कर सकते हैं।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार किया जाये तथा यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो व्यापक अध्ययन करके उसे दूर किया जाये अथवा यदि आवश्यक हो तो इसे प्रवर समिति के समक्ष रखा जाये। मुझे आशा है सरकार इसे अस्वीकृत नहीं करेगी क्योंकि ऐसा करने पर हम सभी के लिए यह खेद की बात होगी।

Shri Bibhuti Mishra (Motthari) : I support the spirit of the Bill brought forward by oshri Saksena. I would also request the Government to bring forward a c prehensive Bill on this matter. While doing so Government should not feel as if they are giving charity to our freedom fighters but they should realise that it is their duty to give some financial assistance to those who sacrificed their all for the cause of the nation.

We see to-day several Ministers who did not take part in the freedom struggle. They do not even know as to who took active part in that struggle. There are several Ministers in the Government who did not see even the face of Mahatma Gandhi .... **(interruption)**

There are a few persons in the Administration having sympathetical attitude towards the freedom fighters. We see that the Secretaries and the Private Secretaries to the Ministers are those persons who helped the Britishers at that time. Is it not a matter of disgrace to us ? It is matter of shame that our political sufferers are paid no respect in the country.

Recently I met a Minister of Bihar State and requested him to arrange funds for the Politicals sufferers who were in great difficulty. I am sorry to mentionthat he did not give favourable reply. These persons now do not consider the political sufferers as their brothers.

The Government should bring forward its own Bill after careful study of the objects and reasons of this Bill. The Government provides pension benefits to Government employees and the persons retired from Military Services, but the freedom fighters are getting nothing. They are leading miserable life since they have got nothing to fall back upon. Their children could not be properly educated because at the time of their education, they were suffering in Jails. On the other hand there are people in our country, who fought against the freedom. against the national movement and entered into an agreement with Britishers and got the country partitioned, are on top posts. They are Governors; they are ambassadors, they are Ministers too.

We are told not to plead for freedom fighters. Why should we not ? Have they not been in jails with us, have they not been in national movement with us ? They are begging to-day. It is my duty to fight for their cause.

The Ministers do not have time to listen to them. They visit District Congress commitees and do not enquire for the well being of the freedom fighters. They entertain those people only who are highly resourceful.

The Government has appointed a Deputy Minister to look after this job. It would have been better had the Prime Minister taken this responsibility on herselt. Our Prime Minister often markes references to his father but the people who fought shoulder to shoulder with him are not even named. At least a minister of cabinet rank should be there for the purpose.

there should be provision of assistance to all those who participated in national struggle irrespective of the view that they are extremists or liberals. The provision of certificats involves certain complications and as such we should not ask for the eligibility certificate to enable the freedom fighters to receive assistance from the Government, the Government should ensure that the needy would get this assistance.

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा-पश्चिम) : इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्वतन्त्रता संगाम में कांग्रेस के कहने पर दूसरे दलों ने भी हाथ बटाया और इन दलों के बहुत से लोग गलियों में, खेतों में, कारखानों में लड़ते-लड़ते मारे गये। हमें उनके मामलों को भी नहीं भूलना चाहिए। यहां सदन में जो वक्तव्य दिये गये हैं उनमें अधिकांशत: उन्हीं लोगों का उल्लेख है जिन्होंने जेलों में यातनायें सही है। विधेयक के प्रस्तुत करता को दूसरे दलों के ऐसे व्यक्तियों को नहीं भूलना चाहिये बहुत से लोग सत्याग्रह आन्दोलन में मारे गये, पुलिस लाठी चार्ज से मारे गये और सिविल अवज्ञा आन्दोलन में मारे गये। अंग्रेजों ने बहुत से परिवारों का नाश कर दिया। राज्य सरकारों के पास ऐसे सभी आंकड़े उपलब्ध हैं। इस विधेयक को स्वीकार करते हुये सरकार को ऐसे व्यक्तियों को नहीं भूलना चहिये।

इस विधेयक का समर्थन करते हुये मैं विधेयक के प्रस्तुत करता तथा सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि राजनैतिक पड़ितों के बच्चों के लिये मैडिकल कालेजों में कुछ स्थान आरक्षित किये जाने चाहियें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से इस विधेयक को उस रूप में स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं जिस रूप में वह हम सभी को मान्य हो।

Snrimati Sahodrabai Rai (Sagar) : Mr. Chairman, Sir, we should also be given time to speak.

Mr. Chairman : The fact is that we are to adjourn at 5 P. M.

Shri P. K. Deo (Kalahandi) : Sir. I should be given time to move for consideration of my Bill.

Mr. Chairman : When one bill is going on the other cannot be taken up.

Shri S. A. Kader (Bombay-Central South) : Mr. Chairman, Sir, this is an important question and several members want to express their opinion on this matter. The discussion shauld be continued till 5 P. M. and if certain members remain, the discussion should be postponed for some other day.

Mr. Chairman : I agree that the time for discussion should be extended. The time may be extended by the man who is in Chair at that time.

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : We should be given more than ten minutes to speak.

सभापती महोदय : श्री पम्पन गौडा ।

श्री पम्पन गौडा (रायचूर): मैं श्री एस० एल० सक्सेना द्वारा प्रस्तुत किये गए इस विधेयक का स्वागत करता हूँ । विधेयक के समर्थन में बहुत से सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं भी उनके विचारों का समर्थन करता हूँ । हमारी स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता सैनानियों के त्याग तथा उनके द्वारा सही गयीं यातनाओं का ही परिणाम है । उनके त्याग के फलस्वरूप ही हम इस संसार में आ सके हैं । देश को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए ।

लाखों लोगों ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया । उनकी निश्चित संख्या बताना दुष्कर है । सरकार को इन व्यक्तियों के नामों की एक सूची तैयार करनी चाहिये तथा उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधायें प्रदान करनी चाहियें । सरकार लगभग 500 स्वतन्त्रता सैनानियों को पेंशन दे रही है । यह संख्या बहुत कम है जब कि संग्राम में लाखों व्यक्तियों ने भाग लिया । उनकी संख्या चाहे जो भी हो महत्व की बात यह है कि उन्हें पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए ।

स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चों को देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृतियां दी जाती हैं । प्रतिवर्ष अच्छी-खासी धनराशि दी जाती है । दुर्भाग्य की बात है कि इन सेनानियों के प्रतिभाशाली छात्रों को विदेशों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां नहीं दी जाती हैं । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

श्री एस० ए० कादर (बम्बई मध्य-दक्षिण) : सभापति महोदय, क्योंकि मैं वर्ष 1930 से स्वतन्त्रता सेनानी रहा हूँ, अतः मुझे ज्ञात है कि लाखों लोगों ने इस संग्राम में भाग लिया और देश के लिये उन्होंने अपना सर्वस्व बलिवान कर दिया । परन्तु खेद का विषय है कि पृथ्वी पर यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वह उन स्वतन्त्रता सैनानियों के साथ हुआ है जो हमारे देश में स्वतन्त्रता लाने के हकदार हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश में जिस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये था नहीं दिया गया । स्वतन्त्रता सैनानियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया कि उन्होने अपना कार्य कर दिखाया है अब सरकार का उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है । कुछ समय पश्चात यह विचार किया गया कि उनके लिए कुछ किया जाना चाहिये । सरकार ने यह निश्चय किया कि इन सैनानियों को एक प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिये । परन्तु इस पर हस्ताक्षर कौन करेगा । जिले का जिलाधीश । जिन व्यक्तियों से ये लोग लडते रहे वही प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे । जब इस बात का विरोध किया गया तो यह निश्चय किया गया कि राज्य का मुख्यमंत्री इस पर हस्ताक्षर करेगा । बहुत से राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें न स्वतन्त्रता के विषय में कुछ पता है न संग्राम के विषय में । यह सब उन नेताओं के कारण हुआ है जिन्होंने कभी स्वतन्त्रता संग्राम में भाग नहीं लिया ।

आज हमारे देश में वही लोग सत्ताधारी हैं जिन्होंने स्वतन्त्रता का विरोध किया. स्वतन्त्रता संग्राम का विरोध किया । वही लोग आज राज्यपाल बने हुये हैं, राजदूत बने हुये हैं, अधिकारी हैं तथा उनमें कुछ मन्त्री भी हैं ।

एक माननीय सदस्य : बड़ी लज्जा की बात है ।

श्री एस० ए० कादर : यह लज्जा की बात नहीं है । यह सब हम सभी के कारण हुआ है । यदि हम इस प्रश्न के प्रति सजग रहते तो देश में ऐसी स्थिति न होती ।

जिन स्वतन्त्रता सैनानियों ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया आज उनके सम्मुख अधिक सकट है, उनके परिवार तथा बच्चे संकट में हैं । उनके लिये सरकार को सहायता का प्रबन्ध करना चाहिये ।

जब हम उनके लिये कुछ प्रबन्ध करना चाहते हैं तो हमें उन्हें 50 रु० देकर उनका उपहास नहीं करना चाहिये । उनकी सभी आवश्यकतायें पूरी की जानी चाहियें । उनके परिवारों को सुविधायें दी जानी चाहिए, उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाना चाहिये । उन्हें उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये ।

सरकार को एक विधेयक लाना चाहिये तथा एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि स्वतन्त्रता सैनानी केन्द्रीय सरकार की देख-रेख में रहें । यदि सरकार ऐसा आश्वासन देती है तो मैं श्री सक्सेना जी से ऐसा अनुरोध करूंगा कि वे अपना विधेयक वापस ले लें ।

अच्छा होता यदि प्रधानमन्त्री यहां होतीं और यह स्वीकार करतीं कि सरकार से गलती हुई है । अब से हम स्वतन्त्रता सैनानियों के लिये सब कुछ करेंगे । स्वतन्त्रता सैनानियों के उन परिवारों को सहायता दी जायेगी जिनको सहायता की आवश्यकता है । यह उनका अधिकार है और उनकी न्यायोचित माँग है ।

Mr. Chairman : Shri Bade

Shri R. V. Bade (Khargone) : Mr. Chairman. I welcome the Bill moved by Shri Saxena. He has brought an important subject before the House.

The Government should have brought a Bill providing for all possible assistance to the freedom fighters who sacrificed their everything for the cause of the nation. It is regrettable that such a Bill has been brought by an Independent member.

It is surprising that the people who were afraid of fighting are in top positions and those who dedicated their lives for fighting self martyres. The people who opposed national movement are on top posts to day.

As regards this Bill, this is incomplete and requires certain amendments, but the object of the Bill is laudable. The Government should provide for assistance not as a charity measure but as being obliged to the freedom fighters. The provision of 'Praman Patra' should be done away with as the complications involved in it are troublesome.

It is seen that children of political sufferers do not get admissions in Medical Colleges. Some specific steps should be taken to reserve some quota in Medical Colleges for the children of political sufferes, just as there are quotas for scheduled castes and tribes.

I think this Bill should not be withdrawn and if it is withdrawn, the Government should bring a comprehensive Bill in this regard within fifteen days or so. If Goverment assures such a move then the present Bill may be withdrawn. With these words I support the Bill.

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar) : The present Bill suffers from certain defects, therefore, it should be withdrawn and a fresh comprehensive Bill should be brought forth in consultation with all the members.

Political sufferers are not being given treatment they deserve. They are not being given adequate assistance. Our Ministers have got no time to hear the difficulties and the grievances of freedom fighters.

Widows of the political sufferers are leading a miserable life. They have got daughters but no funds to marry them. The procedure of getting a freedom fighter certificate is a complicated one. We should have such a committee in each district for this purpose, since District Magistrates and Tehsildars do not pay proper attentian in this matter. We should give atleast Rs. 200/- to each of them as Rs. 50/- is very much inadequate. This assistance, first of all be given to those who have no one after their families to earn their livelyhood, their children should be given preference in services.

Distribution of land among the political sufferers should be stopped forthwith because the land which is given to them is not cultiviable. They should be given adequate pension.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

The Chief Ministers of the States should be directed to do justice to the political sufferers. We have to ensure that they fight for their cause. The Government should enable us to fulfil our assurances. The political sufferers of Goa should also be entitled to get this assistance.

The Government should bring forward a comprehensive Bill to this effect to enable the freedom fighters to feel that Government is doing something concrete for them, and, they may feel that they are being honoured.

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : यह बड़े खेद की बात है कि जब इस विधेयक पर चर्चा की जा रही है तो मन्त्रिमण्डल स्तर का कोई भी मन्त्री इस समय सदन में उपस्थित नहीं है। इस प्रकार पूरे सदन की उपेक्षा की जा रही है। देश को स्वाधीनता दिलाने वाले लोगों के हम भारी ऋणी हैं और यदि धन से नहीं तो कम से कम किसी अन्य तरीके द्वारा हमें उनकी सराहना करनी चाहिये।

राजनीतिक पीड़ितों की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा बहुत कम कार्य किया गया है। यद्यपि यह भी सच है कि प्रायः भारत का प्रत्येक राज्य उनके लिए कुछ करने के बारे में सोच रहा है। स्वतन्त्रता सेनानियों और राजनीतिक पीड़ितों के लिए अनेक समितियां बनाई गई हैं। पश्चिम बंगाल में गठित की गई समिति का मैं सदस्य रहा हूं। केन्द्रीय सरकार ने केवल उन पीड़ितों की सहायता की जिनकी दयनीय स्थिति के बारे में सरकार को बताया गया। लेकिन सरकार उन पीड़ितों की सूची बनाने का प्रयास क्यों नहीं करती जिससे यथासम्भव उनके कष्टों को दूर किया जा सके ?

राज्य सरकारों द्वारा कुछ स्वतन्त्रता सेनानियों को अथवा उनके परिवार के सदस्यों को, पैंशन दी जा रही है जो ठीक तरीके से नियत नहीं की गई है। अतः किसी विधेयक की जरूरत थी जो मेरे मित्र श्री सक्सेना द्वारा पेश किया गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक पर अगले दिन विचार किया जाये। इस विधेयक पर विचार करते समय प्रधान मंत्री को सदन में उपस्थित होना चाहिये था जिससे देश के राजनीतिक पीड़ितों और स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में संसद सदस्यों की भावनाओं से उन्हें अवगत कराया जा सकता। गृह मन्त्री और वित्त मंत्री को भी

सदन में होना चाहिये था ताकि उन लोगों के लिए कुछ किया जा सकता। ये वह लोग हैं जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये हैं। उन्होंने किसी से कोई सहायता लेने के विषय में नहीं सोचा अपितु उन्होंने अपना जीवन देश के लिए बलिदान किया। ऐसे लोगों की हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, लेकिन स्वतन्त्रता का उपभोग करने वाले लोगों को यह देखना चाहिए कि उन स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों के लिए कुछ किया जाये। मैं इस विधेयक का सदन की स्वीकृति के बारे में समर्थन करता हूँ।

श्री आर०वी० स्वामीनाथन् (मदुरै) : यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम में यह कहना चाहता हूं कि "राजनीतिक पीड़ित" शब्द प्रयुक्त नहीं किये जाने चाहियें। सही शब्द "स्वतन्त्रता सेनानी" हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा सहन की गई मुसीबतों और किये गये बलिदानों का जिक्र करना दुष्कर कार्य है। वर्ष 1940 में जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मेरे विरुद्ध पुलिस ने एक यह आरोप लगाया कि मैं एक कम्युनिस्ट को आश्रय दे रहा हूँ। देश के लिए अनेक लोगों ने मुसीबतों का वीरता पूर्वक सामना किया। मेरे एक मित्र ने, जो जेल में मेरे साथ थे, मुझे हाल ही में लिखा है कि वह बीमार है और दवाइयाँ खरीदने के लिए उनके पास धन नहीं हैं। स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए कुछ करने के विषय में इस सदन ने रुचि नहीं दिखाई है। अत: सभी सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को समाचार-पत्रों में उचित रूप से भेजा जाना चाहिए ताकि स्वतन्त्रता सेनानियों को पता चल सके कि संसद उनके विषय में रुचि दिखा रही है और उनकी कठिनाइयों को समझती है। स्वतन्त्रता सेनानी किसी दान के लिए नहीं कह रहे हैं। वस्तुत: यह उनका अधिकार है और वे चाहते हैं कि सरकार उनकी सभी सेवाओं को मान्यता प्रदान करे। 1930 और 1932 के आन्दोलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति बहुत कम जीवित हैं। केवल उन लोगों को जो मुसीबत में हैं और पीड़ा सह रहे हैं, उन्हें पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिये। मुझे नहीं मालूम है कि इस विधेयक के बारे में सरकार का क्या रुख है। यदि सरकार श्री सक्सेना से इस विधेयक को वापिस लेने के बारे में कहती है तो उसे यह आश्वासन देना चाहिए कि वे सदन में एक दूसरा व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेंगे जिसमें ये सभी बातें सम्मिलित की जायेंगी और सदन में अभिव्यक्त भावनाओं का ख्याल रखा जायेगा। लेकिन प्रत्येक स्वतन्त्रता सेनानी को कम से कम 250 रुपए अवश्य दिए जाने चाहिए।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : The grave of, first freedom fighter of India, Bahadurshah is situated at Rangoon near a jungle. The epitaph on his grave reads "A day will come in India, when my mortal remains will be taken to India with honour and cremated near the Red Fort" But the desire of this great soldier has not been fulfilled uptill now. I will request to the Government to grant pension to alive persons and the mortal remains of the dead to be brought here in India. Andaman has been the martyrium of more than twelve revolutioneries of India. When Netaji Subhash Chander Bose became the first Commander-in-Chief of the Indian National Army, he said that the mortal remains of these revolutioneries will be brought to the Free India.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रखें।

सीमाओं पर स्थिति के बारे में

Re Situation at the Borders

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अध्यक्षपीठ द्वारा निरन्तर रूप से यह विनिर्णय दिया

गया है कि सरकार को सदन का सम्मान करना चाहिए और लोक महत्व के सभी विषयों पर इस सदन को विश्वास में लेना चाहिए। जब सदन का सत्र चल रहा हो तो समाचार-पत्रों को वक्तव्य देने से पूर्व इसे सदन में दिया जाए। आज प्रातः कुछ माननीय सदस्यों ने अगरतला पर बम गिराए जाने सम्बन्धी मामलों को उठाया और यह आरोप लगाया कि सरकार प्रेस को विश्वास में ले रही है लेकिन सदन के सामने उस विषय को नहीं रख रही है जब तक विषय सदन के सामने नहीं रखा जाता समाचार-पत्रों में तब तक कुछ भी नहीं छापा जा सकता है। कल और परसों छुट्टी है...... (**अन्तर्बाधा**)

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : आज प्रातः अध्यक्ष महोदय ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि त्रिपुरा आदि में जो कुछ हो रहा है उसके विषय में उन्हें एक वक्तव्य देना चाहिए। सदन और देश से यह विषय गुप्त रखा जा रहा है। हमें आशा थी कि आज सभा के स्थगित होने से पूर्व एक वक्तव्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) संवादाताओं को जानकारी दे दी जाती है लेकिन सदस्यों को विश्वास में नहीं लिया जाता है और सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं दिया जा रहा है। हमारी सीमाओं पर जो कुछ हो रहा है उस सम्बन्ध में सदन को विश्वास में लिया जाये, इस बारे में कोई प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इस तरह की कोई भ्रांति है तो मेरे विचार से उसे दूर कर देना चाहिए। ये दिन ऐसे हैं जब सम्पूर्ण देश की सीमाओं पर जो कुछ हो रहा है, उस विषय में जानने को उत्सुक है। यह सच है कि नीति के मामले में सरकार को पहले सदन के पास आना चाहिये। लेकिन हमारी सीमाओं पर जो कुछ हो रहा है, उसके सम्बन्ध में यदि जानकारी और समाचार रोक लिये जाते हैं अथवा देर से दिये जाते हैं तो मेरे विचार से यह दुर्भाग्य पूर्ण है। यह राष्ट्रीय हित में नहीं होगा और इससे कई तरह के गलत अन्दाजे लगाए जायेंगे। जब तक कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती तब तक सरकार की वर्तमान प्रथा प्रेस को समाचार देने के बारे में जारी रहनी चाहिए और केवल नीति के मामलों में ही सरकार को संसद के समक्ष पहले आना चाहिये यदि जानकारी नहीं दी गई तो देश में अपने-अपने ढंग से अन्दाजे लगाये जायेंगे जो कि लोगों के मनोबल को बनाये रखने में सहायक सिद्ध नहीं होंगे और यह राष्ट्रीय हित में भी नहीं होगा :

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार 6 दिसम्बर, 1971/15 अग्रहायण, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till 11 A.M. on Monday the 6th December, 1971/15th Agrahayana 1893 (Saka)

Sumer Printing Press, New Delhi-18